

उत्तर मध्य रेल झांसी मंडल

स्टेशन संचालन नियम
संख्या :- 475

जारी किये जाने का दिनांक .
लागू किये जाने की तारीख.....

महोबा स्टेशन (बड़ी लाइन)

टिप्पणी:—स्टेशन संचालन नियमों की सामान्य एवं सहायक नियमावली तथा ब्लॉक संचालन नियमावली के सहयोजन से अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। ये नियम उपर्युक्त पुस्तकों में किसी भी नियम का किसी भी तरह अतिक्रमण नहीं करते हैं।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख

रेल पथ क्षमता जैसा कि आरेख संख्या एस.आई.पी.— ई.2306/L दिनांक 04.01.2021 संलग्न आई.पी. संख्या एस.आई. पी.— ई.2306/L दिनांक 22.12.2020 पर आधारित है। अल्टरेशन एफ को छोड़कर।

2. स्टेशन का विवरण

2.1 सामान्य स्थिति

महोबा स्टेशन झांसी-खैरार विद्युतीकृत इकहरी लाइन पर सी.एस.टी.एम. से 1265.58 किलोमीटर पर स्थित है। ये सिगनल और काँटे पैनल प्रचालन के अनुसार अन्तर्पाशित मानक दो (आर) का 'ख' श्रेणी संचालित स्टेशन है।

2.2 दोनों ओर ब्लॉक स्टेशन और उनकी दूरियाँ—

अ. कुलपहाड़	:	21.44 किमी झांसी की तरफ
ब. कबरई	:	21.69 किमी मानिकपुर की तरफ
स. सिंहपुरडूमरा	:	30.10 किमी खजुराहो की तरफ
'डी' क्लास स्टेशन	:	1. महोबा —कुलपहाड़ के बीच में चरखारी रोड 2. महोबा —कबरई के बीच में बरीपुरा 3. महोबा —सिंहपुरडूमरा के बीच में चितहरी एवं रगौली

डी.के. साइडिंग : निल

आउटलेंडिंग साइडिंग : निल

2.3 विभिन्न दिशाओं में स्टेशनों के दोनों ओर ब्लॉक खण्ड की सीमाएं —

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहां से "ब्लॉक खंड" शुरू होता है	वह स्थान जहां से "ब्लॉक खंड" समाप्त होता है
महोबा —कुलपहाड़	महोबा अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल नं0 एस-1	कुलपहाड़. डाउन एडवान्स स्टार्टर सिगनल नंबर एस-19
महोबा —कबरई	महोबा डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल नं0 एस.20	कबरई अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-1 के बीच
महोबा—सिंहपुरडूमरा	महोबा डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल नं0 एस-3	सिंहपुरडूमरा अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल के बीच

2.4 ढलान यदि हो—

किमी	ग्रेडियन्ट (झांसी सिरे से)	ग्रेडियन्ट (मानिकपुर सिरे से)	किमी
ब्लॉक खण्ड से किमी 1262.270 तक	1160 में 1 का उठता हुआ	ब्लॉक खण्ड से किमी 1269.570 तक	343 में 1 का उठता हुआ
किमी 1262.270 से किमी 1263.120 तक	200 में 1 का गिरता हुआ	किमी 1269.570 से किमी 1266.070	205 में 1 का उठता हुआ
किमी 1263.120 से किमी 1263.250	समतल	किमी 1266.070 से किमी 1265.020	समतल
किमी 1263.250 से किमी 1264.170 तक	350 में 1 का उठता हुआ	किमी 1265.020 से किमी 1264.170	190 में 1 का गिरता हुआ
किमी 1264.170 से किमी 1265.020 तक।	190 में 1 का उठता हुआ ग्रेडिएन्ट	किमी 1264.170 से किमी 1263.520	350 में 1 का गिरता हुआ
किमी 1265.020 से किमी 1266.070 तक।	समतल	किमी 1263.520 से किमी 1263.120	समतल
किमी 1266.070 से किमी 1269.570 तक।	205 में 1 का गिरता हुआ	किमी 1263.120 से किमी 1262.270	200 में 1 का उठता हुआ
किमी 1269.570 से ब्लॉक खण्ड की तरफ	343 में 1 का गिरता हुआ	किमी 1262.270 से ब्लॉक खण्ड की तरफ	1160 में 1 का गिरता हुआ
किमी	ग्रेडियन्ट (खजुराहो सिरे से)	ग्रेडियन्ट (मानिकपुर सिरे से)	किमी
ब्लॉक खण्ड की तरफ से किमी 1268.08 तक	279.85 में 1 का उठता हुआ	किमी 1265.98 तक	समतल
किमी 1268.08 से किमी 1267.98 तक	समतल	किमी 1265.98 से किमी 1266.88	218.17 में 1 का उठता हुआ
किमी 1267.98 से किमी 1266.88 तक	186 में 1 का गिरता हुआ	किमी 1266.88 से किमी 1267.98 तक	186 में 1 का उठता हुआ
किमी 1266.88 से किमी 1265.98 तक	218.17 में 1 का गिरता हुआ	किमी 1267.98 से किमी 1268.08	समतल
किमी 1265.98 से आगे।	समतल	किमी 1268.08 से ब्लॉक खण्ड की तरफ	289.85 में 1 का गिरता हुआ

2.5 स्टेशन का ले-आउट:- जैसा कि स्टेशन वर्किंग रूल डायग्राम में दिखाया गया है।

2.5.1 चालू लाइनें, संचालन की दिशा और सीएसआर में वहन क्षमता-

लाइन	सी.एस.आर	प्लेटफार्म
अप मुख्य डाउन लाइन	(796 मीटर)	-
अप प्रथम लूप डाउन लाइन	(768.9 मीटर)	हाई लेवल
अप द्वितीय लूप डाउन लाइन	(725 मीटर)	हाई लेवल
अप तृतीय लूप डाउन लाइन	(680 मीटर)	हाई लेवल

टिप्पणी:-दो इंजन वाले गाड़ियों के लिये सी.एस.आर दो चौपहिये वाहन से कम हो जायेगी।

2.5.2 बिना चालू लाइनें एवं उनकी क्षमता-

i) ए और डी साइडिंग नं.1	120 मी0
ii) गुड्स साइडिंग	375 मी0
iii) बैलास्ट साइडिंग	375 मी0
iv) बैलास्ट लोडिंग साइडिंग	570 मी0

2.5.3 ले-आउट की कोई मुख्य विशेषता - कोई नहीं

2.6 समपार फाटक

फाटक क्र.	422	423	426	427	428	430	432
वर्गीकरण	"बी" क्लास	"सी" क्लास	"सी" क्लास	"सी" क्लास	"सी" क्लास	"सी" क्लास	"बी" क्लास
विभाग	इंजी0.	इंजी0.	इंजी0.	इंजी0.	इंजी0.	इंजी0.	इंजी0.
कि.मी/सिरा	1255/4-5 कुलपहाड -महोबा	1256/2-3 कुलपहाड - महोबा	1260/9-10 कुलपहाड- महोबा	1262/3-4 कुलपहाड - महोबा	1263/9-10 कुलपहाड - महोबा	1267/0-1 महोबा- कबरई	1272/8-9 महोबा- कबरई
सामान्य स्थिति	खुला	खुला	बन्द	बन्द	बन्द	खुला	खुला
इन्टरलॉक/ नॉनइन्टरलॉक	इन्टरलॉक	नॉन इन्टरलॉक	नॉन इन्टरलॉक	नॉन इन्टरलॉक	नॉन इन्टरलॉक	इन्टरलॉक	इन्टरलॉक
बैरियर	पी.ओ.एल.बी स्लाइडिंग बूम	एल. बी	एल. बी	एल. बी	एल. बी	पी.ओ.एल.बी. स्लाइडिंग बूम	पी.ओ.एल.बी. स्लाइडिंग बूम
किसके साथ टेलीफोन	स्टे.मास्टर कार्यालय	स्टे.मास्टर कार्यालय	स्टे.मास्टर कार्यालय	स्टे.मास्टर कार्यालय	स्टे.मास्टर कार्यालय	स्टे.मास्टर कार्यालय	स्टे.मास्टर कार्यालय
द्वारा परिचालित	इंजी0. गेट मैन	इंजी0. गेट मैन	इंजी0. गेट मैन	इंजी0. गेट मैन	इंजी0. गेट मैन	इंजी0. गेट मैन	इंजी0. गेट मैन

टिप्पणी :- (विस्तृत संचालन के लिए परिशिष्ट "ए" देखिये)

वरि.मं.परि.प्रबंधक(जीएण्डजी)झांसी

वरि. मं.सि.एवं दूर.सं.अभि.(ब्रान्च लाइन)झांसी

3. संचालन की पद्धति एवं साधन:-

(क) गाड़ियों का संचालन पूर्ण ब्लॉक पद्धति के अनुसार किया जाता है।

(ख) संचालन के साधन-

- महोबा और कबरई के मध्य अप एवं डाउन गाड़ियों के संचालन हेतु ब्लॉक पैनल एच ए.एस.एस.डी.ए.सी (ड्युल बी.पी. ए.सी) स्टेशन से स्टेशन टेलीफोन सहित स्टेशन मास्टर कार्यालय में उपलब्ध हैं। इन ब्लॉक पैनलों पर विभिन्न पुश बटन, चाबियां, संकेतक, काउण्टर और बजर लगे हैं।
- महोबा और कुलपहाड़ के मध्य अप एवं डाउन गाड़ियों के संचालन हेतु ब्लॉक पैनल (ड्युल बी.पी.ए.सी) स्टेशन से स्टेशन टेलीफोन सहित स्टेशन मास्टर कार्यालय में उपलब्ध हैं। इन ब्लॉक पैनलों पर विभिन्न पुश बटन, चाबियां, संकेतक, काउण्टर और बजर लगे हैं।
- महोबा और सिंहपुरडुमरा के मध्य अप एवं डाउन गाड़ियों के संचालन हेतु ब्लॉक पैनल एच ए.एस.एस.डी.ए.सी (ड्युल बी.पी.ए.सी) स्टेशन से स्टेशन टेलीफोन सहित स्टेशन मास्टर कार्यालय में उपलब्ध हैं। इन ब्लॉक पैनलों पर विभिन्न पुश बटन, चाबियां, संकेतक, काउण्टर और बजर लगे हैं।
- ब्लॉक उपकरण के संचालन एवं चाबी की अभिरक्षा के लिए ड्यूटी वाला स्टेशन मास्टर जिम्मेदार होगा।

4 सिगनल और अन्तर्पार्शन की प्रणाली :-

- a- (i) स्टेशन बहुसंकेती कलर लाइट सिगनल प्रणाली अन्तर्पार्शित मानक दो (आर) से सज्जित है। सिगनल और काँटे पैनल से संचालित है।
- (ii) अप होम सिगनल से डाउन होम सिगनल एवं कॉलिंग ऑन सिगनल सहित मेन लाइन का क्षेत्र ट्रैक सर्किट से सज्जित हैं।

b- ट्रेप:- निम्नलिखित ट्रेप है-

- ए.एण्ड.डी साईडिंग का झाँसी सिरे का डीरेलिंग कांटा नम्बर 297 अप प्रथम लूप डाउन लाईन के बचाव के लिए ट्रेप है।
- अप तृतीय लूप डाउन लाइन का मानिकपुर सिरे का डीरेलिंग कांटा नम्बर 295 अप लूप डाउन द्वितीय लाईन के बचाव के लिए ट्रेप है।
- बैलास्ट साईडिंग में झाँसी सिरे का डीरेलिंग स्विच क्रम. 204 अप लूप डाउन द्वितीय तथा अप लूप डाउन तृतीय लाईन के बचाव के लिए ट्रेप है।

(सिगनल एवं इण्टरलॉकिंग की विस्तृत वर्किंग एपेडिक्स बी में दी गयी है।)

c- कॉलिंग ऑन सिगनल :-

अप होम सिगनल एस-19 के नीचे सी.ओ.-19, डाउन होम सिगनल एस-2 के नीचे सी ओ-2 (झाँसी सिरे पर) एवं डाउन होम सिगनल एस-4 के नीचे सी.ओ.-4 (खजुराहो सिरे पर) लगाये गये है।

4. 2रिले कक्ष की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार के अनुरक्षण कर्मचारी के बीच इन्हे लेने- देन की कार्य पद्धति :

रिले रूम में दो ताले उपलब्ध कराये गये है। एक ताले की चाबी कार्यरत स्टेशन मास्टर के अभिरक्षा में रहेगी तथा दूसरे ताले की चाबी खण्ड इंजीनियर ई.एस.एम की अभिरक्षा में रहेगी। जब कभी सिगनल अनुरक्षक अनुरक्षण कार्य हेतु जायेगा तब स्टेशन मास्टर अनुरक्षक द्वारा मांगे जाने पर चाबी देगा। स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि अनुरक्षण के पश्चात् चाबी उसको वापस मिल गयी है।

चाबी के लेने-देन का विवरण दर्ज करने हेतु स्टेशन मास्टर प्रॉपर प्रोफॉर्मा का एक रजिस्टर बनायेगा। जब कभी रिले रूम को खोलने की आवश्यकता हो तब रिले रूम को खोलते एवं बंद करते समय प्रत्येक बार स्टेशन मास्टर एवं एस एण्ड टी स्टाफ के मध्य प्राइवेट नंबर का आदान-प्रदान होगा साथ ही साथ खण्ड नियंत्रक से भी प्राइवेट नंबर का आदान-प्रदान किया जायेगा।

4.3 पावर सप्लाई :

i- सामान्यतः सभी सिगनल परिपथों के कार्य के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में उपलब्ध डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के द्वारा एटी पावर सप्लाई, लोकल विद्युत पावर सप्लाई तथा जनरेटर विद्युत सप्लाई उपलब्ध है। स्विच बोर्ड पर स्थित जलता हआ लाल पायलट बल्ब एटी पावर सप्लाई तथा लोकल विद्युत पावर सप्लाई की उपलब्धता बताने के लिये लगा है।

ऊपरोक्त लाल पायलट बल्ब का न जलना यह संकेत देता है कि एटी पावर सप्लाई तथा लोकल विद्युत पावर सप्लाई फेल हो गयी है। एटी पावर सप्लाई के फेलियर की घटना में, ऑटो चेंज ओवर पैनल के माध्यम से लोड स्वचालित रूप से लोकल पावर सप्लाई में ट्रान्सफर हो जायेगा और यदि लोकल पावर सप्लाई भी फेल हो गयी है तो लोड डीजल जनरेटर की सप्लाई पर ट्रान्सफर हो जायेगा।

- ii. स्टेशन मास्टर के कार्यालय में लगा ऑटो चेंज ओवर पैनल पर विद्युत पावर सप्लाई की उपलब्धता निम्न क्रमानुसार दर्शायेगा।
1. एटी पावर सप्लाई
 2. लोकल पावर सप्लाई
 3. डीजल जनरेटर नम्बर-1 की विद्युत सप्लाई
- ऑटो चेंज ओवर पैनल केवल इसी क्रमानुसार कार्य करेगा। यदि ऑटो चेंज ओवर पैनल की कार्य पद्धति खराब हो जाये तो ड्यूटी पर उपस्थित स्टे.मा/ स.स्टे.मा. ऑटो चेंज ओवर पैनल पर स्थित स्विच के माध्यम से विद्युत पावर सप्लाई को नॉर्मल करेगा।
- iii. डीजल जनरेटर स्टार्ट और बंद करने के निर्देशानुसार स्विच के ऊपरोक्त संचालन के बाद डीजल जनरेटर बंद कर दिया जाना चाहिये।
- iv. जब एटी सप्लाई और लोकल पावर सप्लाई उपलब्ध न हो तो स्टेशन मास्टर जनरेटर शुरू करेगा और आपूर्ति चालू करेगा।

(डीजल जनरेटर का कार्य विवरण परिशिष्ट 'ख' में देखें)

5. **दूर संचार व्यवस्था:-**

निम्नलिखित फोन और संचार व्यवस्था सुविधाएँ इस स्टेशन पर उपलब्ध हैं:-

क्रम	संचार का साधन	स्थिति
1	ब्लॉक टेलीफोन	स्टेशन मास्टर कार्यालय में ब्लॉक पैनल एच.ए.एस.एस.डी.ए.सी (ड्युल बी.पी.ए.सी) के साथ जुड़ा टेलीफोन महोबा-कबरई स्टेशनों के बीच गाड़ियों के संचालन के लिए।
	ब्लॉक टेलीफोन	स्टेशन मास्टर कार्यालय में ब्लॉक पैनल (ड्युल बी.पी.ए.सी) के साथ जुड़ा टेलीफोन महोबा-कुलपहाड़ स्टेशनों के बीच गाड़ियों के संचालन के लिए।
	ब्लॉक टेलीफोन	स्टेशन मास्टर कार्यालय में ब्लॉक पैनल एच.ए.एस.एस.डी.ए.सी (ड्युल बी.पी.ए.सी) के साथ जुड़ा टेलीफोन महोबा-सिंहपुरडुमरा स्टेशनों के बीच गाड़ियों के संचालन के लिए।
	कन्ट्रोल टेलीफोन LC- 422, 423, 426, 427 & 428 (KLAR - MBA) LC- 430& LC- 432 (MBA-KBR)	स्टे.मास्टर कार्यालय में एवं गेटमैन स्टे.मास्टर कार्यालय में एवं गेटमैन
2.	ऑटो/डॉट फोन	-
	रेलवे फोन	-
	बी.एस.एन.एल फोन 05281-244125	स्टे.मास्टर कार्यालय में
3.	मैग्नेटो टेलीफोन/गुप टेलीफोन केबिन/गेट के साथ	-
	समपार फाटक 422, 423, 426, 427 एवं 428 (महोबा-कुलपहाड़)	समपार फाटक तथा स्टे.मास्टर कार्यालय के बीच
	समपार फाटक 430, 432 (महोबा-कबरई)	समपार फाटक तथा स्टे.मास्टर कार्यालय के बीच
4.	मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट के साथ टेलीफोन	-
5.	एक्सल कॉन्ट्रोल रिसैट बॉक्स के साथ टेलीफोन	-
6.	यार्ड संचार के लिये टेलीफोन	-
7.	वी.एच.एफ संचार 25 वॉट वी.एच.एफ बेस	स्टे.मास्टर कार्यालय तथा रनिंग ट्रेन के लोको पायलट तथा गार्ड के मध्य आपात काल में बगल के से।
8.	मोबाईल ट्रेन रेडियो संचार (MTRC)	-

6 **गाड़ी संचालन की प्रणाली :-**

6.1 **गाड़ी संचालन में कर्मचारियों की ड्यूटी:-** विस्तृत कार्यप्रणाली परिशिष्ट बी में देखे।

वरि.मं.परि.प्रबंधक(जीएण्डजी)झांसी

वरि. मं.सि.एवं दूर.सं.अभि.(ब्रान्च लाइन)झांसी

6.1.1 प्रत्येक पाली में गाड़ी संचालन कर्मचारी:-

क-	स्टे.मास्टर/सहायक स्टे.मास्टर	1	रोस्टर के अनुसार
ख-	काँटे वाला	2	रोस्टर के अनुसार
ग-	शॉर्टिंग मास्टर	1	रोस्टर के अनुसार

6.1.2 लाइन का क्लियर होना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व के क्षेत्र:-

- (अ) इस स्टेशन पर लाइन प्रवेश पुस्तिका उपयोग में नहीं है।
 (ब) स्टे०मास्टर सभी लाइनों के क्लियर होने को पैनल संकेतक पर देखकर जब पैनल कार्य कर रहा है अन्यथा स्वयं देखकर (जाकर) सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है।

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारी का आश्वासन :

प्रत्येक गाड़ी पासिंग कर्मचारी जिसकी स्टेशन पर तैनाती हुई है या 15 दिन से अधिक की नियमित अनुपस्थिति के उपरान्त ड्यूटी पर उपस्थित होने वाले नियमित कर्मचारियों को प्रचलित संचालन नियमों को अवश्य पढ़ना चाहिये और निर्धारित 'स्टेशन संचालन नियम आश्वासन पंजिका' में अपना आश्वासन दर्ज करना चाहिये।

6.2 लाइन क्लियर प्रदान करने के लिए शर्त:-

लाइन क्लियर नहीं मानी जायेगी और लाइन क्लियर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि-

- अंतिम पूर्ववर्ती गाड़ी, पूर्ण रूप से न आ गई हो।
- उस गाड़ी के पीछे के सभी आवश्यक सिगनलों को 'ऑन' स्थिति में कर दिया गया हो और
- स्टेशन के उस छोर की ओर जो आने वाली गाड़ी के पास है, के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ होनी चाहिए।

नोट:-

- लाइन क्लियर देने से पूर्व स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सिगनल जल रहे हैं। यदि आगमन सिगनल बुझे हुये हो तो स्टेशन मास्टर पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नं. के अन्तर्गत आने वाली गाड़ी को रोककर उसके लोकोपायलट को इस संबंध में सर्तकता आदेश देने हेतु कहेगा।
- लाइन क्लियर देने से पूर्व स्टेशन मास्टर संबंधित दिशा के डायडो सिंगल लाइन टोकन रहित/ब्लॉक पैनल के पास दिये हुये डिजिटल एक्सल काउन्टर के रिसेट बॉक्स पर ब्लॉक खण्ड क्लियर (हरा एल.ई.डी बड़ा) संकेत देखकर स्वयं सुनिश्चित करेगा।
- लाइन क्लियर देने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर ब्लॉक खण्ड में पड़ने वाले सभी समपार फाटको का बन्द होना सुनिश्चित करेगा एवं प्राइवेट नम्बर एक्सचेन्ज करेगा।

6.2.1 गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली कोई विशेष शर्त:-कोई नहीं।**6.2.2 ए) गाड़ियों की बर्थिंग :-**

- गाड़ियों को सामान्यतः अप लूप डाउन लाइन (प्लेटफार्म लाइन) पर लिया जायेगा। यदि दो यात्री गाड़ियों की क्रॉसिंग करानी हो और दोनो गाड़िया स्टेशन पर रुकती हो तो प्रथम गाड़ी को अप लूप डाउन लाइन (प्लेटफार्म लाइन) पर लिया जायेगा और दूसरी गाड़ी को अप द्वितीय लूप डाउन लाइन (प्लेटफार्म लाइन) पर लिया जायेगा।
- सामान्यतः मालगाड़ियों को जो स्टेशन पर रुकती हो अप मुख्य डाउन लाइन पर लिया जायेगा। यदि अप मुख्य डाउन लाइन घिरी हुई है मालगाड़ी को अप मुख्य डाउन लूप लाइन पर लिया जायेगा।
- घिरी हुई लाइन के विपरीत कांटों को सेट करना:- जी एण्ड एस.आर के जी.आर 3.38/2 के अनुसार।
- घिरी हुई लाइन पर गाड़ी का आगमन: जी एण्ड एस.आर के पैरा 5.09 का पालन किया जायेगा।
- बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन: सभी लाइनों के दोनों तरफ सिगनल होने के कारण लागू नहीं है।
- बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान: सभी लाइनों के दोनों तरफ सिगनल होने के कारण लागू नहीं है।
- कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान: इस स्टेशन पर कॉमन स्टार्टर नहीं है।

6.2.1.6 सा. एवं सहा. नियम पुस्तिका के सन्दर्भ में दी हुई कोई विशेष परिस्थिति:- लागू नहीं है।

6.3(ए) आगमन सिगनलों को ऑफ करने की शर्त :-

इससे पहले कि स्टे.मास्टर गाड़ियों के आगमन के लिए होम सिगनल 'ऑफ' करें निम्नलिखित शर्तों का पालन आवश्यक है-

i. गाड़ी को अप मुख्य डाउन लाइन पर लेना-

लाइन दूर सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ होनी चाहिए। जब कभी दो विपरीत दिशाओं की गाड़ियों की क्रासिंग करनी हो तो जिस गाड़ी को मेन लाइन पर लेना हो तो उस गाड़ी के लिए सिगनल को 'ऑफ' किया जा सकता है बशर्ते कि दूसरी दिशा की गाड़ी के लिए सिगनल 'ऑन' की स्थिति में रहें। एक बार में केवल एक ही गाड़ी के लिए सिगनल 'ऑफ' किये जायेंगे।

ii. डाउन गाड़ियों को अप प्रथम लूप डाउन लाइन पर लेना :-

एडवांस स्टार्टर सिगनल तक लाइन क्लियर होना चाहिए एवं अप लूप डाउन लाइन के दूर वाले सिरे के कांटे मुख्य लाइन के साथ अवश्य जुड़े होने चाहिए। यद्यपि जब दो गाड़ियां विपरीत दिशा में क्रॉस हो रही हो या दूसरी गाड़ी उसी दिशा में प्रस्थान कर रही हो तो अप प्रथम लूप डाउन लाइन के दूर सिरे के कांटे सैण्ड हम्प से जुड़े होने चाहिये और लाइन सैण्ड हम्प तक क्लियर होना चाहिये। इस परिस्थिति के अलावा लूप लाइन के कांटे मेन लाइन के लिये सेट होना चाहिये और लाइन डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-20 तक साफ होनी चाहिये।

iii. अप गाड़ियों को अप प्रथम लूप डाउन लाइन पर लेना :-

पास के कांटे सेट होने चाहिये एवं अप प्रथम लूप डाउन लाइन के दूर वाले सिरे के कांटे मुख्य लाइन के साथ अवश्य जुड़े होने चाहिए और लाइन अप एडवांस स्टार्टर सिगनल एस-1 तक लाइन क्लियर होना चाहिए। यद्यपि जब दो गाड़ियां विपरीत दिशा में क्रॉस हो रही हो या दूसरी गाड़ी उसी दिशा में प्रस्थान कर रही हो तो अप प्रथम लूप डाउन लाइन के दूर सिरे के कांटे सामान्य स्थिति में सिंहपुरडूमरा की तरफ सेट होना चाहिये (यदि सिंहपुरडूमरा की तरफ से कोई गाड़ी न हो)।

iv. अप गाड़ी का अप द्वितीय लूप डाउन लाइन पर आगमन:-

अप गाड़ी के लिए पास के कांटे लूप लाइन के लिए सैट हो तथा अप लूप डाउन लाइन के दूर के कांटे मुख्य लाइन के लिए सैट होने चाहिए तथा लाइन अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल नं0. एस-1 तक साफ होनी चाहिए। जब कभी किसी गाड़ी को समान दिशा में चलाना हो या दो विपरीत दिशा की गाड़ियों की क्रासिंग करानी हो तो लूप लाइन के दूर के कांटे डीरेलिंग स्विच नं0. 204 (सामान्य स्थिति) के लिए सैट होने चाहिए और लाइन डीरेलिंग स्विच नं0. 204 (खुली स्थिति) तक साफ होनी चाहिए। गाड़ी को अप लूप डाउन लाइन नं. 2 लेना हो तो उस गाड़ी के लिए सिगनल को ऑफ करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दूसरी दिशा की गाड़ी के लिए सिगनल ऑन की स्थिति में रहें। एक बार में केवल एक ही गाड़ी के लिए सिगनल ऑफ किये जायेंगे।

v. डाउन गाड़ी का अप द्वितीय लूप डाउन लाइन पर आगमन:-

गाड़ी के लिए पास के कांटे लूप लाइन के लिए सैट हो तथा अप द्वितीय लूप डाउन लाइन के दूर के कांटे मुख्य लाइन के लिए सैट होने चाहिए तथा लाइन डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल नं0. एस-20 तक साफ होनी चाहिए। जब कभी किसी गाड़ी को समान दिशा में चलाना हो या दो विपरीत दिशा की गाड़ियों की क्रासिंग करानी हो तो अप द्वितीय लूप डाउन लाइन के दूर के कांटे सैण्ड हम्प के लिए सैट होने चाहिए और लाइन सैण्ड हम्प तक साफ होनी चाहिए। गाड़ी को अप द्वितीय लूप डाउन लाइन पर लेना हो तो उस गाड़ी के लिए सिगनल को ऑफ करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दूसरी दिशा की गाड़ी के लिए सिगनल ऑन की स्थिति में रहें। एक बार में केवल एक ही गाड़ी के लिए सिगनल ऑफ किये जायेंगे।

vi. अप गाड़ी का अप तृतीय लूप डाउन लाइन पर आगमन:-

गाड़ी के लिए पास के कांटे लूप लाइन के लिए सैट हो तथा अप तृतीय लूप डाउन लाइन के दूर के कांटे मुख्य लाइन के लिए सैट होने चाहिए तथा लाइन अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल नं0. एस-1 तक साफ होनी चाहिए। जब कभी किसी गाड़ी को समान दिशा में चलाना हो या दो विपरीत दिशा की गाड़ियों की क्रासिंग करानी हो तो लूप लाइन के दूर के कांटे डीरेलिंग स्विच नं0. 204 (सामान्य स्थिति) के लिए सैट होने चाहिए और लाइन डीरेलिंग स्विच नं0. 204 (खुली स्थिति) तक साफ होनी चाहिए।

vii- **डाउन गाड़ी का अप तृतीय लूप डाउन लाइन पर आगमन:-**

गाड़ी के लिए पास के कांटे लूप लाइन के लिए सैट हो तथा अप तृतीय लूप डाउन लाइन के दूर के कांटे मुख्य लाइन के लिए सैट होने चाहिए तथा लाइन डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल नं0. एस-20 तक साफ होनी चाहिए। जब कभी किसी गाड़ी को समान दिशा में चलान हो या दो विपरीत दिशा की गाड़ीयों की क्रॉसिंग करानी हो तो अप तृतीय लूप डाउन लाइन के दूर के कांटे सैण्ड हम्प के लिए सैट होने चाहिए और लाइन सैण्ड हम्प तक साफ होनी चाहिए। गाड़ी को अप तृतीय लूप डाउन लाइन पर लेना हो तो उस गाड़ी के लिए सिगनल को ऑफ करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दूसरी दिशा की गाड़ी के लिए सिगनल ऑन की स्थिति में रहें। एक बार में केवल एक ही गाड़ी के लिए सिगनल ऑफ किये जायेंगे।

6.3(बी) गाड़ियों के आगमन की पद्धति :-

- i- पीछे वाले स्टेशन से किसी आने वाली गाड़ी के लिए "क्या लाईन क्लीयर है" सिगनल प्राप्त होने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर प्राईवेट नम्बर के आदान प्रदान के साथ तथा ऊपर दिये गये पैरा नम्बर 6.2 में दिये नियमों के अनुसार आने लाईन वाली गाड़ी को लाईन क्लीयर देगा।
- ii- स्टेशन मास्टर आने वाली गाड़ी को लेने के लिए खाली लाइन चिन्हित करेगा तथा लाईन का साफ होना सुनिश्चित करने के बाद लाईन के पास तथा दूर के कांटों को ऊपर दिये गये पैरा नम्बर 6.3 (a) (i) से (vii) के अनुसार सैट करेगा। इसके बाद स्टेशन मास्टर चुनी गयी लाईन के लिए सम्बन्धित होम सिगनल को 'ऑफ' करेगा तथा इसके संकेत को पैनल पर सुनिश्चित करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी के रास्ते में पड़ने वाले सभी समपार फाटक सड़क यातायात के विरुद्ध बंद एवं तालित है।
- iii- जैसे ही गाड़ी होम सिगनल को पार कर जाती है तो स्टेशन मास्टर 'ऑफ' किये गये सिगनल का स्वचालित पद्धति से 'ऑन' होना ब्लॉक संचालन नियमावली के पैरा क्रमांक 8.03 के अनुसार सुनिश्चित करेगा।

6.4 (ए) एक साथ दो गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान :

इस स्टेशन पर गाड़ियों को एक साथ लिया जा सकता है, बशर्ते दूर वाले सिरे के कांटे सम्बंधित सैण्ड हम्प या डिरेलिंग स्विच नंबर 204 के लिये लगे होने चाहिये और लाइन सैण्ड हम्प/डिरेलिंग स्विच तक साफ होना चाहिये।

6.4(बी) गाड़ियों की क्रॉसिंग:-

- i- स्टेशन पर रूकने वाली यात्री गाड़ी को सामान्यतः अप प्रथम लूप डाउन लाइन(प्लेटफार्म लाइन) पर लिया जायेगा। यदि दो यात्री गाड़ीयों की क्रॉसिंग करानी हो तो प्रथम गाड़ी अप प्रथम लूप डाउन लाइन(प्लेटफार्म लाइन) पर ली जायेगी तथा दूसरी गाड़ी अप द्वितीय लूप डाउन लाइन (प्लेटफार्म लाइन) या अप तृतीय लूप डाउन लाइन (प्लेटफार्म लाइन) पर ली जायेगी।
- ii- स्टेशन पर रूकने वाली मालगाड़ी सामान्यतः अप प्रथम लूप डाउन लाइन पर ली जायेगी पर यदि वह लाइन भरी हुई हो या किसी यात्री गाड़ी के लिये आवश्यक हो तब मालगाड़ी को अप मुख्य डाउन लाइन या अप द्वितीय लूप डाउन लाइन या अप तृतीय लूप डाउन लाइन पर ली जायेगी।

टिप्पणी:-कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी के रास्ते में पड़ने वाले सभी गेट सड़क यातायात के लिए बन्द हों।

6.5 गाड़ियों का सम्पूर्ण आगमन:-

"गाड़ी खण्ड के बाहर है" संकेत देने की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर की ड्युल ब्लॉक प्रूविंग पर एक्सल काउण्टर द्वारा क्लियर संकेत देखकर सहायक नियम 4.56-2 के अनुसार होगी। इसके अतिरिक्त यदि गाड़ी का पूर्ण रूप से आगमन व्यक्तिगत देखकर/ब्लॉक प्रूविंग एक्सल उपकरण पर क्लियर संकेत देखकर पता नहीं किया जा सके। ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर गाड़ी का पूर्ण आगमन सामान्य एवं सहायक नियमावली के सहायक नियम 4.56-1 में बताये अनुसार सुनिश्चित करना चाहिये।

नोट:—पिछले स्टेशन को "गाड़ी खण्ड के बाहर है" संकेत देने से पहले किसी डाउन या अप गाड़ी का स्टेशन पर आगमन होने के तुरन्त बाद यदि उस लाइन की आवश्यकता किसी अन्य संचालन या शंटिंग हेतु न हो तो जी.आर. 3.38/2 के अनुसार स्टेशन मास्टर उस लाइन के कांटे घिरी हुई लाइन के विपरीत दिशा में सैट कर देगा।

6.6 गाड़ियों को प्रस्थान:-

- (1) जब कोई गाड़ी जाने के लिये तैयार है तो ड्यूटीवाला स्टेशन मास्टर सम्बन्धित ब्लॉक उपकरण पर अग्रिम स्टेशन से लाइन क्लीयर प्राप्त करेगा। यह व्यक्तिगत सुनिश्चित करने के पश्चात् कि गाड़ी को जाने के लिये पथ सैट है एवं सम्बन्धित सभी गेट बन्द करके तालित कर दिये गये हैं, स्टे. मा. रूट को सैट करेगा तथा प्रस्थान सिगनलों को 'ऑफ' करेगा। (पहले अग्रिम प्रस्थान सिगनल ऑफ किया जायेगा, उसके बाद ही सम्बन्धित प्रस्थान सिगनल ऑफ किया जायेगा)
- (2) गाड़ी के पूर्णतया निकल जाने के बाद सिगनल स्वचालित रूप से 'ऑफ' से 'ऑन' स्थिति में आ जायेंगे और पैनल पर लाल संकेत बुझ जायेगा। ड्यूटी वाला स्टे.मास्टर गाड़ी के निकल जाने के बाद ऑफ किये सिगनलों का ऑन की स्थिति में आना सुनिश्चित करेगा।

6.7 रन-थ्रू चलने वाली गाड़ियां :- (बिना रूके जाने वाली गाड़ियां)

- i- गाड़ी साधारणतया अप मुख्य डाउन लाइन पर से ही स्टेशन पर बिना रूके जाने की अनुमति है। यदि मुख्य लाइन घिरी हुई है तो बिना रूके जाने वाली गाड़ी अप या डाउन गाड़ी अप प्रथम लूप डाउन लाइन (अप तृतीय लूप डाउन लाइन को छोड़कर) से अधिकतम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा सकती है, बशर्ते कांटे सही तरीके से सैट और तालित किये गये हैं और सम्बन्धित सिगनल 'ऑफ' कर दिये गये हैं।
- ii- जब कभी गाड़ी अप मुख्य डाउन लाइन अथवा अप प्रथम लूप डाउन लाइन से बिना रूके जाना हो, स्टे. मास्टर अगले स्टेशन से लाइन क्लियर प्राइवेट नम्बर सहित लेगा और गाड़ी के जाने के लिए सही सिगनल 'ऑफ' करेगा यानि अग्रिम प्रस्थान सिगनल पहले और फिर प्रस्थान सिगनल और तब ही आगमन सिगनल 'ऑफ' करें।
- iii- मानिकपुर सिरे पर 8&1/2 में 1 का टर्न आउट होने के कारण द्वितीय लूप लाइन से थ्रू पास होने वाली गाड़ी अधिकतम 10 किमी/घंटे की गति से निकलेगी। गाड़ी को पहले रोका जायेगा और उसके बाद प्रस्थान सिगनल ऑफ किया जायेगा।

6.8 विफलता के दौरान कार्य पद्धति :

i. इण्टरलॉकिंग और सिगनलों का खराब होना :-

जब कभी कोई सिगनल खराब होता है तो जी.एण्ड एस.आर के नियम 3.68, 3.69, 3.70, 3.71 के अनुसार रेल संचालन किया जायेगा, यदि कॉलिंग ऑन सिगनल को भी 'ऑफ' ना किया जा सकें।

खराब सिगनल को पार करने के लिए टी/369 (3बी) को उपयोग

किसी खराब सिगनल को ऑन की स्थिति में पार करने के लिए टी/369 (3बी) जारी करने के पूर्व स्टेशन मास्टर सही प्रकार से कांटो का लगाना एवं क्लैम्प पैड लॉक होना सुनिश्चित करेगा तथा सहा. नि.-3.68/1, 3.51/1 तथा 3.68/7 का दृढ़ता से पालन करेगा।

ii. ब्लॉक उपकरणों का खराब होना:-

अ.जब महोबा-कबरई के मध्य गाड़ी संचालन के लिए एच.ए.एस.एस.डी.ए.सी के साथ लगाया गया इकहरी लाइन ब्लॉक पैनल(ड्युल बी.पी.ए.सी सहित) और जब महोबा-कुलपहाड़ के मध्य गाड़ी संचालन के लिए लगाया गया इकहरी लाइन ब्लॉक पैनल(ड्युल बी.पी.ए.सी सहित) और जब महोबा-सिंहपुरडूमरा के मध्य गाड़ी संचालन के लिए एच.ए.एस.एस.डी.ए.सी के साथ लगाया गया इकहरी लाइन ब्लॉक पैनल(ड्युल बी.पी.ए.सी सहित) बाहरी दखल के कारण, सुइयों के गलत संचालन या घंटियों का बजना या एक्सल काउन्टर का खराब होना एवं अन्य किसी कारण से गलत कार्य करने लगे तो ऐसे मामले में ब्लॉक उपकरण को खराब माना जायेगा और गाड़ियों का संचालन बीडब्ल्यूएम के पैरा क्रमांक 9.06 के अनुसार किया जायेगा। (विस्तृत कार्य प्रणाली के लिए परिशिष्ट बी देखें)

- ब. ब्लॉक यंत्र के विफल होने के समय स्टेशन मास्टर सम्बंधित स्टेशन को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ इस आशय की सूचना देगा। इसके बाद स्टेशन मास्टर ब्लॉक यंत्र में लगे टेलीफोन अथवा दोनों स्टेशनों के मध्य लगे स्थाई टेलीफोन अथवा कंट्रोल फोन अथवा वीएचएफ सेट के निर्धारित चैनल (चैनल 5 कुलपहाड़, चैनल 6 कबरई के लिये तथा चैनल 7 सिंहपुरडूमरा के लिये) साधा.नि. 14.13 के अनुसार अन्य दूर संचार के मान्य साधन द्वारा लाइन क्लियर मांगेगा। इस आशय का पूरा विवरण टी/ए 1425 या टी/बी 1425 (जो लागू हो) तथा ट्रेन सिगनल रजिस्टर में दर्ज करेगा।
- iii. **कांटो की विफलता:-**
जब कोई कांटा खराब हो जाता है और पैनल पर उसका संकेत प्राप्त नहीं होता है तो सहा.नि-3.77/1 का पालन किया जायेगा तथा कांटे को दुबारा चलाया जायेगा तथा यह देखा जायेगा कि कहीं उस कांटे में कोई अवरोध तो नहीं है तथा एस.एण्ड टी स्टाफ को इस सम्बन्ध में सूचित किया जायेगा। उस कांटे पर किसी भी प्रकार का रेल संचालन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक की कार्यरत स्टेशन मास्टर की स्वयं की निगरानी में कांटो का सही ढंग से सैट होना, क्लैम्प होना तथा तालित होना सुनिश्चित नहीं करे लेते तथा सहा.नि.-3.68/1, 3.51/1 तथा 3.68/7 का दृढ़ता से पालन करेगा।
- iv. **ट्रैक सर्किट की विफलता:-**
ट्रैक सर्किट के खराब होने की स्थिति में गाड़ी को कॉलिंग ऑन सिगनल 'ऑफ' करके लिया जायेगा तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर स्वयं यह सुनिश्चित करेगा की लाईन साफ है यदि कॉलिंग ऑन सिगनल भी खराब हो जाता है तो पैरा-6.8(i) का पालन किया जायेगा।
- v. **सिगनल एवं कांटा संकेतक की खराबी:-** सिगनल लैम्प या कांटा संकेतक की खराबी के दौरान एक स्थिर लाल संकेत बजर के साथ आ जायेगा। बजर को बटन के द्वारा बंद कर दिया जायेगा किन्तु जब तक खराबी ठीक नहीं कर दी जाती तब तक लाल संकेत जलता रहेगा।
- vi. **पैनल पर कोई लाइट न दिखना:-** जब पैनल पर कोई लाइट न दिखे तो सम्बंधित कांटे व सिगनलों को भी खराब माना जायेगा और किसी भी कांटे पर ट्रेन संचालन को करने से पूर्व कांटो को सैट करके क्लैम्प एवं पैडलॉक किया जायेगा और प्राधिकार पत्र टी/369(3बी) जारी किया जायेगा।
- vii. **संचार व्यवस्था का स्टेशन और समपार फाटक के मध्य भंग होना :-** लागू नहीं।
- 6.9 **ट्रॉलियों / मोटर ट्रॉलियां / सामग्री लॉरियां की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में उपबन्ध :**
ट्रॉलियां / सामग्री लॉरियां संचालन के लिए सामान्य नियम 15.18 से 15.28 साधारण नियम में दिया गया है उसका पालन करें।
7. **लाइन अवरूद्ध होना :-**
जब कभी किसी चालू लाइन को ब्लॉक किया जाना आवश्यक हो तो सहायक नियम 5.19-1 के अनुसार खण्ड नियंत्रक की आज्ञा लेना आवश्यक है इसके अतिरिक्त सहायक नियम 3.38-1 के अनुसार बटन कालर भी प्रयोग करें।

वरि.मं.परि.प्रबंधक(जीएण्डजी)झांसी

वरि. मं.सि.एवं दूर.सं.अभि.(ब्रान्च लाइन)झांसी

कार्यरत स्टे.मास्टर यदि कोई लाइन घिरी है या उस पर कोई डिब्बा रह गया है या इंजन है या कोई गाड़ी है उस लाइन के रूट बटन पर बटन कालर लगाएगा। जब कभी किसी रुकने वाली गाड़ी या अन्य किसी गाड़ी को आगे निकलना हो ऐसी स्थिति में भी या किसी अन्य कारण से, लाइन घिरी हो तो सामान्य एवं सहायक पुस्तिका के सहायक नियम 3.38-1 के अनुसार करें।

जब कोई रनिंग लाइन स्टेबल लोड, वैगन, कोच या गाड़ी से अवरुद्ध हो या किसी गाड़ी को दूसरी गाड़ी से अग्रता या क्रॉसिंग देने के लिये खड़ा किया गया हो या स्टेशन पर किसी गाड़ी के आने के तुरन्त बाद, इकहरी लाइन पर दोनों ओर के कांटों को विपरात दिशा में लगा देना चाहिये। सिवाय इसके कि जब कोई शंटिंग अथवा दूसरा संचालन उस लाइन पर करने की आवश्यकता है। (सामान्य नियम 3.38-2)

पैनल पर बटन कालर घिरी लाइन के लिए निम्न प्रकार से डालें :-

घिरी हुई लाइन	रूट बटन पर रखें जाने वाले बटन कॉलर	प्वाइंट बटन की स्थिति
अप मुख्य डाउन लाइन	अप मुख्य डाउन लाइन का रूट बटन	299/रिवर्स, 298/रिवर्स, 202/रिवर्स, 203/रिवर्स
अप प्रथम लूप डाउन लाइन	अप प्रथम लूप डाउन लाइन का रूट बटन	298/नॉर्मल, 202/नॉर्मल
अप द्वितीय लूप डाउन लाइन	अप द्वितीय लूप डाउन लाइन का रूट बटन	299/नॉर्मल, 203/नॉर्मल
अप तृतीय लूप डाउन लाइन	अप तृतीय लूप डाउन लाइन का रूट बटन	295/नॉर्मल, 205/नॉर्मल

टिप्पणी:- जब लाइन खाली हो जाये तब बटन कॉलर को हटा लेना चाहिये।

8 शंटिंग

8. सामान्य सावधानियां

(क) सभी प्रकार की शंटिंग गाड़ी के गार्ड/शंटिंग मास्टर के अधीन करनी चाहिए। शंटिंग मास्टर किसी प्रकार शंटिंग वाहनों/इंजन को जोड़ना हटाना तथा कांटों की सही सैटिंग तथा वाहनों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

वाहनों को सही तरह से जोड़ना/ हटाना तथा नियमानुसार एयर ब्रेक कन्टीन्यूटी के लिए गाड़ी का गार्ड जिम्मेदार होगा

(ख) शंटिंग प्रारम्भ करने से पूर्व गार्ड और चालक को सभी शंटिंग संचालनों के लिए टी 806 को अवश्य जारी किया जाना चाहिए। गार्ड को टी-806 देने से पहले शंटिंग मास्टर भी अपने हस्ताक्षर करेगा।

(ग) शंटिंग के लिए शंट सिगनल को ऑफ करना अनिवार्य है।

(घ) चूंकि स्टेशन 400 में 1 से ज्यादा के ग्रेडिएन्ट पर स्थित है अतः शंटिंग करते समय इंजन आगे की तरफ होना चाहिये।

8.1 आती हुई गाड़ी के सामने शंटिंग करना:-

अग्रिम प्रस्थान सिगनल के बाहर शंटिंग करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित न ले कि गाड़ी होम सिगनल पर आकर खड़ी न हो गयी हो और सामान्य नियम 8.09 में दिये गये नियमों का कड़ाई से पालन करें।

8.1.1 स्टेशन सेक्शन में शंटिंग करना :-

- सामान्य नियमावली के सामान्य नियम 8.10 के अनुसार यदि किसी गाड़ी को लाइन क्लियर भी दे दिया गया है तो भी स्टेशन सेक्शन में शंटिंग की जा सकती है, यदि सम्बन्धित सिगनलों को 'ऑन' स्थिति में रखा गया है।
- जब किसी ऐसी लाइन के लिए सिगनल 'ऑफ' कर दिये गये हैं जो कि प्रथक (आईसोलेटेड) नहीं है, ऐसे काँटे जिन पर होकर गाड़ी को गुजरना है उन पर कोई शंटिंग नहीं होगी।

8.3 शंटिंग प्रतिबन्ध :-

- i- बिना ब्लॉक बैक किये अग्रिम प्रस्थान सिगनल के बीच शंटिंग की जा सकती है,
- ii- जब तक कि खण्ड को ब्लॉक बैक नहीं करेंगे अग्रिम प्रस्थान सिगनल के बाहर किसी भी शंटिंग को या अन्य किसी भी अवरोध की आज्ञा नहीं है।
- iii- शंटिंग आदेश (टी 806) पर लिख कर देने पर लोको पायलट अग्रिम प्रस्थान सिगनल को 'ऑन' स्थिति में पार करेगा, इस बात की प्रविष्टि स्टे.मास्टर अपने ट्रेन सिगनल रजिस्टर में करेगा।

8.4 शंटिंग करने की मनाही/कोई विशेष लक्षण :-**i-सामान्य रूप से शंटिंग**

- (i) हाथ शंटिंग जो कि मुख्य लाइन को अवरुद्ध करे, करने की मनाही है।
- (ii) किसी भी दिशा से यदि गाड़ी आने के लिए 'लाइन क्लियर' दे दिया गया है तो मुख्य लाइन पर या किसी अन्य अप्रथक (नोन आइसोलेटेड) लूप लाइन पर हाथ या लूज शंटिंग करने की अनुमति नहीं है।
- (iii) कोई भी हाथ शंटिंग जिसमें रोलर बियरिंग लगा है जैसे बॉक्सस, बीओबीज, बीसीएक्सएस, बीआरएचएस इत्यादि करने की अनुमति नहीं है,
- (iv) ऐसे डिब्बे जिनमें रोलर बियरिंग लगी हो लूज शंटिंग बिल्कुल नहीं करी जायेगी, कड़ाई से मनाही है।
- (v) रोलर बियरिंग डिब्बे सहायक नियम 5.23-2 के अनुसार सुरक्षित करे जाएंगे और दूसरे डिब्बों को सहायक नियम 5.23-1 के अनुसार।

ii-हाथ या लूज शंटिंग के लिए सावधानियाँ

- i- किसी भी दिशा से यदि गाड़ी आने के लिए 'लाइन क्लियर' दे दिया गया है तो मुख्य लाइन पर हाथ या लूज शंटिंग करने की अनुमति नहीं है।

8.5 मालगोदाम/स्टेशन यार्ड से निकलने वाली साइडिंग में शंटिंग करना :-

ए एण्ड डी साइडिंग और बैलास्ट साइडिंग में शंटिंग, गाड़ी के गार्ड या शंटिंग मास्टर या शंटिंग के प्रभारी व्यक्ति की देखरेख में करनी चाहिए।

8.6 रैक का साइडिंग से हटाना :-लागू नहीं।**8.7 किसी बाहर जाती हुई साइडिंग की कार्यप्रणाली :- कोई साइडिंग नहीं है।****9.1 संचार व्यवस्था के संपूर्ण साधनों का भंग होना :-**

सम्पूर्ण संचार व्यवस्था के साधनों के भंग हो जाने पर जब निम्नलिखित में से किसी एक साधन से भी लाइन क्लियर न लिया जा सके जैसे कि :-

- (i) ब्लॉक उपकरण
- (ii) ब्लॉक उपकरण से सम्बन्धित टेलीफोन
- (iii) रेलवे फोन/भारत संचार निगम लिमिटेड फोन
- (iv) कंट्रोल टेलीफोन
- (v) वी.एच.एफ.उपकरण

गाड़ियों के संचालन सामान्य एवं सहायक नियमावली के सहायक नियम 6.02-4 के अनुसार किया जायेगा।

9.2 किसी दोहरी लाइन खण्ड पर अस्थाई इकहरी लाइन का संचालन :-

इकहरी लाइन होने के कारण सम्बन्धित नहीं हैं।

9.3 बिना लाइन क्लियर के प्रस्थान प्राधिकार पर या असहाय गाड़ियों को सहायता प्रदान करने लिए गाड़ियां भेजना :-

जब कभी अशक्त गाड़ी को सहायता प्रदान करने के लिए लाइन क्लियर प्राप्त किये बिना प्रस्थान प्राधिकार के अन्तर्गत किसी इंजन/गाड़ी भेजना आवश्यक हो तो टी/ए 602 देगा और निम्नलिखित तरीका अपनाएगा :-

i- प्रभावित खण्ड के दूसरे सिरे पर स्थित स्टे.मास्टर को सूचित करेगा।

ii- सहायता प्रदान करने वाली गाड़ी के गार्ड एवं ड्राइवर को परिस्थिति की जानकारी देगा।

iii- सहायता प्रदान करने वाले इंजन/गाड़ी के चालक को (टी/ए 602) प्राधिकार दिया जायेगा और यह स्पष्ट किया जाएगा कि गाड़ी किस लाइन पर जायेगी।

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :-

(ए) इस स्टेशन पर अप मुख्य लाइन स्टार्टर सिगनल नम्बर एस-5 को दृश्यता परीक्षण लक्ष्य नामित किया गया है।

(बी) कोहरे और कुहासे के मौसम में गाड़ियों का संचालन :-

जब कभी कोहरा, धूल, आंधी अथवा बरसात के कारण नामित अप मुख्य लाइन स्टार्टर एस-5 स्टेशन मास्टर कार्यालय से न दिखाई दे तो ड्यूटी वाला स्टेशन मास्टर कोहासियों को बुलायेगा और सामान्य एवं सहायक नियमावली के सहायक नियम 3.61-1 के अनुसार उन्हे पटाखे देकर निर्धारित स्थान पर पटाखे लगाने के लिए अतिशीघ्र भेजेगा।

11. स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :-

आवश्यक उपकरण के लिए परिशिष्ट 'इ' देखें।

12. कुहरा होने पर बुलाए जाने वाले नामित फॉग सिगनल मैन:-

क्रमांक	फॉग सिगनल मैन का नाम	पद	डिपार्टमेंट	रिमार्क
(सिर्फ स्थाई कर्मचारियों को ही नामित किया जायेगा)				
स्टेशन मास्टर महोबा				

परिशिष्टो की सूची

परिशिष्ट 'क'	समपार फाटकों की कार्यप्रणाली
परिशिष्ट 'ख'	सिगनल प्रणाली और अन्तर्पार्शन की प्रणाली तथा संचार व्यवस्था का विवरण
परिशिष्ट 'ग'	टक्कररोधी उपकरण रक्षा कवच
परिशिष्ट 'घ'	गाड़ी पासिंग कमचारियों की ड्यूटी
परिशिष्ट 'ङ'	स्टेशन पर उपलब्ध कराये गये आवश्यक उपकरणों की सूची
परिशिष्ट 'च'	डीके , हाल्ट, आई.बी.एच., आई.बी.एस. और बाहरी साइडिंगों के संचालन के नियम
परिशिष्ट 'छ'	विद्युतीकृत खंडों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जी &जी)झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

परिशिष्ट 'ए'

सामान्य

(1) समपार फाटक 422 का वर्णन :

1.1 मानव युक्त समपार फाटक पर निम्नलिखित विस्तृत विवरण रखे रहना चाहिए:-

01	समपार फाटक की संख्या	422
02	इंजीनियरिंग अथवा ट्रैफिक गेट	इंजीनियरिंग 'बी' क्लास
03	नियंत्रणाधीन (स्टेशन मास्टर/ खण्ड अभियंता (रेलपथ)	खण्ड अभियंता (रेलपथ) महोबा
04	स्थिति (जगह) किमी पर	1255.520
05	स्टेशन पर	महोबा
06	स्टेशनऔर.....के बीच	महोबा-कुलपहाड़
07	ब्रॉड गेज/ मीटर गेज/ नैरोगेज	ब्रॉड गेज
08	सिंगल लाइन/ डबल लाइन/ मल्टीपल लाइन	सिंगल लाइन
09	सामान्य स्थिति	खुला
10	इन्टरलॉक / नॉन-इन्टरलॉक	इन्टरलॉक
11	अन्तर्पाशन के साधन	गेट सिगनल के साथ इन्टरलॉक
12	गेट सिगनलों का प्रावधान i. अप लाइन ii. डाउन लाइन	1.अप गेट सिगनल 1256/0 2.डाउन गेट सिग. 1255/0
13	सिगनलिंग व्यवस्था	बहुसंकेतीय
14	संचार के साधन- टेलीफोन/ घंटी आदि।	टेलीफोन स्टे.मा महोबा
15	समपार फाटक की चौड़ाई	5.70 मीटर
16	सड़क का प्रकार (राष्ट्रीय राज मार्ग/प्रान्तीय राजमार्ग/अन्य)	राष्ट्रीय राज मार्ग-76
17	सड़क का नाम	झाँसी- मिर्जापुर
18	पक्की/ कच्ची	पक्की
19	पहुंच मार्ग	पक्की
20	सड़क की चौड़ाई	8.14 मी
21	रोड क्रॉसिंग का कोण (स्क्यू गेट के मामले में)	90° कोण
22	सड़क का ढलान (यदि कोई हो)	उत्तर/पूर्व की ओर दक्षिण/पश्चिम की ओर
23	सड़क की सीधार्ई (सीधा/ घुमावदार)	उत्तर/पूर्व की ओर दक्षिण/पश्चिम की ओर
24	हाइट गेज का प्रावधान	उपलब्ध है
25	बैरियर का प्रकार	पी.ओ.एल.बी. +स्लाइडिंग बूम
26	चेक रेलो की लम्बाई	10.95 मी
27	समपार के मध्य सड़क की सतह	पक्की
28	रम्बल स्ट्रिप्स/ स्पीड ब्रेकरों की लम्बाई	9.0 मी, उपलब्ध है
29	सड़क के चिन्ह	उपलब्ध है
30	स्पीड ब्रेकर संकेतक के बोर्ड	उपलब्ध है
31	टी0 वी0 यू0..... दिनांक	124929 दि.20.06.2019
32	यातायात गणना (सेंसस) की आगामी तिथि	20.06.2022
33	पटाखा लगाने के लिए सीमांकन (चिन्ह)	उपलब्ध है
34	कार्य करने वाले गेटमैनों की संख्या	03
35	समीपस्थ रेलवे चिकित्सकीय सहायता (केन्द्र)	महोबा
36	समीपस्थ प्राइवेट चिकित्सकीय सहायता (केन्द्र)	चरखारी
37	उपकरणों की सूची उपलब्ध है अथवा नहीं	उपलब्ध है

वरि. मं. परि. प्रबं.(जीएण्डजी) झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

वरि.मंडलअभियंता(पूर्व)झांसी

1.2 फाटक के उपस्कर

01	हाथ सिंगनल बत्ती (तिरंगी)	3
02	हाथ सिंगनल झंडी, हरी	1 छड़ी में लगी हुई
03	हाथ सिंगनल झंडी, लाल	3 छड़ी में लगी हुई
04	बैनर फ्लैग लाल	3
05	लाल बैनर फ्लैग प्रदर्शन हेतु खम्भे	2
06	अतिरिक्त चैन पैडलॉक सहित	2 स्टॉक निशान सहित
07	पटाखे	10 प्लास्टिक केस में
08	गेटलैम्प	2
09	टामी बार / सब्बल	1
10	मोर्टर पेन (तसला / धमेला)	1
11	कुदाल / फावड़ा	1
12	हथौड़ा	1
13	गैती	1
14	झड़ियों के लिए डिब्बा	1
15	तेल का पीपा	1
16	पानी का बर्तन / बाल्टी	1
17	मस्टर रोल के लिए कनस्तर	1
18	गेटमैन का अतिरिक्त चश्मा (यदि वह चश्मा लगाता हो)	1
19	गेट पर बाधा होने की दशा में समपार फाटक बचाव करने संबंधी डायग्राम बोर्ड	1
20	टोकरी	1
21	सीटी	1
22	दीवार घड़ी	1

1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख-

उपर्युक्त उपकरणों के साथ में निम्नांकित अभिलेख गेट लाज में रखे जायेंगे-

01	फाटक का संचालन निर्देश (हिन्दी / अंग्रेजी) में
02	गेटमैन नियम पुस्तक (हिन्दी / अंग्रेजी) में
03	उपकरण एवं पुस्तको की सूची
04	ड्यूटी रोस्टर
05	गेटमैन के रूप में कार्य करने के लिये प्रमाण-पत्र
06	गेटमैन विवरण सम्बंधी बायोडाटा, नेत्र परीक्षा प्रारम्भिक / पुनश्चर्या / पाठ्यक्रम, संरक्षा शिविर आदि के सहित
07	दुर्घटना रजिस्टर
08	समपार फाटक पर अन्तिम सड़क यातायात गणना (सेंसस)का अभिलेख
09	जन शिकायत पुस्तिका
10	निरीक्षण पुस्तिका
11	एस एण्ड टी रजिस्टर

वरि. मं. परि. प्रबं.(जीएण्डजी) झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

वरि.मंडलअभियंता(पूर्व)झांसी

1.4 प्रचालन पद्धति:- (विस्तृत कार्यप्रणाली संचालन पद्धति में दी गई है)

1.5 गेटमैन की ड्यूटी :-

1. सतर्कता:- गेटमैन सतर्क रहेगा और किसी खतरे की आशंका होते ही त्वरित कार्यवाही हेतु तत्पर रहेगा। फाटक की चाबियाँ उसके निजी अभिरक्षा में रहेगी।

2. गाड़ी पास होते समय गेटमैन की स्थिति:-

गाड़ियों के गुजरते समय गेटमैन निम्न निर्दिष्ट रीति में खड़ा रहेगा-

(i) गेटमैन आने वाली गाड़ी के सामने मुँह करके गेटलॉज के सामने खड़ा रहेगा।

(ii) गेटमैन दिन के समय लाल और हरी झंडी अलग-अलग डंडे पर लपेटी/समेटी हुई क्रमशः दाये और बाये हाथ में पकड़े रहेगा।

(iii) गेटमैन रात के समय सफेद प्रकाश युक्त हाथ बत्ती रेलपथ की ओर करके पकड़े रहेगा।

(iv) वह अपने गले में एक डोरी लगी हुई सीटी लटकाये रहेगा।

3. गेटमैन की नियमित ड्यूटी:-

(i) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि लाल बैनर पलेंग/पलैशिंग लाल बत्ती रेलपथ के एक छोर से दूसरे छोर तक लगी है, जब कभी नॉन इण्टरलॉक गेट खुली हालत में और आपातकाल अथवा अवरोध की स्थिति में अन्य प्रकार के समपार हों।

(ii) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि गेटलैम्प और सभी गेट सिगनलों की बत्तियाँ प्रकाशित हैं तथा सूर्यास्त से सूर्योदय तक जलती रहती हैं।

(iii) गेटमैन ड्यूटी रोस्टर के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कड़ाई के साथ करेगा और तब तक गेट नहीं छोड़ेगा जब तक कि रिलीवर न आ जाये तथा कार्यभार ग्रहण न कर लें। यदि आपात स्थिति में गेट छोड़ना ही पड़े तो उसे गेट छोड़ने से पूर्व फाटकों को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके ताला अवश्य लगा देना चाहिए।

(iv) सिवाय विशेष अनुदेशों के अधीन जहाँ अन्यथा निर्धारित न हो, वह सभी गुजरती हुई गाड़ियों को ध्यान से देखेगा और गाड़ियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने हेतु तैयार रहेगा।

(v) गेटमैन सभी गुजरने वाली गाड़ियों को अत्यन्त सावधानीपूर्वक देखेगा और किसी भी असामान्य स्थिति जैसे गरम धुरा, लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैटरी, अन्य वाहन/वेगन/ट्रेन, बैटरी बॉक्स में लगी हुई आग, लोड का खिसकना, गिरती हुई चीज जैसे- ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक बीम, संरक्षा ब्रेकेट, निर्वात सिलेण्डर या अन्य स्थिति जो संरक्षित गाड़ी संचालन में खतरा पैदा कर सकते हैं उनका तीव्र एवं सावधानी पूर्ण निरीक्षण करेगा।

(vi) गेटमैन किसी सिगनल को दुहराने के लिए भी तैयार रहेगा, जो गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी-टाकी या अन्य साधन द्वारा दिया जा सकता है।

(vii) यदि लिफ्टिंगबैरियर क्षतिग्रस्त अथवा अव्यस्थित हो तो गेटमैन अतिरिक्त चैन को डिस्क एवं पैडलॉक सहित सड़क यातायात के विरुद्ध फाटक को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग में लायेगा।

(viii) गेटमैन समीप के स्टेशन मास्टर, गैगमेट या खण्ड अभियंता/रेलपथ को गेट अथवा उससे संबंधित उपकरण में किसी भी खराबी की सूचना शीघ्रतापूर्वक देगा।

(ix) गेट सिगनल खराब हो जाने की दशा में गेटमैन सिगनल को 'ऑन' स्थिति में रखेगा। यदि आवश्यक हो तो चाहे सिगनल अथवा तार को डिस्कनेक्ट (विनियोजित) ही करना पड़े।

(x) जिस गेट के सिगनल खराब हो गये, गेटमैन गाड़ी को देखते ही लिफ्टिंग बैरियर बंद करेगा और ताला लगा देगा तथा गाड़ी को हाथ सिगनल दिखाकर या पायलट करके खराब सिगनल को पार करेगा। ऐसे मामले में अगले स्टेशन पर रिपोर्ट करने के लिये लोकोपायलट को सूचित करेगा।

(xi) गेटमैन जब समपार फाटक पर ड्यूटी पर हो तो बैज तथा निर्धारित यूनिफार्म पहनेगा।

(xii) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि जब वह ड्यूटी पर है उसके पास सक्षमता प्रमाण पत्र है।

(xiii) गेटमैन फाटक संचालन निर्देश के अनुरूप कार्य करेगा और इन अनुदेशों से भलीभाँति अवगत बना रहेगा।

(xiv) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि गेट पर आपूर्ति किए गये उपस्कर अच्छी हालत में हैं और तत्काल प्रयोग के लिए तैयार हैं।

(xv) गेटमैन देखेगा कि पहिए की कोर (फ्लेंज) के लिए पथ (चैनल) साफ रखा गया है।

(xvi) गेटमैन कच्ची सड़क की ऊपरी सतह को अच्छी तरह से पानी का छिड़काव एवं दुरमुस करेगा।

(xvii) गेटमैन यह देखने के लिए चौकस रहेगा कि सड़क उपयोगकर्ताओं को गेट बंद होने के कारण कम से कम असुविधा हो।

- (xviii) विद्युतीकृत (इलेक्ट्रीफाइड) खण्ड में गेटमैन यह सावधानीपूर्वक देखेगा कि सड़क वाहन/जानवर जो समपार से पास हो रहे हैं, वे समपार के दोनों ओर लगे हुए ऊँचाई लदान मापी के अन्दर हैं।
- (xix) गेटमैन व्यक्तियों अथवा पशुओं के अतिचार (ट्रेस पासिंग) को रोकने का हर संभव प्रयास करेगा।
- 4. गाड़ियों में असामान्य घटना के प्रकरण में कार्यवाही :-**
यदि गेटमैन किसी गुजरती हुई गाड़ी में असामान्य वस्तु देखता है तो वह निम्नांकित कार्यवाही करेगा :-
1. वह गुजरती हुई गाड़ी के लोकोपायलट और गार्ड को सचेत करने के लिये दिन में लाल झंडी तथा रात में फ्लैशिंग लाल बत्ती दिखा कर त्वरित कार्यवाही करेगा।
 2. ट्रेन पार्टिंग के मामले में गेटमैन रूकने का लाल हाथ सिगनल नहीं दिखायेगा परन्तु ट्रेन पार्टिंग के लिये निर्धारित सिगनल दिन में हरी झंडी और रात में सफेद बत्ती लम्ब रूप में ऊपर एवं नीचे करते हुये हिलायेगा।
 3. वह साथ-साथ लोको पायलट तथा गार्ड का ध्यान आकृष्ट करने के लिये लगातार सीटी बजाकर, बोलते समय हाथों की मुद्रा से हाव-भाव अभिव्यक्त करके, ब्रेकवान पर गिट्टी फेंक कर अथवा किसी अन्य साधन द्वारा लोको पायलट तथा गार्ड का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेगा।
 4. यदि लोको पायलट और गार्ड ध्यान देने में विफल रहते हैं तो गेटमैन स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिन मैन को, यदि टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है, समुचित कार्यवाही हेतु प्राइवेट नं. के आदान-प्रदान के अन्तर्गत तत्काल सूचित करेगा।
- 5. समपार फाटक पर आपातकाल में कार्यवाही :-**
- i. समपार फाटक पर अवरोध के मामले में गेटमैन, गेट सिगनल, यदि है, को 'ऑन' अवस्था में बनाये रखेगा।
 - ii. उसके बाद यदि वह अवरोध हटाने असमर्थ है तो तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिन मैन को समपार फाटक पर खराबी/अवरोध के बारे में प्राइवेट नं. के आदान प्रदान के अंतर्गत सूचित करेगा। यदि टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।
 - iii. यदि स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिन मैन से दो या तीन प्रयासों के बाद भी जबाब नहीं मिलता तो वह पहले फाटक का बचाव करेगा फिर टेलीफोन से सूचना देगा।
- क इकहरी लाइन खंड पर -**
- (i) गेटमैन दिन के समय एक लाल बैनर पलैंग तथा रात के समय एक लाल फ्लैशिंग बत्ती अवरोध स्थल से 5 मीटर की दूरी पर इस निमित्त यथोचित लगाये गये खम्भों पर लगा देगा। जिस ओर से पहले गाड़ी आने की संभावना है उस ओर का बचाव वह पहले करेगा।
 - (ii) तब वह उसी प्रकार से दूसरी ओर का भी बचाव करेगा।
 - (iii) तब गेटमैन फाटक के बचाव के लिये पटाखे, और दिन के समय लाल झंडी एवं रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती के साथ-साथ आगे जायेगा।
 - (iv) गेटमैन दिन के समय लाल झंडी एवं रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती दिखाते हुये उस ओर जिधर से गाड़ी आने की संभावना पहले हो ब्रॉड गेज पर 600 मीटर तक जायेगा और लाइन पर एक पटाखा लगा देगा, उसके बाद वह समपार फाटक से ब्रॉड गेज पर 1200 मीटर जायेगा और ट्रैक पर 3 पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन का बचाव करने के बाद वह रास्ते में मध्य स्थित पटाखे को उठाते हुये फाटक पर वापस आ जायेगा।
 - (v) उसके बाद वह दूसरी दिशा की ओर लाल हाथ सिगनल दिखाता हुआ आगे जायेगा और उपर्युक्त उप पैरा (पअ) में वर्णित नियमानुसार पटाखे लगायेगा और अवरोध स्थल पर वापस लौटते समय रास्ते के मध्य स्थित पटाखे को उठा लेगा।
 - (vi) समपार फाटक पर वापस आ जाने के बाद अवरोध को हटाने के लिए कदम उठायेगा।
 - (vii) यदि गेटमैन यह देखता अथवा सुनता है कि गाड़ी आने वाली है जबकि वह बचाव करने के रास्ते में ही है तथा निर्धारित दूरी जहां पटाखे लगने हैं, से पहले है तो वह जितनी दूर जा सकता है वहां लाइन पर पटाखे लगा देगा।
 - (viii) उसके बाद वह लोको पायलट को सचेत करने के लिये आने वाली गाड़ी को दिन में लाल झंडी और रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती बारम्बार हिला कर रोकेगा।

नोट:- ऐसे समपार फाटक जो स्टेशन के सबसे बाहरी सिगनलों के मध्य स्थित हैं वह गेट ऊपर दिये पैरा (iv) में वर्णित पटाखा लगाने के नियम से मुक्त हैं।

ख. गेटमैन द्वारा की जाने वाली अन्य कार्यवाही –

- i गेटमैन रात के समय दो हाथ सिगनल बत्तियाँ जलायेगा और लाल बत्ती दिखाने/प्रदर्शित करने तथा पैरा 'ए' में वर्णित नियमानुसार लाइन का बचाव करने संबंधी कार्यवाही करेगा।
 - ii यदि गेट सड़क वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया हो जो ट्रैक उल्लंघित कर रहा हो अथवा लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई भाग ट्रैक को उल्लंघित कर रहा हो या समपार फाटक पर कोई अन्य अवरोध हो तो गेटमैन त्वरित कार्यवाही करेगा।
 - iii वह सड़क वाहन के सभी विवरण वाहन का नंबर, चालक व मालिक का नाम नोट करेगा और समीपस्थ स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिनमैन अथवा खंड अभियंता (रेलपथ) को विवरण और समपार फाटक पर अवरोध के संबंध में संदेशवाहक अथवा अन्य साधन द्वारा संदेश भेजेगा।
- 1.6 फाटक पर दृश्यता, फाटक के एप्रोच रोड पर स्पीड ब्रेकर का प्रावधान और फाटक के सेन्सस के सम्बन्ध में आई.आर. पी. डब्ल्यू.एम के पैरा 916, 918 एवं 919 में विवरण दिया गया है।

इंजीनियरिंग समपार फाटक, गेट सिगनल के द्वारा इण्टरलॉक, टेलीफोन उपलब्ध एवं सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिये "खुला" का संचालन अनुदेश

1. ए गेट को संचालित करने के नियम-:

- (i) समपार फाटक पर विद्युत संचालित बैरियर लगाया गया है।
 - (ii) समपार फाटक को खोलने के लिये 120 सेकेन्ड का विलम्बित समय दिया गया है।
 - (iii) पैनल बोर्ड पर गेट को चलाने के लिये एक घुमाने वाला एस.डब्ल्यू स्विच लगाया गया है, जिसको घुमाये बगैर गेट मैन गेट को खोल या बंद नहीं कर सकेगा।
 - (iv) गेट को सिगनलो द्वारा संरक्षित किया जाता है, जो कि एक पैनल द्वारा गेट गुमटी से संचालित है। गेट बंद करने के उपरांत अप लाइन के लिये एस -4 व डाउन लाइन के लिये एस-3 से कंट्रोल किया गया है।
- पुश बटनों का विवरण नीचे दिया गया है:-

बटन न.	विवरण
एस 3	डाउन गेट सिगनल (बटन)
एस 4	अप गेट सिगनल (बटन)
एस डब्ल्यू	बैरियर स्विच खोलने/ बंद करने के लिये

गेट को बंद कर सिगनलो को "ऑफ"की विधि: -

- (क) प्रत्येक गाडी को ब्लाक खंड में घुसने से पहले कार्यरत स्टेशन मास्टर गाडी चलाने के लिये टेलीफोन पर गेट मैन को गेट को बंद करने के लिये कहेगा।
 - (ख). स्टेशन मास्टर से टेलीफोन द्वारा सूचना प्राप्त होने पर गेट मैन गेट बंद करने के लिये (एस डब्ल्यू) स्विच को "ऑफ" (बंद करने) की तरफ घुमायेगा 120 सेकेण्ड के बाद पैनल पर फ्री इंडीकेशन आयेगा इस कारण बजर बजेगा तत्पश्चात कार्यरत गेट मैन यातायात को रोकने के लिये गेट पैनल पर लाल बटन को सड़क यातायात को देखते हुये दबायेगा गेट को पूरी तरह से लाक होने पर बजर बंद हो जायेगा। गेट बन्द होने का संकेत सुनिश्चित होने के बाद गेट मैन सम्बन्धित सिगनल बटन एस-3/एस-4 (जो आवश्यक हो) को दबाकर सिगनल "ऑफ" करेगा।
1. बी. प्रचालन की प्रक्रिया: जब समपार फाटक सड़क यातायात पारगमन के लिये खोला जाना आवश्यक हो तो गेटमैन स्टेशन मास्टर की अनुमति से फाटक को खोलेगा।
- i. यह फाटक अन्तर्पाशित (इंटरलॉकड) है और उठने वाले नाकों से विद्युत संचालित पैनल द्वारा संचालित है।

निम्नलिखित बटन एवं संकेत इस पैनल पर दिये हुये है :-

- ए हरा बटन – गेट बैरियर खोलने के लिये।
- बी लाल बटन – गेट बैरियर बंद के लिये।
- सी हरा संकेत – गेट का खुला होने का संकेत।
- डी लाल संकेत – गेट का बंद होने का संकेत।
- ई विद्युत 'ऑन"/ऑफ चाबी।

गेट सिगनल के संचालन के लिये गेट लॉज पर कंट्रोल फ्रेम स्लाइड उपलब्ध है।

- ए. गेट की सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिये खुली है, जो कि कंट्रोल पैनल पर हरी लाइट के द्वारा संकेत मिलता है।
- बी. इस गेट तथा स्टेशन मास्टर महोबा के मध्य दूरसंचार व्यवस्था उपलब्ध है।
- सी. जब कभी अप या डाउन गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के लिए सिगनल ऑफ करने के लिए लेवल क्रॉसिंग गेट को पार करने की आवश्यकता हो, 'ऑन' ड्यूटी स्टे. मास्टर 'ऑन' ड्यूटी गेटमैन को सड़क यातायात के विरुद्ध बैरियर बंद करने के लिए निर्देश देगा।
- डी. उपरोक्त निर्देशों को प्राप्त करके, गेटमैन कंट्रोल पैनल पर दिये हुये लाल बटन को दबाकर लिफ्टिंग बैरियर को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद करेगा। गेट को बंद किये जाते समय विद्युतीय हूटर लगातार बजेगा और जैसे ही गेटबूम पूरी तरह से बंद हो जायेगा वैसे ही हूटर बजना बंद हो जायेगा और पैनल पर लाल संकेत प्राप्त होगा। लिफ्टिंग बैरियर बंद होने के पश्चात् गेटमैन टेलीफोन द्वारा स्टेशन मास्टर को यथास्थिति सूचित करेगा।
- ई. गाड़ी के गुजर जाने के पश्चात् गेटमैन सभी सिगनलों को स्विच के द्वारा सामान्य स्थिति में करके 'ऑन' स्थिति में करेगा और इसके पश्चात् गेट खोलेगा।

क्रैंक हैण्डल का आपातकालीन अवस्था में प्रयोग:-

लिफ्टिंग बैरियर की खराबी के कारण अथवा पावर सप्लाई फेल होने के कारण जब लिफ्टिंग बैरियर का संचालन न हो सके, तब गेट पर रखी गई क्रैंक हैण्डल एवं चाबी के द्वारा हस्तचलित संचालन किया जायेगा। गेटमैन के द्वारा गेट बैरियर के संचालन हेतु क्रैंक हैण्डल बॉक्स में लगी सील को तोड़कर चाबी एवं क्रैंक हैण्डल निकालेगा तथा गेट की ओर जाने वाली गाड़ी से सम्बंधित सभी सिगनलों को "ऑन" की स्थिति में रखा जायेगा। गेट खोलने/बंद करने के लिये बूम पर लगी मोटर के खाचे में क्रैंक हैण्डल लगाया जायेगा तथा बूम स्टाफ में चाबी लगाकर उसे अनलॉक किया जायेगा इसी प्रकार की कार्यवाही दूसरी बूम पर भी की जायेगी। बैरियर की खराबी होने पर एवं क्रैंक हैण्डल के द्वारा संचालन करने पर सम्बंधित एस एण्ड टी स्टाफ को तुरंत सूचना दी जायेगी सामान्य कार्यप्रणाली चालू होने के पश्चात् एस एण्ड टी स्टाफ द्वारा बॉक्स को पुनः सील किया जायेगा।

टिप्पणी: गेटलॉज पर आपातकाल (पावर सप्लाई के फेल होने पर) के लिये कांच वाले बंद सील बॉक्स में एक आपातकालीन क्रैंक हैण्डल/चाबी को रखा गया है। जब क्रैंक हैण्डल/चाबी से गेट को ऑपरेट करना हो तो बंद सील बॉक्स को तोड़ देना चाहिये।

बी. स्लाइडिंग बूम की कार्य प्रणाली :

स्लाइडिंग बूम के द्वारा गेट को बंद करने की विधि :

गेट पर दोनों तरफ पावर ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर के साथ एक अतिरिक्त स्लाइडिंग बूम दिया गया है। प्रत्येक स्लाइडिंग बूम वर्तमान में दिये पावर ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर के समानान्तर होता है एवं इस प्रकार से लगा होता है कि स्लाइडिंग बूम का पूरा भाग सड़क से दूर होता है अर्थात् समपार फाटक की ओर आने वाली सड़क की तरफ स्लाइडिंग बूम का कोई भी हिस्सा नहीं होता है। स्लाइडिंग बूम का उपयोग आपातकाल में किया जाता है अर्थात् जब पावर ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर क्षतिग्रस्त हो जाये या किसी कारण से बंद होने का संकेत नहीं मिले। यह स्लाइडिंग बूम सामान्यतः अपने खम्भे पर तालित होते हैं। बूम स्टैंड पर ताले की चाबी उपलब्ध होती है।

निम्नलिखित परिस्थितियों में स्लाइडिंग बूम का उपयोग किया जायेगा :-

ए जब खोलने या बंद करने के दौरान गेट बैरियर क्षतिग्रस्त हो जाये या खुली स्थिति में हो तब स्लाइडिंग बूम का उपयोग करेंगे।

बी. जब कभी खोलने या बंद करने के दौरान गेट बैरियर क्षतिग्रस्त हो जाये या खुली स्थिति में रह जाये तो गेटमैन तुरंत नियंत्रक स्टेशनमास्टर को बतायेगा जो क्षतिग्रस्त लिफ्टिंग गेट या बैरियर को सही करने या बदलने हेतु एस एण्ड टी स्टाफ को बतायेगा।

सी. जब किसी कारण से गेट बंद संकेत न आये :-

गेटमैन नियंत्रक स्टेशनमास्टर से अनुदेश मिलने के बाद गेट पर दिये हुये रोड स्विच को रिवर्स स्थिति में कर देगा जिससे कि रोड सिगनल खतरे की स्थिति में आ जायेगा और साथ ही साथ स्लाइडिंग बूम को बंद करने लगेगा यह सब करते समय वह 'ए' साइड के स्लाइडिंग बूम को उसके स्टैंड पर दिये हुये हैण्डल के द्वारा खींचके बंद करेगा इसके बाद वह 'एक्स' चिन्ह द्वारा चिन्हित चाबी बूम स्टैंड लॉक में लगायेगा और लॉक करेगा इससे 'वाई' चिन्ह द्वारा चिन्हित चाबी रिलीज होगी इसके बाद वह 'बी' साइड में जायेगा और हैण्डल द्वारा खींचकर स्लाइडिंग बूम को बंद करेगा और 'एक्स' चिन्ह द्वारा चिन्हित चाबी बूम स्टैंड लॉक में लगायेगा और लॉक करेगा और साथ ही साथ 'बी' साइड में 'वाई' चिन्ह वाली चाबी को 'वाई' चिन्ह वाले लॉक में लगाकर क्लॉक वाइज़ घुमायेगा और लॉक करेगा। 'बी' साइड में दोनों चाबी को लॉक करने के पश्चात् 'जेड' चिन्ह वाली तीसरी चाबी रिलीज होगी। तब गेटमैन चाबी को निकालकर गेटलॉज पर स्थित टी-2/के.एल.सी.आर में लगाकर घुमायेगा ऐसा करने के पश्चात् बैरियर स्विच को रिवर्स स्थिति में करेगा जिससे गेट कंट्रोल रिले एक्टिव हो जायेगी। गेट लॉज में के.एल.सी.आर लॉक में 'जेड चाबी' लगाने से पहले गेटमैन दोनों तरफ के खींचे हुये स्लाइडिंग बूम में स्टॉप बोर्ड लगायेगा।

वरि. मं. परि. प्रबं.(जीएण्डजी) झांसी

वरि. मं.सि.एवंदूर.सं.अभि.(ब्रान्च लाइन)झांसी

वरि.मंडलअभियंता(पूर्व)झांसी

टिप्पणी : ए) स्लाइडिंग बूम के संचालन के समय गेटमैन गेटलॉज पर दिये आर.एस.आर स्विच को घुमाकर रोड सिगनल को लाल स्थिति में कर देगा और स्लाइडिंग बूम पूरी तरह से बंद हो जाने के पश्चात् रोड सिगनल स्वतः ही लाल स्थिति में लॉक हो जायेंगे।

बी. जब गेट स्लाइडिंग बूम द्वारा सुरक्षित हो गया हो और बंद संकेत मिल गया हो तो गेट की ओर आने वाले ट्रेन संचालन को नियंत्रित करने वाले सिगनल को उसकी सामान्य स्थिति (सावधान) में ऑफ किया जा सकता है।

स्लाइडिंग बूम के द्वारा गेट को खोलने की विधि :

गेट से गाड़ी गुजर जाने के पश्चात् सड़क यातायात की निकासी हेतु स्लाइडिंग बूम को खोलने के लिये गेटमैन कार्यरत स्टेशनमास्टर से अनुमति लेगा। स्टेशन मास्टर से आज्ञा मिलने के पश्चात् गेटमैन गेट बैरियर स्विच को सामान्य स्थिति में कर देगा जिससे गेट सिगनल खतरे की स्थिति में आ जायेंगे और टी 2लॉक/के एल सी आर से 'जेड' चाबी निकालेगा और स्लाइडिंग बूम के 'जेड' लॉक में लगायेगा और स्लाइडिंग बूम बंद करने वाली विधि को विपरीत तरह से करेगा और सड़क यातायात को निकालेगा। इसके बाद वह रोड स्विच को सामान्य स्थिति में करके सड़क यातायात को निकालेगा और रोड सिगनल को सामान्य स्थिति में करेगा।

सड़क यातायात सिगनल :-

समपार फाटक के दोनो तरफ सड़क यातायात उपयोगकर्ताओं के लिये नालाकार खम्भे पर सिगनल उपलब्ध कराये गये हैं जो कि ऐसी जगह लगाये गये हैं कि आने वाले वाहनों को पर्याप्त दूरी से दिखायी दे जाये। रोड ट्रैफिक सिगनल निम्नलिखित संकेत दिखायेंगे।

1. स्थिर लाल संकेत बताता है कि रोड बैरियर की स्थिति बंद है।
2. स्थिर पीला संकेत बताता है कि रोड बैरियर की स्थिति खुली है।
3. गेटमैन सड़क यातायात सिगनल को गेटलॉज पर दिये हुये स्विच का उपयोग करके यदि आवश्यकता हो तो लाल संकेत में बदल सकता है।

हुटर:-प्रत्येक बैरियर के पास खम्भे पर हुटर लगा हुआ है और रोड ट्रैफिक सिगनल के सहयोजन में कार्य करता है। यह हुटर सड़क यातायात उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देने के लिये लगा हुआ है जब बैरियर बंद होता है तब यह बजता है। बैरियर बंद होने के पश्चात् यह बजना बंद हो जाता है।

2 गेटमैन को सूचना:-

- 1 स्टेशन मास्टर अपने सिरे से सम्बद्ध टेलीफोन के माध्यम से गेटमैन को समपार फाटक की ओर जाने वाली गाड़ियों के संचालन के बारे में सूचना देगा।
- 2 यदि टेलीफोन स्टेशन के गाड़ी रिसेव करने वाले सिरे से सम्बद्ध है तो यह सूचना स्टेशन मास्टर द्वारा गेटमैन को दी जाएगी, जैसे ही वह गाड़ी भेजने वाले स्टेशन से खण्ड में गाड़ी प्रवेश करने की सूचना प्राप्त करता है।
- 3 यदि गाड़ी का वास्तविक रनिंग टाइम खण्ड के दूसरी ओर से 10 मिनट से कम है तो स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर प्राप्त/स्वीकृत करने से पूर्व यह सूचना गेटमैन को देंगे।
- 4 यह गेटमैन का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि फाटक समय से बंद कर दिया गया है जिससे गाड़ी का विलम्बन न हो और न ही सड़क यातायात का अधिक विलम्बन हो।

3 दूरभाष संचार की विफलता:- यदि दूरभाष संचार विफल हो जाय अथवा 2-3 प्रयास के बाद भी गेटमैन की ओर से कोई जबाब नहीं मिलता तो निम्नांकित कार्य पद्धति अपनाई जायेगी-

- i यदि स्टेशन के प्रस्थान सिरे से सम्बद्ध गेट टेलीफोन खराब हो जाता है तो स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेगा।
- ii स्टेशन मास्टर लोको पायलट को फाटक पर पहुँचते समय लगातार सीटी बजाने और सावधानी पूर्वक गेट पर पहुँचने हेतु सुझाव देगा।
- iii यदि गेट सिगनल 'ऑन' है तो वह गेट सिगनल से पहले रुकेगा और साधारण नियम 3.73 के अधीन वर्णित कार्य पद्धति को अनुसरण करेगा।
- iv आने वाली गाड़ी के प्रकरण में स्टेशन मास्टर प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबरों के आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे कि गेट पर टेलीफोन खराब हो गया है।
- v प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर अपनी ओर से ब्लॉक खण्ड में गाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
- vi स्टेशन मास्टर, गैंगमैन/पेट्रोलमैन/लोकोपायलट के माध्यम से भी गेटमैन को सूचित करेंगे कि टेलीफोन खराब हो गया है।

- vii स्टेशन मास्टर उत्तरदायी एस.एण्ड.टी. कर्मचारी को टेलीफोन की मरम्मत करने एवं सुधारने के लिए भी सूचित करेंगे।
- viii एस.एण्ड.टी. स्टाफ के द्वारा टेलीफोन सुधारने और पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।

4. लिफ्टिंग बैरियर की विफलता:-

- जब लिफ्टिंग बैरियर की विफलता के कारण गेट बंद न किया जा सकता हो तो गेटमैन तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर ट्रैक को फाउल नहीं करता है।
- वह तत्काल दिन के समय लाल बैनर फ्लैग और रात के समय लाल फ्लैशिंग बत्ती जिस ओर से गाड़ी आ रही है उस ओर पहले और फिर दूसरी ओर बाद में खम्भे पर लगा देगा।
- गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध गेट को संरक्षा चैन और पैडलॉक द्वारा सुरक्षित करेगा।
- गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध सुरक्षित करने के बाद गेटमैन दिन के समय हरी झंडी और रात के समय हरी बत्ती, आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को दिखायेगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
- वह प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी गाड़ी के लोको पायलट को अपनी ओर से ब्लाक खण्ड में भेजने से पूर्व उसी तरह सावधानता आदेश जारी करने के लिए प्राइवेट नं. के आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे।
- स्टेशन मास्टर उत्तरदायी मेन्टीनेंस स्टाफ को लिफ्टिंग बैरियर की शीघ्र मरम्मत करने/सुधारने हेतु सूचित करेंगे।
- मेन्टीनेंस स्टाफ द्वारा लिफ्टिंग बैरियर की मरम्मत करने एवं पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद भी सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।

5-6 खुली अवस्था में गेट बैरियर का खराब होना/बंद स्थिति में पावर आपूर्ति की विफलता :-

- यदि गेट बंद नहीं हो रहा हो या नहीं खुल पा रहा हो तब गेट मैन तुरंत कार्यरत स्टेशन मास्टर टेलीफोन पर, प्राइवेट नं० के आदान-प्रदान के अंतर्गत सूचना देगा।
- उसके बाद फाटक को नॉन-इंटरलॉकड मान लिया जायेगा और गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान हेतु नॉन इंटरलॉकड गेट की कार्य पद्धति अपनाई जानी चाहिये।
- गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध संरक्षा चैन एवं पैडलॉक के द्वारा गेट को सुरक्षित करेगा और हाथ सिगनल पर गाड़ी को पास देगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
- वह प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी गाड़ी के लोको पायलट को ब्लाक खण्ड में भेजने से पूर्व उसी तरह सावधानता आदेश जारी करने के लिए प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अंतर्गत सूचित करेंगे।
- स्टेशन मास्टर उत्तरदायी एस. एण्ड टी. स्टाफ को फाटक सुधारने के लिये जल्द से जल्द सूचित करेंगे।
- एस एण्ड टी स्टाफ द्वारा गेट ठीक करने के उपरांत पुनः संयोजन/फिट मैमों देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।

टिप्पणी: गेट लॉज पर कॉच के द्वारा बंद सील्ड एवं तालित बॉक्स में आपातकालीन क्रैंक हैण्डल/चाबी रखी गई है, जब कभी गेटमैन को क्रैंक हैण्डल/चाबी द्वारा गेट परिचालन कि आवश्यकता हो वह कांच तोड़कर क्रैंक हैण्डल/चाबी बॉक्स से निकालेगा।

7 खराब गेट सिगनल:-

- गेटमैन निम्नांकित परिस्थितियों में गेट सिगनल को खराब मानेगा और उन्हें ऑफ नहीं करेगा-
 - यदि गेट सिगनल बिना गेट बंद किये ही ऑफ हो जाये।
 - आपरेटिंग विंच से चाबी, गेट की खुली स्थिति में बाहर निकल जाये अथवा
- यदि गेट अथवा गेट सिगनल या डिस्टेंट सिगनल ऑफ पोजीशन में खराब हो जाये तो गेटमैन इसे ऑन करने के सभी प्रयास करेगा चाहे सिगनल तार ही कटवाना पड़े।
- गेटमैन तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर को गेट सिगनल की खराबी के बारे में टेलीफोन पर प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा।

- 4 उसके बाद गेट अन्तर्पाशन रहित मान लिया जायेगा, और गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान हेतु नॉन इन्टर लॉक गेट की कार्य पद्धति अपनाई जा सकती हैं।
- 5 गेट बंद करने के बाद वह गुजरती हुई गाड़ियों को दिन के समय हरी झंडी और रात के समय हरी बत्ती दिखायेगा।
- 6 कार्यरत स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
- 7 वह प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी गाड़ी के लोको पायलट को ब्लॉक खण्ड में भेजने से पूर्व उसी तरह सावधानता आदेश जारी करने के लिए प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे।
- 8 स्टेशन मास्टर उत्तरदायी एस.एण्ड.टी. स्टाफ को 'की ट्रांसमीटर' की शीघ्र मरम्मत करने एवं सुधारने हेतु सूचित करेंगे।
- 9 एस.एण्ड.टी. स्टाफ द्वारा खराब सिगनल को सुधार करने तथा पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद भी सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।

8 फाटक पर अवरोध:-

- 1 यदि गेट सड़क वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाये जो ट्रैक को उल्लंघित (फाउल) कर रहा हो अथवा यदि लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग ट्रैक को फाउल कर रहा हो या गेट पर अन्य कोई अवरोध हो तो गेटमैन तत्काल गेट सिगनल को ऑन की हालत में कर देगा।
- 2 वह दिन के समय लाल बैनर फ्लैग और रात के समय लाल फ्लैशिंग बत्ती गेट के दोनों ओर इस निमित्त लगे हुए खम्भों पर लगा देगा।
- 2 गेटमैन इसके बाद तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर को गेट पर खराबी/अवरोध के बारे में प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा।
- 4 यदि 2-3 प्रयास के बाद भी स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर द्वारा जबाब नहीं मिलता है तो वह पहले गेट का बचाव करेगा और तब टेलीफोन पर सूचना देगा।
- 5 तब गेटमैन पटाखे, और दिन के समय लाल झंडी तथा रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती सहित, गाड़ी आने की दिशा में अतिवेग से जायेगा और गेटमैन की ड्यूटी सम्बंधी सामान्य अनुदेश के अधीन मद सं. 1.5 (5) में निर्दिष्ट नियमानुसार गेट का बचाव करेगा।
- 6 उसके बाद वह दूसरी दिशा से भी बचाव करेगा।
- 7 वह सड़क वाहन के विवरण, चालक, मालिक का नाम नोट करेगा तथा मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर को देगा जो कि गाड़ी को तब तक नहीं चलायेगा जब तक कि गेटमैन द्वारा यह आश्वस्त न कर दिया जाय कि सड़क यातायात लिफ्टिंग बैरियर ट्रैक को उल्लंघित नहीं कर रहा है।
- 8 स्टेशन मास्टर प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे कि ब्लॉक खण्ड में वह अपनी ओर से कोई गाड़ी न भेजे जब तक कि ट्रैक अवरोध से मुक्त न हो जाये।
- 9 ट्रैक अवरोध से मुक्त हो जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर को तदनुसार सूचित करेगा।
- 10 यदि गेट क्षतिग्रस्त है, किन्तु अवरोध मुक्त है, तब स्टेशन मास्टर सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे कि सावधानी से आगे बढ़ें और गेट सिगनल को 'ऑन' की स्थिति में हरे हाथ सिगनल पर पार करें।
- 11 गेटमैन संरक्षा चेन एवं पैडलॉक से गेट को सुरक्षित करेगा और यदि गेट पर अवरोध नहीं है तो हरा हाथ सिगनल दिखायेगा।
- 12 स्टेशन मास्टर उत्तरदायी मेन्टेनेन्स स्टाफ को लिफ्टिंग बैरियर की मरम्मत के लिए शीघ्रातिशीघ्र सूचित करेंगे।
- 13 मेन्टेनेन्स स्टाफ द्वारा खराब लिफ्टिंग बैरियर को सुधारने एवं पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ किया जायेगा।
- 9 **समपार फाटक के समीप ट्रैक पर अवरोध:-**
यदि पटरी के टूटने अथवा पेड़ के गिरने, सड़क वाहन द्वारा फाउल किये जाने अथवा डिरेलमेंट जो कि गेटमैन को दिखाई पड़ता हो, अवरोध समपार फाटक को फाउल करता हो, तो गेटमैन और स्टेशन मास्टर उपर्युक्त वर्णित मद सं. 8 के अनुसार कार्य पद्धति अपनायेंगे। यदि गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध गेट को बंद रखेगा जब तक कि ट्रैक अवरोध मुक्त न हो जाय।

1. सामान्य :**(1.1) समपार फाटक का वर्णन :**

1.1 मानव युक्त समपार फाटक पर निम्नलिखित विस्तृत विवरण रखे रहना चाहिए:-

S.No.	DESCRIPTION	
01	समपार फाटक की संख्या	423
02	इंजीनियरिंग अथवा ट्रैफिक गेट	इंजीनियरिंग, 'सी' क्लास
03	नियंत्रणाधीन (स्टेशन मास्टर/ खण्ड अभियंता (रेलपथ))	खण्ड अभियंता (रेलपथ)महोबा
04	किमी पर	1256 / 2-3
05	स्टेशन पर	महोबा
06	स्टेशनऔर.....के बीच	चरखारी-महोबा
07	ब्राड गेज / मीटर गेज / नैरोगेज	ब्राड गेज
08	सिंगल लाइन्स / डबल लाइन्स / मल्टीपल लाइन्स	सिंगल लाइन
09	सामान्य स्थिति	खुला
10	इन्टरलाकड / नानइन्टरलाकड	नॉन-इन्टरलॉकड
11	अन्तर्पार्शन के साधन	नहीं
12	गेट सिगनलों का प्रावधान 1. अप 1. डाउन	नहीं नहीं
13	सिगनलिंग व्यवस्था	नहीं
14	संचार के साधन- टेलीफोन / घंटी आदि।	टेलीफोन., स्टे.मा महोबा
15	समपार फाटक की चौड़ाई	5.92 मी
16	सड़क का प्रकार (राष्ट्रीय राज मार्ग / प्रान्तीय राजमार्ग / अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	सूपा-श्रीनगर
18	पक्की / कच्ची	पक्की
19	पहुंच मार्ग	पक्की
20	सड़क की चौड़ाई	7.0 मी
21	रोड क्रॉसिंग कोण (स्क्यू गेट के मामले में)	90°
22	सड़क का ढलान (यदि कोई हो) उत्तर/पूर्व की ओर दक्षिण/पश्चिम की ओर	समतल समतल
23	सड़क की सीधार्ई (सीधा / घुमावदार) उत्तर/पूर्व की ओर दक्षिण/पश्चिम की ओर	सीधा सीधा
24	हाइट गेज का प्रावधान	उपलब्ध है
25	बैरियर का प्रकार	लिफिटिंग बैरियर
26	चेक रेलो की लम्बाई	7.60 मी
27	समपार के मध्य सड़क की सतह	पक्की
28	रम्बल स्ट्रिप्स / स्पीड ब्रेकरों की लम्बाई	उपलब्ध है
29	सड़क के चिन्ह	उपलब्ध है
30	स्पीड ब्रेकर संकेतक के बोर्ड	उपलब्ध है
31	टी0 वी0 यू0	48714 दि. 08.06.18
32	यातायात गणना (सेंसस) की आगामी तिथि	08.06.21
33	पटाखा लगाने के लिए सीमांकन (चिन्ह)	उपलब्ध है
34	कार्य करने वाले गेटमैनों की संख्या	02
35	समीपस्थ रेलवे सहायता (केन्द्र)	महोबा
36	समीपस्थ प्राइवेट चिकित्सकीय सहायता (केन्द्र)	सूपा (चरखारी)
37	उपकरणों की सूची उपलब्ध है अथवा नहीं	उपलब्ध है

1.2 फाटक के उपस्कर

01	हाथ सिंगनल बत्ती (तिरंगी)	3
02	हाथ सिंगनल झंडी, हरी	1 छड़ी में लगी हुई
03	हाथ सिंगनल झंडी, लाल	3 छड़ी में लगी हुई
04	बैनर फ्लैग लाल	3
05	लाल बैनर फ्लैग प्रदर्शन हेतु खम्भे	2
06	अतिरिक्त चैन पैडलॉक सहित	2 स्टॉक निशान सहित
07	पटाखे	10 प्लास्टिक केस में
08	गेटलैम्प	2
09	टामी बार/सब्ल	1
10	मोर्टर पेन (तसला/धमेला)	1
11	कुदाल/फावड़ा	1
12	हथौड़ा	1
13	गैती	1
14	झंडियों के लिए डिब्बा	1
15	तेल का पीपा	1
16	पानी का बर्तन / बाल्टी	1
17	मस्टर रोल के लिए कनस्तर	1
18	गेटमैन का अतिरिक्त चश्मा यदि वह चश्मा लगाता हो	1
19	गेट पर बाधा होने की दशा में समपार फाटक बचाव करने संबंधी डायग्राम बोर्ड	1
20	टोकरी	1
21	सीटी	1
22	दीवाल घड़ी	1

1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख:- उपर्युक्त उपकरणों के साथ में निम्नांकित अभिलेख गेट लॉज में रखे जायेंगे:-

- 01 फाटक का संचालन निर्देश (हिन्दी/अंग्रेजी) में
- 02 गेटमैन नियम पुस्तक (हिन्दी/अंग्रेजी) में
- 03 उपकरणों एवं पुस्तकों की सूची
- 04 ड्यूटी रोस्टर
- 05 गेटमैन का कार्य करने के लिये प्रमाण-पत्र
- 06 गेटमैन विवरण सम्बंधी बायोडाटा, नेत्रपरीक्षा, प्रारम्भिक/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संरक्षा शिविर आदि के सहित
- 07 दुर्घटना रजिस्टर
- 08 समपार फाटक पर अन्तिम सड़क यातायात गणना (सेंसस) का अभिलेख
- 09 जन शिकायत पुस्तिका
- 10 निरीक्षण पुस्तिका

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जीएण्डजी) झांसी

वरि.मंडल अभि. (पूर्व) झांसी

1.4 प्रचालन पद्धति:- (विस्तृत कार्यप्रणाली संचालन पद्धति में दी गई है)

1.5 गेटमैन की ड्यूटी :-

1. सतर्कता:- गेटमैन सतर्क रहेगा और किसी खतरे की आशंका होते ही त्वरित कार्यवाही हेतु तत्पर रहेगा। फाटक की चाबियों उसके निजी अभिरक्षा में रहेगी।
2. गाड़ी पास होते समय गेटमैन की स्थिति:-
गाड़ियों के गुजरते समय गेटमैन निम्न निर्दिष्ट रीति में खड़ा रहेगा-
 - (i) गेटमैन आने वाली गाड़ी के सामने मुँह करके गेटलॉज के सामने खड़ा रहेगा।
 - (ii) गेटमैन दिन के समय लाल और हरी झंडी अलग-अलग डंडे पर लपेटी/समेटी हुई क्रमशः दाये और बाये हाथ में पकड़े रहेगा।
 - (iii) गेटमैन रात के समय सफेद प्रकाश युक्त हाथ बत्ती रेलपथ की ओर करके पकड़े रहेगा।
 - (iv) वह अपने गले में एक डोरी लगी हुई सीटी लटकाये रहेगा।
3. गेटमैन की नियमित ड्यूटी:-
 - (i) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि लाल बैनर फ्लैग/फ्लैशिंग लाल बत्ती रेलपथ के एक छोर से दूसरे छोर तक लगी है, जब कभी नॉन इण्टरलॉक गेट खुली हालत में और आपातकाल अथवा अवरोध की स्थिति में अन्य प्रकार के समपार हों।
 - (ii) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि गेटलैम्प और सभी गेट सिगनलों की बत्तियां प्रकाशित हैं तथा सूर्यास्त से सूर्योदय तक जलती रहती हैं।
 - (iii) गेटमैन ड्यूटी रोस्टर के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कड़ाई के साथ करेगा और तब तक गेट नहीं छोड़ेगा जब तक कि रिलीवर न आ जाये तथा कार्यभार ग्रहण न कर लें। यदि आपात स्थिति में गेट छोड़ना ही पड़े तो उसे गेट छोड़ने से पूर्व फाटकों को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके ताला अवश्य लगा देना चाहिए।
 - (iv) सिवाय विशेष अनुदेशों के अधीन जहाँ अन्यथा निर्धारित न हो, वह सभी गुजरती हुई गाड़ियों को ध्यान से देखेगा और गाड़ियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने हेतु तैयार रहेगा।
 - (v) गेटमैन सभी गुजरने वाली गाड़ियों को अत्यन्त सावधानीपूर्वक देखेगा और किसी भी असामान्य स्थिति जैसे गरम धुरा, लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैटरी, अन्य वाहन/वैगन/ट्रेन, बैटरी बॉक्स में लगी हुई आग, लोड का खिसकना, गिरती हुई चीज जैसे- ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक बीम, संरक्षा ब्रैकेट, निर्वात सिलेण्डर या अन्य स्थिति जो संरक्षित गाड़ी संचालन में खतरा पैदा कर सकते हैं उनका तीव्र एवं सावधानी पूर्ण निरीक्षण करेगा।
 - (vi) गेटमैन किसी सिगनल को दुहराने के लिए भी तैयार रहेगा, जो गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी-टाकी या अन्य साधन द्वारा दिया जा सकता है।
 - (vii) यदि लिफ्टिंग बैरियर क्षतिग्रस्त अथवा अव्यस्थित हो तो गेटमैन अतिरिक्त चैन को डिस्क एवं पैडलॉक सहित सड़क यातायात के विरुद्ध फाटक को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग में लायेगा।
 - (viii) गेटमैन समीप के स्टेशन मास्टर, गैगमेट या खण्ड अभियंता/रेलपथ को गेट अथवा उससे संबंधित उपकरण में किसी भी खराबी की सूचना शीघ्रातिशीघ्र देगा।
 - (ix) गेटमैन जब समपार फाटक पर ड्यूटी पर हो तो बैज तथा निर्धारित यूनिफार्म पहनेगा।
 - (x) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि जब वह ड्यूटी पर है उसके पास सक्षमता प्रमाण पत्र है।
 - (xi) गेटमैन फाटक संचालन निर्देश के अनुरूप कार्य करेगा और इन अनुदेशों से भलीभाँति अवगत बना रहेगा।
 - (xii) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि गेट पर आपूर्ति किए गये उपस्कर अच्छी हालत में हैं और तत्काल प्रयोग के लिए तैयार हैं।
 - (xiii) गेटमैन देखेगा कि पहिए की कोर (प्लेंज) के लिए पथ (चैनल) साफ रखा गया है।

- (xiv) गेटमैन कच्ची सड़क की ऊपरी सतह को अच्छी तरह से पानी का छिड़काव एवं दरमुस करेगा।
- (xv) गेटमैन यह देखने के लिए चौकस रहेगा कि सड़क उपयोगकर्ता को गेट बंद होने के कारण कम से कम असुविधा हो।
- (xvi) विद्युतीकृत (इलेक्ट्रीफाइड) खण्ड में गेटमैन यह सावधानीपूर्वक देखेगा कि सड़क वाहन/जानवर जो समपार से पास हो रहे हैं, वे समपार के दोनों ओर लगे हुए ऊँचाई लदान मापी के अन्दर है।
- (xvii) गेटमैन व्यक्तियों अथवा पशुओं के अतिचार (ट्रेस पासिंग) को रोकने का हर संभव प्रयास करेगा।

4. गाड़ियों में असामान्य घटना के प्रकरण में कार्यवाही :-

यदि गेटमैन किसी गुजरती हुई गाड़ी में असामान्य वस्तु देखता है तो वह निम्नांकित कार्यवाही करेगा :-

1. वह गुजरती हुई गाड़ी के लोकोपायलट और गार्ड को सचेत करने के लिये दिन में लाल झंडी तथा रात में फ्लैशिंग लाल बत्ती दिखा कर त्वरित कार्यवाही करेगा।
2. ट्रेन पार्टिंग के मामले में गेटमैन रुकने का लाल हाथ सिगनल नहीं दिखायेगा परन्तु ट्रेन पार्टिंग के लिये निर्धारित सिगनल दिन में हरी झंडी और रात में सफेद बत्ती लम्ब रूप में ऊपर एवं नीचे करते हुये हिलायेगा।
3. वह साथ-साथ लोको पायलट तथा गार्ड का ध्यान आकृष्ट करने के लिये लगातार सीटी बजाकर, बोलते समय हाथों की मुद्रा से हाव-भाव अभिव्यक्त करके, ब्रेकवान पर गिट्टी फेंक कर अथवा किसी अन्य साधन द्वारा लोको पायलट तथा गार्ड का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेगा।
4. यदि लोको पायलट और गार्ड ध्यान देने में विफल रहते हैं तो गेटमैन स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिन मैन को, यदि टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है, समुचित कार्यवाही हेतु प्राइवेट नं. के आदान-प्रदान के अन्तर्गत तत्काल सूचित करेगा।

5. समपार फाटक पर आपातकाल में कार्यवाही :-

- i.. यदि वह अवरोध हटाने असमर्थ है तो तत्काल स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिन मैन को समपार फाटक पर खराबी/अवरोध के बारे में प्राइवेट न. के आदान प्रदान के अंतर्गत सूचित करेगा। यदि टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।
- ii. यदि स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिन मैन से दो या तीन प्रयासों के बाद भी जबाब नहीं मिलता तो वह पहले फाटक का बचाव करेगा फिर टेलीफोन से सूचना देगा।

क इकहरी लाइन खंड पर -

- (i) गेटमैन दिन के समय एक लाल बैनर फ्लैग तथा रात के समय एक लाल फ्लैशिंग बत्ती अवरोध स्थल से 5 मीटर की दूरी पर इस निमित्त यथोचित लगाये गये खम्भों पर लगा देगा। जिस ओर से पहले गाड़ी आने की संभावना है उस ओर का बचाव वह पहले करेगा।
- (ii) तब वह उसी प्रकार से दूसरी ओर का भी बचाव करेगा।
- (iii) तब गेटमैन फाटक के बचाव के लिये पटाखे, और दिन के समय लाल झंडी एवं रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती के साथ-साथ आगे जायेगा।
- (iv) गेटमैन दिन के समय लाल झंडी एवं रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती दिखाते हुये उस ओर जिधर से गाड़ी आने की संभावना पहले हो ब्रॉड गेज पर 600 मीटर तक जायेगा और लाइन पर एक पटाखा लगा देगा, उसके बाद वह समपार फाटक से ब्रॉड गेज पर 1200 मीटर जायेगा और ट्रैक पर 3 पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन का बचाव करने के बाद वह रास्ते में मध्य स्थित पटाखे को उठाते हुये फाटक पर वापस आ जायेगा।
- (v) उसके बाद वह दूसरी दिशा की ओर लाल हाथ सिगनल दिखाता हुआ आगे जायेगा और उपर्युक्त उप पैरा (iv) में वर्णित नियमानुसार पटाखे लगायेगा और अवरोध स्थल पर वापस लौटते समय रास्ते के मध्य स्थित पटाखे को उठा लेगा।
- (vi) समपार फाटक पर वापस आ जाने के बाद अवरोध को हटाने के लिए कदम उठायेगा।

- (vii) यदि गेटमैन यह देखता अथवा सुनता है कि गाड़ी आने वाली है जबकि वह बचाव करने के रास्ते में ही है तथा निर्धारित दूरी जहां पटाखे लगने हैं, से पहले है तो वह जितनी दूर जा सकता है वहां लाइन पर पटाखे लगा देगा।
- (viii) उसके बाद वह लोको पायलट को सचेत करने के लिये आने वाली गाड़ी को दिन में लाल झंडी और रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती बारम्बार हिला कर रोकेगा।

ख. गेटमैन द्वारा की जाने वाली अन्य कार्यवाही –

- i गेटमैन रात के समय दो हाथ सिगनल बत्तियाँ जलायेगा और लाल बत्ती दिखाने/प्रदर्शित करने तथा पैरा 'ए' में वर्णित नियमानुसार लाइन का बचाव करने संबंधी कार्यवाही करेगा।
- ii यदि गेट सड़क वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया हो जो ट्रैक उल्लंघित कर रहा हो अथवा लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई भाग ट्रैक को उल्लंघित कर रहा हो या समपार फाटक पर कोई अन्य अवरोध हो तो गेटमैन त्वरित कार्यवाही करेगा।
- iii वह सड़क वाहन के सभी विवरण वाहन का नंबर, चालक व मालिक का नाम नोट करेगा और समीपस्थ स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिनमैन अथवा खंड अभियंता (रेलपथ) को विवरण और समपार फाटक पर अवरोध के संबंध में संदेशवाहक अथवा अन्य साधन द्वारा संदेश भेजेगा।
- 1.6 फाटक पर दृश्यता, फाटक के एप्रोच रोड पर स्पीड ब्रेकर का प्राविधान और फाटक के सेन्सस के सम्बन्ध में आई.आर.पी.डब्ल्यू.एम के पैरा 916, 918 एवं 919 में विवरण दिया गया है।

बिना अन्तर्पार्शित इंजी. समपार फाटक टेलीफोन सहित एवं सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिये "खुला" का संचालन अनुदेश :

1 प्रचालन पद्धति:

1. फाटक बिना अन्तर्पार्शित है
2. फाटकों की सामान्य स्थिति में सड़क यातायात के लिये खुला है।
3. फाटकों पर साथ-साथ उठने वाले नाके लगे हैं जिनका परिचालन इंजी. फाटक वाले द्वारा किया जाता है।
4. इस फाटक और स्टेशन मास्टर कार्यालय महोबा के बीच दूर संचार व्यवस्था उपलब्ध है।

2. प्राइवेट नंबर का आदान-प्रदान:-

ए. जब गेट स्टेशन के प्रस्थान सिरे से सम्बद्ध हो-

- i. प्रस्थान सिरे पर स्टेशन मास्टर गेटमैन को गाड़ी नम्बर, दिशा और गेट पर पहुँचने का सम्भावित समय प्राइवेट नम्बर के द्वारा सूचित करेंगे।
- ii. ऐसी सूचना प्रस्थान सिगनल 'ऑफ' करने अथवा लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार देने से पूर्व दी जायेगी।
- iii. गेटमैन सूचना मिलने पर गेट को समय से बन्द करेगा और उसकी पुष्टि प्राइवेट नम्बर के द्वारा करेगा।
- iv. स्टेशन मास्टर प्रस्थान सिगनल को गेटमैन से प्राइवेट नम्बर मिल जाने के बाद 'ऑफ' करेंगे।
- v. एक बार बन्द किया गया फाटक गाड़ी/गाड़ियों के पास होने पर अथवा गाड़ी संचालन योजना में परिवर्तन किये जाने आदि में स्टेशन मास्टर की अनुमति से सड़क यातायात की निकासी के लिये जैसा आवश्यक हो, गेटमैन द्वारा खोला जा सकता है। स्पष्ट रूप से यह तभी किया जा सकता है जब प्राइवेट नंबरों का आदान-प्रदान नियंत्रक स्टेशन मास्टर से कर लिया जायेगा जो सुनिश्चित करेंगे कि समपार की ओर कोई गाड़ी संचालन नहीं है। उपरोक्त के अलावा –

इकहरी लाइन पर ट्रेन के समपार फाटक से पूरी तरह से गुजर जाने के पश्चात् ट्रेन का टेल लैम्प/टेल बोर्ड देखने के पश्चात् गेटमैन समपार फाटक को खोल सकता है।

बी. जब गेट स्टेशन के आगमन सिरे से सम्बद्ध हो-

- i. प्रस्थान सिरे पर स्टेशन मास्टर दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर को गाड़ी नम्बर, विवरण, दिशा और गेट पर पहुँचने का सम्भावित समय प्राइवेट नम्बर के द्वारा सूचित करेंगे।

- ii. ऐसी सूचना लाइन क्लियर प्राप्त करने से पूर्व दी जानी चाहिए।
- iii. आगमन सिरे पर स्टेशन मास्टर वही सूचना गेटमैन को प्राइवेट नम्बर के द्वारा देंगे।
- iv. गेटमैन फाटक बन्द करेगा और उसके बाद अपना प्राइवेट नम्बर स्टेशन मास्टर को देगा।
- v. तभी आगमन सिरे पर स्टेशन मास्टर प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को लाइन क्लियर, स्वीकृत करेंगे।
- vi. एक बार बन्द किया गया फाटक गाड़ी/गाड़ियों के पास होने पर अथवा गाड़ी संचालन योजना में परिवर्तन किये जाने आदि में स्टेशन मास्टर की अनुमति से सड़क यातायात की निकासी के लिये जैसा आवश्यक हो, गेटमैन द्वारा खोला जा सकता है। स्पष्ट रूप से यह तभी किया जा सकता है जब प्राइवेट नम्बरों का आदान-प्रदान नियंत्रक स्टेशन मास्टर से कर लिया जायेगा जो सुनिश्चित करेंगे कि समपार की ओर कोई गाड़ी संचालन नहीं है। उपरोक्त के अलावा – इकहरी लाइन पर ट्रेन के समपार फाटक से पूरी तरह से गुजर जाने के पश्चात् ट्रेन का टेल लैम्प/टेल बोर्ड देखने के पश्चात् गेटमैन समपार फाटक को खोल सकता है।

3 टेलीफोन संचार विफलता:-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाये अथवा 2-3 प्रयास के बावजूद गेटमैन की ओर से जबाब नहीं मिलता तब निम्नांकित कार्य पद्धति अपनाई जायेगी-

1. प्रस्थान सिरे पर स्टेशन मास्टर अपनी ओर से ब्लॉक खण्ड में गाड़ी भेजने से पूर्व लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
2. सावधानता आदेश, लोको पायलट को लगातार सीटी बजाने और गेट पर सावधानीपूर्वक पहुँचने का सुझाव देगा।
3. गाड़ी के लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल देने पर सावधानी पूर्वक समपार फाटक पार करने हेतु निर्देशित किया जायेगा। यदि हाथ सिगनल नहीं दिखाई देता है तो लोको पायलट गेट से पहले रूकने के लिए तैयार रहेगा और अपने सहायक लोको पायलट को फाटक की स्थिति देखने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा। यदि गेट बन्द है तो 'ऑल राइट सिगनल' देगा और यदि गेट नहीं बन्द है तो सहायक लोको पायलट गेट को लोको पायलट गार्ड की सहायता ले सकता है और समपार को अवरोध मुक्त करके सहायक लोको पायलट को लेने के लिए रूकेगा, सड़क यातायात पास होने के लिए गेट को पुनः खोल देगा।
4. आने वाली गाड़ी के प्रकरण में स्टेशन मास्टर प्रस्थान सिरे पर स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबर आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन विफल हो गया है।
5. प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर तब अपनी ओर से ब्लॉक खण्ड में गाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
6. स्टेशन मास्टर, गैंगमैन/पेट्रोलमैन अथवा पहली गाड़ी को लोको पायलट द्वारा गेटमैन को भी सूचना देंगे कि टेलीफोन खराब हो गया है।
7. वह उत्तरदायी एस.एण्ड.टी. स्टाफ को टेलीफोन मरम्मत करने /सुधारने के लिये भी सूचित करेंगे।
8. एस.एण्ड.टी. स्टाफ द्वारा टेलीफोन सुधारने और पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन (कार्य पद्धति) लागू होगा।

4. लिफ्टिंग बैरियर की विफलता:-

1. जब लिफ्टिंग बैरियर की विफलता के कारण गेट बंद न किया जा सकता हो तो गेटमैन तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर ट्रैक को फाउल नहीं करता है।
2. वह तत्काल दिन के समय लाल बैनर फ्लैग और रात के समय लाल फ्लैशिंग बत्ती जिस ओर से गाड़ी आ रही है उस ओर पहले और फिर दूसरी ओर बाद में खम्भे पर लगा देगा।
3. गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध गेट को संरक्षा चैन और पैडलॉक द्वारा सुरक्षित करेगा।
4. गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध सुरक्षित करने के बाद गेटमैन दिन के समय हरी झंडी और रात के समय हरी बत्ती आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को दिखायेगा।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी को सावधानता आदेश जारी करेंगे।

6. वह प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी गाड़ी के लोको पायलट को अपनी ओर से ब्लाक खण्ड में भेजने से पूर्व उसी तरह सावधानता आदेश जारी करने के लिए प्राइवेट नंबर आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे।
7. स्टेशन मास्टर उत्तरदायी मेन्टीनेन्स स्टाफ को लिफ्टिंग बैरियर की शीघ्र मरम्मत करने/सुधारने हेतु सूचित करेंगे।
8. मेन्टीनेन्स स्टाफ द्वारा लिफ्टिंग बैरियर की मरम्मत करने एवं पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।

5. समपार फाटक पर अवरोध:-

1. यदि गेट सड़क वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाये जो ट्रैक को उल्लंघित (फाउल) कर रहा हो अथवा यदि लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग ट्रैक को फाउल कर रहा हो या गेट पर अन्य कोई अवरोध हो तो गेटमैन तत्काल दिन के समय लाल बैनर फ्लैग और रात के समय लाल फ्लैशिंग बत्ती गेट के दोनो ओर इस निमित्त लगे हुए खम्भों पर लगा देगा।
2. गेटमैन इसके बाद तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर को खराबी/अवरोध के बारे में प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा।
3. कार्यरत स्टेशन मास्टर को सुझाव दिया जायेगा कि आगमन/प्रस्थान, सिगनलों को ऑन की स्थिति में कर दें, यदि किसी गाड़ी के लिए ऑफ किये गये हो।
4. यदि 2-3 प्रयास के बाद भी स्टेशन मास्टर द्वारा जवाब नहीं मिलता तो वह पहले गेट का बचाव करेगा और तब टेलीफोन पर सूचना देगा।
5. तब गेटमैन पटाखे और दिन के समय लाल झंडी तथा रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती सहित, गाड़ी आने की दिशा में अतिवेग से जायेगा और गेटमैन की ड्यूटी संबंधी सामान्य अनुदशों के अधीन मद सं.1.5(5) में निर्दिष्ट नियमानुसार गेट का बचाव करेगा।
6. उसके बाद वह दूसरी दिशा से भी गेट का बचाव करेगा।
7. वह सड़क वाहन के विवरण, चालक, मालिक का नाम नोट करेगा तथा स्टेशन मास्टर को देगा जो कि गाड़ी को तब तक नहीं चलायेगा जब तक कि गेटमैन द्वारा यह आश्वस्त न कर दिया जाये कि सड़क यातायात लिफ्टिंग बैरियर ट्रैक को उल्लंघित नहीं कर रहा है।
8. स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले सिरे के स्टेशन मास्टर को भी प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे कि ब्लाक खण्ड में वह अपनी ओर से कोई गाड़ी न भेजे जब तक कि ट्रैक अवरोध से मुक्त न हो जाये।
9. ट्रैक अवरोध से मुक्त हो जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर को तदनुसार सूचित करेगा।
10. यदि गेट क्षतिग्रस्त है, किन्तु अवरोध मुक्त है तब स्टेशन मास्टर सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे कि सावधानी से आगे बढ़ें और गेट सिगनल को ऑन की स्थिति में हरे हाथ सिगनल पर पार करें।
11. गेटमैन संरक्षा चैन एवं पैडलॉक से गेट को सुरक्षित करेगा और यदि गेट पर अवरोध नहीं है तो हरा हाथ सिगनल दिखायेगा।
12. स्टेशन मास्टर उत्तरदायी मेन्टनेन्स स्टाफ को लिफ्टिंग बैरियर की मरम्मत के लिए शीघ्रातिशीघ्र सूचित करेंगे।
13. मेन्टीनेन्स स्टाफ द्वारा खराब लिफ्टिंग बैरियर को सुधारने एवं पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ किया जायेगा।

6. समपार फाटक के समीप ट्रैक पर अवरोध:-

यदि पटरी से टूटने अथवा पेड़ के गिरने, सड़क वाहन द्वारा फाउल किये जाने अथवा डिरेलमेंट जो कि गेटमैन को दिखाई पड़ता हो, अवरोध गेट को फाउल करता हो, तो गेटमैन और स्टेशन मास्टर उपर्युक्त वर्णित मद सं. 5 के अनुसार कार्य पद्धति अपनायेंगे। गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध गेट को बंद रखेगा जब तक कि ट्रैक अवरोध मुक्त न हो जाये।

1. सामान्य :**(1.1) समपार फाटक का वर्णन :**

1.1 मानव युक्त समपार फाटक पर निम्नलिखित विस्तृत विवरण रखे रहना चाहिए:-

S.No.	DESCRIPTION	
01	समपार फाटक की संख्या	426
02	इंजीनियरिंग अथवा ट्रैफिक गेट	इंजीनियरिंग, 'सी' क्लास
03	नियंत्रणाधीन (स्टेशन मास्टर/ खण्ड अभियंता (रेलपथ))	खण्ड अभियंता (रेलपथ)महोबा
04	किमी पर	1260/9-10
05	स्टेशन पर	-
06	स्टेशनऔर.....के बीच	कुलपहाड़- महोबा
07	ब्राड गेज/ मीटर गेज/ नैरोगेज	ब्राड गेज
08	सिंगल लाइन/ डबल लाइन्स/ मल्टीपल लाइन्स	सिंगल लाइन
09	सामान्य स्थिति	बन्द
10	इन्टरलॉकड / नॉन-इन्टरलॉकड	नॉन-इन्टरलॉकड
11	अन्तर्पार्शन के साधन	नहीं
12	गेट सिगनलों का प्रावधान 1. अप 2. डाउन	नहीं नहीं
13	सिगनलिंग व्यवस्था	नहीं
14	संचार के साधन- टेलीफोन/ घंटी आदि।	टेलीफोन. स्टे.मा . महोबा
15	समपार फाटक की चौड़ाई	5.50 मी
16	सड़क का प्रकार (राष्ट्रीय राज मार्ग/प्रान्तीय राजमार्ग/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	पचपहरा-करहरा
18	पक्की/ कच्ची	कच्चा
19	पहुंच मार्ग	कच्चा
20	सड़क की चौड़ाई	5.50 मी
21	रोड क्रॉसिंग कोण (स्क्यू गेट के मामले में)	90°
22	सड़क का ढलान (यदि कोई हो) उत्तर/पूर्व की ओर दक्षिण/पश्चिम की ओर	समतल
23	सड़क की सीधार्ई (सीधा/घुमावदार) उत्तर/पूर्व की ओर दक्षिण/पश्चिम की ओर	सीधा सीधा
24	हाइट गेज का प्रावधान	उपलब्ध है
25	बैरियर का प्रकार	एल.बी.
26	चेक रेलो की लम्बाई	7.50 मी
27	समपार के मध्य सड़क की सतह	पक्का
28	रम्बल स्ट्रिप्स/ स्पीड ब्रेकरों की लम्बाई	6.50 मी, उपलब्ध है
29	सड़क के चिन्ह	उपलब्ध है
30	स्पीड ब्रेकर संकेतक के बोर्ड	उपलब्ध है
31	टी0 वी0 यू0	6048 दि. 20.06.2019
32	यातायात गणना (सेंसस) की आगामी तिथि	20.06.2022
33	पटाखा लगाने के लिए सीमांकन (चिन्ह)	उपलब्ध है
34	कार्य करने वाले गेटमैनों की संख्या	02
35	समीपस्थ रेलवे सहायता (केन्द्र)	महोबा
36	समीपस्थ प्राइवेट चिकित्सकीय सहायता (केन्द्र)	महोबा
37	उपकरणों की सूची उपलब्ध है अथवा नहीं	उपलब्ध है

1.2 फाटक के उपस्कर

01	हाथ सिंगनल बत्ती (तिरंगी)	3
02	हाथ सिंगनल झंडी, हरी	1 छड़ी में लगी हुई
03	हाथ सिंगनल झंडी, लाल	3 छड़ी में लगी हुई
04	बैनर फ्लैग लाल	3
05	लाल बैनर फ्लैग प्रदर्शन हेतु खम्भे	2
06	अतिरिक्त चैन पैडलॉक सहित	2 स्टॉक निशान सहित
07	पटाखे	10 प्लास्टिक केस में
08	गेटलैम्प	2
09	टामी बार/सब्ल	1
10	मोर्टर पेन (तसला/धमेला)	1
11	कुदाल/फावड़ा	1
12	हथौड़ा	1
13	गैती	1
14	झंडियो के लिए डिब्बा	1
15	तेल का पीपा	1
16	पानी का बर्तन / बाल्टी	1
17	मस्टर रोल के लिए कनस्तर	1
18	गेटमैन का अतिरिक्त चश्मा (यदि वह चश्मा लगाता हो)	1
19	गेट पर बाधा होने की दशा में समपार फाटक बचाव करने संबंधी डायग्राम बोर्ड	1
20	टोकरी	1
21	सीटी	1
22	दीवार घड़ी	1

1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख—

उपर्युक्त उपकरणों के साथ में निम्नांकित अभिलेख गेट लॉज में रखे जायेंगे—

01	फाटक का संचालन निर्देश (हिन्दी / अंग्रेजी) में
02	गेटमैन नियम पुस्तक (हिन्दी/अंग्रेजी) में
03	उपकरण एवं पुस्तको की सूची
04	ड्यूटी रोस्टर
05	गेटमैन के रूप में कार्य करने के लिये प्रमाण-पत्र
06	गेटमैन विवरण सम्बंधी बायोडाटा, नेत्र परीक्षा प्रारम्भिक / पुनश्चर्या/पाठ्यक्रम, संरक्षा शिविर आदि के सहित
07	दुर्घटना रजिस्टर
08	समपार फाटक पर अन्तिम सड़क यातायात गणना (सेंसस)का अभिलेख
09	जन शिकायत पुस्तिका
10	निरीक्षण पुस्तिका

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जीएण्डजी)झांसी

वरि.मंडल अभि. (पूर्व) झांसी

1.4 प्रचालन पद्धति:- (विस्तृत कार्यप्रणाली संचालन पद्धति में दी गई है)

1.5 गेटमैन की ड्यूटी :-

1. **सतर्कता:-** गेटमैन सतर्क रहेगा और किसी खतरे की आशंका होते ही त्वरित कार्यवाही हेतु तत्पर रहेगा। फाटक की चाबियाँ उसके निजी अभिरक्षा में रहेगी।
2. **गाड़ी पास होते समय गेटमैन की स्थिति:-**
गाड़ियों के गुजरते समय गेटमैन निम्न निर्दिष्ट रीति में खड़ा रहेगा-
 - (i) गेटमैन आने वाली गाड़ी के सामने मुँह करके गेटलॉज के सामने खड़ा रहेगा।
 - (ii) गेटमैन दिन के समय लाल और हरी झंडी अलग-अलग डंडे पर लपेटी/समेटी हुई क्रमशः दाये और बाये हाथ में पकड़े रहेगा।
 - (iii) गेटमैन रात के समय सफेद प्रकाश युक्त हाथ बत्ती रेलपथ की ओर करके पकड़े रहेगा।
 - (iv) वह अपने गले में एक डोरी लगी हुई सीटी लटकाये रहेगा।
3. **गेटमैन की नियमित ड्यूटी:-**
 - (i) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि लाल बैनर प्लैग/लाल प्लैशिंग बत्ती रेलपथ के एक छोर से दूसरे छोर तक लगी है, जब कभी नॉन इण्टरलॉक गेट खुली हालत में और आपातकाल अथवा अवरोध की स्थिति में अन्य प्रकार के समपार हों।
 - (ii) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि गेटलैम्प और सभी गेट सिगनलों की बत्तियाँ प्रकाशित है तथा सूर्यास्त से सूर्योदय तक जलती रहती हैं।
 - (iii) गेटमैन ड्यूटी रोस्टर के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कड़ाई के साथ करेगा और तब तक गेट नहीं छोड़ेगा जब तक कि रिलीवर न आ जाये तथा कार्यभार ग्रहण न कर लें। यदि आपात स्थिति में गेट छोड़ना ही पड़े तो उसे गेट छोड़ने से पूर्व फाटकों को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके ताला अवश्य लगा देना चाहिए।
 - (iv) सिवाय विशेष अनुदेशों के अधीन जहाँ अन्यथा निर्धारित न हो, वह सभी गुजरती हुई गाड़ियों को ध्यान से देखेगा और गाड़ियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने हेतु तैयार रहेगा।
 - (v) गेटमैन सभी गुजरने वाली गाड़ियों को अत्यन्त सावधानीपूर्वक देखेगा और किसी भी असामान्य स्थिति जैसे गरम धुरा, लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैटरी, अन्य वाहन/वैगन/ट्रेन, बैटरी बॉक्स में लगी हुई आग, लोड का खिसकना, गिरती हुई चीज जैसे-ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक बीम, संरक्षा ब्रेकेट, निर्वात सिलेण्डर या अन्य स्थिति जो संरक्षित गाड़ी संचालन में खतरा पैदा कर सकते हैं उनका तीव्र एवं सावधानी पूर्ण निरीक्षण करेगा।
 - (vi) गेटमैन किसी सिगनल को दुहराने के लिए भी तैयार रहेगा, जो गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी-टाकी या अन्य साधन द्वारा दिया जा सकता है।
 - (vii) यदि लिफ्टिंग बैरियर क्षतिग्रस्त अथवा अव्यस्थित हो तो गेटमैन अतिरिक्त चैन को डिस्क एवं पैडलॉक सहित सड़क यातायात के विरुद्ध फाटक को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग में लायेगा।
 - (viii) गेटमैन समीप के स्टेशन मास्टर, गैगमेट या खण्ड अभियंता/रेलपथ को गेट अथवा उससे संबंधित उपकरण में किसी भी खराबी की सूचना शीघ्रातिशीघ्र देगा।
 - (ix) गेट सिगनल खराब हो जाने की दशा में गेटमैन सिगनल को 'ऑन' स्थिति में रखेगा। यदि आवश्यक हो तो चाहे सिगनल अथवा तार को डिस्कनेक्ट (विनियोजित) ही करना पड़े।
 - (x) जिस गेट के सिगनल खराब हो गये, गेटमैन गाड़ी को देखते ही लिफ्टिंग बैरियर बंद करेगा और ताला लगा देगा तथा गाड़ी को हाथ सिगनल दिखाकर या पायलट करके खराब सिगनल को पार करेगा। ऐसे मामले में अगले स्टेशन पर रिपोर्ट करने के लिये लोकोपायलट को सूचित करेगा।
 - (xi) गेटमैन जब समपार फाटक पर ड्यूटी पर हो तो बैज तथा निर्धारित यूनिफार्म पहनेगा।
 - (xii) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि जब वह ड्यूटी पर है उसके पास सक्षमता प्रमाण पत्र है।
 - (xiii) गेटमैन फाटक संचालन निर्देश के अनुरूप कार्य करेगा और इन अनुदेशों से भलीभाँति अवगत बना रहेगा।
 - (xvi) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि गेट पर आपूर्ति किए गये उपस्कर अच्छी हालत में हैं और तत्काल प्रयोग के लिए तैयार हैं।
 - (xv) गेटमैन देखेगा कि पहिए की कोर (प्लेंज) के लिए पथ (चैनल) साफ रखा गया है।

- (xvi) गेटमैन कच्ची सड़क की ऊपरी सतह को अच्छी तरह से पानी का छिड़काव एवं दरमुस करेगा।
- (xvii) गेटमैन यह देखने के लिए चौकस रहेगा कि सड़क उपयोगकर्ता को गेट बंद होने के कारण कम से कम असुविधा हो।
- (xviii) विद्युतीकृत (इलेक्ट्रीफाइड) खण्ड में गेटमैन यह सावधानीपूर्वक देखेगा कि सड़क वाहन/जानवर जो समपार से पास हो रहे हैं, वे समपार के दोनों ओर लगे हुए ऊँचाई लदान मापी के अन्दर है।
- (xix) गेटमैन व्यक्तियों अथवा पशुओं के अतिचार (ट्रेस पासिंग) को रोकने का हर संभव प्रयास करेगा।

4. गाड़ियों में असामान्य घटना के प्रकरण में कार्यवाही :-

यदि गेटमैन किसी गुजरती हुई गाड़ी में असामान्य वस्तु देखता है तो वह निम्नांकित कार्यवाही करेगा :-

1. वह गुजरती हुई गाड़ी के लोकोपायलट और गार्ड को सचेत करने के लिये दिन में लाल झंडी तथा रात में फ्लैशिंग लाल बत्ती दिखा कर त्वरित कार्यवाही करेगा।
2. ट्रेन पार्टिंग के मामले में गेटमैन रूकने का लाल हाथ सिगनल नहीं दिखायेगा परन्तु ट्रेन पार्टिंग के लिये निर्धारित सिगनल दिन में हरी झंडी और रात में सफेद बत्ती लम्ब रूप में ऊपर एवं नीचे करते हुये हिलायेगा।
3. वह साथ-साथ लोको पायलट तथा गार्ड का ध्यान आकृष्ट करने के लिये लगातार सीटी बजाकर, बोलते समय हाथों की मुद्रा से हाव-भाव अभिव्यक्त करके, ब्रेकवान पर गिट्टी फेंक कर अथवा किसी अन्य साधन द्वारा लोको पायलट तथा गार्ड का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेगा।
4. यदि लोको पायलट और गार्ड ध्यान देने में विफल रहते हैं तो गेटमैन स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिन मैन को, यदि टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है, समुचित कार्यवाही हेतु प्राइवेट नं. के आदान-प्रदान के अन्तर्गत तत्काल सूचित करेगा।

5. समपार फाटक पर आपातकाल में कार्यवाही :-

- i. समपार फाटक पर अवरोध के मामले में गेटमैन, गेट सिगनल, यदि है, को 'ऑन' अवस्था में बनाये रखेगा।
- ii. उसके बाद यदि वह अवरोध हटाने असमर्थ है तो तत्काल स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिन मैन को समपार फाटक पर खराबी/अवरोध के बारे में प्राइवेट न. के आदान प्रदान के अंतर्गत सूचित करेगा। यदि टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।
- iii. यदि स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिन मैन से दो या तीन प्रयासों के बाद भी जबाब नहीं मिलता तो वह पहले फाटक का बचाव करेगा फिर टेलीफोन से सूचना देगा।

क इकहरी लाइन खंड पर -

- (i) गेटमैन दिन के समय एक लाल बैनर फ्लैग तथा रात के समय एक लाल फ्लैशिंग बत्ती अवरोध स्थल से 5 मीटर की दूरी पर इस निमित्त यथोचित लगाये गये खम्भों पर लगा देगा। जिस ओर से पहले गाड़ी आने की संभावना है उस ओर का बचाव वह पहले करेगा।
- (ii) तब वह उसी प्रकार से दूसरी ओर का भी बचाव करेगा।
- (iii) तब गेटमैन फाटक के बचाव के लिये पटाखे, और दिन के समय लाल झंडी एवं रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती के साथ-साथ आगे जायेगा।
- (iv) गेटमैन दिन के समय लाल झंडी एवं रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती दिखाते हुये उस ओर जिधर से गाड़ी आने की संभावना पहले हो ब्रॉड गेज पर 600 मीटर तक जायेगा और लाइन पर एक पटाखा लगा देगा, उसके बाद वह समपार फाटक से ब्रॉड गेज पर 1200 मीटर जायेगा और ट्रैक पर 3 पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन का बचाव करने के बाद वह रास्ते में मध्य स्थित पटाखे को उठाते हुये फाटक पर वापस आ जायेगा।
- (v) उसके बाद वह दूसरी दिशा की ओर लाल हाथ सिगनल दिखाता हुआ आगे जायेगा और उपर्युक्त उप पैरा (iv) में वर्णित नियमानुसार पटाखे लगायेगा और अवरोध स्थल पर वापस लौटते समय रास्ते के मध्य स्थित पटाखे को उठा लेगा।
- (vi) समपार फाटक पर वापस आ जाने के बाद अवरोध को हटाने के लिए कदम उठायेगा।
- (vii) यदि गेटमैन यह देखता अथवा सुनता है कि गाड़ी आने वाली है जबकि वह बचाव करने के रास्ते में ही है तथा निर्धारित दूरी जहां पटाखे लगने हैं, से पहले है तो वह जितनी दूर जा सकता है वहां लाइन पर पटाखे लगा देगा।

(viii) उसके बाद वह लोको पायलट को सचेत करने के लिये आने वाली गाड़ी को दिन में लाल झंडी और रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती बारम्बार हिला कर रोकेगा।

ख. गेटमैन द्वारा की जाने वाली अन्य कार्यवाही –

- i गेटमैन रात के समय दो हाथ सिगनल बत्तियाँ जलायेगा और लाल बत्ती दिखाने/प्रदर्शित करने तथा पैरा 'ए' में वर्णित नियमानुसार लाइन का बचाव करने संबंधी कार्यवाही करेगा।
- ii यदि गेट सड़क वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया हो जो ट्रैक उल्लंघित कर रहा हो अथवा लिफ्टिंगबैरियर या अन्य कोई भाग ट्रैक को उल्लंघित कर रहा हो या समपार फाटक पर कोई अन्य अवरोध हो तो गेटमैन त्वरित कार्यवाही करेगा।
- iii वह सड़क वाहन के सभी विवरण वाहन का नंबर, चालक व मालिक का नाम नोट करेगा और समीपस्थ स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिनमैन अथवा खंड अभियंता (रेलपथ) को विवरण और समपार फाटक पर अवरोध के संबंध में संदेशवाहक अथवा अन्य साधन द्वारा संदेश भेजेगा।

1.6 फाटक पर दृश्यता, फाटक के एप्रोच रोड पर स्पीड ब्रेकर का प्राविधान और फाटक के सेन्सस के सम्बन्ध में आई.आर.पी.डब्ल्यू.एम के पैरा 916, 918 एवं 919 में विवरण दिया गया है।

बिना अन्तर्पार्शित इंजी. समपार फाटक सं. 426 फाटक टेलीफोन सहित एवं सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिये 'बन्द' का संचालन अनुदेश :

1 प्रचालन पद्धति:

1. फाटक बिना अन्तर्पार्शित है।
2. फाटकों की सामान्य स्थिति में सड़क यातायात के लिये बन्द रहता है।
3. फाटकों पर साथ-साथ उठने वाले नाके लगे हैं जिनका परिचालन इंजी. फाटक वाले द्वारा किया जाता है।
4. इस फाटक और स्टेशन मास्टर कार्यालय महोबा के बीच दूर संचार व्यवस्था उपलब्ध है।

2. प्राइवेट नंबर का आदान-प्रदान:-

1. गेटमैन फाटक खोलने के लिए स्टेशन मास्टर से अनुमति लेगा।
2. यदि सड़क यातायात को गुजारने के लिये फाटक खोलना आवश्यक हो तो गेटमैन स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नंबर का आदान-प्रदान करेगा और यह पुष्टि करेगा कि गाड़ी उसके फाटक से पूर्णतया गुजर चुकी है उसके बाद स्टेशन मास्टर, गेटमैन को फाटक खोलने की अनुमति देगा। ऐसी स्थिति में उस ब्लॉक सैक्शन में किसी अन्य गाड़ी को भेजने अथवा लाइन क्लियर देने से पहले स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि समपार फाटक सड़क यातायात के लिये बंद है और गेटमैन से प्राइवेट नंबर के आदान-प्रदान के अन्तर्गत इसका आश्वासन प्राप्त कर लिया गया है।
3. समुचित प्रविष्टि लाल स्याही से ट्रेन सिगनल रजिस्टर, प्राइवेट नंबर बुक और लॉग बुक में स्टेशन मास्टर के द्वारा की जायगी।
4. सड़क यातायात के गुजर जाने के बाद, गेटमैन गेट बन्द कर देगा और प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर को इस बात की पुष्टि करेगा।
5. ब्लॉक सैक्शन में दोबारा किसी गाड़ी को प्रवेश की अनुमति देने से पहले, स्टेशन मास्टर यह अवश्य सुनिश्चित करेगा कि गेटमैन द्वारा गेट बंद कर दिये जाने के प्रमाण के रूप में उससे प्राइवेट नंबर प्राप्त कर लिया गया है।
6. एक बार बन्द किया गया फाटक गाड़ी/गाड़ियों के पास होने पर अथवा गाड़ी संचालन योजना में परिवर्तन किये जाने आदि में स्टेशन मास्टर की अनुमति से सड़क यातायात की निकासी के लिये जैसा आवश्यक हो, गेटमैन द्वारा खोला जा सकता है। स्पष्ट रूप से यह तभी किया जा सकता है जब प्राइवेट नंबरों का आदान-प्रदान नियंत्रक स्टेशन मास्टर से कर लिया गया हो जो सुनिश्चित करेंगे कि समपार की ओर कोई गाड़ी संचालन नहीं है।

3 टेलीफोन संचार विफलता:-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाये अथवा 2-3 प्रयास के बावजूद गेटमैन की ओर से जबाव नहीं मिलता तब निम्नांकित कार्य पद्धति अपनाई जायेगी-

1. प्रस्थान सिरे पर स्टेशन मास्टर अपनी ओर से ब्लाक खण्ड में गाड़ी भेजने से पूर्व लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
2. सावधानता आदेश, लोको पायलट को लगातार सीटी बजाने और गेट पर सावधानीपूर्वक पहुँचने का सुझाव देगा।
3. गाड़ी के लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल देने पर सावधानी पूर्वक समपार फाटक पार करने हेतु निर्देशित किया जायेगा। यदि हाथ सिगनल नहीं दिखाई देता है तो लोको पायलट गेट से पहले रूकने के लिए तैयार रहेगा और अपने सहायक लोको पायलट को फाटक की स्थिति देखने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा। यदि गेट बन्द है तो 'ऑल राइट सिगनल' देगा और यदि गेट नहीं बन्द है तो सहायक लोको पायलट गेट को लोको पायलट गार्ड की सहायता ले सकता है और समपार को अवरोध मुक्त करके सहायक लोको पायलट को लेने के लिए रूकेगा, सड़क यातायात पास होने के लिए गेट को पुनः खोल देगा।
4. आने वाली गाड़ी के प्रकरण में स्टेशन मास्टर प्रस्थान सिरे पर स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबर आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन विफल हो गया है।
5. प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर तब अपनी ओर से ब्लॉक खण्ड में गाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
6. स्टेशन मास्टर, गैंगमैन/पेट्रोलमैन अथवा पहली गाड़ी को लोको पायलट द्वारा गेटमैन को भी सूचना देंगे कि टेलीफोन खराब हो गया है।
7. वह उत्तरदायी एस.एण्ड.टी. स्टाफ को टेलीफोन मरम्मत करने /सुधारने के लिये भी सूचित करेंगे।
8. एस.एण्ड.टी. स्टाफ द्वारा टेलीफोन सुधारने और पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन (कार्य पद्धति) लागू होगा।

4. लिफ्टिंग बैरियर की विफलता:-

1. जब लिफ्टिंग बैरियर की विफलता के कारण गेट बंद न किया जा सकता हो तो गेटमैन तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर ट्रै को फाउल नहीं करता है।
2. वह तत्काल दिन के समय लाल बैनर फ्लैग और रात के समय लाल बत्ती जिस ओर से गाड़ी आ रही है उस ओर पहले और फिर दूसरी ओर बाद में खम्भे पर लगा देगा।
3. गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध गेट को संरक्षा चैन और पैडलॉक द्वारा सुरक्षित करेगा।
4. गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध सुरक्षित करने के बाद गेटमैन दिन के समय हरी झंडी और रात के समय हरी बत्ती आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को दिखायेगा।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
6. वह प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी गाड़ी के लोको पायलट को अपनी ओर से ब्लाक खण्ड में भेजने से पूर्व उसी तरह सावधानता आदेश जारी करने के लिए प्राइवेट नंबर आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे।
7. स्टेशन मास्टर उत्तरदायी मेन्टीनेन्स स्टाफ को लिफ्टिंग बैरियर की शीघ्र मरम्मत करने/सुधारने हेतु सूचित करेंगे।
8. मेन्टीनेन्स स्टाफ द्वारा लिफ्टिंग बैरियर की मरम्मत करने एवं पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।

5. समपार फाटक पर अवरोध:-

1. यदि गेट सड़क वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाये जो ट्रैक को उल्लंघित (फाउल) कर रहा हो अथवा यदि लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग ट्रैक को फाउल कर रहा हो या गेट पर अन्य कोई अवरोध हो तो गेटमैन तत्काल दिन के समय लाल बैनर फ्लैग और रात के समय लाल फ्लैशिंग बत्ती गेट के दोनो ओर इस निमित्त लगे हुए खम्भों पर लगा देगा।
2. गेटमैन इसके बाद तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर को खराबी/अवरोध के बारे में प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अर्न्तगत सूचित करेगा।
3. कार्यरत स्टेशन मास्टर को सुझाव दिया जायेगा कि आगमन/प्रस्थान, सिगनलों को ऑन की स्थिति में कर दें, यदि किसी गाड़ी के लिए ऑफ किये गये हो।
4. यदि 2-3 प्रयास के बाद भी स्टेशन मास्टर द्वारा जवाब नहीं मिलता तो वह पहले गेट का बचाव करेगा और तब टेलीफोन पर सूचना देगा।
5. तब गेटमैन पटाखे और दिन के समय लाल झंडी तथा रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती सहित, गाड़ी आने की दिशा में अतिवेग से जायेगा और गेटमैन की ड्यूटी संबंधी सामान्य अनुदशों के अधीन मद सं.1.5(5) में निर्दिष्ट नियमानुसार गेट का बचाव करेगा
6. उसके बाद वह दूसरी दिशा से भी गेट का बचाव करेगा।
7. वह सड़क वाहन के विवरण, चालक, मालिक का नाम नोट करेगा तथा स्टेशन मास्टर को देगा जो कि गाड़ी को तब तक नहीं चलायेगा जब तक कि गेटमैन द्वारा यह आश्वस्त न कर दिया जाये कि सड़क यातायात लिफ्टिंग बैरियर ट्रैक को उल्लंघित नहीं कर रहा है।
8. स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले सिरे के स्टेशन मास्टर को भी प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अर्न्तगत सूचित करेंगे कि ब्लाक खण्ड में वह अपनी ओर से कोई गाड़ी न भेजे जब तक कि ट्रैक अवरोध से मुक्त न हो जाये।
9. ट्रैक अवरोध से मुक्त हो जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अर्न्तगत स्टेशन मास्टर को तदनुसार सूचित करेगा।
10. यदि गेट क्षतिग्रस्त है, किन्तु अवरोध मुक्त है तब स्टेशन मास्टर सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेगा कि सावधानी से आगे बढ़े और गेट सिगनल को ऑन की स्थिति में हरे हाथ सिगनल पर पार करें।
11. गेटमैन संरक्षा चैन एवं पैडलॉक से गेट को सुरक्षित करेगा और यदि गेट पर अवरोध नहीं है तो हरा हाथ सिगनल दिखायेगा।
12. स्टेशन मास्टर उत्तरदायी मेन्टेनेन्स स्टाफ को लिफ्टिंग बैरियर की मरम्मत के लिए शीघ्रातिशीघ्र सूचित करेंगे।
13. मेन्टीनेन्स स्टाफ द्वारा खराब लिफ्टिंग बैरियर को सुधारने एवं पुनः संयोजन/ फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ किया जायेगा।

6. समपार फाटक के समीप ट्रैक पर अवरोध:-

यदि पटरी से टूटने अथवा पेड़ के गिरने, सड़क वाहन द्वारा फाउल किये जाने अथवा डिरेलमेंट जो कि गेटमैन को दिखाई पड़ता हो, अवरोध गेट को फाउल करता हो, तो गेटमैन और स्टेशन मास्टर उपर्युक्त वर्णित मद सं. 5 के अनुसार कार्य पद्धति अपनायेंगे। गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध गेट को बंद रखेगा जब तक कि ट्रैक अवरोध मुक्त न हो जाये।

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जीएण्डजी)झांसी

वरि. मंडल अभियंता (पूर्व) झांसी

1. सामान्य :

(1.1) समपार फाटक का वर्णन :

1.1 मानव युक्त समपार फाटक पर निम्नलिखित विस्तृत विवरण रखे रहना चाहिए:-

S.No.	DESCRIPTION	
01	समपार फाटक की संख्या	427
02	इंजीनियरिंग अथवा ट्रैफिक गेट	इंजीनियरिंग, 'सी' क्लास
03	नियंत्रणाधीन (स्टेशन मास्टर/खण्ड अभियंता (रेलपथ)	खण्ड अभियंता (रेलपथ)महोबा
04	किमी पर	1262/3-4
05	स्टेशन पर	-
06	स्टेशनऔर.....के बीच	कुलपहाड़- महोबा
07	ब्राड गेज/ मीटर गेज/ नैरोगेज	ब्राड गेज
08	सिंगल लाइन/ डबल लाइन्स/ मल्टीपल लाइन्स	सिंगल लाइन
09	सामान्य स्थिति	बन्द
10	इन्टरलॉकड / नॉन-इन्टरलॉकड	नॉन-इन्टरलॉकड
11	अन्तर्पाशन के साधन	नहीं
12	गेट सिगनलों का प्रावधान 1. अप 2. डाउन	नहीं नहीं
13	सिगनलिंग व्यवस्था	नहीं
14	संचार के साधन- टेलीफोन/ घंटी आदि।	स्टे.मा . टेलीफोन.
15	समपार फाटक की चौड़ाई	5.50 मी
16	सड़क का प्रकार (राष्ट्रीय राज मार्ग/प्रान्तीय राजमार्ग/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	पचपहरा-नत्थूकापूरा
18	पक्की/ कच्ची	पक्का
19	पहुंच मार्ग	पक्का
20	सड़क की चौड़ाई	5.50 मी
21	रोड क्रॉसिंग कोण (स्क्यू गेट के मामले में)	90°
22	सड़क का ढलान (यदि कोई हो) उत्तर/पूर्व की ओर दक्षिण/पश्चिम की ओर	समतल समतल
23	सड़क की सीधार्ई (सीधा/ घुमावदार) उत्तर/पूर्व की ओर दक्षिण/पश्चिम की ओर	सीधा सीधा
24	हाइट गेज का प्रावधान	उपलब्ध है
25	बैरियर का प्रकार	एल.बी.
26	चेक रेलो की लम्बाई	7.50 मी
27	समपार के मध्य सड़क की सतह	पक्का
28	रम्बल स्ट्रिप्स/ स्पीड ब्रेकरों की लम्बाई	उपलब्ध है
29	सड़क के चिन्ह	उपलब्ध है
30	स्पीड ब्रेकर संकेतक के बोर्ड	उपलब्ध है
31	टी0 वी0 यू0	3901 दि. 20.06.2019
32	यातायात गणना (सेंसस) की आगामी तिथि	20.06.2022
33	पटाखा लगाने के लिए सीमांकन (चिन्ह)	उपलब्ध है
34	कार्य करने वाले गेटमैनों की संख्या	02
35	समीपस्थ रेलवे सहायता (केन्द्र)	महोबा
36	समीपस्थ प्राइवेट चिकित्सकीय सहायता (केन्द्र)	महोबा
37	उपकरणों की सूची उपलब्ध है अथवा नहीं	उपलब्ध है

1.2 उपस्कर

01	हाथ सिंगनल बत्ती (तिरंगी)	3
02	हाथ सिंगनल झंडी, हरी	1 छड़ी में लगी हुई
03	हाथ सिंगनल झंडी, लाल	3 छड़ी में लगी हुई
04	बैनर फ्लैग लाल	3
05	लाल बैनर फ्लैग प्रदर्शन हेतु खम्भे	2
06	अतिरिक्त चैन पैडलॉक सहित	2 स्टॉक निशान सहित
07	पटाखे	10 प्लास्टिक केस में
08	गेटलैम्प	2
09	टामी बार/सब्ल	1
10	मोर्टर पेन (तसला/धमेला)	1
11	कुदाल/फावड़ा	1
12	हथौड़ा	1
13	गैती	1
14	झंडियों के लिए डिब्बा	1
15	तेल का पीपा	1
16	पानी का बर्तन/बाल्टी	1
17	मस्टर रोल के लिए कनस्तर	1
18	गेटमैन का अतिरिक्त चश्मा (यदि वह चश्मा लगाता हो)	1
19	गेट पर बाधा होने की दशा में समपार फाटक बचाव करने संबंधी डायग्राम बोर्ड	1
20	टोकरी	1
21	सीटी	1
22	दीवार घड़ी	1

1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख-

उपर्युक्त उपकरणों के साथ में निम्नांकित अभिलेख गेट लॉज में रखे जायेंगे-

01	फाटक का संचालन निर्देश (हिन्दी /अंग्रेजी) में
02	गेटमैन नियम पुस्तक (हिन्दी/अंग्रेजी) में
03	उपकरण एवं पुस्तको की सूची
04	ड्यूटी रोस्टर
05	गेटमैन के रूप में कार्य करने के लिये प्रमाण-पत्र
06	गेटमैन विवरण सम्बंधी बायोडाटा, नेत्र परीक्षा प्रारम्भिक /पुनश्चर्या/पाठ्यक्रम, संरक्षा शिविर आदि के सहित
07	दुर्घटना रजिस्टर
08	समपार फाटक पर अन्तिम सड़क यातायात गणना (सेंसस)का अभिलेख
09	जन शिकायत पुस्तिका
10	निरीक्षण पुस्तिका

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जीएण्डजी)झांसी

वरि.मंडल अभि. (पूर्व) झांसी

- 1.4 प्रचालन पद्धति:-** (विस्तृत कार्यप्रणाली संचालन पद्धति में दी गई है)
- 1.5 गेटमैन की ड्यूटी :-**
- 2. सतर्कता:-**गेटमैन सतर्क रहेगा और किसी खतरे की आशंका होते ही त्वरित कार्यवाही हेतु तत्पर रहेगा। फाटक की चाबियाँ उसके निजी अभिरक्षा में रहेगी।
- 2. गाड़ी पास होते समय गेटमैन की स्थिति:-**
- गाड़ियों के गुजरते समय गेटमैन निम्न निर्दिष्ट रीति में खड़ा रहेगा-
- गेटमैन आने वाली गाड़ी के सामने मुँह करके गेटलॉज के सामने खड़ा रहेगा।
 - गेटमैन दिन के समय लाल और हरी झंडी अलग-अलग डंडे पर लपेटी/समेटी हुई क्रमशः दाये और बाये हाथ में पकड़े रहेगा।
 - गेटमैन रात के समय सफेद प्रकाश युक्त हाथ बत्ती रेलपथ की ओर करके पकड़े रहेगा।
 - वह अपने गले में एक डोरी लगी हुई सीटी लटकाये रहेगा।
- 3. गेटमैन की नियमित ड्यूटी:-**
- गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि लाल बैनर फ्लैग/लाल फ्लैशिंग बत्ती रेलपथ के एक छोर से दूसरे छोर तक लगी है, जब कभी नॉन इण्टरलॉक गेट खुली हालत में और आपातकाल अथवा अवरोध की स्थिति में अन्य प्रकार के समपार हों।
 - गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि गेटलैम्प और सभी गेट सिगनलों की बत्तियाँ प्रकाशित है तथा सूर्यास्त से सूर्योदय तक जलती रहती हैं।
 - गेटमैन ड्यूटी रोस्टर के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कड़ाई के साथ करेगा और तब तक गेट नहीं छोड़ेगा जब तक कि रिलीवर न आ जाये तथा कार्यभार ग्रहण न कर लें। यदि आपात स्थिति में गेट छोड़ना ही पड़े तो उसे गेट छोड़ने से पूर्व फाटकों को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके ताला अवश्य लगा देना चाहिए।
 - सिवाय विशेष अनुदेशों के अधीन जहाँ अन्यथा निर्धारित न हो, वह सभी गुजरती हुई गाड़ियों को ध्यान से देखेगा और गाड़ियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने हेतु तैयार रहेगा।
 - गेटमैन सभी गुजरने वाली गाड़ियों को अत्यन्त सावधानीपूर्वक देखेगा और किसी भी असामान्य स्थिति जैसे गरम धुरा, लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैटरी, अन्य वाहन/वैगन/ट्रेन, बैटरी बॉक्स में लगी हुई आग, लोड का खिसकना, गिरती हुई चीज जैसे- ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक बीम, संरक्षा ब्रैकेट, निर्वात सिलेण्डर या अन्य स्थिति जो संरक्षित गाड़ी संचालन में खतरा पैदा कर सकते हैं उनका तीव्र एवं सावधानी पूर्ण निरीक्षण करेगा।
 - गेटमैन किसी सिगनल को दुहराने के लिए भी तैयार रहेगा, जो गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी-टाकी या अन्य साधन द्वारा दिया जा सकता है।
 - यदि लिफ्टिंग बैरियर क्षतिग्रस्त अथवा अव्यस्थित हो तो गेटमैन अतिरिक्त चैन को डिस्क एवं पैडलॉक सहित सड़क यातायात के विरुद्ध फाटक को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग में लायेगा।
 - गेटमैन समीप के स्टेशन मास्टर, गैगमेट या खण्ड अभियंता/रेलपथ को गेट अथवा उससे संबंधित उपकरण में किसी भी खराबी की सूचना शीघ्रातिशीघ्र देगा।
 - गेटमैन जब समपार फाटक पर ड्यूटी पर हो तो बैज तथा निर्धारित यूनिफार्म पहनेगा।
 - गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि जब वह ड्यूटी पर है उसके पास सक्षमता प्रमाण पत्र है।
 - गेटमैन फाटक संचालन निर्देश के अनुरूप कार्य करेगा और इन अनुदेशों से भलीभाँति अवगत बना रहेगा।
 - गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि गेट पर आपूर्ति किए गये उपस्कर अच्छी हालत में हैं और तत्काल प्रयोग के लिए तैयार हैं।
 - गेटमैन देखेगा कि पहिए की कोर (फ्लेंज) के लिए पथ (चैनल) साफ रखा गया है।
 - गेटमैन कच्ची सड़क की ऊपरी सतह को अच्छी तरह से पानी का छिड़काव एवं दरमुस करेगा।
 - गेटमैन यह देखने के लिए चौकस रहेगा कि सड़क उपयोगकर्ता को गेट बंद होने के कारण कम से कम असुविधा हो।
 - विद्युतीकृत (इलेक्ट्रीफाइड) खण्ड में गेटमैन यह सावधानीपूर्वक देखेगा कि सड़क वाहन/जानवर जो समपार से पास हो रहे हैं, वे समपार के दोनों ओर लगे हुए ऊँचाई लदान मापी के अन्दर है।
 - गेटमैन व्यक्तियों अथवा पशुओं के अतिचार (ट्रेस पासिंग) को रोकने का हर संभव प्रयास करेगा।

4. **गाड़ियों में असामान्य घटना के प्रकरण में कार्यवाही :-**
यदि गेटमैन किसी गुजरती हुई गाड़ी में असामान्य वस्तु देखता है तो वह निम्नांकित कार्यवाही करेगा :-
1. वह गुजरती हुई गाड़ी के लोकोपायलट और गार्ड को सचेत करने के लिये दिन में लाल झंडी तथा रात में फ्लैशिंग लाल बत्ती दिखा कर त्वरित कार्यवाही करेगा।
 2. ट्रेन पार्टिंग के मामले में गेटमैन रूकने का लाल हाथ सिगनल नहीं दिखायेगा परन्तु ट्रेन पार्टिंग के लिये निर्धारित सिगनल दिन में हरी झंडी और रात में सफेद बत्ती लम्ब रूप में ऊपर एवं नीचे करते हुये हिलायेगा।
 3. वह साथ-साथ लोको पायलट तथा गार्ड का ध्यान आकृष्ट करने के लिये लगातार सीटी बजाकर, बोलते समय हाथों की मुद्रा से हाव-भाव अभिव्यक्त करके, ब्रेकवान पर गिट्टी फेंक कर अथवा किसी अन्य साधन द्वारा लोको पायलट तथा गार्ड का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेगा।
 4. यदि लोको पायलट और गार्ड ध्यान देने में विफल रहते हैं तो गेटमैन स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिन मैन को, यदि टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है, समुचित कार्यवाही हेतु प्राइवेट नं. के आदान-प्रदान के अन्तर्गत तत्काल सूचित करेगा।
5. **समपार फाटक पर आपातकाल में कार्यवाही :-**
- i. समपार फाटक पर अवरोध के मामले में गेटमैन, गेट सिगनल, यदि है, को 'ऑन' अवस्था में बनाये रखेगा।
 - ii. उसके बाद यदि वह अवरोध हटाने असमर्थ है तो तत्काल स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिन मैन को समपार फाटक पर खराबी/अवरोध के बारे में प्राइवेट न. के आदान प्रदान के अंतर्गत सूचित करेगा। यदि टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।
 - iii. यदि स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिन मैन से दो या तीन प्रयासों के बाद भी जबाब नहीं मिलता तो वह पहले फाटक का बचाव करेगा फिर टेलीफोन से सूचना देगा।
- क इकहरी लाइन खंड पर -**
- (i) गेटमैन दिन के समय एक लाल बैनर फ्लैग तथा रात के समय एक लाल फ्लैशिंग बत्ती अवरोध स्थल से 5 मीटर की दूरी पर इस निमित्त यथोचित लगाये गये खम्भों पर लगा देगा। जिस ओर से पहले गाड़ी आने की संभावना है उस ओर का बचाव वह पहले करेगा।
 - (ii) तब वह उसी प्रकार से दूसरी ओर का भी बचाव करेगा।
 - (iii) तब गेटमैन फाटक के बचाव के लिये पटाखे, और दिन के समय लाल झंडी एवं रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती के साथ-साथ आगे जायेगा।
 - (iv) गेटमैन दिन के समय लाल झंडी एवं रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती दिखाते हुये उस ओर जिधर से गाड़ी आने की संभावना पहले हो ब्रॉड गेज पर 600 मीटर तक जायेगा और लाइन पर एक पटाखा लगा देगा, उसके बाद वह समपार फाटक से ब्रॉड गेज पर 1200 मीटर जायेगा और ट्रैक पर 3 पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन का बचाव करने के बाद वह रास्ते में मध्य स्थित पटाखे को उठाते हुये फाटक पर वापस आ जायेगा।
 - (v) उसके बाद वह दूसरी दिशा की ओर लाल हाथ सिगनल दिखाता हुआ आगे जायेगा और उपर्युक्त उप पैरा (iv) में वर्णित नियमानुसार पटाखे लगायेगा और अवरोध स्थल पर वापस लौटते समय रास्ते के मध्य स्थित पटाखे को उठा लेगा।
 - (vi) समपार फाटक पर वापस आ जाने के बाद अवरोध को हटाने के लिए कदम उठायेगा।
 - (vii) यदि गेटमैन यह देखता अथवा सुनता है कि गाड़ी आने वाली है जबकि वह बचाव करने के रास्ते में ही है तथा निर्धारित दूरी जहां पटाखे लगने हैं, से पहले है तो वह जितनी दूर जा सकता है वहां लाइन पर पटाखे लगा देगा।
 - (viii) उसके बाद वह लोको पायलट को सचेत करने के लिये आने वाली गाड़ी को दिन में लाल झंडी और रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती बारम्बार हिला कर रोकेगा।

ख. गेटमैन द्वारा की जाने वाली अन्य कार्यवाही –

- i गेटमैन रात के समय दो हाथ सिगनल बत्तियाँ जलायेगा और लाल बत्ती दिखाने/प्रदर्शित करने तथा पैरा 'ए' में वर्णित नियमानुसार लाइन का बचाव करने संबंधी कार्यवाही करेगा।
 - ii यदि गेट सड़क वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया हो जो ट्रैक उल्लंघित कर रहा हो अथवा लिफ्टिंगबैरियर या अन्य कोई भाग ट्रैक को उल्लंघित कर रहा हो या समपार फाटक पर कोई अन्य अवरोध हो तो गेटमैन त्वरित कार्यवाही करेगा।
 - iii वह सड़क वाहन के सभी विवरण वाहन का नंबर, चालक व मालिक का नाम नोट करेगा और समीपस्थ स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिनमैन अथवा खंड अभियंता (रेलपथ) को विवरण और समपार फाटक पर अवरोध के संबंध में संदेशवाहक अथवा अन्य साधन द्वारा संदेश भेजेगा।
- 1.6 फाटक पर दृश्यता, फाटक के एप्रोच रोड पर स्पीड ब्रेकर का प्राविधान और फाटक के सेन्सस के सम्बन्ध में आई. आर.पी.डब्ल्यू.एम के पैरा 916, 918 एवं 919 में विवरण दिया गया है।

बिना अन्तर्पार्शित इंजी. समपार फाटक टेलीफोन सहित एवं सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिये "बन्द" का संचालन अनुदेश :

1 प्रचालन पद्धति:

1. फाटक बिना अन्तर्पार्शित है
2. फाटकों की सामान्य स्थिति में सड़क यातायात के लिये बन्द रहता है।
3. फाटकों पर साथ-साथ उठने वाले नाके लगे हैं जिनका परिचालन इंजी. फाटक वाले द्वारा किया जाता है।
4. इस फाटक और स्टेशन मास्टर कार्यालय महोबा के बीच दूर संचार व्यवस्था उपलब्ध है।

2. प्राइवेट नंबर का आदान-प्रदान:-

1. गेटमैन फाटक खोलने के लिए स्टेशन मास्टर से अनुमति लेगा।
2. यदि सड़क यातायात को गुजारने के लिये फाटक खोलना आवश्यक हो तो गेटमैन स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नंबर का आदान-प्रदान करेगा और यह पुष्टि करेगा कि गाड़ी उसके फाटक से पूर्णतया गुजर चुकी है उसके बाद स्टेशन मास्टर, गेटमैन को फाटक खोलने की अनुमति देगा। ऐसी स्थिति में उस ब्लॉक सैक्शन में किसी अन्य गाड़ी को भेजने अथवा लाइन क्लियर देने से पहले स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि समपार फाटक सड़क यातायात के लिये बंद है और गेटमैन से प्राइवेट नंबर के आदान-प्रदान के अन्तर्गत इसका आश्वासन प्राप्त कर लिया गया है।
3. समुचित प्रविष्टि लाल स्याही से ट्रेन सिगनल रजिस्टर, प्राइवेट नंबर बुक और लॉग बुक में स्टेशन मास्टर के द्वारा की जायेगी।
4. सड़क यातायात के गुजर जाने के बाद, गेटमैन गेट बन्द कर देगा और प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर को इस बात की पुष्टि करेगा।
5. ब्लॉक सैक्शन में दोबारा किसी गाड़ी को प्रवेश की अनुमति देने से पहले, स्टेशन मास्टर यह अवश्य सुनिश्चित करेगा कि गेटमैन द्वारा गेट बंद कर दिये जाने के प्रमाण के रूप में उससे प्राइवेट नंबर प्राप्त कर लिया गया है।
6. एक बार बन्द किया गया फाटक गाड़ी/गाड़ियों के पास होने पर अथवा गाड़ी संचलन योजना में परिवर्तन किये जाने आदि में स्टेशन मास्टर की अनुमति से सड़क यातायात की निकासी के लिये जैसा आवश्यक हो, गेटमैन द्वारा खोला जा सकता है। स्पष्ट रूप से यह तभी किया जा सकता है जब प्राइवेट नंबरों का आदान-प्रदान नियंत्रक स्टेशन मास्टर से कर लिया गया हो जो सुनिश्चित करेंगे कि समपार की ओर कोई गाड़ी संचलन नहीं है।

3 टेलीफोन संचार विफलता:-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाये अथवा 2-3 प्रयास के बावजूद गेटमैन की ओर से जबाब नहीं मिलता तब निम्नांकित कार्य पद्धति अपनाई जायेगी-

1. प्रस्थान सिरे पर स्टेशन मास्टर अपनी ओर से ब्लाक खण्ड में गाड़ी भेजने से पूर्व लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे।

2. सावधानता आदेश, लोको पायलट को लगातार सीटी बजाने और गेट पर सावधानीपूर्वक पहुँचने का सुझाव देगा।
3. गाड़ी के लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल देने पर सावधानी पूर्वक समपार फाटक पार करने हेतु निर्देशित किया जायेगा। यदि हाथ सिगनल नहीं दिखाई देता है तो लोको पायलट गेट से पहले रूकने के लिए तैयार रहेगा और अपने सहायक लोको पायलट को फाटक की स्थिति देखने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा। यदि गेट बन्द है तो 'ऑल राइट सिगनल' देगा और यदि गेट नहीं बन्द है तो सहायक लोको पायलट गेट को लोको पायलट गार्ड की सहायता ले सकता है और समपार को अवरोध मुक्त करके सहायक लोको पायलट को लेने के लिए रूकेगा, सड़क यातायात पास होने के लिए गेट को पुनः खोल देगा।
4. आने वाली गाड़ी के प्रकरण में स्टेशन मास्टर प्रस्थान सिरे पर स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबर आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन विफल हो गया है।
5. प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर तब अपनी ओर से ब्लॉक खण्ड में गाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
6. स्टेशन मास्टर, गैंगमैन/पेट्रोलमैन अथवा पहली गाड़ी को लोको पायलट द्वारा गेटमैन को भी सूचना देंगे कि टेलीफोन खराब हो गया है।
7. वह उत्तरदायी एस.एण्ड.टी. स्टाफ को टेलीफोन मरम्मत करने /सुधारने के लिये भी सूचित करेंगे।
8. एस.एण्ड.टी. स्टाफ द्वारा टेलीफोन सुधारने और पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन (कार्य पद्धति) लागू होगा।
4. **लिफ्टिंग बैरियर की विफलता:-**
 1. जब लिफ्टिंग बैरियर की विफलता के कारण गेट बंद न किया जा सकता हो तो गेटमैन तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर ट्रै को फाउल नहीं करता है।
 2. वह तत्काल दिन के समय लाल बैनर फ्लैग और रात के समय लाल बत्ती जिस ओर से गाड़ी आ रही है उस ओर पहले और फिर दूसरी ओर बाद में खम्भे पर लगा देगा।
 3. गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध गेट को संरक्षा चैन और पैडलॉक द्वारा सुरक्षित करेगा।
 4. गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध सुरक्षित करने के बाद गेटमैन दिन के समय हरी झंडी और रात के समय हरी बत्ती आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को दिखायेगा।
 5. कार्यरत स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
 6. वह प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी गाड़ी के लोको पायलट को अपनी ओर से ब्लाक खण्ड में भेजने से पूर्व उसी तरह सावधानता आदेश जारी करने के लिए प्राइवेट नंबर आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे।
 7. स्टेशन मास्टर उत्तरदायी मेन्टीनेन्स स्टाफ को लिफ्टिंग बैरियर की शीघ्र मरम्मत करने/सुधारने हेतु सूचित करेंगे।
 8. मेन्टीनेन्स स्टाफ द्वारा लिफ्टिंग बैरियर की मरम्मत करने एवं पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।
5. **समपार फाटक पर अवरोध:-**
 1. यदि गेट सड़क वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाये जो ट्रैक को उल्लंघित (फाउल) कर रहा हो अथवा यदि लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग ट्रैक को फाउल कर रहा हो या गेट पर अन्य कोई अवरोध हो तो गेटमैन तत्काल दिन के समय लाल बैनर फ्लैग और रात के समय लाल फ्लैशिंग बत्ती गेट के दोनो ओर इस निमित्त लगे हुए खम्भों पर लगा देगा।
 2. गेटमैन इसके बाद तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर को खराबी/अवरोध के बारे में प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा।
 3. कार्यरत स्टेशन मास्टर को सुझाव दिया जायेगा कि आगमन/प्रस्थान, सिगनलों को ऑन की स्थिति में कर दें, यदि किसी गाड़ी के लिए ऑफ किये गये हो।

4. यदि 2-3 प्रयास के बाद भी स्टेशन मास्टर द्वारा जवाब नहीं मिलता तो वह पहले गेट का बचाव करेगा और तब टेलीफोन पर सूचना देगा।
5. तब गेटमैन पटाखे और दिन के समय लाल झंडी तथा रात के समय लाल पलैशिंग हाथ बत्ती सहित, गाड़ी आने की दिशा में अतिवेग से जायेगा और गेटमैन की ड्यूटी संबंधी सामान्य अनुदशों के अधीन मद सं.1.5(5) में निर्दिष्ट नियमानुसार गेट का बचाव करेगा
6. उसके बाद वह दूसरी दिशा से भी गेट का बचाव करेगा।
7. वह सड़क वाहन के विवरण, चालक, मालिक का नाम नोट करेगा तथा स्टेशन मास्टर को देगा जो कि गाड़ी को तब तक नहीं चलायेगा जब तक कि गेटमैन द्वारा यह आश्वस्त न कर दिया जाये कि सड़क यातायात लिफ्टिंग बैरियर ट्रैक को उल्लंघित नहीं कर रहा है।
8. स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले सिरे के स्टेशन मास्टर को भी प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अर्न्तगत सूचित करेंगे कि ब्लाक खण्ड में वह अपनी ओर से कोई गाड़ी न भेजे जब तक कि ट्रैक अवरोध से मुक्त न हो जाये।
9. ट्रैक अवरोध से मुक्त हो जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अर्न्तगत स्टेशन मास्टर को तदनुसार सूचित करेगा।
10. यदि गेट क्षतिग्रस्त है, किन्तु अवरोध मुक्त है तब स्टेशन मास्टर सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेगा कि सावधानी से आगे बढ़े और गेट सिगनल को ऑन की स्थिति में हरे हाथ सिगनल पर पार करें।
11. गेटमैन संरक्षा चैन एवं पैडलॉक से गेट को सुरक्षित करेगा और यदि गेट पर अवरोध नहीं है तो हरा हाथ सिगनल दिखायेगा।
12. स्टेशन मास्टर उत्तरदायी मेन्टेनेन्स स्टाफ को लिफ्टिंग बैरियर की मरम्मत के लिए शीघ्रातिशीघ्र सूचित करेंगे।
13. मेन्टीनेन्स स्टाफ द्वारा खराब लिफ्टिंग बैरियर को सुधारने एवं पुनः संयोजन/ फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ किया जायेगा।

6. समपार फाटक के समीप ट्रैक पर अवरोध:-

यदि पटरी से टूटने अथवा पेड़ के गिरने, सड़क वाहन द्वारा फाउल किये जाने अथवा डिरेलमेंट जो कि गेटमैन को दिखाई पड़ता हो, अवरोध गेट को फाउल करता हो, तो गेटमैन और स्टेशन मास्टर उपर्युक्त वर्णित मद सं. 5 के अनुसार कार्य पद्धति अपनायेंगे। गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध गेट को बंद रखेगा जब तक कि ट्रैक अवरोध मुक्त न हो जाये।

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जीएण्डजी)झांसी

वरि. मंडल अभियंता (पूर्व) झांसी

1. सामान्य :**(1.1) समपार फाटक का वर्णन :**

1.1 मानव युक्त समपार फाटक पर निम्नलिखित विस्तृत विवरण रखे रहना चाहिए:-

S.No.	DESCRIPTION	
01	समपार फाटक की संख्या	428
02	इंजीनियरिंग अथवा ट्रैफिक गेट	इंजीनियरिंग, 'सी' क्लास
03	नियंत्रणाधीन (स्टेशन मास्टर/ खण्ड अभियंता (रेलपथ)	खण्ड अभियंता (रेलपथ)महोबा
04	किमी पर	1263/9-10
05	स्टेशन पर	-
06	स्टेशनऔर.....के बीच	कुलपहाड़- महोबा
07	ब्राड गेज/ मीटर गेज/ नैरोगेज	ब्राड गेज
08	सिंगल लाइन/ डबल लाइन्स/ मल्टीपल लाइन्स	सिंगल लाइन
09	सामान्य स्थिति	बन्द
10	इन्टरलॉकड / नॉन-इन्टरलॉकड	नॉन-इन्टरलॉकड
11	अन्तर्पाशन के साधन	नहीं
12	गेट सिगनलों का प्रावधान 1. अप 2. डाउन	नहीं नहीं
13	सिगनलिंग व्यवस्था	नहीं
14	संचार के साधन- टेलीफोन/ घंटी आदि।	स्टे.मा. महोबा टेलीफोन.
15	समपार फाटक की चौड़ाई	5.50 मी
16	सड़क का प्रकार (राष्ट्रीय राज मार्ग/प्रान्तीय राजमार्ग/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	चाँदू गाँवरुड
18	पक्की/ कच्ची	पक्का
19	पहुंच मार्ग	पक्का
20	सड़क की चौड़ाई	5.50 मी
21	रोड क्रॉसिंग कोण (स्वयू गेट के मामले में)	90°
22	सड़क का ढलान (यदि कोई हो) उत्तर/पूर्व की ओर दक्षिण/पश्चिम की ओर	1:20 1:20
23	सड़क की सीधार्ई (सीधा/ घुमावदार) उत्तर/पूर्व की ओर दक्षिण/पश्चिम की ओर	सीधा सीधा
24	हाइट गेज का प्रावधान	उपलब्ध है
25	बैरियर का प्रकार	एल.बी.
26	चेक रेलो की लम्बाई	7.50 मी
27	समपार के मध्य सड़क की सतह	पक्का
28	रम्बल स्ट्रिप्स/ स्पीड ब्रेकरों की लम्बाई	उपलब्ध है
29	सड़क के चिन्ह	उपलब्ध है
30	स्पीड ब्रेकर संकेतक के बोर्ड	उपलब्ध है
31	टी0 वी0 यू0	3150 दि. 20.06.2019
32	यातायात गणना (सेंसस) की आगामी तिथि	20.06.2022
33	पटाखा लगाने के लिए सीमांकन (चिन्ह)	उपलब्ध है
34	कार्य करने वाले गेटमैनों की संख्या	02
35	समीपस्थ रेलवे सहायता (केन्द्र)	महोबा
36	समीपस्थ प्राइवेट चिकित्सकीय सहायता (केन्द्र)	महोबा
37	उपकरणों की सूची उपलब्ध है अथवा नहीं	उपलब्ध है

01	हाथ सिंगनल बत्ती (तिरंगी)	3
02	हाथ सिंगनल झंडी, हरी	1 छड़ी में लगी हुई
03	हाथ सिंगनल झंडी, लाल	3 छड़ी में लगी हुई
04	बैनर फ्लैग लाल	3
05	लाल बैनर फ्लैग प्रदर्शन हेतु खम्भे	2
06	अतिरिक्त चैन पैडलॉक सहित	2 स्टॉक निशान सहित
07	पटाखे	10 प्लास्टिक केस में
08	गेटलैम्प	2
09	टामी बार/सब्ल	1
10	मोर्टर पेन (तसला/धमेला)	1
11	कुदाल/फावड़ा	1
12	हथौड़ा	1
13	गैंती	1
14	झंडियों के लिए डिब्बा	1
15	तेल का पीपा	1
16	पानी का बर्तन / बाल्टी	1
17	मस्टर रोल के लिए कनस्तर	1
18	गेटमैन का अतिरिक्त चश्मा (यदि वह चश्मा लगाता हो)	1
19	गेट पर बाधा होने की दशा में समपार फाटक बचाव करने संबंधी डायग्राम बोर्ड	1
20	टोकरी	1
21	सीटी	1
22	दीवाल घड़ी	1

1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख-

उपर्युक्त उपकरणों के साथ में निम्नांकित अभिलेख गेट लॉज में रखे जायेंगे-

01	फाटक का संचालन निर्देश (हिन्दी / अंग्रेजी) में
02	गेटमैन नियम पुस्तक (हिन्दी/अंग्रेजी) में
03	उपकरण एवं पुस्तको की सूची
04	ड्यूटी रोस्टर
05	गेटमैन के रूप में कार्य करने के लिये प्रमाण-पत्र
06	गेटमैन विवरण सम्बंधी बायोडाटा, नेत्र परीक्षा प्रारम्भिक / पुनश्चर्या/पाठ्यक्रम, संरक्षा शिविर आदि के सहित
07	दुर्घटना रजिस्टर
08	समपार फाटक पर अन्तिम सड़क यातायात गणना (सेंसस)का अभिलेख
09	जन शिकायत पुस्तिका
10	निरीक्षण पुस्तिका

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जीएण्डजी)झांसी

वरि.मंडल अभि. (पूर्व) झांसी

1.4 प्रचालन पद्धति:— (विस्तृत कार्यप्रणाली संचालन पद्धति में दी गई है)

1.5 गेटमैन की ड्यूटी :-

1. सतर्कता:—गेटमैन सतर्क रहेगा और किसी खतरे की आशंका होते ही त्वरित कार्यवाही हेतु तत्पर रहेगा। फाटक की चाबियाँ उसके निजी अभिरक्षा में रहेगी।

2. गाड़ी पास होते समय गेटमैन की स्थिति:—

गाड़ियों के गुजरते समय गेटमैन निम्न निर्दिष्ट रीति में खड़ा रहेगा—

(i) गेटमैन आने वाली गाड़ी के सामने मुँह करके गेटलॉज के सामने खड़ा रहेगा।

(ii) गेटमैन दिन के समय लाल और हरी झंडी अलग-अलग डंडे पर लपेटी/समेटी हुई क्रमशः दाये और बाये हाथ में पकड़े रहेगा।

(iii) गेटमैन रात के समय सफेद प्रकाश युक्त हाथ बत्ती रेलपथ की ओर करके पकड़े रहेगा।

(iv) वह अपने गले में एक डोरी लगी हुई सीटी लटकाये रहेगा।

3. गेटमैन की नियमित ड्यूटी:—

(i) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि लाल बैनर फ्लैग/लाल बत्ती रेलपथ के एक छोर से दूसरे छोर तक लगी है, जब कभी नॉन इण्टरलॉक गेट खुली हालत में और आपातकाल अथवा अवरोध की स्थिति में अन्य प्रकार के समपार हों।

(ii) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि गेटलैम्प और सभी गेट सिगनलों की बत्तियाँ प्रकाशित हैं तथा सूर्यास्त से सूर्योदय तक जलती रहती हैं।

(iii) गेटमैन ड्यूटी रोस्टर के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कड़ाई के साथ करेगा और तब तक गेट नहीं छोड़ेगा जब तक कि रिलीवर न आ जाये तथा कार्यभार ग्रहण न कर लें। यदि आपात स्थिति में गेट छोड़ना ही पड़े तो उसे गेट छोड़ने से पूर्व फाटकों को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके ताला अवश्य लगा देना चाहिए।

(iv) सिवाय विशेष अनुदेशों के अधीन जहाँ अन्यथा निर्धारित न हो, वह सभी गुजरती हुई गाड़ियों को ध्यान से देखेगा और गाड़ियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने हेतु तैयार रहेगा।

(v) गेटमैन सभी गुजरने वाली गाड़ियों को अत्यन्त सावधानीपूर्वक देखेगा और किसी भी असामान्य स्थिति जैसे गरम धुरा, लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैटरी, अन्य वाहन/वैगन/ट्रेन, बैटरी बॉक्स में लगी हुई आग, लोड का खिसकना, गिरती हुई चीज जैसे— ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक बीम, संरक्षा ब्रैकेट, निर्वात सिलेण्डर या अन्य स्थिति जो संरक्षित गाड़ी संचालन में खतरा पैदा कर सकते हैं उनका तीव्र एवं सावधानी पूर्ण निरीक्षण करेगा।

(vi) गेटमैन किसी सिगनल को दुहराने के लिए भी तैयार रहेगा, जो गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी-टाकी या अन्य साधन द्वारा दिया जा सकता है।

(vii) यदि लिफ्टिंग बैरियर क्षतिग्रस्त अथवा अव्यस्थित हो तो गेटमैन अतिरिक्त चैन को डिस्क एवं पैडलॉक सहित सड़क यातायात के विरुद्ध फाटक को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग में लायेगा।

(viii) गेटमैन समीप के स्टेशन मास्टर, गैगमेट या खण्ड अभियंता/रेलपथ को गेट अथवा उससे संबंधित उपकरण में किसी भी खराबी की सूचना शीघ्रातिशीघ्र देगा।

(ix) गेटमैन जब समपार फाटक पर ड्यूटी पर हो तो बैज तथा निर्धारित यूनिफार्म पहनेगा।

(x) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि जब वह ड्यूटी पर है उसके पास सक्षमता प्रमाण पत्र है।

(xi) गेटमैन फाटक संचालन निर्देश के अनुरूप कार्य करेगा और इन अनुदेशों से भलीभाँति अवगत बना रहेगा।

(xii) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि गेट पर आपूर्ति किए गये उपस्कर अच्छी हालत में हैं और तत्काल प्रयोग के लिए तैयार हैं।

(xiii) गेटमैन देखेगा कि पहिए की कोर (फ्लेंज) के लिए पथ (चैनल) साफ रखा गया है।

(xiv) गेटमैन कच्ची सड़क की ऊपरी सतह को अच्छी तरह से पानी का छिड़काव एवं दरमुस करेगा।

(xv) गेटमैन यह देखने के लिए चौकस रहेगा कि सड़क उपयोगकर्ता को गेट बंद होने के कारण कम से कम असुविधा हो।

(xvi) विद्युतीकृत (इलेक्ट्रीफाइड) खण्ड में गेटमैन यह सावधानीपूर्वक देखेगा कि सड़क वाहन/जानवर जो समपार से पास हो रहे हैं, वे समपार के दोनों ओर लगे हुए ऊँचाई लदान मापी के अन्दर हैं।

(xvii) गेटमैन व्यक्तियों अथवा पशुओं के अतिचार (ट्रेस पासिंग) को रोकने का हर संभव प्रयास करेगा।

4. गाड़ियों में असामान्य घटना के प्रकरण में कार्यवाही :-

यदि गेटमैन किसी गुजरती हुई गाड़ी में असामान्य वस्तु देखता है तो वह निम्नांकित कार्यवाही करेगा :-

1. वह गुजरती हुई गाड़ी के लोकोपायलट और गार्ड को सचेत करने के लिये दिन में लाल झंडी तथा रात में फ्लैशिंग लाल बत्ती दिखा कर त्वरित कार्यवाही करेगा।
2. ट्रेन पार्टिंग के मामले में गेटमैन रूकने का लाल हाथ सिगनल नहीं दिखायेगा परन्तु ट्रेन पार्टिंग के लिये निर्धारित सिगनल दिन में हरी झंडी और रात में सफेद बत्ती लम्ब रूप में ऊपर एवं नीचे करते हुये हिलायेगा।
3. वह साथ-साथ लोको पायलट तथा गार्ड का ध्यान आकृष्ट करने के लिये लगातार सीटी बजाकर, बोलते समय हाथों की मुद्रा से हाव-भाव अभिव्यक्त करके, ब्रेकवान पर गिट्टी फेंक कर अथवा किसी अन्य साधन द्वारा लोको पायलट तथा गार्ड का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेगा।
4. यदि लोको पायलट और गार्ड ध्यान देने में विफल रहते हैं तो गेटमैन स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिन मैन को, यदि टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है, समुचित कार्यवाही हेतु प्राइवेट नं. के आदान-प्रदान के अन्तर्गत तत्काल सूचित करेगा।

5. समपार फाटक पर आपातकाल में कार्यवाही :-

- i. समपार फाटक पर अवरोध के मामले में गेटमैन, गेट सिगनल, यदि है, को 'ऑन' अवस्था में बनाये रखेगा।
- ii. उसके बाद यदि वह अवरोध हटाने असमर्थ है तो तत्काल स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिन मैन को समपार फाटक पर खराबी/अवरोध के बारे में प्राइवेट न. के आदान प्रदान के अंतर्गत सूचित करेगा। यदि टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।
- iii. यदि स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिन मैन से दो या तीन प्रयासों के बाद भी जबाब नहीं मिलता तो वह पहले फाटक का बचाव करेगा फिर टेलीफोन से सूचना देगा।

क इकहरी लाइन खंड पर -

- (i) गेटमैन दिन के समय एक लाल बैनर फ्लैग तथा रात के समय एक लाल फ्लैशिंग बत्ती अवरोध स्थल से 5 मीटर की दूरी पर इस निमित्त यथोचित लगाये गये खम्भों पर लगा देगा। जिस ओर से पहले गाड़ी आने की संभावना है उस ओर का बचाव वह पहले करेगा।
- (ii) तब वह उसी प्रकार से दूसरी ओर का भी बचाव करेगा।
- (iii) तब गेटमैन फाटक के बचाव के लिये पटाखे, और दिन के समय लाल झंडी एवं रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती के साथ-साथ आगे जायेगा।
- (iv) गेटमैन दिन के समय लाल झंडी एवं रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती दिखाते हुये उस ओर जिधर से गाड़ी आने की संभावना पहले हो ब्रॉड गेज पर 600 मीटर तक जायेगा और लाइन पर एक पटाखा लगा देगा, उसके बाद वह समपार फाटक से ब्रॉड गेज पर 1200 मीटर जायेगा और ट्रैक पर 3 पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन का बचाव करने के बाद वह रास्ते में मध्य स्थित पटाखे को उठाते हुये फाटक पर वापस आ जायेगा।
- (v) उसके बाद वह दूसरी दिशा की ओर लाल हाथ सिगनल दिखाता हुआ आगे जायेगा और उपर्युक्त उप पैरा (iv) में वर्णित नियमानुसार पटाखे लगायेगा और अवरोध स्थल पर वापस लौटते समय रास्ते के मध्य स्थित पटाखे को उठा लेगा।
- (vi) समपार फाटक पर वापस आ जाने के बाद अवरोध को हटाने के लिए कदम उठायेगा।
- (vii) यदि गेटमैन यह देखता अथवा सुनता है कि गाड़ी आने वाली है जबकि वह बचाव करने के रास्ते में ही है तथा निर्धारित दूरी जहां पटाखे लगने हैं, से पहले है तो वह जितनी दूर जा सकता है वहां लाइन पर पटाखे लगा देगा।
- (viii) उसके बाद वह लोको पायलट को सचेत करने के लिये आने वाली गाड़ी को दिन में लाल झंडी और रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती बारम्बार हिला कर रोकेगा।

ख. गेटमैन द्वारा की जाने वाली अन्य कार्यवाही –

- i गेटमैन रात के समय दो हाथ सिगनल बत्तियाँ जलायेगा और लाल बत्ती दिखाने/प्रदर्शित करने तथा पैरा 'ए' में वर्णित नियमानुसार लाइन का बचाव करने संबंधी कार्यवाही करेगा।
 - ii यदि गेट सड़क वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया हो जो ट्रैक उल्लंघित कर रहा हो अथवा लिफ्टिंगबैरियर या अन्य कोई भाग ट्रैक को उल्लंघित कर रहा हो या समपार फाटक पर कोई अन्य अवरोध हो तो गेटमैन त्वरित कार्यवाही करेगा।
 - iii वह सड़क वाहन के सभी विवरण वाहन का नंबर, चालक व मालिक का नाम नोट करेगा और समीपस्थ स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिनमैन अथवा खंड अभियंता (रेलपथ) को विवरण और समपार फाटक पर अवरोध के संबंध में संदेशवाहक अथवा अन्य साधन द्वारा संदेश भेजेगा।
- 1.6 फाटक पर दृश्यता, फाटक के एप्रोच रोड पर स्पीड ब्रेकर का प्राविधान और फाटक के सेन्सस के सम्बन्ध में आई. आर.पी.डब्ल्यू.एम के पैरा 916, 918 एवं 919 में विवरण दिया गया है।

बिना अन्तर्पाशित इंजी. समपार फाटक टेलीफोन सहित एवं सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिये "बन्द" का संचालन अनुदेश :

1 प्रचालन पद्धति:

1. फाटक बिना अन्तर्पाशित है।
2. फाटकों की सामान्य स्थिति में सड़क यातायात के लिये बन्द रहता है।
3. फाटकों पर साथ-साथ उठने वाले नाके लगे है जिनका परिचालन इंजी. फाटक वाले द्वारा किया जाता है।
4. इस फाटक और स्टेशन मास्टर कार्यालय महोबा के बीच दूर संचार व्यवस्था उपलब्ध है।

2. प्राइवेट नंबर का आदान-प्रदान:-

1. गेटमैन फाटक खोलने के लिए स्टेशन मास्टर से अनुमति लेगा।
2. यदि सड़क यातायात को गुजारने के लिये फाटक खोलना आवश्यक हो तो गेटमैन स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नंबर का आदान-प्रदान करेगा और यह पुष्टि करेगा कि गाड़ी उसके फाटक से पूर्णतया गुजर चुकी है उसके बाद स्टेशन मास्टर, गेटमैन को फाटक खोलने की अनुमति देगा। ऐसी स्थिति में उस ब्लॉक सैक्शन में किसी अन्य गाड़ी को भेजने अथवा लाइन क्लियर देने से पहले स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि समपार फाटक सड़क यातायात के लिये बंद है और गेटमैन से प्राइवेट नंबर के आदान-प्रदान के अन्तर्गत इसका आश्वासन प्राप्त कर लिया गया है।
3. समुचित प्रविष्टि लाल स्याही से ट्रेन सिगनल रजिस्टर, प्राइवेट नंबर बुक और लॉग बुक में स्टेशन मास्टर के द्वारा की जायेगी।
4. सड़क यातायात के गुजर जाने के बाद, गेटमैन गेट बन्द कर देगा और प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर को इस बात की पुष्टि करेगा।
5. ब्लॉक सैक्शन में दोबारा किसी गाड़ी को प्रवेश की अनुमति देने से पहले, स्टेशन मास्टर यह अवश्य सुनिश्चित करेगा कि गेटमैन द्वारा गेट बंद कर दिये जाने के प्रमाण के रूप में उससे प्राइवेट नंबर प्राप्त कर लिया गया है।
6. एक बार बन्द किया गया फाटक गाड़ी/गाड़ियों के पास होने पर अथवा गाड़ी संचलन योजना में परिवर्तन किये जाने आदि में स्टेशन मास्टर की अनुमति से सड़क यातायात की निकासी के लिये जैसा आवश्यक हो, गेटमैन द्वारा खोला जा सकता है। स्पष्ट रूप से यह तभी किया जा सकता है जब प्राइवेट नंबरों का आदान-प्रदान नियंत्रक स्टेशन मास्टर से कर लिया गया हो जो सुनिश्चित करेंगे कि समपार की ओर कोई गाड़ी संचलन नहीं है।

3 टेलीफोन संचार विफलता:-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाये अथवा 2-3 प्रयास के बावजूद गेटमैन की ओर से जबाब नहीं मिलता तब निम्नांकित कार्य पद्धति अपनाई जायेगी-

1. प्रस्थान सिरे पर स्टेशन मास्टर अपनी ओर से ब्लाक खण्ड में गाड़ी भेजने से पूर्व लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे।

2. सावधानता आदेश, लोको पायलट को लगातार सीटी बजाने और गेट पर सावधानीपूर्वक पहुँचने का सुझाव देगा।
3. गाड़ी के लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल देने पर सावधानी पूर्वक समपार फाटक पार करने हेतु निर्देशित किया जायेगा। यदि हाथ सिगनल नहीं दिखाई देता है तो लोको पायलट गेट से पहले रुकने के लिए तैयार रहेगा और अपने सहायक लोको पायलट को फाटक की स्थिति देखने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा। यदि गेट बन्द है तो 'ऑल राइट सिगनल' देगा और यदि गेट नहीं बन्द है तो सहायक लोको पायलट गेट को लोको पायलट गार्ड की सहायता ले सकता है और समपार को अवरोध मुक्त करके सहायक लोको पायलट को लेने के लिए रूकेगा, सड़क यातायात पास होने के लिए गेट को पुनः खोल देगा।
4. आने वाली गाड़ी के प्रकरण में स्टेशन मास्टर प्रस्थान सिरे पर स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबर आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन विफल हो गया है।
5. प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर तब अपनी ओर से ब्लॉक खण्ड में गाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
6. स्टेशन मास्टर, गैंगमैन/पेट्रोलमैन अथवा पहली गाड़ी को लोको पायलट द्वारा गेटमैन को भी सूचना देंगे कि टेलीफोन खराब हो गया है।
7. वह उत्तरदायी एस.एण्ड.टी. स्टाफ को टेलीफोन मरम्मत करने /सुधारने के लिये भी सूचित करेंगे।
8. एस.एण्ड.टी. स्टाफ द्वारा टेलीफोन सुधारने और पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन (कार्य पद्धति) लागू होगा।
4. **लिफ्टिंग बैरियर की विफलता:-**
 1. जब लिफ्टिंगबैरियर की विफलता के कारण गेट बंद न किया जा सकता हो तो गेटमैन तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर ट्रै को फाउल नहीं करता है।
 2. वह तत्काल दिन के समय लाल बैनर फ्लैग और रात के समय लाल बत्ती जिस ओर से गाड़ी आ रही है उस ओर पहले और फिर दूसरी ओर बाद में खम्भे पर लगा देगा।
 3. गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध गेट को संरक्षा चैन और पैडलॉक द्वारा सुरक्षित करेगा।
 4. गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध सुरक्षित करने के बाद गेटमैन दिन के समय हरी झंडी और रात के समय हरी बत्ती आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को दिखायेगा।
 5. कार्यरत स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
 6. वह प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी गाड़ी के लोको पायलट को अपनी ओर से ब्लाक खण्ड में भेजने से पूर्व उसी तरह सावधानता आदेश जारी करने के लिए प्राइवेट नंबर आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे।
 7. स्टेशन मास्टर उत्तरदायी मेन्टीनेन्स स्टाफ को लिफ्टिंग बैरियर की शीघ्र मरम्मत करने/सुधारने हेतु सूचित करेंगे।
 8. मेन्टीनेन्स स्टाफ द्वारा लिफ्टिंग बैरियर की मरम्मत करने एवं पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।
5. **समपार फाटक पर अवरोध:-**
 1. यदि गेट सड़क वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाये जो ट्रैक को उल्लंघित (फाउल) कर रहा हो अथवा यदि लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग ट्रैक को फाउल कर रहा हो या गेट पर अन्य कोई अवरोध हो तो गेटमैन तत्काल दिन के समय लाल बैनर फ्लैग और रात के समय लाल फ्लैशिंग बत्ती गेट के दोनो ओर इस निमित्त लगे हुए खम्भों पर लगा देगा।
 2. गेटमैन इसके बाद तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर को खराबी/अवरोध के बारे में प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा।

3. कार्यरत स्टेशन मास्टर को सुझाव दिया जायेगा कि आगमन/प्रस्थान, सिगनलों को ऑन की स्थिति में कर दें, यदि किसी गाड़ी के लिए ऑफ किये गये हो।
4. यदि 2-3 प्रयास के बाद भी स्टेशन मास्टर द्वारा जवाब नहीं मिलता तो वह पहले गेट का बचाव करेगा और तब टेलीफोन पर सूचना देगा।
5. तब गेटमैन पटाखे और दिन के समय लाल झंडी तथा रात के समय लाल हाथ बत्ती सहित, गाड़ी आने की दिशा में अतिवेग से जायेगा और गेटमैन की ड्यूटी संबंधी सामान्य अनुदशों के अधीन मद सं.1.5(5) में निर्दिष्ट नियमानुसार गेट का बचाव करेगा
6. उसके बाद वह दूसरी दिशा से भी गेट का बचाव करेगा।
7. वह सड़क वाहन के विवरण, चालक, मालिक का नाम नोट करेगा तथा स्टेशन मास्टर को देगा जो कि गाड़ी को तब तक नहीं चलायेगा जब तक कि गेटमैन द्वारा यह आश्वस्त न कर दिया जाये कि सड़क यातायात लिफ्टिंग बैरियर ट्रैक को उल्लंघित नहीं कर रहा है।
8. स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले सिरे के स्टेशन मास्टर को भी प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अर्न्तगत सूचित करेंगे कि ब्लाक खण्ड में वह अपनी ओर से कोई गाड़ी न भेजे जब तक कि ट्रैक अवरोध से मुक्त न हो जाये।
9. ट्रैक अवरोध से मुक्त हो जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अर्न्तगत स्टेशन मास्टर को तदनुसार सूचित करेगा।
10. यदि गेट क्षतिग्रस्त है, किन्तु अवरोध मुक्त है तब स्टेशन मास्टर सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेगा कि सावधानी से आगे बढ़े और गेट सिगनल को ऑन की स्थिति में हरे हाथ सिगनल पर पार करें।
11. गेटमैन संरक्षा चैन एवं पैडलॉक से गेट को सुरक्षित करेगा और यदि गेट पर अवरोध नहीं है तो हरा हाथ सिगनल दिखायेगा।
12. स्टेशन मास्टर उत्तरदायी मेन्टेनेन्स स्टाफ को लिफ्टिंग बैरियर की मरम्मत के लिए शीघ्रातिशीघ्र सूचित करेंगे।
13. मेन्टीनेन्स स्टाफ द्वारा खराब लिफ्टिंग बैरियर को सुधारने एवं पुनः संयोजन/ फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ किया जायेगा।

6. समपार फाटक के समीप ट्रैक पर अवरोध:-

यदि पटरी से टूटने अथवा पेड़ के गिरने, सड़क वाहन द्वारा फाउल किये जाने अथवा डिरेलमेंट जो कि गेटमैन को दिखाई पड़ता हो, अवरोध गेट को फाउल करता हो, तो गेटमैन और स्टेशन मास्टर उपर्युक्त वर्णित मद सं. 5 के अनुसार कार्य पद्धति अपनायेंगे। गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध गेट को बंद रखेगा जब तक कि ट्रैक अवरोध मुक्त न हो जाये।

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जीएण्डजी)झांसी

वरि. मंडल अभियंता (पूर्व) झांसी

1. सामान्य :

(1.1) समपार फाटक का वर्णन :

1.1 मानव युक्त समपार फाटक पर निम्नलिखित विस्तृत विवरण रखे रहना चाहिए:-

S.No.	DESCRIPTION	
01	समपार फाटक की संख्या	430
02	इंजीनियरिंग अथवा ट्रैफिक गेट	इंजीनियरिंग, 'सी' क्लास
03	नियंत्रणाधीन (स्टेशन मास्टर/ खण्ड अभियंता (रेलपथ))	खण्ड अभियंता (रेलपथ)महोबा
04	किमी पर	1267/0-1
05	स्टेशन पर	-
06	स्टेशनऔर.....के बीच	महोबा-बरीपुरा
07	ब्राड गेज/ मीटर गेज/ नैरोगेज	ब्राड गेज
08	सिंगल लाइन/ डबल लाइन/ मल्टीपल लाइन	सिंगल लाइन
09	सामान्य स्थिति	खुला
10	इन्टरलॉकड / नॉन-इन्टरलॉकड	नॉन-इन्टरलॉकड
11	अन्तर्पाशन के साधन	नहीं है
12	गेट सिगनलों का प्रावधान 1. अप 2. डाउन	नहीं है नहीं है
13	सिगनलिंग व्यवस्था	नहीं है
14	संचार के साधन- टेलीफोन/ घंटी आदि।	टेलीफोन., स्टे.मा महोबा
15	समपार फाटक की चौड़ाई	5.50 मी
16	सड़क का प्रकार (राष्ट्रीय राज मार्ग/प्रान्तीय राजमार्ग/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	विलेज रोड-बिलवई
18	पक्की/ कच्ची	पक्की
19	पहुंच मार्ग	पक्की
20	सड़क की चौड़ाई	4.0 मी
21	रोड क्रॉसिंग कोण (स्क्यू गेट के मामले में)	90°
22	सड़क का ढलान (यदि कोई हो) उत्तर/पूर्व की ओर दक्षिण/पश्चिम की ओर	1:70 1:50
23	सड़क की सीधाई (सीधा/ घुमावदार) उत्तर/पूर्व की ओर दक्षिण/पश्चिम की ओर	सीधा सीधा
24	हाइट गेज का प्रावधान	उपलब्ध है
25	बैरियर का प्रकार	पी.ओ.एल.बी+ स्लाइडिंग बूम
26	चेक रेलो की लम्बाई	7.50 मी
27	समपार के मध्य सड़क की सतह	पक्की
28	रम्बल स्ट्रिप्स/ स्पीड ब्रेकरों की लम्बाई	उपलब्ध है
29	सड़क के चिन्ह	उपलब्ध है
30	स्पीड ब्रेकर संकेतक के बोर्ड	उपलब्ध है
31	टी0 वी0 यू0	86346 दि. 31.03.2019
32	यातायात गणना (सेंसस) की आगामी तिथि	31.03.2022
33	पटाखा लगाने के लिए सीमांकन (चिन्ह)	उपलब्ध है
34	कार्य करने वाले गेटमैनों की संख्या	02
35	समीपस्थ रेलवे सहायता (केन्द्र)	महोबा
36	समीपस्थ प्राइवेट चिकित्सकीय सहायता (केन्द्र)	महोबा
37	उपकरणों की सूची उपलब्ध है अथवा नहीं	उपलब्ध है

1.2 फाटक के उपस्कर

01	हाथ सिंगनल बत्ती (तिरंगी)	3
02	हाथ सिंगनल झंडी, हरी	1 छड़ी में लगी हुई
03	हाथ सिंगनल झंडी, लाल	3 छड़ी में लगी हुई
04	बैनर पलैंग लाल	3
05	लाल बैनर पलैंग प्रदर्शन हेतु खम्भे	2
06	अतिरिक्त चैन पैडलॉक सहित	2 स्टॉक निशान सहित
07	पटाखे	10 प्लास्टिक केस में
08	गेटलैम्प	2
09	टामी बार/सब्ल	1
10	मोर्टर पेन (तसला/धमेल)	1
11	कुदाल/फावड़ा	1
12	हथौड़ा	1
13	गैंती	1
14	झंडियों के लिए डिब्बा	1
15	तेल का पीपा	1
16	पानी का बर्तन / बाल्टी	1
17	मस्टर रोल के लिए कनस्तर	1
18	गेटमैन का अतिरिक्त चश्मा यदि वह चश्मा लगाता हो	1
19	गेट पर बाधा होने की दशा में समपार फाटक बचाव करने संबंधी डायग्राम बोर्ड	1
20	टोकरी	1
21	सीटी	1
22	दीवार घड़ी	1

1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख:- उपर्युक्त उपकरणों के साथ में निम्नांकित अभिलेख गेट लाज में रखे जायेंगे:-

- 01 फाटक का संचालन निर्देश (हिन्दी/अंग्रेजी) में
- 02 गेटमैन नियम पुस्तक (हिन्दी/अंग्रेजी) में
- 03 उपकरणों एवं पुस्तकों की सूची
- 04 ड्यूटी रोस्टर
- 05 गेटमैन का कार्य करने के लिये प्रमाण-पत्र
- 06 गेटमैन विवरण सम्बंधी बायोडाटा, नेत्रपरीक्षा, प्रारम्भिक/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संरक्षा शिविर आदि के सहित
- 07 दुर्घटना रजिस्टर
- 08 समपार फाटक पर अन्तिम सड़क यातायात गणना (सेंसस) का अभिलेख
- 09 जन शिकायत पुस्तिका
- 10 निरीक्षण पुस्तिका
- 11 एस एण्ड टी रजिस्टर

- 1.4 प्रचालन पद्धति:- (विस्तृत कार्यप्रणाली संचालन पद्धति में दी गई है)
- 1.5 गेटमैन की ड्यूटी :-
2. सतर्कता:- गेटमैन सतर्क रहेगा और किसी खतरे की आशंका होते ही त्वरित कार्यवाही हेतु तत्पर रहेगा। फाटक की चाबियाँ उसके निजी अभिरक्षा में रहेगी।
2. गाड़ी पास होते समय गेटमैन की स्थिति:-
गाड़ियों के गुजरते समय गेटमैन निम्न निर्दिष्ट रीति में खड़ा रहेगा—
- (i) गेटमैन आने वाली गाड़ी के सामने मुँह करके गेटलॉज के सामने खड़ा रहेगा।
- (ii) गेटमैन दिन के समय लाल और हरी झंडी अलग-अलग डंडे पर लपेटी/समेटी हुई क्रमशः दाये और बाये हाथ में पकड़े रहेगा।
- (iii) गेटमैन रात के समय सफेद प्रकाश युक्त हाथ बत्ती रेलपथ की ओर करके पकड़े रहेगा।
- (iv) वह अपने गले में एक डोरी लगी हुई सीटी लटकाये रहेगा।
3. गेटमैन की नियमित ड्यूटी:-
- (i) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि लाल बैनर प्लैग/प्लैशिंग लाल बत्ती रेलपथ के एक छोर से दूसरे छोर तक लगी है, जब कभी नॉन इण्टरलॉक गेट खुली हालत में और आपातकाल अथवा अवरोध की स्थिति में अन्य प्रकार के समपार हों।
- (ii) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि गेटलैम्प और सभी गेट सिगनलों की बत्तियाँ प्रकाशित हैं तथा सूर्यास्त से सूर्योदय तक जलती रहती हैं।
- (iii) गेटमैन ड्यूटी रोस्टर के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कड़ाई के साथ करेगा और तब तक गेट नहीं छोड़ेगा जब तक कि रिलीवर न आ जाये तथा कार्यभार ग्रहण न कर लें। यदि आपात स्थिति में गेट छोड़ना ही पड़े तो उसे गेट छोड़ने से पूर्व फाटकों को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके ताला अवश्य लगा देना चाहिए।
- (iv) सिवाय विशेष अनुदेशों के अधीन जहाँ अन्यथा निर्धारित न हो, वह सभी गुजरती हुई गाड़ियों को ध्यान से देखेगा और गाड़ियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने हेतु तैयार रहेगा।
- (v) गेटमैन सभी गुजरने वाली गाड़ियों को अत्यन्त सावधानीपूर्वक देखेगा और किसी भी असामान्य स्थिति जैसे गरम धुरा, लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैटरी, अन्य वाहन/वेगन/ट्रेन, बैटरी बॉक्स में लगी हुई आग, लोड का खिसकना, गिरती हुई चीज जैसे— ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक बीम, संरक्षा ब्रेकेट, निर्वात सिलेण्डर या अन्य स्थिति जो संरक्षित गाड़ी संचालन में खतरा पैदा कर सकते हैं उनका तीव्र एवं सावधानी पूर्ण निरीक्षण करेगा।
- (vi) गेटमैन किसी सिगनल को दुहराने के लिए भी तैयार रहेगा, जो गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी-टाकी या अन्य साधन द्वारा दिया जा सकता है।
- (vii) यदि लिफ्टिंगबैरियर क्षतिग्रस्त अथवा अव्यस्थित हो तो गेटमैन अतिरिक्त चैन को डिस्क एवं पैडलॉक सहित सड़क यातायात के विरुद्ध फाटक को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग में लायेगा।
- (viii) गेटमैन समीप के स्टेशन मास्टर, गैगमेट या खण्ड अभियंता/रेलपथ को गेट अथवा उससे संबंधित उपकरण में किसी भी खराबी की सूचना शीघ्रताशीघ्र देगा।
- (ix) गेट सिगनल खराब हो जाने की दशा में गेटमैन सिगनल को 'ऑन' स्थिति में रखेगा। यदि आवश्यक हो तो चाहे सिगनल अथवा तार को डिस्कनेक्ट (विनियोजित) ही करना पड़े।
- (x) जिस गेट के सिगनल खराब हो गये, गेटमैन गाड़ी को देखते ही लिफ्टिंग बैरियर बंद करेगा और ताला लगा देगा तथा गाड़ी को हाथ सिगनल दिखाकर या पायलट करके खराब सिगनल को पार करेगा। ऐसे मामले में अगले स्टेशन पर रिपोर्ट करने के लिये लोकोपायलट को सूचित करेगा।
- (xi) गेटमैन जब समपार फाटक पर ड्यूटी पर हो तो बैज तथा निर्धारित यूनिफार्म पहनेगा।
- (xii) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि जब वह ड्यूटी पर है उसके पास सक्षमता प्रमाण पत्र है।
- (xiii) गेटमैन फाटक संचालन निर्देश के अनुरूप कार्य करेगा और इन अनुदेशों से भलीभाँति अवगत बना रहेगा।
- (xiv) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि गेट पर आपूर्ति किए गये उपस्कर अच्छी हालत में हैं और तत्काल प्रयोग के लिए तैयार हैं।
- (xv) गेटमैन देखेगा कि पहिए की कोर (फ्लेंज) के लिए पथ (चैनल) साफ रखा गया है।
- (xvi) गेटमैन कच्ची सड़क की ऊपरी सतह को अच्छी तरह से पानी का छिड़काव एवं दुरमुस करेगा।
- (xvii) गेटमैन यह देखने के लिए चौकस रहेगा कि सड़क उपयोगकर्ताओं को गेट बंद होने के कारण कम से कम असुविधा हो।

वरि. मं. परि. प्रबं.(जीएण्डजी) झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

वरि.मंडलअभियंता(पूर्व)झांसी

(xviii) विद्युतीकृत (इलेक्ट्रीफाइड) खण्ड में गेटमैन यह सावधानीपूर्वक देखेगा कि सड़क वाहन/जानवर जो समपार से पास हो रहे हैं, वे समपार के दोनों ओर लगे हुए ऊँचाई लदान मापी के अन्दर हैं।

(xix) गेटमैन व्यक्तियों अथवा पशुओं के अतिचार (ट्रेस पासिंग) को रोकने का हर संभव प्रयास करेगा।

4. गाड़ियों में असामान्य घटना के प्रकरण में कार्यवाही :-

यदि गेटमैन किसी गुजरती हुई गाड़ी में असामान्य वस्तु देखता है तो वह निम्नांकित कार्यवाही करेगा :-

1. वह गुजरती हुई गाड़ी के लोकोपायलट और गार्ड को सचेत करने के लिये दिन में लाल झंडी तथा रात में फ्लैशिंग लाल बत्ती दिखा कर त्वरित कार्यवाही करेगा।
2. ट्रेन पार्टिंग के मामले में गेटमैन रुकने का लाल हाथ सिगनल नहीं दिखायेगा परन्तु ट्रेन पार्टिंग के लिये निर्धारित सिगनल दिन में हरी झंडी और रात में सफेद बत्ती लम्ब रूप में ऊपर एवं नीचे करते हुये हिलायेगा।
3. वह साथ-साथ लोको पायलट तथा गार्ड का ध्यान आकृष्ट करने के लिये लगातार सीटी बजाकर, बोलते समय हाथों की मुद्रा से हाव-भाव अभिव्यक्त करके, ब्रेकवान पर गिट्टी फेंक कर अथवा किसी अन्य साधन द्वारा लोको पायलट तथा गार्ड का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेगा।
4. यदि लोको पायलट और गार्ड ध्यान देने में विफल रहते हैं तो गेटमैन स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिन मैन को, यदि टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है, समुचित कार्यवाही हेतु प्राइवेट नं. के आदान-प्रदान के अन्तर्गत तत्काल सूचित करेगा।

5. समपार फाटक पर आपातकाल में कार्यवाही :-

- i. समपार फाटक पर अवरोध के मामले में गेटमैन, गेट सिगनल, यदि है, को 'ऑन' अवस्था में बनाये रखेगा।
- ii. उसके बाद यदि वह अवरोध हटाने असमर्थ है तो तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिन मैन को समपार फाटक पर खराबी/अवरोध के बारे में प्राइवेट नं. के आदान प्रदान के अंतर्गत सूचित करेगा। यदि टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।
- iii. यदि स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिन मैन से दो या तीन प्रयासों के बाद भी जबाब नहीं मिलता तो वह पहले फाटक का बचाव करेगा फिर टेलीफोन से सूचना देगा।

क इकहरी लाइन खंड पर -

- (i) गेटमैन दिन के समय एक लाल बैनर फ्लैग तथा रात के समय एक लाल फ्लैशिंग बत्ती अवरोध स्थल से 5 मीटर की दूरी पर इस निमित्त यथोचित लगाये गये खम्भों पर लगा देगा। जिस ओर से पहले गाड़ी आने की संभावना है उस ओर का बचाव वह पहले करेगा।
- (ii) तब वह उसी प्रकार से दूसरी ओर का भी बचाव करेगा।
- (iii) तब गेटमैन फाटक के बचाव के लिये पटाखे, और दिन के समय लाल झंडी एवं रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती के साथ-साथ आगे जायेगा।
- (iv) गेटमैन दिन के समय लाल झंडी एवं रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती दिखाते हुये उस ओर जिधर से गाड़ी आने की संभावना पहले हो ब्रॉड गेज पर 600 मीटर तक जायेगा और लाइन पर एक पटाखा लगा देगा, उसके बाद वह समपार फाटक से ब्रॉड गेज पर 1200 मीटर जायेगा और ट्रैक पर 3 पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन का बचाव करने के बाद वह रास्ते में मध्य स्थित पटाखे को उठाते हुये फाटक पर वापस आ जायेगा।
- (v) उसके बाद वह दूसरी दिशा की ओर लाल हाथ सिगनल दिखाता हुआ आगे जायेगा और उपर्युक्त उप पैरा (पअ) में वर्णित नियमानुसार पटाखे लगायेगा और अवरोध स्थल पर वापस लौटते समय रास्ते के मध्य स्थित पटाखे को उठा लेगा।
- (vi) समपार फाटक पर वापस आ जाने के बाद अवरोध को हटाने के लिए कदम उठायेगा।
- (vii) यदि गेटमैन यह देखता अथवा सुनता है कि गाड़ी आने वाली है जबकि वह बचाव करने के रास्ते में ही है तथा निर्धारित दूरी जहां पटाखे लगने हैं, से पहले है तो वह जितनी दूर जा सकता है वहां लाइन पर पटाखे लगा देगा।
- (viii) उसके बाद वह लोको पायलट को सचेत करने के लिये आने वाली गाड़ी को दिन में लाल झंडी और रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती बारम्बार हिला कर रोकेगा।

नोट:- ऐसे समपार फाटक जो स्टेशन के सबसे बाहरी सिगनलों के मध्य स्थित हैं वह गेट ऊपर दिये पैरा (iv) में वर्णित पटाखा लगाने के नियम से मुक्त है।

ख. गेटमैन द्वारा की जाने वाली अन्य कार्यवाही –

- गेटमैन रात के समय दो हाथ सिगनल बत्तियाँ जलायेगा और लाल बत्ती दिखाने/प्रदर्शित करने तथा पैरा 'ए' में वर्णित नियमानुसार लाइन का बचाव करने संबंधी कार्यवाही करेगा।
 - यदि गेट सड़क वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया हो जो ट्रैक उल्लंघित कर रहा हो अथवा लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई भाग ट्रैक को उल्लंघित कर रहा हो या समपार फाटक पर कोई अन्य अवरोध हो तो गेटमैन त्वरित कार्यवाही करेगा।
 - वह सड़क वाहन के सभी विवरण वाहन का नंबर, चालक व मालिक का नाम नोट करेगा और समीपस्थ स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिनमैन अथवा खंड अभियंता (रेलपथ) को विवरण और समपार फाटक पर अवरोध के संबंध में संदेशवाहक अथवा अन्य साधन द्वारा संदेश भेजेगा।
- 1.7 फाटक पर दृश्यता, फाटक के एप्रोच रोड पर स्पीड ब्रेकर का प्रावधान और फाटक के सेन्सस के सम्बन्ध में आई.आर. पी. डब्ल्यू.एम के पैरा 916, 918 एवं 919 में विवरण दिया गया है।

इंजीनियरिंग समपार फाटक, गेट सिगनल के द्वारा इण्टरलॉक, टेलीफोन उपलब्ध एवं सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिये "खुला" का संचालन अनुदेश

1. ए गेट को संचालित करने के नियम:-

(i) गेट को संचालित करने के नियम:-

- समपार फाटक पर विद्युत संचालित बैरियर लगाया गया है।
- समपार फाटक को खोलने के लिये 60सेकन्ड का विलम्बित समय दिया गया है।
- सिगनल के संचालन के लिये गेट पैनल पर रोटरी स्विच दिया गया है।
- गेट को सिगनलो द्वारा संरक्षित किया जाता है, जो कि एक पैनल द्वारा गेट गुमटी से संचालित है। गेट बंद करने के उपरांत सिगनल का ऑफ संकेत अप लाइन के लिये बटन जी-4 (गेट पैनल से स्टेशन मास्टर महोबा के लिये कन्ट्रोल) के लिये बटन ई. एस से कंट्रोल किया गया है।

पुश बटनो का विवरण नीचे दिया गया है:-

बटन न.	विवरण
ई.एस	गेट पैनल से स्टेशन मास्टर महोबा के लिये कन्ट्रोल (स्विच)
जी-4	अप गेट सिगनल (स्विच)
एस डब्ल्यू	बैरियर स्विच खोलने/ बंद करने के लिये
रोड सिगनल स्विच	एन/आर (आर स्थिति में आपातकाल में रोड सिगनल को 'ऑन' करने हेतु)

2- गेट को बंद करने एवं सिगनलो को "ऑफ"की विधि: -

- प्रत्येक गाड़ी को ब्लॉक खंड में प्रवेश देने से पहले कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी चलाने के लिये टेलीफोन पर गेट मैन को गेट को बंद करने के लिये कहेगा।
- स्टेशन मास्टर से टेलीफोन द्वारा गाड़ी के सम्बंध में सूचना प्राप्त होने पर गेटमैन गेट बैरियर को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद करेगा। हूटर बजने लगेगा। जैसे ही दोनों अप एवं डाउन बूम पूरी तरह से बंद हो जायेंगे तो हूटर बंद हो जायेगा। गेट बंद होने के पश्चात् गेटमैन गेट बैरियर स्विच एस.डब्ल्यू को रिवर्स (आर) पर कर देगा जिससे गेट संकेत पैनल पर गेट बंद एवं तालित संकेत आ जायेगा। गेट बंद एवं तालित संकेत सुनिश्चित करने के बाद गेटमैन सम्बन्धित गेट सिगनल को 'ऑफ' करने के लिये स्विच ई.एस (गेट पैनल से स्टेशन मास्टर महोबा के लिये कन्ट्रोल) या जी-4 (जैसी भी स्थिति हो) को घुमायेगा।

1. बी. प्रचालन की प्रक्रिया: जब समपार फाटक सड़क यातायात पारगमन के लिये खोला जाना आवश्यक हो तो गेटमैन स्टेशन मास्टर की अनुमति से फाटक को खोलेगा।

- यह फाटक अन्तर्पार्शित (इंटरलॉकड) है और उठने वाले नाकों से विद्युत संचालित पैनल द्वारा संचालित है।

निम्नलिखित बटन एवं संकेत इस पैनल पर दिये हुये है :-

- हरा बटन – गेट बैरियर खोलने के लिये।
- लाल बटन – गेट बैरियर बंद के लिये।
- हरा संकेत – गेट का खुला होने का संकेत।
- लाल संकेत – गेट का बंद होने का संकेत।
- विद्युत 'ऑन' / ऑफ चाबी।

- ए. गेट की सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिये खुली है, जो कि कंट्रोल पैनल पर हरी लाइट के द्वारा संकेत मिलता है।
- बी. इस गेट तथा स्टेशन मास्टर महोबा के मध्य दूरसंचार व्यवस्था उपलब्ध है।
- सी. जब कभी अप या डाउन गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के लिए सिगनल ऑफ करने के लिए लेविल क्रॉसिंग गेट को पार करने की आवश्यकता हो, 'ऑन' ड्यूटी स्टे. मास्टर 'ऑन' ड्यूटी गेटमैन को सड़क यातायात के विरुद्ध बैरियर बंद करने के लिए निर्देश देगा।
- डी. उपरोक्त निर्देशों को प्राप्त करके, गेटमैन कंट्रोल पैनल पर दिये हुये लाल बटन को दबाकर लिफ्टिंग बैरियर को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद करेगा। गेट को बंद किये जाते समय विद्युतीय हूटर लगातार बजेगा और जैसे ही गेटबूम पूरी तरह से बंद हो जायेगा वैसे ही हूटर बजना बंद हो जायेगा और पैनल पर लाल संकेत प्राप्त होगा। लिफ्टिंग बैरियर बंद होने के पश्चात् गेटमैन टेलीफोन द्वारा स्टेशन मास्टर को यथास्थिति सूचित करेगा।
- ई. गाड़ी के गुजर जाने के पश्चात् गेटमैन सभी सिगनलों को स्विक के द्वारा सामान्य स्थिति में करके 'ऑन' स्थिति में करेगा और इसके पश्चात् गेट खोलेगा।

क्रैंक हैण्डल का आपातकालीन अवस्था में प्रयोग:-

लिफ्टिंग बैरियर की खराबी के कारण अथवा पावर सप्लाइ फेल होने के कारण जब लिफ्टिंग बैरियर का संचालन न हो सके, तब गेट पर रखी गई क्रैंक हैण्डल एवं चाबी के द्वारा हस्तचलित संचालन किया जायेगा। गेटमैन के द्वारा गेट बैरियर के संचालन हेतु क्रैंक हैण्डल बॉक्स में लगी सील को तोड़कर चाबी एवं क्रैंक हैण्डल निकालेगा तथा गेट की ओर जाने वाली गाड़ी से सम्बंधित सभी सिगनलों को "ऑन" की स्थिति में रखा जायेगा। गेट खोलने/बंद करने के लिये बूम पर लगी मोटर के खाचे में क्रैंक हैण्डल लगाया जायेगा तथा बूम स्टाफ में चाबी लगाकर उसे अनलॉक किया जायेगा इसी प्रकार की कार्यवाही दूसरी बूम पर भी की जायेगी। बैरियर की खराबी होने पर एवं क्रैंक हैण्डल के द्वारा संचालन करने पर सम्बंधित एस एण्ड टी स्टाफ को तुरंत सूचना दी जायेगी सामान्य कार्यप्रणाली चालू होने के पश्चात् एस एण्ड टी स्टाफ द्वारा बॉक्स को पुनः सील किया जायेगा।

टिप्पणी:-

- लिफ्टिंग बैरियर की खराबी एवं क्रैंक हैण्डल के उपयोग के बाद एसएण्डटी स्टाफ द्वारा इसे रीसील किया जायेगा जब सामान्य संचालन शुरू हो जायेगा।
- कार्यरत स्टेशन प्रबन्धक एसएण्डटी स्टाफ को गेट को सुधारने के लिए तुरन्त सूचित करेंगे।
- सामान्य वर्किंग एसएण्डटी स्टाफ द्वारा गेट को सुधारने के बाद रिकनेक्शन/फिट मेमो देने पर चालू किया जायेगा।

बी. स्लाइडिंग बूम की कार्य प्रणाली :

स्लाइडिंग बूम के द्वारा गेट को बंद करने की विधि :

गेट पर दोनों तरफ पावर ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर के साथ एक अतिरिक्त स्लाइडिंग बूम दिया गया है। प्रत्येक स्लाइडिंग बूम वर्तमान में दिये पावर ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर के समानान्तर होता है एवं इस प्रकार से लगा होता है कि स्लाइडिंग बूम का पूरा भाग सड़क से दूर होता है अर्थात् समपार फाटक की ओर आने वाली सड़क की तरफ स्लाइडिंग बूम का कोई भी हिस्सा नहीं होता है। स्लाइडिंग बूम का उपयोग आपातकाल में किया जाता है अर्थात् जब पावर ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर क्षतिग्रस्त हो जाये या किसी कारण से बंद होने का संकेत नहीं मिले। यह स्लाइडिंग बूम सामान्यतः अपने खम्भे पर तालित होते हैं। बूम स्टैंड पर ताले की चाबी उपलब्ध होती है।

निम्नलिखित परिस्थितियों में स्लाइडिंग बूम का उपयोग किया जायेगा :-

- ए. जब खोलने या बंद करने के दौरान गेट बैरियर क्षतिग्रस्त हो जाये या खुली स्थिति में हो तब स्लाइडिंग बूम का उपयोग करेंगे।
- बी. जब कभी खोलने या बंद करने के दौरान गेट बैरियर क्षतिग्रस्त हो जाये या खुली स्थिति में रह जाये तो गेटमैन तुरंत नियंत्रक स्टेशन मास्टर को बतायेगा जो क्षतिग्रस्त लिफ्टिंग गेट या बैरियर को सही करने या बदलने हेतु एस एण्ड टी स्टाफ को बतायेगा।
- सी. जब किसी कारण से गेट बंद संकेत न आये :-
गेटमैन नियंत्रक स्टेशनमास्टर से अनुदेश मिलने के बाद गेट पर दिये हुये रोड स्विक को रिवर्स स्थिति में कर देगा जिससे कि रोड सिगनल खतरे की स्थिति में आ जायेगा और साथ ही साथ स्लाइडिंग बूम को बंद करने लगेगा यह सब करते समय वह 'ए' साइड के स्लाइडिंग बूम को उसके स्टैंड पर दिये हुये हैण्डल के द्वारा खींचके बंद करेगा इसके बाद वह 'एक्स' चिन्ह द्वारा चिन्हित चाबी बूम स्टैंड लॉक में लगायेगा और लॉक करेगा इससे 'वाई' चिन्ह द्वारा चिन्हित चाबी रिलीज होगी इसके बाद वह 'बी' साइड में जायेगा और हैण्डल द्वारा खींचकर स्लाइडिंग बूम को बंद करेगा और 'एक्स' चिन्ह द्वारा चिन्हित चाबी बूम स्टैंड लॉक में लगायेगा और लॉक करेगा और साथ ही साथ 'बी' साइड में 'वाई' चिन्ह वाली चाबी को 'वाई' चिन्ह वाले लॉक में लगाकर क्लॉक वाइज़ घुमायेगा और लॉक करेगा। 'बी' साइड में दोनों चाबी को लॉक करने के पश्चात् 'जेड' चिन्ह वाली तीसरी चाबी रिलीज होगी। तब गेटमैन चाबी को निकालकर गेटलॉज पर स्थित टी-2/के.एल.सी.आर में लगाकर घुमायेगा ऐसा करने के पश्चात् बैरियर स्विक को रिवर्स स्थिति में करेगा जिससे गेट कंट्रोल रिले एक्टिव हो जायेगी। गेट लॉज में के.एल.सी.आर लॉक में 'जेड चाबी' लगाने से पहले गेटमैन दोनों तरफ के खींचे हुये स्लाइडिंग बूम में स्टॉप बोर्ड लगायेगा।

टिप्पणी : ए) स्लाइडिंग बूम के संचालन के समय गेटमैन गेटलॉज पर दिये आर.एस.आर स्विच को घुमाकर रोड सिगनल को लाल स्थिति में कर देगा और स्लाइडिंग बूम पूरी तरह से बंद हो जाने के पश्चात् रोड सिगनल स्वतः ही लाल स्थिति में लॉक हो जायेंगे।

बी. जब गेट स्लाइडिंग बूम द्वारा सुरक्षित हो गया हो और बंद संकेत मिल गया हो तो गेट की ओर आने वाले ट्रेन संचालन को नियंत्रित करने वाले सिगनल को उसकी सामान्य स्थिति (सावधान) में ऑफ किया जा सकता है।

स्लाइडिंग बूम के द्वारा गेट को खोलने की विधि :

गेट से गाड़ी गुजर जाने के पश्चात् सड़क यातायात की निकासी हेतु स्लाइडिंग बूम को खोलने के लिये गेटमैन कार्यरत स्टेशनमास्टर से अनुमति लेगा। स्टेशन मास्टर से आज्ञा मिलने के पश्चात् गेटमैन गेट बैरियर स्विच को सामान्य स्थिति में कर देगा जिससे गेट सिगनल खतरे की स्थिति में आ जायेंगे और टी 2लॉक/के एल सी आर से 'जेड' चाबी निकालेगा और स्लाइडिंग बूम के 'जेड' लॉक में लगायेगा और स्लाइडिंग बूम बंद करने वाली विधि को विपरीत तरह से करेगा और सड़क यातायात को निकालेगा। इसके बाद वह रोड स्विच को सामान्य स्थिति में करके सड़क यातायात को निकालेगा और रोड सिगनल को सामान्य स्थिति में करेगा।

सड़क यातायात सिगनल :-

समपार फाटक के दोनो तरफ सड़क यातायात उपयोगकर्ताओं के लिये नालाकार खम्भे पर सिगनल उपलब्ध कराये गये हैं जो कि ऐसी जगह लगाये गये हैं कि आने वाले वाहनों को पर्याप्त दूरी से दिखायी दे जाये। रोड ट्रैफिक सिगनल निम्नलिखित संकेत दिखायेंगे।

4. स्थिर लाल संकेत बताता है कि रोड बैरियर की स्थिति बंद है।
5. स्थिर पीला संकेत बताता है कि रोड बैरियर की स्थिति खुली है।
6. गेटमैन सड़क यातायात सिगनल को गेटलॉज पर दिये हुये स्विच का उपयोग करके यदि आवश्यकता हो तो लाल संकेत में बदल सकता है।

हुटर:-प्रत्येक बैरियर के पास खम्भे पर हुटर लगा हुआ है और रोड ट्रैफिक सिगनल के सहयोजन में कार्य करता है। यह हुटर सड़क यातायात उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देने के लिये लगा हुआ है जब बैरियर बंद होता है तब यह बजता है। बैरियर बंद होने के पश्चात् यह बजना बंद हो जाता है।

2 गेटमैन को सूचना:-

- 1 स्टेशन मास्टर अपने सिरे से सम्बद्ध टेलीफोन के माध्यम से गेटमैन को समपार फाटक की ओर जाने वाली गाड़ियों के संचालन के बारे में सूचना देगा।
- 2 यदि टेलीफोन स्टेशन के गाड़ी रिसीव करने वाले सिरे से सम्बद्ध है तो यह सूचना स्टेशन मास्टर द्वारा गेटमैन को दी जाएगी, जैसे ही वह गाड़ी भेजने वाले स्टेशन से खण्ड में गाड़ी प्रवेश करने की सूचना प्राप्त करता है।
- 3 यदि गाड़ी का वास्तविक रनिंग टाइम खण्ड के दूसरी ओर से 10 मिनट से कम है तो स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर प्राप्त/स्वीकृत करने से पूर्व यह सूचना गेटमैन को देंगे।
- 4 यह गेटमैन का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि फाटक समय से बंद कर दिया गया है जिससे गाड़ी का विलम्बन न हो और न ही सड़क यातायात का अधिक विलम्बन हो।

3 दूरभाष संचार की विफलता:- यदि दूरभाष संचार विफल हो जाय अथवा 2-3 प्रयास के बाद भी गेटमैन की ओर से कोई जबाब नहीं मिलता तो निम्नांकित कार्य पद्धति अपनाई जायेगी-

- i यदि स्टेशन के प्रस्थान सिरे से सम्बद्ध गेट टेलीफोन खराब हो जाता है तो स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेगा।
- ii स्टेशन मास्टर लोको पायलट को फाटक पर पहुँचते समय लगातार सीटी बजाने और सावधानी पूर्वक गेट पर पहुँचने हेतु सुझाव देगा।
- iii यदि गेट सिगनल 'ऑन' है तो वह गेट सिगनल से पहले रुकेगा और साधारण नियम 3.73 के अधीन वर्णित कार्य पद्धति को अनुसरण करेगा।
- iv आने वाली गाड़ी के प्रकरण में स्टेशन मास्टर प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबरों के आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे कि गेट पर टेलीफोन खराब हो गया है।
- v प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर अपनी ओर से ब्लॉक खण्ड में गाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
- vi स्टेशन मास्टर, गैंगमैन/पेट्रोलमैन/लोकोपायलट के माध्यम से भी गेटमैन को सूचित करेंगे कि टेलीफोन खराब हो गया है।

(1) समपार फाटक 432 का वर्णन :

1.1 मानव युक्त समपार फाटक पर निम्नलिखित विस्तृत विवरण रखे रहना चाहिए:-

01	समपार फाटक की संख्या	432
02	इंजीनियरिंग अथवा ट्रैफिक गेट	इंजीनियरिंग 'बी' क्लास
03	नियंत्रणाधीन (स्टेशन मास्टर/ खण्ड अभियंता (रेलपथ)	खण्ड अभियंता (रेलपथ) महोबा
04	स्थिति (जगह) किमी पर	1272/8-.9
05	स्टेशन पर	-
06	स्टेशनऔर.....के बीच	महोबा-कबरई
07	ब्राड गेज/ मीटर गेज/ नैरोगेज	ब्राड गेज
08	सिंगल लाइन/ डबल लाइन्स/ मल्टीपल लाइन्स	सिंगल लाइन
09	सामान्य स्थिति	खुला
10	इन्टरलॉकड / नॉनइन्टरलॉकड	इन्टरलॉकड
11	अन्तर्पार्शन के साधन	गेट सिगनल के साथ इन्टरलॉकड
12	गेट सिगनलों का प्रावधान i. अप लाइन ii. डाउन लाइन	i. 3जी एफ किमी. 1273/2 ii.1जी एफ किमी. 1272/6
13	सिगनलिंग व्यवस्था	कलर लाइट सिगनल
14	संचार के साधन- टेलीफोन/ घंटी आदि।	टेलीफोन स्टे.मा.महोबा
15	समपार फाटक की चौड़ाई	5.80 मीटर
16	सड़क का प्रकार (राष्ट्रीय राज मार्ग/प्रान्तीय राजमार्ग/अन्य)	राष्ट्रीय राज मार्ग-76
17	सड़क का नाम	झाँसी- मिर्जापुर
18	पक्की/ कच्ची	पक्का
19	पहुंच मार्ग	पक्का
20	सड़क की चौड़ाई	5.80 मी
21	रोड क्रॉसिंग का कोण (स्क्यू गेट के मामले में)	60°
22	सड़क का ढलान (यदि कोई हो) उत्तर/पूर्व की ओर दक्षिण/पश्चिम की ओर	1:80 1:100
23	सड़क की सीधाई (सीधा/ घुमावदार) उत्तर/पूर्व की ओर दक्षिण/पश्चिम की ओर	घुमावदार घुमावदार
24	हाइट गेज का प्रावधान	उपलब्ध है
25	बैरियर का प्रकार	पी.ओ.एल.बी.+स्लाइडिंग बूम
26	चेक रेलो की लम्बाई	12.90 मी
27	समपार के मध्य सड़क की सतह	पक्का
28	रम्बल स्ट्रिप्स/ स्पीड ब्रेकरों की लम्बाई	8.0 मी, उपलब्ध है
29	सड़क के चिन्ह	उपलब्ध है
30	स्पीड ब्रेकर संकेतक के बोर्ड	उपलब्ध है
31	टी0 वी0 यू0..... दिनांक	275620 दि.23.08.16
32	यातायात गणना (सेंसस) की आगामी तिथि	23.08.19
33	पटाखा लगाने के लिए सीमांकन (चिन्ह)	उपलब्ध है
34	कार्य करने वाले गेटमैनों की संख्या	03
35	समीपस्थ रेलवे चिकित्सकीय सहायता (केन्द्र)	महोबा
36	समीपस्थ प्राइवेट चिकित्सकीय सहायता (केन्द्र)	महोबा
37	उपकरणों की सूची उपलब्ध है अथवा नहीं	उपलब्ध है

वरि. मं. परि. प्रबं.(जीएण्डजी) झांसी

वरि. मं.सि.एवंदूर.सं.अभि.(ब्रान्च लाइन)झांसी

वरि.मंडलअभियंता(पूर्व)झांसी

1.2 फाटक के उपस्कर

01	हाथ सिंगनल बत्ती (तिरंगी)	3
02	हाथ सिंगनल झंडी, हरी	1 छड़ी में लगी हुई
03	हाथ सिंगनल झंडी, लाल	3 छड़ी में लगी हुई
04	बैनर फ्लैग लाल	3
05	लाल बैनर फ्लैग प्रदर्शन हेतु खम्भे	2
06	अतिरिक्त चैन पैडलॉक सहित	2 स्टॉक निशान सहित
07	पटाखे	10 प्लास्टिक केस में
08	गेटलैम्प	2
09	टॉमी बार/सब्ल	1
10	मोर्टर पेन (तसला/धमेला)	1
11	कुदाल/फावड़ा	1
12	हथौड़ा	1
13	गैंती	1
14	झंडियों के लिए डिब्बा	1
15	तेल का पीपा	1
16	पानी का बर्तन / बाल्टी	1
17	मस्टर रोल के लिए कनस्तर	1
18	गेटमैन का अतिरिक्त चश्मा (यदि वह चश्मा लगाता हो)	1
19	गेट पर बाधा होने की दशा में समपार फाटक बचाव करने संबंधी डायग्राम बोर्ड	1
20	टोकरी	1
21	सीटी	1
22	दीवार घड़ी	1

1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख-

उपर्युक्त उपकरणों के साथ में निम्नांकित अभिलेख गेट लाज में रखे जायेंगे-

01	फाटक का संचालन निर्देश (हिन्दी / अंग्रेजी) में
02	गेटमैन नियम पुस्तक (हिन्दी/अंग्रेजी) में
03	उपकरण एवं पुस्तकों की सूची
04	ड्यूटी रोस्टर
05	गेटमैन के रूप में कार्य करने के लिये प्रमाण-पत्र
06	गेटमैन विवरण सम्बंधी बायोडाटा, नेत्र परीक्षा प्रारम्भिक / पुनश्चर्या/पाठ्यक्रम, संरक्षा शिविर आदि के सहित
07	दुर्घटना रजिस्टर
08	समपार फाटक पर अन्तिम सड़क यातायात गणना (सेंसस)का अभिलेख
09	जन शिकायत पुस्तिका
10	निरीक्षण पुस्तिका
11	एस एण्ड टी रजिस्टर

वरि. मं. परि. प्रबं.(जीएण्डजी) झांसी

वरि. मं.सि.एवंदूर.सं.अभि.(ब्रान्च लाइन)झांसी

वरि.मंडलअभियंता(पूर्व)झांसी

1.4 प्रचालन पद्धति:- (विस्तृत कार्यप्रणाली संचालन पद्धति में दी गई है)

1.5 गेटमैन की ड्यूटी :-

1. सतर्कता:-गेटमैन सतर्क रहेगा और किसी खतरे की आशंका होते ही त्वरित कार्यवाही हेतु तत्पर रहेगा। फाटक की चाबियाँ उसके निजी अभिरक्षा में रहेगी।

2. गाड़ी पास होते समय गेटमैन की स्थिति:-

गाड़ियों के गुजरते समय गेटमैन निम्न निर्दिष्ट रीति में खड़ा रहेगा-

(i) गेटमैन आने वाली गाड़ी के सामने मुँह करके गेटलॉज के सामने खड़ा रहेगा।

(ii) गेटमैन दिन के समय लाल और हरी झंडी अलग-अलग डंडे पर लपेटी/समेटी हुई क्रमशः दाये और बाये हाथ में पकड़े रहेगा।

(iii) गेटमैन रात के समय सफेद प्रकाश युक्त हाथ बत्ती रेलपथ की ओर करके पकड़े रहेगा।

(iv) वह अपने गले में एक डोरी लगी हुई सीटी लटकाये रहेगा।

3. गेटमैन की नियमित ड्यूटी:-

(i) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि लाल बैनर फ्लैग/लाल बत्ती रेलपथ के एक छोर से दूसरे छोर तक लगी है, जब कभी नॉन इण्टरलॉक गेट खुली हालत में और आपातकाल अथवा अवरोध की स्थिति में अन्य प्रकार के समपार हों।

(ii) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि गेटलैम्प और सभी गेट सिगनलों की बत्तियाँ प्रकाशित हैं तथा सूर्यास्त से सूर्योदय तक जलती रहती हैं।

(iii) गेटमैन ड्यूटी रोस्टर के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कड़ाई के साथ करेगा और तब तक गेट नहीं छोड़ेगा जब तक कि रिलीवर न आ जाये तथा कार्यभार ग्रहण न कर लें। यदि आपात स्थिति में गेट छोड़ना ही पड़े तो उसे गेट छोड़ने से पूर्व फाटकों को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके ताला अवश्य लगा देना चाहिए।

(iv) सिवाय विशेष अनुदेशों के अधीन जहाँ अन्यथा निर्धारित न हो, वह सभी गुजरती हुई गाड़ियों को ध्यान से देखेगा और गाड़ियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने हेतु तैयार रहेगा।

(v) गेटमैन सभी गुजरने वाली गाड़ियों को अत्यन्त सावधानीपूर्वक देखेगा और किसी भी असामान्य स्थिति जैसे गरम धुरा, लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैटरी, अन्य वाहन/वैगन/ट्रेन, बैटरी बॉक्स में लगी हुई आग, लोड का खिसकना, गिरती हुई चीज जैसे- ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक बीम, संरक्षा ब्रैकेट, निर्वात सिलेण्डर या अन्य स्थिति जो संरक्षित गाड़ी संचालन में खतरा पैदा कर सकते हैं उनका तीव्र एवं सावधानी पूर्ण निरीक्षण करेगा।

(vi) गेटमैन किसी सिगनल को दुहराने के लिए भी तैयार रहेगा, जो गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी-टाकी या अन्य साधन द्वारा दिया जा सकता है।

(vii) यदि लिफ्टिंगबैरियर क्षतिग्रस्त अथवा अव्यस्थित हो तो गेटमैन अतिरिक्त चैन को डिस्क एवं पैडलॉक सहित सड़क यातायात के विरुद्ध फाटक को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग में लायेगा।

(viii) गेटमैन समीप के स्टेशन मास्टर, गैंगमेट या खण्ड अभियंता/रेलपथ को गेट अथवा उससे संबंधित उपकरण में किसी भी खराबी की सूचना शीघ्रतापूर्वक देगा।

(ix) गेट सिगनल खराब हो जाने की दशा में गेटमैन सिगनल को 'ऑन' स्थिति में रखेगा। यदि आवश्यक हो तो चाहे सिगनल अथवा तार को डिस्कनेक्ट (विनियोजित) ही करना पड़े।

(x) जिस गेट के सिगनल खराब हो गये, गेटमैन गाड़ी को देखते ही लिफ्टिंग बैरियर बंद करेगा और ताला लगा देगा तथा गाड़ी को हाथ सिगनल दिखाकर या पायलट करके खराब सिगनल को पार करेगा। ऐसे मामले में अगले स्टेशन पर रिपोर्ट करने के लिये लोकोपायलट को सूचित करेगा।

वरि. मं. परि. प्रबं.(जीएण्डजी) झांसी

वरि. मं.सि.एवंदूर.सं.अभि.(ब्रान्च लाइन)झांसी

वरि.मंडलअभियंता(पूर्व)झांसी

- (xi) गेटमैन जब समपार फाटक पर ड्यूटी पर हो तो बैज तथा निर्धारित यूनिफार्म पहनेगा।
- (xii) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि जब वह ड्यूटी पर है उसके पास सक्षमता प्रमाण पत्र है।
- (xiii) गेटमैन फाटक संचालन निर्देश के अनुरूप कार्य करेगा और इन अनुदेशों से भलीभाँति अवगत बना रहेगा।
- (xiv) गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि गेट पर आपूर्ति किए गये उपस्कर अच्छी हालत में हैं और तत्काल प्रयोग के लिए तैयार हैं।
- (xv) गेटमैन देखेगा कि पहिए की कोर (प्लेंज) के लिए पथ (चैनल) साफ रखा गया है।
- (xvi) गेटमैन कच्ची सड़क की ऊपरी सतह को अच्छी तरह से पानी का छिड़काव एवं दरमुस करेगा।
- (xvii) गेटमैन यह देखने के लिए चौकस रहेगा कि सड़क उपयोगकर्ता को गेट बंद होने के कारण कम से कम असुविधा हो।
- (xviii) गेटमैन व्यक्तियों अथवा पशुओं के अतिचार (ट्रेस पार्सिंग) को रोकने का हर संभव प्रयास करेगा।

4. गाड़ियों में असामान्य घटना के प्रकरण में कार्यवाही :-

यदि गेटमैन किसी गुजरती हुई गाड़ी में असामान्य वस्तु देखता है तो वह निम्नांकित कार्यवाही करेगा :-

1. वह गुजरती हुई गाड़ी के लोकोपायलट और गार्ड को सचेत करने के लिये दिन में लाल झंडी तथा रात में फ्लैशिंग लाल बत्ती दिखा कर त्वरित कार्यवाही करेगा।
 2. ट्रेन पार्टिंग के मामले में गेटमैन रुकने का लाल हाथ सिगनल नहीं दिखायेगा परन्तु ट्रेन पार्टिंग के लिये निर्धारित सिगनल दिन में हरी झंडी और रात में सफेद बत्ती लम्ब रूप में ऊपर एवं नीचे करते हुये हिलायेगा।
 3. वह साथ-साथ लोको पायलट तथा गार्ड का ध्यान आकृष्ट करने के लिये लगातार सीटी बजाकर, बोलते समय हाथों की मुद्रा से हाव-भाव अभिव्यक्त करके, ब्रेकवान पर गिट्टी फेंक कर अथवा किसी अन्य साधन द्वारा लोको पायलट तथा गार्ड का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेगा।
 4. यदि लोको पायलट और गार्ड ध्यान देने में विफल रहते हैं तो गेटमैन स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिन मैन को, यदि टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है, समुचित कार्यवाही हेतु प्राइवेट नं. के आदान-प्रदान के अन्तर्गत तत्काल सूचित करेगा।
- 5. समपार फाटक पर आपातकाल में कार्यवाही :-**
- i. समपार फाटक पर अवरोध के मामले में गेटमैन, गेट सिगनल, यदि है, को 'ऑन' अवस्था में बनाये रखेगा।
 - ii. उसके बाद यदि वह अवरोध हटाने असमर्थ है तो तत्काल स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिन मैन को समपार फाटक पर खराबी/अवरोध के बारे में प्राइवेट न. के आदान प्रदान के अंतर्गत सूचित करेगा। यदि टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।
 - iii. यदि स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिन मैन से दो या तीन प्रयासों के बाद भी जबाब नहीं मिलता तो वह पहले फाटक का बचाव करेगा फिर टेलीफोन से सूचना देगा।

क इकहरी लाइन खंड पर -

- (i) गेटमैन दिन के समय एक लाल बैनर फ्लैग तथा रात के समय एक लाल फ्लैशिंग बत्ती अवरोध स्थल से 5 मीटर की दूरी पर इस निमित्त यथोचित लगाये गये खम्भों पर लगा देगा। जिस ओर से पहले गाड़ी आने की संभावना है उस ओर का बचाव वह पहले करेगा।
- (ii) तब वह उसी प्रकार से दूसरी ओर का भी बचाव करेगा।
- (iii) तब गेटमैन फाटक के बचाव के लिये पटाखे, और दिन के समय लाल झंडी एवं रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती के साथ-साथ आगे जायेगा।
- (iv) गेटमैन दिन के समय लाल झंडी एवं रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती दिखाते हुये उस ओर जिधर से गाड़ी आने की संभावना पहले हो ब्रॉड गेज पर 600 मीटर तक जायेगा और लाइन पर एक पटाखा लगा देगा, उसके बाद वह समपार फाटक से ब्रॉड गेज पर 1200 मीटर जायेगा और ट्रैक पर 3 पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन का बचाव करने के बाद वह रास्ते में मध्य स्थित पटाखे को उठाते हुये फाटक पर वापस आ जायेगा।

- (v) उसके बाद वह दूसरी दिशा की ओर लाल हाथ सिगनल दिखाता हुआ आगे जायेगा और उपर्युक्त उप पैरा (iv) में वर्णित नियमानुसार पटाखे लगायेगा और अवरोध स्थल पर वापस लौटते समय रास्ते के मध्य स्थित पटाखे को उठा लेगा।
- (vi) समपार फाटक पर वापस आ जाने के बाद अवरोध को हटाने के लिए कदम उठायेगा।
- (vii) यदि गेटमैन यह देखता अथवा सुनता है कि गाड़ी आने वाली है जबकि वह बचाव करने के रास्ते में ही है तथा निर्धारित दूरी जहां पटाखे लगने हैं, से पहले है तो वह जितनी दूर जा सकता है वहां लाइन पर पटाखे लगा देगा।
- (viii) उसके बाद वह लोको पायलट को सचेत करने के लिये आने वाली गाड़ी को दिन में लाल झंडी और रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती बारम्बार हिला कर रोकेगा।

ख. गेटमैन द्वारा की जाने वाली अन्य कार्यवाही –

- i गेटमैन रात के समय दो हाथ सिगनल बत्तियाँ जलायेगा और लाल बत्ती दिखाने/प्रदर्शित करने तथा पैरा 'ए' में वर्णित नियमानुसार लाइन का बचाव करने संबंधी कार्यवाही करेगा।
- ii यदि गेट सड़क वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया हो जो ट्रैक उल्लंघित कर रहा हो अथवा लिफ्टिंगबैरियर या अन्य कोई भाग ट्रैक को उल्लंघित कर रहा हो या समपार फाटक पर कोई अन्य अवरोध हो तो गेटमैन त्वरित कार्यवाही करेगा।
- iii वह सड़क वाहन के सभी विवरण वाहन का नंबर, चालक व मालिक का नाम नोट करेगा और समीपस्थ स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर/केबिनमैन अथवा खंड अभियंता (रेलपथ) को विवरण और समपार फाटक पर अवरोध के संबंध में संदेशवाहक अथवा अन्य साधन द्वारा संदेश भेजेगा।
- 1.8 फाटक पर दृश्यता, फाटक के एप्रोच रोड पर स्पीड ब्रेकर का प्राविधान और फाटक के सेन्सस के सम्बन्ध में आई.आर.पी. डब्ल्यू.एम के पैरा 916, 918 एवं 919 में विवरण दिया गया है।

अन्तर्पार्शित इंजी. समपार फाटक सिगनलों द्वारा सज्जित तथा टेलीफोन सहित एवं सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिये "खुला" का संचालन अनुदेश

1. प्रचालन की प्रक्रिया:-

- 1 यह गेट इण्टरलॉकड है और इस पर विद्युत संचालित लिफ्टिंग बैरियर उपलब्ध है। निम्नलिखित बटन एवं संकेत इस गेट के पैनल पर दिये हुये हैं :-
- ए. हरा बटन – गेट बैरियर खोलने के लिये
बी. लाल बटन – गेट बैरियर बंद के लिये
सी. हरा संकेत – गेट खुला होने का संकेत
डी. लाल संकेत – गेट बंद होने का संकेत
ई. पीला संकेत – पावर ऑन संकेत
- 2 लिफ्टिंग बैरियर की सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिये खुली है, इसे कंट्रोल पैनल पर हरी रोशनी से दर्शाया गया है।
3. गेट और स्टेशन मास्टर महोबा के बीच टेलीफोन कम्युनिकेशन उपलब्ध है।
4. अप और डाउन गेट सिगनल को नियंत्रित करने के लिये गेट लॉज पर ग्राउण्ड फ्रेम लीवर उपलब्ध है-
- ए. डाउन गेट सिगनल लीवर नंबर -1 जी एफ
बी. अप गेट सिगनल लीवर नंबर- 3 जी.एफ
सी. अप/डाउन गेट सिगनल लॉक लीवर नंबर -2जी.एफ
डी. गेट सिगनल लॉक लीवर नंबर- जब गेट खुला हो तब रिवर्स स्थिति में 2 जी.एफ

- 5 जब कभी अप या डाउन गाड़ी को लेवल क्रॉसिंग गेट से होते हुये आगमन/प्रस्थान के लिए सिगनल 'ऑफ' करने की आवश्यकता हो, तब ड्यूटी पर उपस्थित स्टे. मास्टर, ड्यूटी पर उपस्थित गेटमैन को सड़क यातायात के विरुद्ध गेट बैरियर बंद करने के लिए निर्देश देगा।
6. उपर्युक्त निर्देशो के प्राप्ति के पश्चात्, गेटमैन गेट पैनल के लाल बटन को तब तक दबायेगा जब तक कि गेट बैरियर पूरी तरह से परिचालित नहीं हो जाते हैं और समपार फाटक सड़क यातायात के विरुद्ध बंद करेगा और पैनल पर लाल संकेत आ जायेगा। गेट बंद होने का लाल संकेत प्राप्त होने के पश्चात् वह गेट सिगनल लॉक लीवर 2जी एफ को सामान्य स्थिति में कर देगा। सम्बंधित दिशा के लिये सिगनल कंट्रोल लीवर (1जी.एफ) डाउन गेट सिगनल के लिये या (3जी.एफ) अप गेट सिगनल के लिये को रिवर्स करके सिगनल ऑफ किया जायेगा (एक समय में केवल एक ही दिशा के सिगनल ऑफ किये जा सकते हैं)।
- 7 अप या डाउन गाड़ी के गुजर जाने के पश्चात् गेटमैन गेट खोलने हेतु रिवर्स स्थिति में किये गये ग्राउण्ड फ्रेम सिगनल लीवर नंबर (1 या 3) को सामान्य स्थिति में करेगा तथा साथ ही साथ गेट सिगनल लॉक लीवर (2जी.एफ) को रिवर्स स्थिति में कर देगा। गेट संकेत पैनल पर पीली बत्ती (एल.ई.डी) पलेशिंग संकेत दिखने लगेगा और एक मिनट पश्चात् पलेशिंग संकेत स्थिर पीली बत्ती में बदल जायेगा। तब गेटमैन गेट पैनल पर दिये हरे बटन को तब तक दबायेगा जब तक कि गेट बैरियर पूरी तरह से संचालित नहीं हो जाते और गेट सड़क यातायात के लिये नहीं खुल जाता। गेट संचालन पैनल पर हरा संकेत दिखायी देने लगेगा।
- 8 अप/डाउन गाड़ी के पास होने के पश्चात् स्टे. मास्टर एक्स एक्स एन एवं एक्स एन बटनों को एक साथ दबाकर गेट खोलने हेतु अपना कंट्रोल रिलीज़ करेगा। गेट पैनल पर पीली बत्ती जलने पर गेट मेन हरे बटन को दबाकर गेट को खोल सकता है। हरे बटन को गेट के पूरी तरह से खुलने तक एवं गेट पैनल पर हरी बत्ती जलने तक दबाया जायेगा।

टिप्पणी

गेट खोलने के लिये कंट्रोल रिलीज़ करने के पश्चात् स्थिर (सफेद लाइट) संकेत कंट्रोल पैनल पर पलेशिंग (सफेद लाइट) संकेत के रूप में बदल जायेगा जब तक कि गेट खुल नही जायेगा। उसके पश्चात् एक्स एन बटन के ऊपर एक स्थिर लाल संकेत जलेगा। जब गेटबन्द करना होगा तब स्टेशन मास्टर एक्स एन और एक्स आर एन बटनों को एक साथ दबाकर कंट्रोल वापस कर लेगा तब स्थिर लाल संकेत पलेशिंग लाल लाइट के रूप में बदल जायेगा जब तक कि गेटमैन गेट बंद करेगा, उसके बाद एक स्थिर सफेद लाइट संकेत सम्बंधित एक्स एन बटन के ऊपर जलने लगेगा।

2 गेटमैन को सूचना:-

- 1 स्टेशन मास्टर अपने सिर से सम्बद्ध टेलीफोन के माध्यम से गेटमैन को समपार फाटक की ओर जाने वाली गाड़ियों के संचालन के बारे में सूचना देगा।
- 2 यदि टेलीफोन स्टेशन के गाड़ी रिसीव करने वाले सिर से सम्बद्ध है तो यह सूचना स्टेशन मास्टर द्वारा गेटमैन को दी जाएगी, जैसे ही वह गाड़ी भेजने वाले स्टेशन से खण्ड में गाड़ी प्रवेश करने की सूचना प्राप्त करता है।
- 3 यदि गाड़ी का वास्तविक रनिंग टाइम खण्ड के दूसरी ओर से 10 मिनट से कम है तो स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर प्राप्त/स्वीकृत करने से पूर्व यह सूचना गेटमैन को देंगे।
- 4 यह गेटमैन का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि फाटक समय से बंद कर दिया गया है जिससे गाड़ी का विलम्बन न हो और न ही सड़क यातायात का अधिक विलम्बन हो।

3 दूरभाष संचार की विफलता:- यदि दूरभाष विफल हो जाय अथवा 2-3 प्रयास के बाद भी गेटमैन की ओर से कोई जबाब नहीं मिलता तो निम्नांकित कार्य पद्धति अपनाई जायेगी-

- i यदि स्टेशन के प्रस्थान सिर से सम्बद्ध गेट टेलीफोन खराब हो जाता है तो स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेगा।
- ii स्टेशन मास्टर लोको पायलट को फाटक पर पहुँचते समय लगातार सीटी बजाने और सावधानी पूर्वक गेट पर पहुँचने हेतु सुझाव देगा।
- iii यदि गेट सिगनल 'ऑन' है तो वह गेट सिगनल से पहले रुकेगा और साधारण नियम 3.73 के अधीन वर्णित कार्य पद्धति को अनुसरण करेगा।
- iv आने वाली गाड़ी के प्रकरण में स्टेशन मास्टर प्रस्थान सिर के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबरों के आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगें कि गेट पर टेलीफोन खराब हो गया है।
- v प्रस्थान सिर के स्टेशन मास्टर अपनी ओर से ब्लॉक खण्ड में गाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेगें।
- vi स्टेशन मास्टर, गैंगमैन/पेट्रोलमैन/लोकोपायलट के माध्यम से भी गेटमैन को सूचित करेगे कि टेलीफोन खराब हो गया है।

- vii स्टेशन मास्टर उत्तरदायी एस.एण्ड.टी. कर्मचारी को टेलीफोन की मरम्मत करने एवं सुधारने के लिए भी सूचित करेंगे।
viii एस.एण्ड.टी. स्टाफ के द्वारा टेलीफोन सुधारने और पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।

4. लिफ्टिंग बैरियर की विफलता:-

- 1 जब लिफ्टिंग बैरियर की विफलता के कारण गेट बंद न किया जा सकता हो तो गेटमैन तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर ट्रैक को फाउल नहीं करता है।
- 2 वह तत्काल दिन के समय लाल बैनर फ्लैग और रात के समय लाल फ्लैशिंग बत्ती जिस ओर से गाड़ी आ रही है उस ओर पहले और फिर दूसरी ओर बाद में खम्भे पर लगा देगा।
- 3 गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध गेट को संरक्षा चैन और पैडलॉक द्वारा सुरक्षित करेगा।
- 4 गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध सुरक्षित करने के बाद गेटमैन दिन के समय हरी झंडी और रात के समय हरी बत्ती, आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को दिखायेगा।
- 5 कार्यरत स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
- 6 वह प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी गाड़ी के लोको पायलट को अपनी ओर से ब्लाक खण्ड में भेजने से पूर्व उसी तरह सावधानता आदेश जारी के करने के लिए प्राइवेट नं. के आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे।
- 7 स्टेशन मास्टर उत्तरदायी मेन्टीनेंस स्टाफ को लिफ्टिंग बैरियर की शीघ्र मरम्मत करने/सुधारने हेतु सूचित करेंगे।
- 8 मेन्टीनेंस स्टाफ द्वारा लिफ्टिंग बैरियर की मरम्मत करने एवं पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद भी सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।

5/6 पावर सप्लाई का फेल होने पर खुली/बन्द अवस्था में गेट बैरियर का खराब होना :-

1. यदि गेट बंद नहीं हो रहा हो या नहीं खुल पा रहा हो तब गेट मैन तुरंत कार्यरत स्टे. मास्टर/सहा. स्टे. मास्टर को टेलीफोन पर, प्राइवेट नं० के आदान-प्रदान के अंतर्गत सूचना देगा।
2. इसके बाद गेट को अन्तर्पार्शन रहित मान लिया जायेगा और गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान हेतु नॉन इंटरलॉक गेट की कार्यपद्धति अपनायी जानी चाहिए।
3. गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध संरक्षा चैन और पैडलाक के द्वारा गेट को सुरक्षित करेगा और हाथ सिगनल पर गाड़ी को पास करेगा।
4. स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
5. वह प्रस्थान सिरे के स्टे. मास्टर को गाड़ी के लोको पायलट को ब्लॉक खण्ड में भेजने से पूर्व उसी तरह सावधानता आदेश जारी करने के लिए प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे।
6. स्टेशन मास्टर उत्तरदायी एस एण्ड टी स्टाफ को गेट ठीक करने के लिए जल्द से जल्द सूचना देगा।
7. एस एण्ड टी स्टाफ द्वारा गेट ठीक करने के बाद पुनः संयोजन/फिट मैमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।

गेट क्रैंक हैण्डल का आपातकालीन अवस्था में प्रयोग:-

लिफ्टिंग बैरियर की खराबी के कारण अथवा पावर सप्लाई फेल होने के कारण जब लिफ्टिंग बैरियर का संचालन न हो सके, तब गेट पर गेटमैन के पास सिलबाक्स में रखे हुए क्रैंक हैण्डल एवं क्रैंक हैण्डल चाबी को आपातकाल में संचालन के लिए रखा गया है। यदि गेट को क्रैंक हैण्डल द्वारा खोलना है तब गेटमैन के द्वारा गेट बैरियर के संचालन हेतु सूचना मिलने पर स्टेशन मास्टर गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों को दिये गये सिगनल को 'ऑन' स्थिति में कर देगा और गेटमैन से प्राइवेट नम्बरो का आदान-प्रदान करेगा। इसके बाद गेटमैन सील बॉक्स में लगी सील को तोड़कर चाबी एवं क्रैंक हैण्डल निकालेगा तथा गेट को क्रैंक हैण्डल के द्वारा खोलेगा गेट की ओर जाने वाली गाड़ी से सम्बंधित सभी सिगनलों को "ऑन" की स्थिति में रखा जायेगा। गेट से सड़क यातायात के पारण के बाद गेटमैन द्वारा गेट को क्रैंक हैण्डल के परिचालन से बन्द किया जायेगा और क्रैंक हैण्डल और क्रैंक हैण्डल चाबी को इसके लिए बने हुए बाक्स में रखकर सील किया जायेगा।

गेट खोलने के लिए बूम को चाबी द्वारा खोलकर क्रैंक हैण्डल को बूम के मोटर के ग्रो में लगाया जायेगा। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ के बूम को खोलने के लिए की जायेगी। एसएण्डटी विभाग को बैरियर की खराबी के बारे में तुरन्त सूचित किया जायेगा। क्रैंक हैण्डल चाबी को एसएण्डटी विभाग द्वारा उपयोग के बाद सील किया जायेगा।

नोट:-

1. गेटलॉज पर कांच वाले बंद सील बॉक्स में एक आपातकालीन बटन लगाया गया है, कांच को तोड़कर इस बटन को घुमाकर गेट के बचाव के लिये लगे सिगनलों को ऑन स्थिति में किया जा सकता है। बैरियर के खराब होने पर एवं क्रैंक हैण्डल के प्रयोग करने पर इससे सम्बंधित रजिस्टर में अंकित की जायेगी। सामान्य वर्किंग चालू होने पर एस एण्ड टी स्टाफ द्वारा पुनः बॉक्स सील किया जायेगा।
2. सुधार होने के बाद, इमरजेन्सी चाबी बॉक्स में इमरजेन्सी चाबी को पुनः लगा दिया जायेगा और एस एण्ड टी स्टाफ द्वारा पुनः सील किया जायेगा।

बी) स्लाइडिंग बूम की कार्य प्रणाली ट्रैफिक गेट :**स्लाइडिंग बूम के द्वारा गेट को बंद करने की विधि :**

गेट पर दोनों तरफ पावर ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर के साथ एक अतिरिक्त स्लाइडिंग बूम दिया गया है। प्रत्येक स्लाइडिंग बूम वर्तमान में दिये पावर ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर के समानान्तर होता है एवं इस प्रकार से लगा होता है कि स्लाइडिंग बूम का पूरा भाग सड़क से दूर होता है अर्थात् समपार फाटक की ओर आने वाली सड़क की तरफ स्लाइडिंग बूम का कोई भी हिस्सा नहीं होता है। स्लाइडिंग बूम का उपयोग आपातकाल में किया जाता है अर्थात् जब पावर ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर क्षतिग्रस्त हो जाये या किसी कारण से बंद होने का संकेत नहीं मिले। यह स्लाइडिंग बूम सामान्यतः अपने खम्भे पर तालित होते हैं। बूम स्टैंड पर ताले की चाबी उपलब्ध होती है।

निम्नलिखित परिस्थितियों में स्लाइडिंग बूम का उपयोग किया जायेगा :-

- ए. जब खोलने या बंद करने के दौरान गेट बैरियर क्षतिग्रस्त हो जाये या खुली स्थिति में हो तब स्लाइडिंग बूम का उपयोग करेंगे।
- बी. जब कभी खोलने या बंद करने के दौरान गेट बैरियर क्षतिग्रस्त हो जाये या खुली स्थिति में रह जाये तो गेटमैन तुरंत नियंत्रक स्टेशन मास्टर को बतायेगा जो क्षतिग्रस्त लिफ्टिंग गेट या बैरियर को सही करने या बदलने हेतु एस एण्ड टी स्टाफ को बतायेगा।
- सी. जब किसी कारण से गेट बंद संकेत न आये :-
गेटमैन नियंत्रक स्टेशन मास्टर से अनुदेश मिलने के बाद गेट पर दिये हुये रोड स्विच को रिर्वस स्थिति में कर देगा जिससे कि रोड सिगनल खतरे की स्थिति में आ जायेगा और साथ ही साथ स्लाइडिंग बूम को बंद करने लगेगा यह सब करते समय वह 'ए' साइड के स्लाइडिंग बूम को उसके स्टैंड पर दिये हुये हैण्डल के द्वारा खींचके बंद करेगा इसके बाद वह 'एक्स' चिन्ह द्वारा चिन्हित चाबी बूम स्टैंड लॉक में लगायेगा और लॉक करेगा इससे 'वाई' चिन्ह द्वारा चिन्हित चाबी रिलीज होगी इसके बाद वह 'बी' साइड में जायेगा और हैण्डल द्वारा खींचकर स्लाइडिंग बूम को बंद करेगा और 'एक्स' चिन्ह द्वारा चिन्हित चाबी बूम स्टैंड लॉक में लगायेगा और लॉक करेगा और साथ ही साथ 'बी' साइड में 'वाई' चिन्ह वाली चाँबी को 'वाई' चिन्ह वाले लॉक में लगाकर क्लॉक वाइज घुमायेगा और लॉक करेगा। 'बी' साइड में दोनों चाँबी को लॉक करने के पश्चात् 'जेड' चिन्ह वाली तीसरी चाँबी रिलीज होगी। तब गेटमैन चाँबी को निकालकर गेटलॉज पर स्थित टी-2/केएलसीआर में लगाकर घुमायेगा ऐसा करने के पश्चात् बैरियर स्विच को रिर्वस स्थिति में करेगा जिससे गेट कंट्रोल रिले एक्टिव हो जायेगी। गेट लॉज में के.एल.सी.आर लॉक में 'जेड चाबी' लगाने से पहले गेटमैन दोनों तरफ के खींचे हुये स्लाइडिंग बूम में स्टॉप बोर्ड लगायेगा।

टिप्पणी: ए. स्लाइडिंग बूम का परिचालन करते समय गेटमैन रोड सिगनल को गेट लॉज पर दिये आर.एस.आर स्विच के द्वारा लाल कर सकता है। स्लाइडिंग बूम के पूरी तरह से बंद हो जाने के बाद रोड सिगनल स्वचालित रूप से लाल स्थिति में लॉक हो जायेगे।

वरि. मं. परि. प्रबं.(जीएण्डजी) झांसी

वरि. मं.सि.एवंदूर.सं.अभि.(ब्रान्च लाइन)झांसी

वरि.मंडलअभियंता(पूर्व)झांसी

स्लाइडिंग बूम के द्वारा गेट को खोलने की विधि :

गेट से गाड़ी गुजर जाने के पश्चात् सड़क यातायात की निकासी हेतु स्लाइडिंग बूम को खोलने के लिये गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर से अनुमति लेगा। स्टेशन मास्टर से आज्ञा मिलने के पश्चात् गेटमैन गेट सिगनल स्लाइड से गेट सिगनल को ऑन की स्थिति में करेगा तब वह टी 2लॉक/केएलसीआर से 'जेड' चाबी निकालेगा और स्लाइडिंग बूम के 'जेड' लॉक में लगायेगा और स्लाइडिंग बूम बंद करने वाली विधि को विपरीत तरह से करेगा और सड़क यातायात को निकालेगा। इसके बाद वह रोड स्विच को सामान्य स्थिति में करके सड़क यातायात को निकालेगा और रोड सिगनल को सामान्य स्थिति में करेगा।

सड़क यातायात सिगनल :-

समपार फाटक के दोनो तरफ सड़क यातायात उपयोगकर्ताओं के लिये नालाकार खम्भे पर सिगनल उपलब्ध कराये गये है जो कि ऐसी जगह लगाये गये है कि आने वाले वाहनों को पर्याप्त दूरी से दिखायी दे जाये। रोड ट्रैफिक सिगनल निम्नलिखित संकेत दिखायेंगे।

1. स्थिर लाल संकेत बताता है कि रोड बैरियर की स्थिति बंद है।
2. स्थिर पीला संकेत बताता है कि रोड बैरियर की स्थिति खुली है।
3. गेटमैन सड़क यातायात सिगनल को गेटलॉज पर दिये हुये स्विच का उपयोग करके यदि आवश्यकता हो तो लाल संकेत में बदल सकता है।

हूटर:-प्रत्येक बैरियर के पास खम्भे पर हुटर लगा हुआ है और रोड ट्रैफिक सिगनल के सहयोजन में कार्य करता है। यह हुटर सड़क यातायात उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देने के लिये लगा हुआ है जब बैरियर बंद होता है तब यह बजता है। बैरियर बंद होने के पश्चात् यह बजना बंद हो जाता है।

7 खराब गेट सिगनल:-

- i. गेटमैन निम्नांकित परिस्थितियों में गेट सिगनल को खराब मानेगा और उन्हें ऑफ नहीं करेगा— यदि गेट सिगनल बिना गेट बंद किये ही ऑफ हो जाये।
- ii. यदि गेट अथवा गेट सिगनल या डिस्टेंट सिगनल ऑफ पोजीशन में खराब हो जाये तो गेटमैन इसे ऑन करने के सभी प्रयास करेगा चाहे सिगनल तार ही कटवाना पड़े।
- iii. गेटमैन तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर को गेट सिगनल की खराबी के बारे में टेलीफोन पर प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा।
- iv. उसके बाद गेट अन्तर्पाशन रहित मान लिया जायेगा, और गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान हेतु नॉन इन्टर लॉकड गेट की कार्य पद्धति अपनाई जा सकती हैं।
- v. गेट बंद करने के बाद वह गुजरती हुई गाड़ियों को दिन के समय हरी झंडी और रात के समय हरी बत्ती दिखायेगा।
- vi. कार्यरत स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
- vii. वह प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी गाड़ी के लोको पायलट को ब्लॉक खण्ड में भेजने से पूर्व उसी तरह सावधानता आदेश जारी करने के लिए प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे।
- viii. स्टेशन मास्टर उत्तरदायी एस.एण्ड.टी. स्टाफ द्वारा 'की ट्रांसमीटर' की शीघ्र मरम्मत करने एवं सुधारने हेतु सूचित करेंगे।
- ix. एस.एण्ड.टी. स्टाफ द्वारा खराब सिगनल को सुधार करने तथा पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद भी सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।

वरि. मं. परि. प्रबं.(जीएण्डजी) झांसी

वरि. मं.सि.एवंदूर.सं.अभि.(ब्रान्च लाइन)झांसी

वरि.मंडलअभियंता(पूर्व)झांसी

8 फाटक पर अवरोध:-

- i. यदि गेट सड़क वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाये जो ट्रैक को उल्लंघित (फाउल) कर रहा हो अथवा यदि लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग ट्रैक को फाउल कर रहा हो या गेट पर अन्य कोई अवरोध हो तो गेटमैन तत्काल गेट सिगनल को ऑन की हालत में कर देगा।
- ii. वह दिन के समय लाल बैनर पलैंग और रात के समय लाल फ्लैशिंग बत्ती गेट के दोनो ओर इस निमित्त लगे हुए खम्भो पर लगा देगा।
- iii. गेटमैन इसके बाद तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर को गेट पर खराबी/अवरोध के बारे में प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा।
- iv. यदि 2-3 प्रयास के बाद भी स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर द्वारा जबाव नहीं मिलता है तो वह पहले गेट का बचाव करेगा और तब टेलीफोन पर सूचना देगा।
- v. तब गेटमैन पटाखे, और दिन के समय लाल झंडी तथा रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती सहित, गाड़ी आने की दिशा में अतिवेग से जायेगा और गेटमैन की ड्यूटी सम्बंधी सामान्य अनुदेश के अधीन मद सं. 1.5 (5) में निर्दिष्ट नियमानुसार गेट का बचाव करेगा।
- vi. उसके बाद वह दूसरी दिशा से भी बचाव करेगा।
- vii. वह सड़क वाहन के विवरण, चालक, मालिक का नाम नोट करेगा तथा मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर को देगा जो कि गाड़ी को तब तक नहीं चलायेगा जब तक कि गेटमैन द्वारा यह आश्वस्त न कर दिया जाय कि सड़क यातायात लिफ्टिंग बैरियर ट्रैक को उल्लंघित नहीं कर रहा है।
- viii. स्टेशन मास्टर प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे कि ब्लाक खण्ड में वह अपनी ओर से कोई गाड़ी न भेजें जब तक कि ट्रैक अवरोध से मुक्त न हो जाये।
- ix. ट्रैक अवरोध से मुक्त हो जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर को तदनुसार सूचित करेगा।
- x. यदि गेट क्षतिग्रस्त है, किन्तु अवरोध मुक्त है, तब स्टेशन मास्टर सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे कि सावधानी से आगे बढ़े और गेट सिगनल को 'ऑन' की स्थिति में हरे हाथ सिगनल पर पार करें।
- xi. गेटमैन संरक्षा चेन एवं पैडलॉक से गेट को सुरक्षित करेगा और यदि गेट पर अवरोध नहीं है तो हरा हाथ सिगनल दिखायेगा।
- xii. स्टेशन मास्टर उत्तरदायी मेन्टेनेन्स स्टाफ को लिफ्टिंग बैरियर की मरम्मत के लिए शीघ्रातिशीघ्र सूचित करेंगे।
- xiii. मेन्टीनेन्स स्टाफ द्वारा खराब लिफ्टिंग बैरियर को सुधारने एवं पुनः संयोजन/फिट मेमों देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ किया जायेगा।

9 समपार फाटक के समीप ट्रैक पर अवरोध:-

यदि पटरी के टूटने अथवा पेड़ के गिरने, सड़क वाहन द्वारा फाउल किये जाने अथवा डिरेलमेंट जो कि गेटमैन को दिखाई पड़ता हो, अवरोध समपार फाटक को फाउल करता हो, तो गेटमैन और स्टेशन मास्टर उपर्युक्त वर्णित मद सं. 8 के अनुसार कार्य पद्धति अपनायेंगे। यदि गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध गेट को बंद रखेगा जब तक कि ट्रैक अवरोध मुक्त न हो जाय।

वरि. मं. परि. प्रबं.(जीएण्डजी) झांसी

वरि. मं.सि.एवंदूर.सं.अभि.(ब्रान्च लाइन)झांसी

वरि.मंडलअभियंता(पूर्व)झांसी

परिशिष्ट 'बी'1. यार्ड का फैलाव :-

स्टेशन संचालन नियमों के अन्त में स्टेशन संचालन नियम का आरेख एन.सी.आर. डी.आर.जी. नं. एस आई ई-2306/के दि० 24.12.2019 का अवलोकन करें।

1.1 स्टेशन का वर्गीकरण :- 'बी' क्लास इकहरी लाइन1.2 सिगनलों की किस्म :- बहुसंकेतक कलर लाइट सिगनल2. अन्तपार्शन का तरीका :-

2.1 स्टेशन बी श्रेणी का मानक 2 (R) द्वारा अन्तपार्शित है और रंगीन रोशनी वाले सिगनल है। (रूट सैटिंग पाइप) रिले अन्तपार्शन के माध्यम से अन्तर्शन है। कन्ट्रोल पैनल के माध्यम से जो कि स्टेशन मास्टर कार्यालय में लगा है। अप और डाउन होम सिगनल और उसके 120 मीटर के बाद भी लगातार ट्रैक सर्किट है।

2.2 सारे काँटे सिगनल और कन्ट्रोल का संचालन विद्युतिकरण से होता है जो कि कन्ट्रोल पैनल पर सज्जित पुश बटन से संचालित है। शटिंग सहित सभी प्रकार का संचालन कन्ट्रोल पैनल द्वारा नियंत्रित होता है।

3. कन्ट्रोल पैनल का परिचालन :-

3.1 कन्ट्रोल पैनल :- कन्ट्रोल पैनल स्टे.मास्टर कार्यालय में लगाया गया है। संयुक्त कन्ट्रोल पैनल एवं प्रदीप्त डायग्राम स्टेशन के पूरे फैलाव के ट्रैक को भिन्न-भिन्न रंगों से भिन्न-भिन्न ट्रैक सर्किट के है। सारे काँटे सिगनल और कन्ट्रोल पुश बटन द्वारा संचालित है जो कि क्रमवार भौगोलिक स्थिति के अनुसार पैनल पर लगे ट्रैक सर्किट के आरेख पर सज्जित है। पैनल पर काँटे सैट करने के संकेत रूट सैट करना और सिगनल के ऑस्पेक्ट (संकेत) दिये है। पैनल पर एक स्टेशन मास्टर के लिए पैनल को ताला लगाने के लिए चाबी है जो कि स्टे.मास्टर को पैनल का ताला लगाने में समर्थ करती है। जब कभी स्टे.मास्टर को अपनी जगह को छोड़ना हो तो पैनल को तालित कर देना चाहिए, उन्हें किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को पैनल के संचालन की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

3.2 ब्लॉक संचालन की विधि :-

गाड़ियां पूर्ण ब्लॉक पद्धति पर चलाई जाती हैं। महोबा-कबरई के मध्य गाड़ी संचालन के लिये एच.ए.एस. एस.डी.ए.सी के साथ ब्लॉक पैनल (ड्युल बी.पी.ए.सी सहित) एवं महोबा-सिंहपुरडूमरा के मध्य गाड़ी संचालन के लिये एच.ए.एस.एस.डी.ए.सी के साथ ब्लॉक पैनल (ड्युल बी.पी.ए.सी सहित) एवं महोबा-कुलपहाड़ के मध्य गाड़ी संचालन के लिये ब्लॉक पैनल (ड्युल बी.पी.ए.सी सहित) दिया गया है। कार्यरत सहायक स्टे.मास्टर पैनल और ब्लाक उपकरण के संचालन का जिम्मेदार है और उन्हें चाबियां अपनी अभिरक्षा में रखनी चाहिए।

4. कन्ट्रोल पैनल के भिन्न-भिन्न पुश बटनों का विवरण और संचालन:-(ए) सिगनल बटन :-

यह सम्बन्धित सिगनल के पास दिये गये हैं और शंट सिगनल के लिए पीला और रोक सिगनल के लिए लाल रंग है। प्रत्येक सिगनल के बटन का नं. उसके स्थान के पास लिखा है जब कभी सिगनल को 'ऑफ' करना हो तो सम्बन्धित रूट बटन और सिगनल बटन को 10 सेकन्ड के लिए एक साथ दबाकर छोड़ दिया जाता है। कन्ट्रोल पैनल पर डिस्टेन्ट और इनर डिस्टेन्ट सिगनल के कोई बटन नहीं है।

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जी &जी)झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

सर्किट के कारण यह सिगनल अपने सम्बन्धित संकेत बदलते है जो कि आगे के होम सिगनल के द्वारा प्रकाशित करे हुए संकेत पर निर्भर करता है। डिस्टैंट सिगनल का सामान्य संकेत "सर्तक" अर्थात् एक पीला होता है जो कि आगे दिये हुये सम्बन्धित होम सिगनल के ऑफ होने पर सावधान अर्थात् दो पीले में बदल जाता है तथा सम्बन्धित होम सिगनल के आगे बढ़ो संकेत के हिसाब से हरे संकेत में बदल जाता है।

(बी) प्वाइंट बटन :-

प्रत्येक क्रॉस ओवर काँटे के पास नीले रंग के होते हैं और काँटे के नं. लिखित होते है। जब कभी भी किसी काँटे के संचालन की आवश्यकता होती है गुप बटन और काँटा बटन साथ साथ दबाए जाते हैं। जब काँटा सैट हो जाता है तो सफेद रोशनी उस तरफ की लम्बाई में जिधर काँटे सैट होना है चमकदार सफेद दर्शाती है। जब कभी भी कोई काँटा संचालन के लिए फ्री नहीं होगा और किसी अमुक रूट के साथ व्यस्त होगा तो एक लम्बवत सफेद लाईट पैनल पर दिखाई देगी।

(सी) रूट बटन :-

प्रत्येक रूट बटन पर उचित स्थान पर स्थिर किया गया है और रंग में भूरा है। जब कभी भी सम्बन्धित सिगनल को ऑफ करना हो तो इसे सम्बन्धित सिगनल बटन के साथ दबाना है।

(डी) कन्ट्रोल बटन :-

- i- कन्ट्रोल बटन को क्रैन्क हैन्डिल और समपार फाटक कन्ट्रोल रिलीज करने के लिए दिया गया है और चाबियां के. एल.सी.आर. बॉक्स के अन्दर रहती है। किसी निर्दिष्ट स्थान के लिए चाबियां रिलीज करने के लिए स्लॉट बटन और गुप स्लॉट बटन जी.बी.एन. जो कि नीले रंग का है को एक साथ दबाया जाएगा। यह प्रक्रिया कार्यरत अधिकृत व्यक्ति को के.एल.सी.आर. बॉक्स में से चाबियां निकालने देगा।
- ii- कन्ट्रोल स्लॉट को वापस लेने के लिए सम्बन्धित कांटे की चाबी को के.एल.सी.आर बॉक्स में सही स्थान पर रखा जायेगा और स्टेशन मास्टर कन्ट्रोल बटन जी.बी.आर.एन को डब्ल्यू.एन बटन के साथ दबायेगा। इस प्रक्रिया के द्वारा के.एल.सी.आर.बॉक्स में चाबी लॉक हो जायेगी।
- iii- एल.सी. गेट से कन्ट्रोल हटाने के लिए स्लॉट बटन दिया गया है। हरे रंग के जी.बी.आर.एन. बटन और एक्स.एन. बटन को एक साथ दबाया जाएगा।
- iv- कन्ट्रोल को वापस लेने के लिए समपार फाटक बंद किया जायेगा उसके बाद स्टे.मास्टर कन्ट्रोल बटन जी.बी.एन. और एक्स.एन. बटन को एक साथ दबाएगा।

निम्नलिखित कन्ट्रोल बटन दिये गये हैं :-

क्रमांक	बटन नं.	रंग	कार्य
1	सी.एच. 1	नीला	काँटे 201एं/201बी के लिए क्रैन्क हैन्डिल पर से कन्ट्रोल देना/वापस लेना
2	सी.एच. 2	नीला	काँटे 202एं/202बी के लिए क्रैन्क हैन्डिल पर से कन्ट्रोल देना/वापस लेना
3	सी.एच. 3	नीला	काँटे 203एं/203बी के लिए क्रैन्क हैन्डिल पर से कन्ट्रोल देना/वापस लेना
4	सी.एच. 4	नीला	काँटे 204एं/204बी के लिए क्रैन्क हैन्डिल पर से कन्ट्रोल देना/वापस लेना
5	सी.एच. 5	नीला	काँटे 205एं/205बी के लिए क्रैन्क हैन्डिल पर से कन्ट्रोल देना/वापस लेना

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जी &जी)झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

6	सी.एच 6	नीला	काँटे 206एं/206बी के लिए क्रैन्क हैन्डिल पर कन्ट्रॉल देना/वापस लेना
7	सी.एच 95	नीला	काँटे 295एं/295बी के लिए क्रैन्क हैन्डिल पर से कन्ट्रॉल देना/वापस लेना
8	सी.एच 97	नीला	काँटे 297एं/297बी के लिए क्रैन्क हैन्डिल पर कन्ट्रॉल देना/वापस लेना
9	सी.एच 98	नीला	काँटे 298एं/298बी के लिए क्रैन्क हैन्डिल पर कन्ट्रॉल देना/वापस लेना
10	सी.एच 99	नीला	काँटे 299एं/299बी के लिए क्रैन्क हैन्डिल पर कन्ट्रॉल देना/वापस लेना

(ई) **ग्रुप बटन** :-ग्रुप बटन सामान्यतया कन्ट्रोल पैनल के ऊपर दिये जाते हैं। ग्रुप बटनों के नाम, रंग और विवरण निम्नलिखित है:-

क्र	ग्रुप कोड	बटन का रंग	कार्य
1	डब्ल्यू.डब्ल्यू.एन.	नीला	क्रासओवर/काँटे के संचालन के लिए ग्रुप प्वाइन्ट बटन:- जब कांटो को आवश्यक दिशा में सम्बंधित ट्रैक सर्किट के क्लियर होने पर सैट करना हो तब इस बटन को सम्बंधित प्वाइन्ट बटन के साथ दबाया जाता है।
2	जी.बी.एन	हरा	क्रैन्क हैन्डिल का स्लॉट रिलीज करने के लिये ग्रुप स्लॉट बटन (सम्बंधित कांटा बटन के साथ इसको दबाने से सम्बंधित कांटे का क्रैन्क हैन्डिल रिलीज होता है।)
3	जी.बी.आर.एन	काला	क्रैन्क हैन्डिल का स्लॉट वापस करने के लिये ग्रुप स्लॉट बटन (सम्बंधित कांटा बटन के साथ इसको दबाने से सम्बंधित कांटे के क्रैन्क हैन्डिल का स्लॉट वापस होता है।)
4.	जी.बी.एन	हरा	समपार फाटक को स्लॉट देने/स्लॉट वापस लेने के लिए सम्बन्धित फाटक बटन को ग्रुप स्लॉट बटन के साथ दबाएँ।
5	सी.ओ.जी.जी.एन. काउन्टर के साथ	लाल	कॉलिंग ऑन सिगनल को 'ऑफ' करने के लिए कॉमन ग्रुप बटन:-सम्बन्धित होम सिगनल के बटन के साथ कॉमन कॉलिंग ऑन बटन को एक साथ दबाएँ। जबकि कॉलिंग ऑन सिगनल का ट्रैक गाड़ी से घिरा हो।

(एफ) **आपातकाल बटन** :- ग्रुप बटन, स्लॉट सिगनलों और काँटो के अतिरिक्त कुछ आपातकाल बटन भी आपातकाल में प्रयोग के लिए दिये हैं जैसा कि जब कभी वह ट्रैक सर्किट जो काँटो का नियन्त्रण करता है फेल हो गया हो, दिये गये सिगनल को वापस उठाना (लाल) रूट खण्ड को रद्द करना और जब कभी रूट तालित रह गया हो उसे रिलीज करना इसी तरह से ओवर लैप को जबकि गाड़ी आगमन ट्रैक पर आई हो। भिन्न बटनों के नामकरण, रंग और विवरण आदि निम्न हैं-

क्रमांक	ग्रुप कोड	बटन का रंग	कार्य
1	ई.डब्ल्यू.एन. पैनल पर काउन्टर के साथ	नीला	जब कभी ट्रैक सर्किट काँटे को कन्ट्रोल करने वाला फेल हो गया हो और काँटे का संचालन करना हो। इमरजेन्सी ग्रुप बटन फेल हो गया हो। बटन साधारणतया सील रहता है, असि.स्टे.मास्टर सील तोड़ेगा जिसे ई.डब्ल्यू.एन. काउन्टर के पास संचालनों की गिनती के लिए दिया गया है।

2	ई.आर.एन.	लाल	पैनल पर आपातकाल में सिगनल/शण्ट सिगनल को 'ऑन' करने का गुप सिगनल बटन इस गुप सिगनल बटन से आपातकाल में स्टे.मास्टर की चाबी के बिना भी सिगनल को 'ऑन' किया जा सकता है।
3	ई.यू.वाई.एन. बटन चाबी और काउन्टर के साथ पैनल पर उपलब्ध है (रूट रिलीज बटन जब ट्रैक सर्किट फेल हो गया है।)	भूरा	इस बटन का प्रयोग तब किया जाता है जबकि सम्बंधित रूट के बाकी रूटों के रिलीज हो जाने के बाद कोई सब-रूट रिलीज न हुआ हो। इस बटन के प्रयोग द्वारा सब रूट को रिलीज करने के लिये कार्यरत स्टेशन प्रबंधक को चाबी को घुमाकर ई.यू.वाई.एन बटन दबाते हुये सम्बंधित सिगनल बटन/ कांटा बटन को दबाना होता है इससे सब-रूट रिलीज हो जाता है और काउण्टर का एक नंबर बढ़ जाता है। इस बटन का प्रयोग से बढ़े हुये काउण्टर नंबर को इसके लिये प्रयोग में लाये जा रहे रजिस्टर में अंकित करें।
4	ई.यू.वाई.एन. पैनल पर काउन्टर के साथ	भूरा	इमरजेन्सी रूट रिलीज बटन का प्रयोग पूरे रूट को रिलीज करने के लिये किया जाता है जब रूट लॉक हो गया हो। इसका प्रयोग जब एप्रोच ट्रैक पर गाड़ी न आयी हो तब ओवर लैप को रिलीज करने के लिये भी किया जाता है। सम्बंधित रूट को कैंसिल करने के लिये सम्बंधित सिगनल और ई.आर.एन बटन को एक साथ दबाते हुये सिगनल बटन को दबाये रखते हुये ई.आर.एन बटन को रिलीज करें और ई.यू.वाई.एन बटन को दबाये। इस संचालन से रूट रिलीज हो जायेगा और पैनल काउण्टर पर एक नंबर बढ़ जायेगा। इस बटन का प्रयोग से बढ़े हुये काउण्टर नंबर को इसके लिये प्रयोग में लाये जा रहे रजिस्टर में अंकित करें।

स्टेशन मास्टर चाबी— यह चाबी स्टे. मास्टर/सहा. स्टे. मास्टर द्वारा निकाली जाती है उसकी अनुपस्थिति में पैनल का अनाधिकृत संचालन रोकने के लिए, यदि पैनल संचालन के लिये बंद रखा है तो स्टे.मा./सहा. स्टे.मा. को यह देखना चाहिए कि स्टे. मा. वाली चाबी दबाकर सही स्थिति में घुमा दी गयी हो।

टिप्पणी :-

- (ए) एक आपातकालीन स्टेशन मास्टर चाबी भी कांट्रोल पैनल पर दी हुई है। यह चाबी सामान्यतः ऑफ स्थिति में रहेगी और कार्यरत स्टेशन मास्टर के अभिरक्षा में रहेगी तथा जब कभी स्टेशन मास्टर चाबी के कॉन्टैक्ट फेलियर के कारण पैनल पर स्टेशन मास्टर चाबी 'बाहर' संकेत (लाल) दिखायी देगा तब इस चाबी का उपयोग किया जायेगा। आपातकालीन चाबी का उपयोग कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा चाबी को 'ऑन' स्थिति में करके पैनल संचालन को सामान्य करने के लिए किया जायेगा। यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि स्टेशन मास्टर चाबी 'लगी हुयी' संकेत (पीला) पैनल पर आ गया है आपातकालीन स्टेशन मास्टर चाबी निकाल ली जायेगी और मुख्य स्टेशन मास्टर चाबी के फेलियर की सूचना कार्यरत एसएण्डटी स्टाफ को दी जायेगी।
- (बी) आपात कांटा परिचालन बटन (ई.डब्ल्यू.एन) सील करके एसई/जेई/ईएसएम द्वारा रखे जायेंगे। जब कभी भी इसकी सील तोड़कर इस बटन का उपयोग करना पड़े एसई/जेई/ईएसएम को तुरन्त सूचित किया जाना चाहिये। जिससे बटन दुबारा सील किया जा सके बटन का प्रयोग रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिये।
- (सी) ईयूवाई एन बटन का संचालन चाबी के द्वारा नियंत्रित होता है जो कि ड्यूटी पर उपस्थित एसएम के अधिकार में रहती है। जब कभी यह बटन उपयोग में लाया जायगा इसके बारे में विस्तार से रजिस्टर में लिखा जायेगा।

(जी)सांकेतिक बटन :-

जब कभी भी कोई सिगनल, कांटा या क्रैंक हैन्डिल फेल हो जाता है तो फेलियर के संकेत को दर्शाने के लिये जी.एक्स.वाई.एन., डब्ल्यू.एक्स.वाई.एन और सी.एच.एक्स.वाई.एन. संकेत बटन दिये गये हैं जिनको दबाने से बजर बन्द हो जाता है। इन बटनों के रंग, नाम और विवरण निम्न प्रकार है—

क्रमांक	ग्रुप कोड	बटन का रंग	कार्य
1	जी.एस.वाई.एन. सिगनल लैम्प फेलियर बजर साइलेन्सिंग बटन	लाल	सिगनल लैम्प फेल होने पर स्टडी (जी) संकेत बजर के साथ आता है। बटन के संचालन द्वारा बजर को बंद किया जा सकता है लेकिन इन्डीकेशन तब तक बना रहेगा जब तक कि फेलियर को ठीक नहीं कर दिया जाएगा। सम्बंधित सिगनल संकेतक फलैश करके फेलियर का संकेत देता है।

2	डब्ल्यू.एक्स.वाई.एन. काँटा फेलियर बजर बन्द करने वाला बटन	नीला	काँटे डिटेक्शन फेल होने पर स्टडी (डब्ल्यू) संकेत बजर के साथ आता है। बटन के संचालन द्वारा बजर को बंद किया जा सकता है लेकिन इन्डीकेशन (डब्ल्यू) तब तक बना रहेगा जब तक कि फेलियर को ठीक नहीं कर दिया जाएगा। सम्बन्धित काँटा संकेतक फ्लैश करके फेलियर का संकेत देता है।
3	सी.एच.एक्स.वाई.एन. क्रैंक हैंडिलफेलियर / बजर बन्द करने का बटन	भूरा	क्रैंक हैंडिल के फेलियर होने पर (सी.एच.) संकेत बजर के साथ आएगा। बटन के संचालन द्वारा बजर को बंद किया जा सकता है लेकिन इन्डीकेशन (सी.एच) तब तक बना रहेगा जब तक कि फेलियर को ठीक नहीं कर दिया जाएगा। सम्बन्धित क्रैंक संकेतक फ्लैश करके फेलियर का संकेत देता है।
4	एन.सी.आर.ग्रुप बटन फेलियर संकेत	लाल संकेत	यह बिना बटन वाला लाल रोशनी का संकेतक है। जब कभी भी कोई बटन पैनल पर नार्मल स्थिति में आने में फेल हो जाता है, जब रिलीज किया जाता है तब बजर बजने के साथ लाल संकेत दिखने लगता है।
5	जी.एन.सी.आर.बटन सिगनल बटन के लिए चैकिंग संकेत	एस. संकेत	जब कभी भी कोई सिगनल बटन रिलीज करने के बाद नार्मल स्थिति में आने में फेल हो जाता है या जब कोई बटन लम्बे समय तक दबाकर रखा जाता है तब यह संकेत बजर के साथ दिखने लगता है।
6	यू.एन.सी.आर.बटन, रूट बटन के लिए चैकिंग संकेत	आर. संकेत	जब कभी भी कोई रूट बटन रिलीज करने के बाद नार्मल स्थिति में आने में फेल हो जाता है या जब कोई बटन लम्बे समय तक दबाकर रखा जाता है तब यह संकेत बजर के साथ दिखने लगता है।
7	डब्ल्यू.एन.सी.आर. बटन काँटे बटन के लिए चैकिंग संकेत	पी. संकेत	जब कभी भी कोई प्वाइंट बटन रिलीज करने के बाद नार्मल स्थिति में आने में फेल हो जाता है या जब कोई बटन लम्बे समय तक दबाकर रखा जाता है तब यह संकेत बजर के साथ दिखने लगता है।
8	सी.एच.वाई.एन.सी.आर. बटन चैकिंग संकेत क्रैंक हैंडिल के लिए	सी.एच. संकेत	क्रैंक हैंडिल के फेलियर होने पर (सी.एच.) संकेत बजर के साथ आएगा। बटन के संचालन द्वारा बजर को बंद किया जा सकता है लेकिन इन्डीकेशन (सी.एच) तब तक बना रहेगा जब तक कि फेलियर को ठीक नहीं कर दिया जाएगा। सम्बन्धित क्रैंक संकेतक फ्लैश करके फेलियर का संकेत देता है।

टिप्पणी:-

- कैन्सिलेशन की सुविधा काउन्टर पर दी गई है, प्रत्येक कैन्सिलेशन नम्बर को रजिस्टर में खास तौर पर बनी जगह पर प्रविष्ट करना है और उसका कारण भी लिखना है।
- बटन जिन पर सील लगा है :- स्टे.मास्टर सील को तोड़ सकता है जो बटन (ई.डब्ल्यू.एन.) पर लगी है। लेकिन तुरन्त सील करने के लिए जे.ई./एस.ई./ई.एस.एम. को सूचित करना है।
- ई.यू.वाई.एन (सबरूट कैन्सिलेशन बटन) यह बटन आपातकाल में सब-रूट को रिलीज करने के लिये प्रयोग किया जाता है। जब कोई गाड़ी ट्रैक सर्किट से पूरी तरह से निकल जाती है, लेकिन कोई सब रूट रिलीज नहीं होता है तब ई.यू.वाई.एन के द्वारा रूट को रिलीज किया जाता है। जब ई.यू.वाई.एन से भी रूट नहीं रिलीज हो तब भी ई.यू.वाई एन बटन के द्वारा रूट को रिलीज किया जा सकता है।

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जी &जी)झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

- (iv) असिस्टेन्ट स्टे.मास्टर पैनल पर कार्यरत सारे इमरजेन्सी संचालन के लिए जिम्मेदार है और इसकी प्रविष्टि इसके लिये बनाये गये रजिस्टर में कारण सहित प्रत्येक काउन्टर के सम्बन्धित नम्बर के साथ लिखे। जब कभी भी असिस्टेन्ट स्टे.मास्टर चार्ज लेंगे या सौंपेगे तब वह पैनल के रजिस्टर में प्रत्येक काउन्टर के नम्बर लिखेंगे।
- (v) ट्रैक सर्किट जो काँटे का नियंत्रण रखते हैं जब वह फेल हो जाये, तब मोटर युक्त कांटो का संचालन ई.डब्ल्यू.एन बटन के द्वारा किया जायेगा। ई.डब्ल्यू.एन बटन का सील तोड़कर कांटो का परिचालन करने से पूर्व कार्यरत स्टेशन प्रबंधक को व्यक्तिगत रूप से या प्लेटफार्म सहायक स्टेशन मास्टर को भेजकर यह सुनिश्चित करवाना चाहिये कि कांटे/ट्रैक किसी वाहन या अन्य किसी कारण से अवरोधित नहीं है और रेलपथ सुरक्षित है और यातायात संचालन के लिये संरक्षित है।
- 1) जब कभी भी एक काँटा या सिगनल फेल पहले से ही संकेतित हो गया है और बजर का बन्द कर दिया गया है तब दूसरे सिगनल या काँटा फेलियर होने पर संकेत या बजर के द्वारा सूचित नहीं होगा हालांकि सम्बन्धित सिगनल या काँटा जो फेल हो गया है पैनल पर फ्लैश करता रहेगा।
 - 2) सुनाई पड़ने वाली बजर चैकिंग संकेत के साथ बजने पर तब तक बंद नहीं किया जा सकता जब तक कि फेलियर ठीक न हो जाये। कार्यरत स्टे.मास्टर को चैक कर लेना चाहिए कि कहीं कोई संचालित बटन दबी हालत में तो नहीं रह गया है। अगर ऐसा है तो उसे वह रिलीज कर दें। अगर वह खराब बटन को पता न लगा पाएँ तो फिर कार्यरत जे.ई./एस.ई./ई.एस.एम. को सूचित करें।

5. पैनल संकेत :-

5.1 काँटा संकेतक :-

कन्ट्रोल पैनल पर काँटा संकेत की स्थिति पैनल पर कांटो के पास प्रदीप्त आयताकार स्लिट से पता चलती है कांटो की सामान्य स्थिति आयताकार स्लिट की सीधे रूट पर प्रकाशित होने से पता चलती है और कांटे का रिवर्स स्थिति में सेट होना आयताकार स्लिट के परिवर्तित रूट पर प्रकाशित होने से पता चलती है। यह स्लिट स्थिर सफेद बत्ती प्रदर्शित करती हैं। यदि कांटे उचित रूप से सेट है और ट्रैक सर्किट जो इन कांटो को नियंत्रित करती है तब यह स्लिट सफेद स्थिर बत्ती प्रदर्शित करेगी और यदि कांटो को नियंत्रित करने वाला ट्रैक सर्किट घिरी हुई है या कांटे/ट्रैक सर्किट खराब हो गये है तब यह स्लिट लाल रोशनी प्रदर्शित करेगी। यदि कोई काँटा उचित रूप से सेट नहीं होता है तब सफेद स्थिर बत्ती फ्लैशिंग सफेद बत्ती में बदल जायेगी। फ्लैशिंग सफेद बत्ती जब कांटे बदले जा रहे हो तब बहुत कम समय के लिये चमेकेगी। कार्यरत स्टेशन प्रबंधक को इसे काँटा खराबी के रूप में नहीं समझना चाहिये यदि यह फ्लैशिंग 10 सेकण्ड से कम समय तक रहती है। जब कांटे फ्लैश कर रहे हो तब इससे सम्बंधित रूट को सेट करने का प्रयास नहीं करना चाहिये

5.1.1 काँटा लॉकिंग संकेतक :-

जब कोई काँटा रूट के द्वारा घिरा हो तो वह पैनल पर कांटे के पास एक छोटे गोलाकार स्लिट में सफेद रोशनी द्वारा प्रकाशित होता है। जो यह प्रदर्शित करता है कि कांटे परिचालन के लिये फ्री नहीं है। जब यह संकेत दिखलाई पड़ता है तो स्टे.मास्टर को काँटे के साथ किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

5.2 सिगनल संकेतक :-

5.2.1 स्टेशन मास्टर के कार्यालय में पैनल पर सारे सिगनलों के संकेत दिखलाई पड़ते हैं जो इस बात का प्रमाण है कि निर्दिष्ट स्थान पर सिगनल जल रहे हैं। सारे सिगनलों के संकेत कन्ट्रोल पैनल पर दिखलाई पड़ते हैं। कन्ट्रोल पैनल पर रोक सिगनल का 'ऑन' ऑस्पेक्ट लाल संकेत दिखलाएगा और यदि मुख्य रोक सिगनल का 'ऑफ' ऑस्पेक्ट जैसा कि साइट पर पीला, दो पीला या हरा हो तो पैनल पर भी पीला, दो पीला, या हरा संकेत दिखायेगा।

डिस्टैंट सिगनल की सामान्य स्थिति एक पीली रोशनी है और यह कन्ट्रोल पैनल पर एक पीली बत्ती द्वारा प्रदर्शित होती है और डिस्टैंट सिगनल की 'ऑफ' स्थिति दो पीले या हरा पैनल पर दो पीले या हरे संकेत से प्रदर्शित होती है। जमीन पर लगे हुये शण्ट सिगनल के मामले में सिगनल की 'ऑन' और 'ऑफ' स्थिति पैनल पर सीधी सफेद स्लिट या तिरक्षी सफेद स्लिट द्वारा प्रदर्शित होती है। मुख्य सिगनल के नीचे जब कॉलिंग ऑन सिगनल या शण्ट सिगनल 'ऑफ' होता है तब यह सफेद छोटी बत्ती द्वारा प्रदर्शित होता है। सामान्य स्थिति में कॉलिंग ऑन/शण्ट सिगनल कोई रोशनी नहीं दिखाते है।

5.2.2 दिशाओं के रूट इन्डीकेटर संकेत :-

जिन सिगनलों पर दिशा निर्देशित करने वाले रूट इन्डीकेटर लगे है वह पैनल पर रूट इन्डीकेटर स्लॉट पर सामान्यतः कोई संकेत नहीं देता है लेकिन जब कोई रूट इन्डीकेटर साइट पर जलता है तब वह पैनल के सम्बन्धित सिगनल के रूट इन्डीकेटर पर परिवर्तित सफेद स्लिट द्वारा प्रदर्शित होता है।

5.2.3 रूट संकेत :-

जब कभी रूट को सैट किया जाएगा तो सिगनल बटन और सम्बन्धित रूट बटन को एक साथ दबाया जाएगा जिससे दूसरे सिगनल और उसके ओवर लैप तक पूरे ट्रैक सर्किट खण्ड तक आयताकार सफेद बत्ती प्रकाश दिखाई देने लगेगा। जब इस प्रकार रूट को सैट और तालित कर दिया जाएगा तो रूट में सम्बन्धित काँटे के पास एक सफेद गोल लाइट का संकेत मिलने लगेगा। रेलपथ परिपथ भाग में प्रदर्शित सफेद बत्तियां लाल बत्तियों में परिवर्तित हो जाएगीं, जब रेलपथ खण्ड किसी गाड़ी अथवा किसी वाहन द्वारा घिरेगी और जब तक रेल परिपथ साफ नहीं हो जाता यह लाल ही रहेगी। गाड़ी के उस स्थान से निकल जाने के बाद जब रेल परिपथ साफ होने पर सफेद स्लिट पुनः जल जायेगी और रूट के रिलीज होने पर यह बुझ जाएगी। शंट सिगनल के मामले में रूट वाला हिस्सा बर्थिंग परिपथ और नॉन ट्रैक सर्किटेड पोर्शन को छोड़कर बाकी बचे हिस्से पर सफेद रूट प्रकाश दिखलाई देने लगेगा।

5.3 ट्रैक सर्किट संकेत :-

5.3.1 पैनल के ऊपर पूरे क्षेत्र में जहां तक नियंत्रण है सारे परिपथ के सर्किट अलग-अलग रंगों में दिखलाए गये हैं। पैनल पर रेल परिपथ सर्किट के इन्डीकेटर रेल परिपथ में लाल और सफेद लैम्प लगे हुये है। साधारणतया यह इन्डीकेटर जलते नहीं है। जब कभी कोई रूट सैट और तालित किया जाता है सम्बन्धित रूट खण्ड और ओवर लैप के परिपथ पर सफेद लाइट जलने लगती है। इसके पश्चात जब गाड़ी रेल परिपथ खण्ड को घेर लेती है, सफेद लाइट बुझ जाती है और लाल लाइट यह संकेत देती है कि कोई गाड़ी से परिपथ घिरा है, जब गाड़ी चली जाती है और परिपथ खण्ड साफ हो जाता है तो लाल लाइट बुझ जाती है और पुनः सफेद लाइट जल जाती है। सफेद लाइट भी अन्त में बुझ जाती है, जब सम्बन्धित रूट खण्ड रिलीज स्वयं हो जाता है या रद्द कर दिया जाता है।

5.3.2 कन्ट्रोल पैनल पर रेल परिपथ खण्ड फेल का संकेत देता है जबकि उस सम्बन्धित परिपथ खण्ड पर लाल लाइट दिखने लगती है, चाहे उस परिपथ खण्ड को सैट किया गया हो अथवा नहीं। लैम्प फेलियर इन्डीकेशन के मामले में (ट्रैक) परिपथ के फेलियर के बचाव में सर्किट परिपथ के आयताकार इन्डीकेटर हमेशा दो या दो से अधिक समानान्तर लैम्प इन्डीकेटर की रचना में होते हैं।

5.4 फ्लैशर इन्डीकेशन

पैनल के सबसे ऊपर वाली लाइन में एक लगातार फ्लैश करने वाला इन्डीकेटर दिया हुआ है जो कार्यरत स्टेशन प्रबंधक को यह संकेत देता है कि फ्लैशर रिले उपकरण कार्य कर रहा है।

यदि उपकरण में कोई दोष आ जाता है, यह इन्डीकेशन स्थिर हो जाएगा और यदि काँटे सही तरीके से सैट नहीं है तो फ्लैशिंग संकेत नहीं आएगा उस काँटे के लिए और उसके बगैर लाए ही स्थिर संकेत आ जाएगा जो कि भ्रामक है (धोखा देने वाला है)।

इसलिए स्टे.मास्टर को जिस समय काँटों का संचालन करते हैं उस लगातार फ्लैशिंग को चैक करना चाहिए और जिस समय सिगनल को 'ऑफ' करें, तब भी यह सुनिश्चित करें कि फ्लैशिंग लगातार दिखें। जब कभी भी फ्लैशिंग इन्डीकेशन फेल हो गया हो तब स्टे.मास्टर को सिगनल पर संचालन की अनुमति है लेकिन यदि बिना सिगनल दिये यदि कोई संचालन करना है तो काँटों को सैट कर क्लैम्प और तालित करना अनिवार्य है। स्टे.मास्टर/सहा.स्टे.मास्टर को "लगातार फ्लैशिंग इन्डीकेशन" के फेलियर के बारे में जे.ई./एस.ई./ई.एस.एम. को सूचित करना चाहिए।

5.5 काँटा या सिगनल लैम्प फेलियर इन्डीकेशन :-

सिगनल लैम्प फेलियर और काँटा फेलियर के मामले में कन्ट्रोल पैनल पर सम्बन्धित काँटा या सिगनल संकेत स्थिर की जगह फ्लैशिंग करने लगेंगे। सिगनल के मामले में यदि हरा संकेत फ्लैश कर रहा है तब इसका अर्थ है कि सिगनल का हरा बल्ब फ्यूज हो गया है लेकिन सिगनल दूसरा रेस्ट्रिक्टिव 'ऑफ' संकेत दिखाएगा। लेकिन हरे फ्लैशिंग इन्डीकेशन के साथ-साथ लाल स्थिर संकेत भी पैनल पर आए तो इसका अर्थ है कि सिगनल लैम्प का पीला संकेत भी फ्यूज हो गया है और सिगनल 'ऑन' संकेत दिखलाएगा। सिगनल का लाल लैम्प फेल हो जाने पर बजर के साथ-साथ पैनल पर फ्लैशिंग लाल संकेत दिखने लगेगा।

सिगनल लैम्प के फेलियर के कारण सिगनल दूसरे प्रतिबंधित ऑस्पेक्ट में बदल जाएगा और पैनल पर भी जैसा कि टेबुलेटेड फार्म पर दिखाया गया है, संकेत बदल जाएगा। जब कोई सिगनल ब्लैन्क (गुल) हो जाता है तब बजर के साथ सिगनल का नार्मल इन्डीकेशन फ्लैश करना शुरू कर देगा। इस तरह के एलार्म को सुनने के बाद और लाल फ्लैशिंग संकेत को देखने के बाद सिगनल लैम्प फेलियर के मामले में सहायक स्टे.मास्टर को जी.एक्स.वाई.एन. बटन को दबायेगा और जब काँटा संकेत फेल हो जाये तब डब्ल्यू.एक्स.वाई.एन बटन दबायेगा, और क्रैन्क हैण्डिल फेल हो गया हो तब सी.एच.एक्स.वाई.एन बटन दबायेगा। जी.एक्स.वाई.एन/डब्ल्यू.एक्स.वाई.एन./सी.एच.एक्स.वाई.एन के दबाने के कारण बजर बजना बन्द हो जाएगा, लेकिन लगातार लाल संकेत तब तक बना रहेगा जब तक कि फेलियर को सही नहीं कर दिया जाएगा।

अप और डाउन लाइन के होम सिगनल के लाल लैम्प के फ्यूज होने पर या डिस्टेन्ट सिगनल के ब्लैन्क हो जाने पर और बजर सुनायी देने पर स्टे.मास्टर पिछले स्टे.मास्टर को लोकोपायलट को सतर्कता आदेश जारी करने के लिये सूचना देगा कि लोकोपायलट बुझे सिगनल को देखने के लिये सतर्क रहे। स्टे.मास्टर ई.एस.एम. को भी फ्यूज बल्ब बदलने के लिए सूचित करें।

टिप्पणी:- इस स्टेशन पर सभी सिगनल एल.ई.डी टाईप के हैं।

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जी &जी)झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

5.6 बहुत देर तक दबे बटन के संचालन के संकेत :-

यदि कोई भी बटन 10 सेकण्ड से अधिक समय तक दबाकर रखा जायेगा तब बटन को डिटैक्ट करने वाला एन.सी.आर. संकेत (लाल लाइट) बजर के साथ दिखने लगेगा। सहायक स्टे.मास्टर को निरीक्षण कर दबे हुये बटन को खींचकर रिलीज कर देना चाहिए। जब तक एन.सी.आर. संकेत रहता है तब तक पैनल से किसी भी काँटे या सिगनल का संचालन सम्भव नहीं होगा और पैनल संचालित नहीं होगा। जब कभी भी पैनल संचालित न हो तब स्टेशन प्रबंधक को विशेष रूप से एन.सी.आर. संकेत को चैक करना चाहिए। यदि कार्यरत स्टे.मास्टर द्वारा दबे बटन को खींचने के लिए प्रयास कर लिए जाने के बाद भी एन.सी.आर. इन्डीकेशन बना रहता है तो तुरन्त ई.एस.एम./जे.ई./एस.आई. को सूचना देनी चाहिए।

6. पैनल का संचालन :-

पैनल पर किसी भी संचालन के लिए एक साथ दो बटनों को 3 सेकण्ड तक दबाना और रिलीज करना है यानि सिगनल बटन और रूट बटन रूट सैट करने के लिए और सिगनल को क्लियर करने के लिए और काँटो को सेट करने के लिये काँटा गुप बटन और काँटा बटन एक साथ दबाना और छोड़ना चाहिये। स्टे.मास्टर को यह सुनिश्चित करना है कि एक साथ दो बटन से ज्यादा को नहीं दबाना है।

6.1 काँटों का संचालन :-

काँटे किसी भी समय अन्तिम परिचालित स्थिति में रहेंगे। काँटों को सामान्य से रिवर्स स्थिति अथवा रिवर्स से सामान्य स्थिति में सैट करने के लिए व्यक्तिगत काँटा बटन (डब्ल्यू.एन.) और काँटा गुप बटन (डब्ल्यू.डब्ल्यू.एन.) को एक साथ दबाना एवं रिलीज करना चाहिए, बशर्ते कि काँटा किसी रूट द्वारा तालित न हो और काँटों को नियंत्रित करने वाला ट्रैक सर्किट धिरा न हो।

टिप्पणी :- काँटों को कन्ट्रोल करने वाला ट्रैक सर्किट जब फेल हो जाये तब यदि काँटों का संचालन करना है तब कार्यरत स्टे.मास्टर को स्वयं यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सम्बन्धित ट्रैक सर्किट किसी गाड़ी अथवा डिब्बे से धिरा हुआ तो नहीं है, तब सम्बन्धित (डब्ल्यू.एन.) काँटा बटन के साथ सम्बन्धित आपात काँटा बटन (ई.डब्ल्यू.एन.) को एक साथ दबाना चाहिए और रिलीज करना चाहिये। प्रत्येक बार जब (ई.डब्ल्यू.एन.) का इस प्रकार संचालन करेंगे तब ई.डब्ल्यू.एन काउन्टर में एक नंबर बढ़ जायेगा जिसकी प्रविष्टि (ई.डब्ल्यू.एन.) रजिस्टर में कर दें, रजिस्टर में ई.यू.वाई.एन. और ई.यू.वाई.एन. जैसे ही कालम बने हैं। स्टे.मास्टर ई.डब्ल्यू.एन से संचालन करने के पहले इसकी सील तोड़ देंगे और ई.एस.एम. को तुरन्त पुनः सील करने के लिए सूचित करेंगे और जरूरी प्रविष्टियां रजिस्टर में करेंगे।

6.2 मुख्य सिगनल का संचालन :-

मुख्य सिगनल को 'ऑफ' करने से पहले यदि कोई समपार फाटक है तो उसे बन्द और तालित कर देना चाहिए। इसके बाद एक साथ सम्बन्धित सिगनल और रूट बटन को दबाना चाहिए और रिलीज कर देना चाहिये, रूट में पड़ने वाले काँटे और आइसोलेसन काँटे स्वयं ही आवश्यक स्थिति में आ जायेंगे, यदि वह पहले से ही इन स्थिति में न हों, बशर्ते स्लॉट वाले सिगनलों के मामले में स्लॉट मिल गया हो। ओवरलैप में पड़ने वाले काँटे अपने आप सामान्य स्थिति के लिये सेट हो जायेंगे। यदि डार्कवर्शन ओवरलैप चाहिए तो पहले स्टार्टर सिगनल को ऑफ करें फिर होम सिगनल को 'ऑफ' करें।

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जी &जी)झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

6.3 **शंट सिगनल का संचालन :-**

शंटिंग मूवमेन्ट के मामले में यदि कोई समपार फाटक है तो उसे बन्द और तालित करना है, शंट सिगनल बटन और रूट बटन एक साथ दबाने और छोड़ देना चाहिए इससे रूट में पड़ने वाले कांटे यदि पहले से सेट नहीं है तब अपने आप आवश्यक स्थिति में सेट हो जायेंगे और सिगनल 'ऑफ' हो जाएगा, बशर्ते स्लॉट मिलने पर ऑफ होने वाले सिगनलों के लिये स्लॉट मिल गया हो।

6.4 **कॉलिंग ऑन सिगनल का संचालन :-**

कॉलिंग ऑन सिगनल होम सिगनल नम्बर एस-2 और एस-19 के सिगनल पोस्ट पर इन सिगनलों के नीचे लगे हैं जो गाड़ियों के आगमन को नियंत्रित करते हैं। कॉलिंग ऑन सिगनल जब 'ऑफ' नहीं है तो यह कोई लाइट नहीं दिखाएंगे और 'ऑफ' स्थिति में एक छोटी पीली लाइट दिखाएंगे और इनकी पहचान के लिये एक सफेद पट्टी पर काले से शब्द "सी" लिखा, उपलब्ध होता है। जब कभी होम सिगनल फेल हो जाता है या रूट में कोई ट्रैक सर्किट खराब हो जाता है तब किसी गाड़ी को रिसीव करने के लिए होम सिगनल को 'ऑफ' करना सम्भव नहीं होता है ऐसी स्थिति में कॉलिंग ऑन सिगनल को 'ऑफ' करके गाड़ी को लिया जा सकता है।

कोई गाड़ी जिसको कॉलिंग ऑन सिगनल पर रिसीव करना है उसे होम सिगनल के पास कॉलिंग ऑन ट्रैक सर्किट (सी.ओ.2 टी या सी.ओ.19 टी) पर खड़ा होना चाहिए (जैसा भी मामला हो) किसी निश्चित रूट के लिए कॉलिंग ऑन सिगनल को क्लियर करना है (सम्बन्धित रूट को सैट करना है) जब मुख्य सिगनल 'ऑफ' नहीं हो रहा है और रूट सैट है पहले सम्बन्धित होम सिगनल बटन को सी.ओ.जी.जी.एन. बटन के साथ दबाये और केवल सी.ओ.जी.जी.एन बटन को रिलीज करें और सिगनल बटन को दबाये रखते हुये रूट बटन को दबाये और अब दोनो बटनों को रिलीज कर दें। पैनल पर एक सफेद लाइट होम सिगनल के पास गोलाकार स्लिट में फ्लैश करने लगेगी जो कि 60 सेकण्ड के बाद स्थिर हो जायेगी और साथ ही साथ कॉलिंग ऑन सिगनल साइट पर 'ऑफ' हो जायेगा और पैनल पर कॉलिंग ऑन सिगनल के गोलाकार स्लिट में सफेद संकेत दिखायी देने लगेगा। कॉलिंग ऑन सिगनल CO-2 या CO-19 के ट्रैक सर्किट पर गाड़ी के आगमन से स्वतः ही बुझ जायेगा। प्रत्येक बार जब कॉलिंग ऑन सिगनल का संचालन होगा तो सी.ओ.जी.जी.एन. काउण्टर का एक नंबर बढ़ जायेगा इसकी प्रविष्टि में रजिस्टर कर दें।

टिप्पणी :-अगर नियन्त्रण पैनल पर कोई ट्रैक सर्किट फेल दिखाई देता है तब होम सिगनल 'ऑफ' करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सम्बन्धित होम सिगनल बटन को सी.ओ.जी.जी.एन. बटन के साथ दबाये और केवल सी.ओ.जी.जी.एन बटन को रिलीज करें और सिगनल बटन को दबाये रखते हुये रूट बटन को दबाये और अब दोनो बटनों को रिलीज कर दें। पैनल पर एक सफेद लाइट होम सिगनल के पास गोलाकार स्लिट में फ्लैश करने लगेगी जो कि 60 सेकण्ड के बाद स्थिर हो जायेगी और साथ ही साथ कॉलिंग ऑन सिगनल साइट पर 'ऑफ' हो जायेगा।

7. **सिगनल को 'ऑन' करना और रूट कैंसिल करना :-**

7.1 **सिगनल वापस ऑन स्थिति में करना :-**

जब कभी भी किसी रोक सिगनल को आपात स्थिति में या अन्य किसी कारण से 'ऑन' स्थिति में वापस करना हो तब ऐसा सम्बन्धित सिगनल बटन और आपातकालीन सिगनल कैंसिलेशन बटन(ई.आर.एन) को एक साथ दबाकर छोड़ देने से सम्बन्धित सिगनल वापस ऑन स्थिति में आ जायेगा।

7.2 **पहले से ही सेट रूट को जब कांटे फेल न हो कैंसिल करना(ई.यू.यू.वाई.एन संचालन):-** सामान्यतया एक बार रूट सैट कर दिया जाता है तो उसे रद्द नहीं करना चाहिए क्योंकि वह स्वयं ही रिलीज हो जाता है जब गाड़ी पूरे रूट पर से निकल जाती है और यह पैनल पर रूट लाइट के बुझने से पता चल जाता है। फिर भी यदि किसी कारण वश सेट रूट को कैंसिल करना हो तब सहायक स्टे.मास्टर को जैसा ऊपर पैरा 7.1 में बतलाया है के अनुसार उन सिगनलों को 'ऑन' करेगा जिसे 'ऑफ' किया था।

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जी &जी)झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

इसके बाद कार्यरत स्टेशन प्रबंधक सम्बंधित सिगनल बटन (अग्रिम प्रस्थान सिगनल के अतिरिक्त) और इमरजेन्सी रूट रिलीज बटन (ई.यू.यू.वाई.एन) एक साथ दबायेगा और ई.यू.यू.वाई.एन को रिलीज कर देगा एवं सिगनल बटन को दबाये हुये रखेगा एवं रूट बटन को दबायेगा, इससे रूट और ओवरलैप दोनो क्लियर हो जायेंगे बशर्ते कि एप्रोच ट्रैक किसी गाड़ी के द्वारा घिरा हुआ न हो। यदि एप्रोच ट्रैक घिरा हुआ हो तब रूट तालित प्लैशिंग संकेत पैनल पर आ जाएगा (एक छोटी गोल सफेद लाइट) सिगनल के दाहिनी ओर।

एप्रोच लॉकिंग को रिलीज करने के लिये निर्धारित 120 सेकण्ड तक रूट लॉक संकेत बना रहेगा। रूट संकेत के स्थिर हो जाने के बाद रूट को रद्द कर दें। प्रत्येक बार इस तरह से रूट कैंसिल करने पर कन्ट्रोल पैनल पर दिये गये (ई.यू.यू.वाई.एन.) काउन्टर पर एक नंबर बढ़ जायेगा। अग्रिम प्रस्थान सिगनलों के मामले में जब सिगनल को ई.आर.एन बटन द्वारा 'ऑन' करेंगे तब रूट रद्द हो जायेगा। रूट के किसी ट्रैक सर्किट के फेलियर के मामले में ई.यू.यू.वाई.एन बटन द्वारा केन्सीलेशन का तरीका स्टे.मास्टर को नहीं अपनाना चाहिए अन्यथा इससे कॉलिंग ऑन सिगनल फेल हो सकता है।

टिप्पणी :-

- i- यदि टाइमर उपकरण की खराबी के कारण पैनल पर रूट लॉक संकेत 120 सेकण्ड से पहले ही बुझ जाता है, तब स्टे.मास्टर 2 मिनट तक रुकेगें और तब रूट को रद्द करेंगे। स्टे.मास्टर को फिर ई. एस.एम. को फेलियर को सूचित करेंगे और इसकी प्रविष्टि एस एण्ड टी फेलियर रजिस्टर में करेंगे।
- ii- यदि एक या दो ट्रैक सर्किट खराब है तब खराब ट्रैक सर्किट से सम्बंधित रूट गाड़ी के निकलने के बाद या ई.यू.यू.वाई.एन बटन के संचालन द्वारा कैंसिल नहीं होगा। ऐसे हालात में स्टे.मास्टर स्वयं सुनिश्चित करेगा और देखेगा कि खराब ट्रैक सर्किट किसी गाड़ी या डिब्बे से तो घिरा हुआ नहीं है उसके बाद चाबी डाल कर घुमाएगा और पैनल पर (ई.यू.वाई.एन.) इमरजेन्सी रूट सेक्शन रिलीज बटन को चलाएगा और तब उस खराब रूट सेक्शन को रिलीज करेगा। ऐसा रूट ई.यू.वाई.एन बटन के साथ प्वाइंट बटन को प्वाइंट कैंसिल करने के लिये और सिगनल बटन के साथ सिगनल को कैंसिल करने के लिये दबायेगा इससे सम्बंधित कांटा रूट या सिगनल रूट जैसा भी मामा हो रिलीज हो जाएगा।
- iii- पैनल पर रखे गये रजिस्टर (ई.यू.वाई.एन.) में स्टे.मास्टर रूट रद्द करने के कारण बढ़ी हुई रीडिंग नंबर और अन्य विवरण लिखेगा।
- iv- रजिस्टर में निम्नलिखित कॉलम होने चाहिए:-
 1. क्रम संख्या
 2. दिनांक एवं समय
 3. रद्द किये जाने वाला रूट
 4. रूट को रद्द करने का कारण
 - 5.रूट को रद्द करने के पहले /बाद में निकलने वाली गाड़ी जिसके बाद रूट कैंसिल किया गया
 - 6.ड्यूटीवाले स्टे. अधी./ स. स्टे. मा. के हस्ताक्षर
 - 7.समय जब रूट रद्द किया गया ।
 8. रूट को रद्द करने के बाद ई यू वाई एन काउन्टर की रीडिंग
 - 9.टिप्पणी (विशेष कथन)

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जी &जी)झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

7.2.1 ओवर लैप रद्द करना :

गाड़ी के आ जाने और बर्थिंग ट्रेक घर लेने के बाद ओवरलैप 2 मिनट निर्धारित समय के अन्तराल बाद स्वचालित रूप से रिलीज हो जाता है। यदि ओवरलैप (जिसमें कांटे हैं) किसी कारणवश किसी गाड़ी के आगमन के बाद स्वचालित रूप से रिलीज नहीं होता है जो ओवरलैप भाग के प्रकाशित होने से प्रदर्शित होगा। ड्यूटीवाले स्टे. अधी./स. स्टे. मा. रूट बटन एवं ओ वाई एन बटन को एक साथ दबाकर रिलीज करेंगे। इससे ओवर लैप रिलीज होगा। इस प्रकार प्रत्येक बार जब ओवरलैप रिलीज किया जायेगा तब यह कन्ट्रोल पैनल पर लगाये गये ओ. वाई एन काउन्टर पर रिकार्ड होगा।

काउन्टर परिचालन की रीडिंग को रिकार्ड करना :

नियंत्रण पैनल पर लगाये गये सम्बंधित काउन्टरों पर निम्नलिखित बटनों का परिचालन रिकार्ड होता है ।

1.	इमरजेन्सी प्वाइंट बटन (ई डब्ल्यू एन)
2.	इमरजेन्सी रूट रिलीज बटन (ई यू यू वाई एन)
3.	ओवर लैप रिलीज बटन (ओ वाई एन)
4.	इमरजेन्सी रूट सब सैक्शन रिलीज बटन (ई यू वाई एन)
5.	कॉलिंग ऑन सिगनल ग्रुप बटन (सी ओ जी जी एन)

ड्यूटीवाले स्टे. अधी./स. स्टे. मा. को ऐसे सभी परिचालनों का उचित रिकार्ड रखना चाहिये उपयुक्त प्रत्येक बटनों के लिये पृथक रजिस्टर अथवा सामान्य रजिस्टर पृथक भागों में रखना चाहिये जिसमें बटन को परिचालित किये जाने का समय तथा काउन्टर की रीडिंग उन परिस्थितियों को जिनके अन्तर्गत आपातकालीन परिचालन करना पड़ा का स्पष्ट उल्लेख करते हुये रिकार्ड की जानी चाहिये।

ड्यूटीवाले स्टे. अधी./ स. स्टे. मा. को अपने रिलीवर को चार्ज देने से पहले सम्बंधित रजिस्टर /रजिस्टरों में सभी काउन्टरों की अंतिम रीडिंग रिकार्ड करनी चाहिये ।

स्टेशन प्रबंधक जो ड्यूटी पर कार्यभार ग्रहण करेंगे उन्हें रजिस्टर में सभी काउन्टरों के नंबर को यह सुनिश्चित करने के लिये चेक करना चाहिये कि नंबरों की प्रविष्टि सही की गयी है।

7.2.2 यदि टाइमर उपकरण की खराबी के कारण पैनल पर सिगनल 'ऑन' किये जाने के बाद रूट को 120 सेकण्ड के बाद कैंसिल हो जाना चाहिये यदि सिगनल के पास स्थित सफेद बत्ती 120 सेकण्ड से पहले ही स्थिर हो जाता है या बुझ जाता है तब स्टे.मास्टर 2 मिनट तक रुकेगें और तब रूट को रद्द करेंगे। स्टे.मास्टर को फिर ई.एस.एम. को फेलियर को सूचित करेंगे और इसकी प्रविष्टि एस एण्ड टी फेलियर रजिस्टर में करेंगे।

7.3 जब रूट के काँटे या ट्रेक सर्किट खराब हो तब रूट को रद्द करना (ई.यू.वाई.एन का परिचालन):-

सामान्यतया जब कभी रूट के काँटे और ट्रेक सर्किट खराब न हो तो गाड़ी के निकल जाने के बाद स्वयं ही जो रूट सैट किया हो रिलीज हो जाता है लेकिन जैसा कि उपर्युक्त पैरा 7.2 में दिया गया है कि जब कभी भी गाड़ी के निकल जाने के बाद ट्रेक सर्किट या काँटे अपने आप या ई.यू.वाई.एन परिचालन से रिलीज नहीं होते हैं तब इसके अतिरिक्त अब दूसरे आपातकाल संचालन ई.यू.वाई.एन. द्वारा रूट को रद्द किया जाएगा जो कि 120 सेकण्ड के टाइमर के बाद रद्द हो जाएगा। इसलिए इस बटन द्वारा संचालन करने के पूर्व सहायक स्टे. मास्टर को व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करने के बाद करना चाहिए कि कहीं खराब ट्रेक सर्किट पर कोई गाड़ी या डिब्बा तो नहीं खड़ा है।

स्टे.मास्टर को सिगनल बटन और ई.यू.वाई.एन. बटन को एक साथ दबाना चाहिए और ई.यू.वाई.एन. चाबी को लगाकर घुमाना चाहिये। 120 सेकण्ड के अंतराल के बाद रूट कैंसिल हो जायेगा और ई.यू.वाई.एन. काउन्टर में एक नंबर बढ़ जायेगा। स्टे.मास्टर/सहायक स्टे.मास्टर को एक रजिस्टर में रीडिंग लिखना चाहिए और अन्य विवरण रूट रद्द करने के (ई.यू.वाई.एन. बटन के साथ) निम्नलिखित तरीके से लिखना चाहिए।

(1) सीरियल नं०

(2) दिनांक और समय

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जी &जी)झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

- (3) रूट जिसको रद्द करना हो
- (4) गाड़ी नं० के साथ कारण
- (5) स्टे.मास्टर के हस्ताक्षर
- (6) रूट रद्द करने का समय
- (7) ई.यू.वाई.एन. काउन्टर की रीडिंग रूट रद्द करने के बाद
- (8) टिप्पणी

7.3.1 **जब कभी "कॉलिंग ऑन" सिगनल पर गाड़ी ली गई हो तब रूट रद्द करना :-**

जब कभी बर्थिंग ट्रैक सर्किट खराब हो गया हो तो गाड़ी को कॉलिंग ऑन सिगनल पर लिया जा सकता है। गाड़ी के आगमन के साथ-साथ बर्थिंग ट्रैक स्वयं ही रिलीज हो जायेगा। अगर स्वयं रिलीज नहीं होता है तो उसे ई.यू.वाई.एन. के संचालन से पैरा 7.2 के अनुसार रिलीज किया जा सकता है।

8. **मोटर प्वाइंट के लिए इण्टरलॉकड क्रैंक हैण्डिल का संचालन:-**

- 8.1 पैनल कन्ट्रोल सी.एच-1 (201ए / 201बी), सी.एच-2 (202ए / 202बी), सी.एच-3 (203ए / 203बी) सी.एच-4 (204), सी.एच-5 (205), सी.एच-6 (206ए / 206बी), सी.एच-95 (295ए / 295बी), सी.एच-97 (297ए / 297बी), सी.एच-98 (298ए / 298बी) और सी.एच-99 (299ए / 299बी) :-

काँटे की मशीन फेल होने के समय, टेस्टिंग के समय या काँटों की मशीन के मेन्टीनेन्स के समय ऑपरेंटिंग और सिगनल कर्मचारी को क्रैंक हैण्डिल की आवश्यकता होती है। क्रैंक हैण्डिल सिगनलों के साथ इण्टरलॉकड है। क्रैंक हैण्डिल चाबी ऐसा यंत्र है जो जब मोटर प्वाइंट मशीन के चाबी छेद में लगाकर घुमायी जाती है तब यह पावर सप्लाय को काट देती है और साथ ही साथ क्रैंक हैण्डिल लगाने के लिये स्लॉट को खोल देती है। जब तक क्रैंक हैण्डिल चाबी मोटर प्वाइंट मशीन में लगाकर घुमायी नहीं जाती तब तक क्रैंक हैण्डिल को मोटर प्वाइंट मशीन में हस्तचलित परिचालन के लिये नहीं लगाया जा सकता है।

8.2 **के.एल.सी.आर. रिले क्रैंक हैण्डिल चाबी के साथ :-**

सामान्यतया रिले में क्रैंक हैण्डिल चाबी तालित रहती है जिसे के.एल.सी.आर. कहते हैं। ऐसे सम्बंधित कांटो/क्रॉस ओवर के के.एल.सी.आर. स्टेशन मास्टर कार्यालय में बॉक्स में लगे रहते हैं। इसकी चाबी स्टेशन प्रबंधक की अभिरक्षा में रहती है।

8.3 **कन्ट्रोल यूनिट :-**

नीचे दिये अनुसार प्रत्येक ग्रुप के पैनल पर एक कन्ट्रोल यूनिट दिया गया है:-

1	सी.एच./एल.सी.कन्ट्रोल बटन	क्रैंक हैण्डिल चाबी/एल.सी गेट को कन्ट्रोल देने के लिए या वापस लेने के लिए।
2	सी.एच.वाई.एन और डब्ल्यू एन स्लॉट बटन	क्रैंक हैण्डिल चाबी पर कन्ट्रोल रिलीज करने के लिये सी.एच.वाई.एन और एक्स एक्स बटन के साथ सम्बंधित स्लॉट बटन को दबाना और रिलीज करना है।

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जी &जी)झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

3	सी.एच.वाई.आर.एन.और डब्ल्यू एन स्लॉट बटन	क्रैंक हैण्डिल चाबी का कन्ट्रोल वापस लेने के लिये सी.एच.वाई.आर.एन और एक्स.आर.एन बटन को एक साथ दबाना।
4	सफेद लाइट	स्लॉट बटन के ऊपर दिया गया है, साधारणतया स्थिर रहता है और ज्यों ही कन्ट्रोल रिलीज होता है यह फ्लैश करने लगता है।
5	लाल लाइट	स्लॉट बटन के पास दिया गया है के.एल.सी.आर. रिले से क्रैंक हैण्डिल चाबी निकालते ही सफेद लाइट लाल लाइट में बदल जाती है।

8.5 संचालन :-

जब कभी भी क्रैंक हैण्डिल द्वारा कांटो का संचालन परिचालन विभाग के कर्मचारी या सिगनल विभाग के कर्मचारी द्वारा किया जाना हो तब वे पैनल स्टे.मास्टर से क्रैंक हैण्डिल ले लेंगे, जो क्रैंक हैण्डिल देने से पहले रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां करेंगे।

सम्बन्धित कर्मचारी स्टेशन प्रबंधक के कार्यालय में सम्बन्धित काँटे का क्रैंक हैण्डिल निकालने के लिए के.एल.सी.आर बॉक्स के पास जायेगा। पैनल ए.एस.एम सी.एच.वाई बटन और स्लॉट एक साथ दबाकर कन्ट्रोल रिलीज करेगा पैनल पर सफेद इन्डीकेशन स्लॉट बटन के पास फ्लैश करेगा। की लॉक रिले बाक्स पर लाल लाइट का आना इस बात का संकेत होगा कि क्रैंक हैण्डिल को कन्ट्रोल को ट्रान्समिट कर रहे हैं। इस लाल लाइट को देखने के बाद की लॉक रिले बाक्स पर लगा बटन दबाते हैं और चाबी निकालने के लिए चाबी को घड़ी चलने की विपरीत दिशा में 90° (नब्बे डिग्री) से घुमाते हैं और चाबी निकल जाती है। अब पैनल पर फ्लैशिंग सफेद इन्डीकेशन गायब हो जाएगा और स्थिर लाल संकेत आ जाएगा।

इस प्रकार रिलीज हुई क्रैंक हैण्डिल चाबी कर्मचारी द्वारा जिस मशीन काँटे के लिए उन्हें चाहिए, ले ली जायेगी। चाबी के कवर छेद को खोलने के बाद क्रैंक हैण्डिल चाबी उसमें डालें और घुमाते ही क्रैंक हैण्डिल डालने के लिए जगह बन जाती है। अब काँटे का संचालन क्रैंक हैण्डिल घुमाकर किया जा सकता है। फेलियर के समय ट्रैफिक कर्मचारी द्वारा काँटे को सैट और तालित करने के बाद या सिगनल कार्य करने वाले कर्मचारी द्वारा काम करने के बाद, पैनल ए.एस.एम. से पैनल पर स्थिर सफेद संकेत सुनिश्चित करेंगे, क्रैंक हैण्डिल चाबी सम्बन्धित के.एल.सी.आर. बाक्स में वापस रख दी जायेगी। क्रैंक हैण्डिल चाबी को उसमें डालकर घड़ी चलने की दिशा में 90° घुमाकर पैनल को नियंत्रण वापस किया जायेगा। पैनल पर सी.एच. स्लॉट बटन के ऊपर लाल लाइट गायब हो जायेगी और सफेद फ्लैशिंग लाइट दिखेगी। पैनल सहायक स्टे.मास्टर यह देखने के बाद पैनल पर डब्ल्यू.एन. और सी.एच.वाई.आर.एन. बटन दबाएगा और रिलीज करेगा और फ्लैशिंग सफेद लाइट स्थिर हो जाएगी जो कि पैनल को क्रैंक हैण्डिल को वापस हो जाना दर्शाएगा।

पैनल सहायक स्टे.मास्टर अब सिगनल को 'ऑफ' कर सकता है और प्रभावित काँटे पर सिगनल देकर आवागमन करा सकता है। यदि अब भी काँटा संकेतक फ्लैश कर रहा है तो खराब काँटो पर से गाड़ी के संचालन के लिए सामान्य और सहायक नियम 3.70 के अनुसार काँटो को क्लैम्प और तालित करके गाड़ियों का संचालन करेगा।

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जी &जी)झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

यदि के.एल.सी.आर. से क्रैंक हैण्डिल चाबी को नहीं निकाला गया है तब जो कन्ट्रोल पैनल सहायक स्टे.मास्टर ने दिया है उसे वह स्वयं वापस ले सकता है। ऐसे मामले में पैनल सहायक स्टे.मास्टर को स्लॉट और सी.एच.वाई. आर.एन. बटनों को साथ साथ दबाना है और रिलीज करना है। जब तक कि क्रैंक हैण्डिल चाबी बाहर है और यदि चाबी को वापस के.एल.सी.आर. में कर दिया है और घुमा दिया गया है, लेकिन स्लॉट सर्किट के फेल होने के कारण और बटनों के सही संचालन के बाद भी सहायक स्टे.मास्टर को कन्ट्रोल वापस नहीं मिलता है तब सिगनल जिनका सम्बन्ध काँटों से है उसे सिगनल फेलियर का मामला माना जाएगा और गाड़ियों का संचालन आवागमन सामान्य और सहायक नियम 3.68, 3.69, 3.70 के द्वारा किया जायेगा।

क्रैंक हैण्डिल रजिस्टर में नीचे लिखे कालम होंगे :-

- i- क्रमांक
- ii- क्रैंक हैण्डिल और उसकी चाबी का उपयोग करने वाले कर्मचारी का पदनाम
- iii- क्रैंक हैण्डिल और क्रैंक हैण्डिल चाबियों को लेने का समय और दिनांक
- iv- कारण यानि फेलियर को देखने के लिए या कि रख रखाव के लिए
- v- डिसकनेक्शन मेमो नंबर यदि कोई दिया गया हो तो
- vi- उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जो कि क्रैंक हैण्डिल को लेता है
- vii- स्टे.मास्टर/सहायक स्टे.मास्टर के हस्ताक्षर
- viii- सम्बन्धित चाबी और क्रैंक हैण्डिल के प्रयोग का विवरण
- ix- क्रैंक हैण्डिल चाबी और क्रैंक हैण्डिल के लौटाने का समय और दिनांक
- x- रिकनेक्शन मेमो नंबर यदि कोई दिया हो तो
- xi- क्रैंक हैण्डिल चाबी और क्रैंक हैण्डिल लौटाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
- xii- गाड़ियां जो कि खराब/डिसकनेक्टेड काँटों पर से निकाली गई हो उनके प्रत्येक के प्राइवेट नम्बर लिखते हुए
- xiii- स्टेशन मास्टर/सहायक स्टे.मास्टर के हस्ताक्षर।

8.5 बटन कालर :-

छह बटन कालर पैनल पर दिये गए हैं, इन्हें उन सिगनल और कन्ट्रोल बटन पर लगाना है जो लाइन ब्लॉक है। बटन कालर को प्रयोग करें जब कि चालू लाइन/लाइनें हैं/हैं धिरी है और अवरोधित है, स्लाइड, पुश बटन जो कि काम करते हैं/काँटो को रिलीज करते हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

क्रमांक	चालू लाइनें	स्टाप कालर को रूट बटन पर लगायें
1	अप मैन डाउन लाइन	बी.ए
2	अप 1 st लूप डाउन लाइन	बी. बी
3	अप 2 nd लूप डाउन लाइन	बी.सी
4	अप 3 rd लूप डाउन लाइन	बी.डी

9. रंगीन रोशनी वाले सिगनलों का संचालन :-

(ए) अप और डाउन डिस्टेन्ट के अतिरिक्त सब चालू लाइनों के लिए रोक सिगनल का संकेत लाल है। अप और डाउन डिस्टेन्ट सिगनल के तीन संकेत होते हैं। इस सिगनल का नार्मल संकेत एक पीला, सतर्क संकेत दो पीला और क्लियर संकेत हरा संकेत होता है। यह सिगनल होम सिगनल के संकेतों द्वारा अपने आप नियंत्रित होता है।

(बी) **रूट इन्डीकेटर :-**

पोजिशन लाइट रूट इन्डीकेटर अप और डाउन होम सिगनल पर उपलब्ध कराये गये हैं। रूट इन्डीकेटर पांच सफेद संकेतों की सफेद लाइट के साथ उस दिशा की ओर दिखलाई पड़ेगा जिस तरफ को परिपथ मोड़ दिये हुए सैट किया गया है और इसके साथ एक पीली लाइट भी जलेगी जो यह बतलाते हैं कि रूट मोड़ के लिए सैट किया गया है न कि सीधे रास्ते को।

(सी) **संकेत चार्ट :-**

यातायात के लिए भिन्न सिगनलों के लिए संकेत निम्न प्रकार से है :-

आर	=	लाल (रूको, स्टॉप)
वाई	=	पीला (सावधान, कॉसन)
वाई.वाई	=	दो पीले (सतर्क, अटेन्सन)
जी	=	हरा (साफ, क्लियर)
आर.आई.	=	रूट इन्डीकेटर

(i) **डाउन गाड़ियां :-**

डाउन लाइन से डाउन गाड़ियों का संचालन	डाउन डिस्टेन्ट	डाउन होम	डाउन स्टार्टर	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल
	एस-2 डी	एस-2		एस-20
डाउन मुख्य लाइन से बिना रूके जाना	जी	जी	जी	जी
डाउन मुख्य लाइन पर रूकना	वाई वाई	वाई	एस-18 आर	
अप प्रथम लूप डाउन लाइन पर रूकना	वाई वाई	वाई.(रूट संकेत के साथ)	एस-12 आर	-
अप द्वितीय लूप डाउन लाइन पर रूकना	वाई वाई	वाई.(रूट संकेत के साथ)	एस-16 आर	
अप तृतीय लूप डाउन लाइन पर रूकना	वाई वाई	वाई.(रूट संकेत के साथ)	एस-14 आर	
होम सिगनल पर रूकना	वाई.	आर	-	-

(ii) **अप गाड़ियां :-**

अप लाइन से अप गाड़ियों का संचालन	अप डिस्टेन्ट	अप होम	अप स्टार्टर	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल
	यू.डी एस-19 डी	एस-19		एस-1
अप मुख्य लाइन से बिना रूके जाना	जी	जी	जी एस-5 -जी	जी
अप मुख्य लाइन पर रूकना	वाई वाई	वाई	एस-5 आर	
अप प्रथम लूप डाउन लाइन पर रूकना	वाई वाई	वाई.(रूट संकेत के साथ)	एस-7 आर	-
अप द्वितीय लूप डाउन लाइन पर रूकना	वाई वाई	वाई.(रूट संकेत के साथ)	एस-11 आर	
अप तृतीय लूप डाउन लाइन पर रूकना	वाई वाई	वाई.(रूट संकेत के साथ)	एस-15 आर	
होम सिगनल पर रूकना	वाई.	आर	-	-

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जी &जी)झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

10. ट्रेक सर्किट :-

ट्रेक सर्किट की सीमा और पद मुख्य और लूप लाइन के स्टेशन संचालन नियम के आरेख में दर्शाए गए हैं।

पैनल		बर्थिक ट्रेक
C2T	C19T	02T, 02AT, 02BT (मुख्य लाइन पर)
1/2T	19/20T	01T, 01AT, 01BT (अप प्रथम लूप डाउन लाइन पर)
5T	18T	03T, 03AT, 03BT (अप द्वितीय लूप डाउन लाइन पर)
201aT	298bT	04T, 04AT, 04BT (अप तृतीय लूप डाउन लाइन पर)
201bT	298aT	
202bT	295T	
202aT	297T	
203aT	299aT	
203bT	299bT	
205bT		
205aT		
7T		
2/3T		
C4T		

11. बॉबिंग और फिलकरिंग सिगनल :-

जब कभी भी कोई सिगनल अपने संकेत जल्दी-जल्दी बदलता है तो उसे बॉबिंग/फिलकरिंग सिगनल कहा जाता है और उसके सबसे अधिक प्रतिबंधित संकेत का पालन करना है। जब कभी भी ऐसा होता है तो चालक को सामान्य नियम 3.68, 3.69, 3.70 और सहायक नियमों का पालन करना चाहिए।

सूचना मिलने पर स्टेशन मास्टर इसकी प्रविष्टि अपने सिगनल फेलियर रजिस्टर में करेगा और ई.एस.एम./जे.ई./एस.आई. को ठीक करने के लिए सूचित करेगा। इस तरह के फेलियर खण्ड नियंत्रक को भी रिपोर्ट करने है जो कि खण्ड नियंत्रक चार्ट पर फेलियर की प्रविष्टि करेंगे और तदनुसार कार्य करेंगे।

12. विद्युत द्वारा संचालित काँटों पर सिगनल रहित संचालन करना :-

जब कभी विद्युत चालित प्वाइन्ट मशीन द्वारा चाहे वह सम्मुख या विपरीत दिशा में हो काँटों का संचालन कर बिना सिगनल के उन पर परिचालन करना है, तब कार्यरत स्टे.मास्टर काँटों को नॉर्मल और रिवर्स स्थिति में सैट कर संचालन कर उन्हें टेस्ट (परीक्षण कर लेगा) जब पैनल ऑपरेटर यह सुनिश्चित कर लेगा कि नॉर्मल और रिवर्स स्थिति में इन्डीकेशन सही तरह मिल रहा है तब नॉर्मल सिगनल रहित मूवमेन्ट इन काँटों पर किया जा सकता है। जब कभी कोई संकेत नहीं मिलता है तो इनका काँटों को खराब माना जाएगा और सहायक नियम 3.77-1 के अनुसार दिये तरीके को अपनाएंगे।

13. सिगनलों का विवरण:-

i- डाउन डिस्टेन्ट सिगनल 2डी :-

इस सिगनल का सामान्य संकेत 'कॉशन' (एक पीली लाइट) है, इस सिगनल का अटेन्शन संकेत (दो पीले एक के ऊपर एक) यह संकेत डाउन होम सिगनल एस-2 के कॉशन संकेत से स्वतः ही नियंत्रित है। इस सिगनल का क्लीयर संकेत डाउन होम सिगनल एस-2 के क्लीयर संकेत से स्वतः ही नियंत्रित है।

ii- डाउन डिस्टेन्ट सिगनल 4डी :-

इस सिगनल का सामान्य संकेत 'कॉशन' (एक पीली लाइट) है, इस सिगनल का अटेन्शन संकेत (दो पीले एक के ऊपर एक) यह संकेत डाउन होम सिगनल एस-4 के कॉशन संकेत से स्वतः ही नियंत्रित है। इस सिगनल का क्लीयर संकेत डाउन होम सिगनल एस-4 के क्लीयर संकेत से स्वतः ही नियंत्रित है।

- iii- **डाउन होम सिगनल एस-4 :-**
इस सिगनल का सामान्य संकेत 'लाल' है, इस सिगनल का कॉशन संकेत (एक पीली बत्ती) पैनल पर सिगनल बटन नंबर 4 एवं मुख्य लाइन के रूट बटन द्वारा नियंत्रित है। सिगनल की एक पीली लाइट रूट इन्डीकेटर के साथ स्टे.मास्टर के सिगनल बटन एस-4 और लूप लाइन अथवा गुड्स लूप लाइन के रूट बटन से नियंत्रित है।
- iv. **डाउन होम सिगनल (एस-2):-**
इस सिगनल का सामान्य संकेत लाल है। सिगनल का कॉशन चिन्ह (एक पीली लाइट) पैनल पर सिगनल बटन नं.-2 और मुख्य लाइन के रूट बटन से नियंत्रित है। सिगनल की एक पीली लाइट रूट इन्डीकेटर के साथ स्टे.मास्टर के सिगनल बटन एस-2 और लूप लाइन अथवा गुड्स लूप लाइन के रूट बटन से नियंत्रित है।
इस सिगनल का हरा संकेत मेन लाइन के स्टार्टर एस-18 के हरे संकेत के द्वारा स्वतः नियंत्रित है।
- v- **डाउन मुख्य लाइन स्टार्टर नं.(एस-18):-**
सिगनल का सामान्य संकेत लाल है। इस सिगनल का क्लीयर संकेत (एक हरा) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-20 के क्लीयर संकेत के साथ पैनल पर डी.एक्स. रूट बटन और स्टे.मास्टर का सिगनल बटन एस-18 से नियंत्रित है।
- vi- **डाउन प्रथम लूप लाइन स्टार्टर (एस-12):-**
सिगनल का सामान्य संकेत लाल है। पैनल पर डी.एक्स. रूट बटन और स्टे.मास्टर का सिगनल बटन एस-12 से कॉशन संकेत (एक पीला) नियंत्रित है।
- vii- **डाउन द्वितीय लूप लाइन स्टार्टर (एस-16):-**
सिगनल का सामान्य संकेत लाल है। पैनल पर डी.एक्स. रूट बटन और स्टे.मास्टर का सिगनल बटन एस-16 से कॉशन संकेत (एक पीला) नियंत्रित है।
- viii- **डाउन तृतीय लूप लाइन स्टार्टर (एस-14):-**
सिगनल का सामान्य संकेत लाल है। पैनल पर डी.एक्स. रूट बटन और स्टे.मास्टर का सिगनल बटन एस-14 से कॉशन संकेत (एक पीला) नियंत्रित है।
- ix- **डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (एस-20):-**
सिगनल का सामान्य संकेत लाल है। पैनल पर रूट बटन डी. जैड और स्टे.मास्टर का सिगनल बटन एस-20 और कबरई तरफ के ब्लॉक पैनल की टी.जी.टी. स्थिति हरे संकेत को नियंत्रित करते हैं।
- x- **अप डिस्टेन्ट सिगनल (19 डी):-**
इस सिगनल का सामान्य संकेत 'कॉशन' (एक पीली लाइट) है, इस सिगनल का अटेन्शन संकेत (दो पीले एक के ऊपर एक) यह संकेत अप होम सिगनल एस-19 के कॉशन संकेत से स्वतः ही नियंत्रित है। इस सिगनल का क्लीयर संकेत अप होम सिगनल एस-19 के क्लीयर संकेत से स्वतः ही नियंत्रित है।
- xi. **अप होम सिगनल (एस-19)**
सिगनल का सामान्य संकेत लाल है। सिगनल का कॉशन चिन्ह (एक पीली लाइट) पैनल पर सिगनल बटन नं0.-19 और मुख्य लाइन के रूट बटन से नियंत्रित है। सिगनल की एक पीली लाइट रूट इन्डीकेटर के साथ स्टे.मास्टर के सिगनल बटन एस-19 और लूप लाइन अथवा गुड्स लूप लाइन के रूट बटन से नियंत्रित है।
इस सिगनल का हरा संकेत मेन लाइन के स्टार्टर एस-5 के हरे संकेत के द्वारा स्वतः नियंत्रित है।
- xiv. **अप मेन लाइन स्टार्टर एस-5:-**
सिगनल का सामान्य संकेत लाल है। इस सिगनल का क्लियर संकेत (हरी बत्ती) पैनल पर रूट बटन यू.एक्स और स्टे.मास्टर का सिगनल बटन एस-5 के द्वारा संचालित एवं नियंत्रित है एवं अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल नं. 1 के हरे संकेत से नियंत्रित है।
- xii. **अप प्रथम लूप लाइन स्टार्टर एस-7:-**
सिगनल का सामान्य संकेत लाल है। कॉशन संकेत (एक पीली लाइट) पैनल पर रूट बटन यू.एक्स. और स्टे. मास्टर के सिगनल बटन एस-7 द्वारा नियंत्रित है।

xiii- अप द्वितीय लूप लाइन स्टार्टर एस-11:-

सिगनल का सामान्य संकेत लाल है। कॉशन संकेत (एक पीली लाइट) पैनल पर रूट बटन यू.एक्स. और स्टे. मास्टर के सिगनल बटन एस-11 द्वारा नियंत्रित है।

xiv- अप तृतीय लूप लाइन स्टार्टर एस-15:-

सिगनल का सामान्य संकेत लाल है। कॉशन संकेत (एक पीली लाइट) पैनल पर रूट बटन यू.एक्स. और स्टे. मास्टर के सिगनल बटन एस-15 द्वारा नियंत्रित है।

xv- अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-1 :-

सिगनल का सामान्य संकेत लाल है। पैनल पर रूट बटन यू. जैड और स्टे.मास्टर का सिगनल बटन एस-1 और कुलपहाड़ तरफ के ब्लॉक पैनल की टी.जी.टी. स्थिति हरे संकेत को नियंत्रित करते हैं।

xvi- अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-3 :-

सिगनल का सामान्य संकेत लाल है। पैनल पर रूट बटन यू. जैड और स्टे.मास्टर का सिगनल बटन एस-3 और सिंहपुरडूमरा तरफ के ब्लॉक पैनल की टी.जी.टी. स्थिति हरे संकेत को नियंत्रित करते हैं।

14. सामान्य निर्देश:-ए. जब काँटे खराब हो तो गाड़ी का संचालन:-

- i- जब पैनल द्वारा संचालित विद्युत चालित काँटा फेल हो जाये तब स्टे.मास्टर/सहा.स्टे.मास्टर काँटे को अंतिम परिचालित स्थिति में सैट करेगा और काँटे वाले को यह देखने को भेजेगा कि टन्ग रेल और स्टॉक रेल के बीच क्या कोई अवरोध है।
- ii- प्वाइंटसमैन सम्बन्धित काँटे पर जाकर देखेगा कि स्टॉक रेल और स्विच रेल के दोनों ओर कोई अवरोध तो नहीं है और अगर कोई चीज मिलती है तो हटा देगा और दिन में स्टे.मास्टर को अपना हाथ हिलाकर काँटे को सैट करने के लिए इशारा करेगा और रात में शरीर के आर-पार एक सफेद लाइट दिखाएगा। यदि कोई चीज नहीं मिलती है तो काँटे वाले हाथ खतरे का सिगनल दिखाएगा।
- iii- काँटे वाले से सब ठीक है सिगनल मिलने के बाद स्टे.मास्टर/सहा.स्टे.मास्टर जिस दिशा में काँटा चाहता है सैट करेगा। यदि अब भी काँटा नहीं सैट होता है काँटे वाले के लाल संकेत मिलने के बाद, स्टे.मास्टर/सहा.स्टे.मास्टर क्रैंक हैंडिल की चाबी ओर क्रैंक हैंडिल निकालेगा और काँटे के पास जाएगा और आवश्यक दिशा में कांटो को सैट करेगा एवं तालित करेगा तब वह स्टेशन जाएगा और गाड़ी के संचालन को अधिकृत करेगा।
टिप्पणी:-क्रॉस ओवर काँटे को सैट करने के लिए नार्मल से रिवर्स जिसमें दोनों छोर पर मोटर लगी हैं। पहले उस छोर को सैट करेंगे जिस पर 'ए' अंकित है और तब दूसरा छोर जहां 'बी' अंकित है। इसी तरह जब रिवर्स से नार्मल करते समय 'बी' छोर पहले और 'ए' छोर बाद में करेंगे।

(बी) जब काँटे डिसकनेक्ट हो तब गाड़ियों का संचालन :-

- जब सिगनल व दूर संचार कर्मचारी डिस्कनेक्टेड काँटों को देख रहे हो और उन कांटो पर से होकर यातायात संचालन करना है तब ड्यूटी वाले स्टे.मास्टर संचालन के लिए काँटों को अपेक्षित स्थिति में सैट करने के उद्देश्य से सम्बन्धित काँटों की ओर प्रस्थान करेगा। स्टे.मास्टर अपने साथ एक स्पेशल रजिस्टर भी ले जाएगा जो उसी उद्देश्य के लिए खोला गया हो, जिसमें संचालन की प्रविष्टि की जाएगी और काँटों की देख रहे सिगनल एवं दूर संचार कर्मचारियों के हस्ताक्षर इस आश्वासन के रूप में प्राप्त किये जाएंगे कि सिगनल एवं दूर संचार कर्मचारी संचालन के लिए सहमत है। स्टेशन मास्टर भी इस रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे। ड्यूटी वाला स्टे.मास्टर/सहा.स्टे.मास्टर काँटों को क्लैम्प एवं पैडलाक करेगा और चाबियों को अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखेगा और तब अपेक्षित संचालन प्रारम्भ करने के लिए स्टे.मास्टर वापस आएगा। यातायात निकलने के बाद स्टेशन मास्टर सिगनल एवं दूर संचार कर्मचारियों को काँटों पर काम करने के लिए पैडलाक की चाबी देगा।
- (सी) जब किसी ट्रैक सर्किट द्वारा नियंत्रित कांटो पर से कोई हलका डिब्बा या मोटर ट्रौली निकलना हो तो स्टे. मास्टर को पैनल पर ट्रैक सर्किट का क्लियर संकेत देखने के साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से भी यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन या मोटर ट्रौली अगले ट्रैक सैक्शन में प्रवेश कर गयी है इसके बाद ही सम्बन्धित कांटो को परिचालित करेगा।

(डी) बटन कालर दिये गये हैं और उन्हें उन लाइनों के लिए जो घिरी हुई हैं के रूट बटनों पर लगा दिया जाना चाहिये।

15ए. ब्लॉक खण्ड में दिये गये एक्सल काउण्टर –

महोबा-कबरई खण्ड में महोबा डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-20 से कबरई स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-2 के मध्य (बीएक्सटी-1/बीएक्सटी-2) तथा महोबा-सिंहपुरडूमरा खण्ड में खजुराहो तरफ के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-3 से सिंहपुरडूमरा स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-1 के मध्य (बीएक्सटी-1/बीएक्सटी-2) तथा महोबा-कुलपहाड़ खण्ड में महोबा अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-1 से कुलपहाड़ स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-19 के मध्य (बीएक्सटी-1/बीएक्सटी-2)।

15.बी रिडैन्सी मोड में एक्सल काउंटर और ड्युअल डिटेक्शन एक्सल काउंटर की महोबा-कबरई, महोबा-कुलपहाड़ और महोबा-सिंहपुरडूमरा खण्ड में कार्य प्रणाली:-

महोबा-कबरई, महोबा-कुलपहाड़ और महोबा-सिंहपुरडूमरा सेक्शन में दो एक्सल काउण्टर के माध्यम से ब्लॉक संचालन किया गया है। प्रत्येक खण्ड के लिए अलग-अलग दो एक्सल काउण्टर है और इनके अलग-अलग रिसेट बाक्स है।

ड्युअल डिटेक्शन के लिये दोनों दिशाओं के एक्सल काउंटर महोबा-कबरई, महोबा-कुलपहाड़ और महोबा-सिंहपुरडूमरा बिना आई बी एस के सिंगल ट्रैक सेक्शन सहित दिया गया है।		
महोबा-कबरई खण्ड में एक ट्रैक सेक्शन सहित एक्सल काउंटर उपलब्ध कराये गये है।	बीएक्सटी1/बीएक्सटी2 (महोबा-कबरई)	अग्रिम प्रस्थान सिगनल से अगले स्टेशन के होम सिगनल के आगे 180 मीटर तक डिटेक्शन उपलब्ध कराया गया है।
महोबा-सिंहपुरडूमरा खण्ड में एक ट्रैक सेक्शन सहित एक्सल काउंटर उपलब्ध कराये गये है।	बीएक्सटी1/बीएक्सटी2 (महोबा-सिंहपुरडूमरा)	अग्रिम प्रस्थान सिगनल से अगले स्टेशन के होम सिगनल के आगे 180 मीटर तक डिटेक्शन उपलब्ध कराया गया है।
महोबा-कुलपहाड़ खण्ड में एक ट्रैक सेक्शन सहित एक्सल काउंटर उपलब्ध कराये गये है।	बीएक्सटी1/बीएक्सटी2 (महोबा-कुलपहाड़)	अग्रिम प्रस्थान सिगनल से अगले स्टेशन के होम सिगनल के आगे 180 मीटर तक डिटेक्शन उपलब्ध कराया गया है।

महोबा के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल से कबरई के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल तथा महोबा के खजुराहो तरफ के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल से सिंहपुरडूमरा के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल तथा महोबा के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल से कुलपहाड़ के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल के मध्य पहले से लगे डिजिटल एक्सल काउण्टर के समानान्तर लगाये गये ड्युअल डिटेक्शन एक्सल काउण्टर की कार्यप्रणाली :-

महोबा-कबरई सेक्शन में ड्युअल डिटेक्शन एक्सल काउण्टर को बीएक्सटी1 (महोबा-कबरई) मुख्य मोड के लिए और बीएक्सटी 2 (महोबा-कबरई) रिडैन्सी मोड के लिए, महोबा-सिंहपुरडूमरा सेक्शन में ड्युअल डिटेक्शन एक्सल काउण्टर को बीएक्सटी1 (महोबा-सिंहपुरडूमरा) मुख्य मोड के लिए और बीएक्सटी 2 (महोबा-सिंहपुरडूमरा) रिडैन्सी मोड के लिए एवं महोबा-कुलपहाड़ सेक्शन में ड्युअल डिटेक्शन एक्सल काउण्टर को बीएक्सटी1 (महोबा-कुलपहाड़) मुख्य मोड के लिए और बीएक्सटी2 (महोबा-कुलपहाड़) रिडैन्सी मोड के लिए उपलब्ध कराया गया है। मुख्य मोड एक्सल काउण्टर और अतिरिक्त मोड एक्सल काउण्टर स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। स्टेशन के वीडियू पर प्रत्येक सेक्शन के ट्रैक का संकेत इंडीकेशन सह रिसेटिंग पैनल पर दोनो स्टेशनों पर दिया गया है। प्रत्येक ट्रैक सेक्शन के भरे होने और खाली होने का संकेत इस इंडीकेशन सह रिसेटिंग पैनल पर दिया गया है। रिसेटिंग पैनल पर हरा संकेत आना इस बात का प्रमाण होगा कि दोनो ट्रैक क्लियर है और प्रत्येक ट्रैक सेक्शन को घिरा हुआ माना जायेगा यदि यह भरा हुआ लाल संकेत रिसेटिंग सह इंडीकेशन पैनल पर आता है।

एक्सल काउण्टर का यदि कोई ट्रैक सैक्शन किसी गाड़ी के निकलने के बाद फेल हो जाता है और यह स्टेशन मास्टर के वीडियू और एक्सल काउण्टर पर भरा हुआ लाल संकेत दिखाता है और उसी ट्रैक का अतिरिक्त एक्सल काउण्टर क्लियर संकेत दिखाता है तब फेल एक्सल काउण्टर का लाल संकेत दूसरे एक्सल काउण्टर के क्लियर संकेत में अपने आप बदल जायेगा और खराब एक्सल काउण्टर प्रीपेरेटरी रीसेट मोड में पीला संकेत आ जायेगा और रीसेटिंग बॉक्स पर पीला संकेत जलने लगेगा। प्रीपेरेटरी रीसेट मोड में आ जाने पर खराब एक्सल काउण्टर क्लियर हरा संकेत पहली गाड़ी के इस ट्रैक सैक्शन से निकल जाने के बाद दिखाने लगेगा। यदि गाड़ी निकलने के बाद एक्सल काउण्टर क्लियर हरा संकेत नहीं दिखाता है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर एक्सल काउण्टर की खराबी दूर करने के लिये एस एण्ड टी स्टाफ को सूचित करेगा।

एक्सल काउण्टर की रीसेटिंग

स्टेशन मास्टर कार्यालय में दोनो तरफ के ब्लॉक स्टेशन के घिरे होने को सिद्ध करने के लिये एक्सल काउण्टर लगाये गये है।

1. ब्लॉक सैक्शन में बिना आई.बी.एस. महोबा-कबरई, महोबा-सिंहपुरडूमरा एवं महोबा-कुलपहाड़ के संचालन के लिए एक ट्रैक सेक्शन उपलब्ध है।
2. एक्सल काउण्टर (महोबा-कबरई) बीएक्सटी 2, (महोबा-सिंहपुरडूमरा) बीएक्सटी 2 एवं (महोबा-कुलपहाड़) बीएक्सटी 2 रिडडेन्सी मोड के लिए है।

एक्सल काउण्टर को रिसेट करने की विधि

यदि अप या डाउन कोई भी एक्सल काउण्टर खराब हो जाता है तब गाड़ी रिसीव करने वाला स्टेशन मास्टर, गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को रीसेटिंग बॉक्स पर लगी को-ऑपरेशन चाबी के द्वारा चाबी घुमाकर को-ऑपरेशन देगा। को-ऑपरेशन देने से पहले यह सुनिश्चित कर लेगा कि ब्लॉक खण्ड गाड़ियों से खाली है। भेजने वाले स्टेशन के वैरीफिकेशन इंडीकेशन पर छोटा पीला संकेत खराब ट्रैक का आयेगा। इस संकेत को देखकर गाड़ी भेजने वाला स्टेशन मास्टर खराब ट्रैक सैक्शन के लाल बटन को री-सेटिंग चाबी के साथ दबायेगा जो कि री-सेटिंग बॉक्स पर दिया गया है। बटन को दबाकर छोड़ने के बाद प्रीपेरेटरी संकेत छोटा हरा संकेत खराब ट्रैक पर आ जायेगा और ट्रैक सैक्शन के ऊपर उपलब्ध कराये गये बॉक्स पर एक नंबर बढ़ जायेगा। प्रीपेरेटरी री-सेट मोड में आने के बाद खराब एक्सल काउण्टर पहली गाड़ी के निकल जाने के बाद हरा संकेत दिखायेगा। यदि पहली गाड़ी निकल जाने के बाद फेल एक्सल काउण्टर क्लियर का हरा संकेत नहीं दिखाता है तब ऑन ड्युटी स्टेशन मास्टर एस एण्ड टी स्टाफ को सूचित करेगा।

री-सेटिंग के लिये स्टेशन मास्टर आफिस में एक रजिस्टर खोला जायेगा और उसमें उपर्युक्त री-सेटिंग की प्रविष्टि की जायेगी रजिस्टर में निम्नलिखित कॉलम होंगे-

- a. री-सेटिंग के पहले काउण्टर का नंबर।
- b. री-सेटिंग के बाद काउण्टर का नंबर।
- c. उस गाड़ी का नंबर और विवरण जिसके लिये री-सेटिंग की गयी।
- d. वह प्राइवेट नंबर जो गाड़ी के अगले स्टेशन पर पूरी तरह पहुँच जाने के लिये लिया और दिया जायेगा।

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जी &जी)झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

9.1(ए) महोबा-कबरई, महोबा-कुलपहाड़ और महोबा-सिंहपुरडूमरा खण्ड में बीपीएसी ब्लॉक पैनल उपकरण के कार्य:-

महोबा-कबरई, महोबा-कुलपहाड़ और महोबा-सिंहपुरडूमरा खण्ड के बीच गाड़ी संचालन के लिए बीपीएसी एक्सल काउण्टर ब्लॉक पैनल लगाया गया है। इन ब्लॉक पैनलों पर विभिन्न पुश बटन, चाबिया, संकेतक, काउण्टर और बजर दिये गये हैं उनके नाम एवं कार्य निम्नलिखित हैं-

i. पुश बटन:-

घंटी बटन (काले रंग का)	<ul style="list-style-type: none"> ब्लॉक सेक्शन के दूसरे सिरे पर स्थिति स्टेशन को 'घंटी कोड' भेजने के लिए। लाइन क्लियर लेने के लिए जब 'ट्रेन गोइंग टू' बटन के साथ दबाया जाता है। लाइन क्लियर कौन्सिल करने के लिए जब कौन्सिल बटन के साथ दबाया जाता है।
ट्रेन गोइंग टू बटन (लाल रंग का)	अगले स्टेशन से लाइन क्लियर लेने के लिए लाइन क्लियर संकेत भेजने के लिए। गाड़ी भेजने वाले स्टेशन द्वारा घंटी बटन के साथ दबाने पर गाड़ी रिसीव करने वाले स्टेशन पर 'ट्रेन कर्मिंग फ्रॉम' संकेत ब्लॉक पैनल पर प्रकाशित होता है जिससे स्वतः ही लाइन क्लियर मिल जाता है और गाड़ी भेजने वाले स्टेशन के ब्लॉक पैनल पर 'ट्रेन गोइंग टू' हरा संकेत आ जाता है।
कौन्सिल बटन (पीले रंग का)	यदि गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश नहीं की है अथवा गाड़ी को पिछले स्टेशन पर पीछे लौटा दिया गया है तब लाइन क्लियर रद्द करने हेतु इसे घण्टी बटन के साथ दबाया जाता है। लाइन क्लियर रद्द करने हेतु यह प्रचालन गाड़ी लेने वाले स्टेशन द्वारा किया जाता है।
कौन्सिल कोआपरेशन बटन (हरे रंग का)	रिसीविंग स्टेशन पर लाइन क्लियर कौन्सिल करने के लिए भेजने वाले स्टेशन द्वारा कोआपरेशन दिये जाने का बटन।
कौन्सिलेशन काउण्टर	यह लाइन क्लियर कौन्सिल करने की गणना करता है।
एसीकेएन बटन (काले रंग का)	इस बटन द्वारा ब्लॉक सेक्शन घिरा होने या ब्लॉक सेक्शन क्लियर होने पर बजने वाले बजर की पावती दी जाती है तथा बजर को बन्द किया जाता है।

ii. चाबियों का विवरण:-

स्टेशन मास्टर चाबी	<p>स्टेशन प्रबन्धक/सहायक स्टेशन प्रबन्धक कंट्रोल चाबी।</p> <p>जब यह चाबी बाहर होती है तब यह निम्नलिखित परिचालनों को रोक देती है-</p> <p>ए. 'घंटी कोड' को स्थानान्तरित करना।</p> <p>बी. 'क्या लाइन क्लियर है' पुछताछ संदेश को सीनान्तरित करना।</p> <p>सी. लाइन क्लियर कौन्सिल करना।</p>
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जी &जी)झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

एलसीबी चाबी	यह लाइन क्लियर ब्लॉक करने वाली चाबी है। जब यह चाबी निकाल ली जाती है तब यह पिछले स्टेशन को लाइन क्लियर लेने से रोकती है और ब्लॉक सेक्शन को बन्द करने से रोकती है।
स्टेशन प्रबन्धक बैक कवर लॉक चाबी	ब्लॉक पैनल के पिछले कवर को बन्द करने की स्टेशन प्रबन्धक चाबी, यह सिगनल कर्मचारी द्वारा खराबी या रखरखाव के लिए मांगने पर दी जाती है।
अनुरक्षक बैक कवर लॉक चाबी	ब्लॉक पैनल के पिछले कवर को बन्द करने की अनुरक्षक चाबी, यह सिगनल कर्मचारी द्वारा खराबी या रखरखाव के लिए सिगनल विभाग के अनुरक्षक के पास होती है और ब्लॉक पैनल को खोलने के मामले में स्टेशन प्रबन्धक ब्लॉक बैक कवर चाबी के साथ खोली या बन्द की जाती है।
शंट रिलीज चाबी	शंट रिलीज चाबी (सामान्यतः बाहर रहती है) जब यह चाबी 'इन' कर दी जाती है तब निम्नलिखित संचालन किया जा सकता है— ईकेटी से शंट चाबी निकाली जा सकती है जो कि लोको पायलट को मूर्त प्राधिकार के तौर पर ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग के लिए दी जाती है। जब यह चाबी 'इन' होती है तब निम्नलिखित संचालन नहीं किया जा सकता है— यह लाइन क्लियर को रोकने की चाबी है। पिछले स्टेशन द्वारा लाइन क्लियर लेना। ब्लॉक बन्द करना। अन्तिम रोक सिगनल को 'ऑफ' करना।

iii. संकेतको का विवरण:—

लाइन क्लोज्ड संकेत पीला	एक गोल पीले संकेत दिशासूचक एरो के बीच में प्रकाशित होते हैं। यह संकेत देता है कि ब्लॉक सेक्शन गाड़ियों से खाली है और किसी गाड़ी को गाड़ी भेजने वाले स्टेशन/रिसीव करने वाले स्टेशन को लाइन क्लियर नहीं दिया गया है।
ट्रेन कमिंग फ्रॉम संकेत हरा प्लेशिंग हरा	गाड़ी रिसीव करने वाले स्टेशन पर आने वाली गाड़ी के लिए नीचे की तरफ दिशासूचक एरो प्रकाशित होता है तथा आयताकार संकेत टीसीएफ दिखता है। गाड़ी भेजने वाले स्टेशन पर 'टीजीटी' एवं घंटी बटन दबाया गया है और गाड़ी रिसीव करने वाले स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्त पूरी है। ए:— गाड़ी के ब्लॉक खण्ड में प्रवेश से पहले लाइन क्लियर को कैंसिल कर दिया गया है। बी:— गाड़ी आने के बाद ब्लॉक सेक्शन क्लियर हो गया है परन्तु सिगनल एवं उनके कंट्रोल को दोनो में से किसी एक स्टेशन पर सामान्य नहीं किया गया है या एलसीबी चाबी बाहर है। सी:— गाड़ी आने के बाद ब्लॉक सेक्शन क्लियर कर दिया गया है और दोनो स्टेशनों के कंट्रोल नार्मल है लेकिन अनजाने में शंट रिलीज की गाड़ी भेजने वाले स्टेशन द्वारा 'इन' कर दी गयी हो, जबकि गाड़ी अभी ब्लॉक सेक्शन में ही है।
टीओएल संकेत	एक उपर की तरफ दिशासूचक तीर तथा आयताकार टीजीटी संकेत गाड़ी भेजने वाले स्टेशन पर।
लाल	लाइन क्लियर पर गाड़ी के ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने पर टीओएल का संकेत।

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जी &जी)झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

ट्रेन गोइंग टू संकेत हरा फ्लैशिंग हरा	एक उपर की तरफ दिशासूचक तीर जाने वाली गाड़ी के लिए गाड़ी भेजने वाले स्टेशन पर तथा आयताकार टीजीटी संकेत गाड़ी भेजने वाले स्टेशन पर। गाड़ी भेजने वाले स्टेशन पर घंटी बटन और टीजीटी बटन दबाया गया है और गाड़ी रिसीव करने वाले स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्त पूरी है। ए:- गाड़ी के ब्लॉक खण्ड में प्रवेश से पहले लाइन क्लियर को कैंसिल कर दिया गया है। बी:- गाड़ी आने के बाद ब्लॉक सेक्शन क्लियर हो गया है परन्तु सिगनल एवं उनके कंट्रोल को दोनो में से किसी एक स्टेशन पर सामान्य नहीं किया गया है या एलसीबी चाबी बाहर है। सी:- गाड़ी आने के बाद ब्लॉक सेक्शन क्लियर कर दिया गया है और दोनो स्टेशनों के कंट्रोल नार्मल है लेकिन अनजाने में शंट रिलीज की गाड़ी भेजने वाले स्टेशन द्वारा 'इन' कर दी गयी हो, जबकि गाड़ी अभी ब्लॉक सेक्शन में ही है।
टीओएल संकेत	एक उपर की तरफ दिशासूचक तीर तथा आयताकार टीजीटी संकेत गाड़ी भेजने वाले स्टेशन पर।
लाल	लाइन क्लियर पर गाड़ी के ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने पर टीओएल का संकेत।
कैंसिल को-ओपी संकेत पीला	यह संकेत दर्शाता है कि दूसरे सिरे के स्टेशन प्रबन्धक द्वारा लाइन क्लियर कैंसिल करने का कोआपरेशन, कैंसिल कोआपरेशन बटन दबाकर दिया गया है।
कैंसिल संकेत फ्लैशिंग पीला स्थिर पीला संकेत	गोल एलईडी यह संकेत यह प्रदर्शित करता है कि लाइन क्लियर कैंसिल करने का 120 सेकेण्ड का टाइमर चल रहा है। यह संकेत कैंसिल बटन और घण्टी बटन को कैंसिल कोआपरेशन संकेत के प्रदर्शित होने पर, एक साथ दबाने पर जब ट्रेन कर्मिंग फ्रॉम संकेत फ्लैशिंग हरा संकेत के साथ आता है। यह संकेत यह प्रदर्शित करता है कि लाइन क्लियर कैंसिल करने का टाइमर पूरा हो चुका है लेकिन किसी कारणवस सिस्टम लाइन क्लोज पर नहीं जा रहा है।
लाइन फ्री संकेत (हरा)	यह दिशासूचक तीर संकेत के पास उपलब्ध है जो यह बताता है कि ब्लॉक सेक्शन गाड़ियों से क्लियर है अर्थात ब्लॉक सेक्शन में कोई गाड़ी नहीं है।
एसएनकेई संकेत (लोकल) पीला	इसके दो संकेत हैं। 1- एसएनके(डी) 'ट्रेन गोइंग टू' संकेत के पास पीला संकेत दिशासूचक तीर द्वारा प्रदर्शित होता है जो यह बताता है कि अन्तिम रोक सिगनल और इसका कंट्रोल ऑन/नार्मल है। 2- एसएनके(आर) 'ट्रेन कर्मिंग फ्रॉम' दिशासूचक तीर के पास पीला संकेत यह प्रदर्शित करता है कि आगमन सिगनल और इसके कंट्रोल ऑन/नार्मल है।

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जी &जी)झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

एसएनओईके (एसएनके दूसरे सिरे पर) पीला	'ट्रेन कर्मिग फ्रॉम' दिशासूचक तीर के पास पीला संकेत यह प्रदर्शित करता है कि पिछले स्टेशन का अन्तिम रोक सिगनल और इसके कंट्रोल ऑन/नार्मल है। दूसरे स्टेशन से 'ईकेटी' की शंट चाबी 'इन' है और शंट रिलीज चाबी 'आउट' है।
अन्तिम रोक सिगनल लाल हरा	सिगनल के मोनोग्राम में गोल संकेत। यह प्रदर्शित करता है कि अन्तिम रोक सिगनल 'ऑन' है। यह प्रदर्शित करता है कि अन्तिम रोक सिगनल 'ऑफ' है।
लाइन घिरी है संकेत (लाल)	यह दिशासूचक तीर संकेत के पास उपलब्ध है जो यह बताता है कि ब्लॉक सेक्शन गाड़ियों से घिरी है या एक्सल काउण्टर खराब हो गया है।
स्टेशन मास्टर चाबी (इन)	स्टेशन मास्टर चाबी के पास हरा संकेत यह बताता है कि चाबी लगी हुई है और वीडियू पर सभी संचालन किये जा सकते हैं।
एसएचके-इन/आउट	इसके दो संकेत होते हैं हरा संकेत बताता है कि शंटिंग चाबी लगी हुई है और लाल संकेत बताता है कि शंटिंग चाबी बाहर निकाल ली गयी है।
गाड़ी आगमन पावती इन/आउट संकेत	यह एसीकेएन के पास एक संकेत है यह किसी गाड़ी के ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करते समय तथा ब्लॉक सेक्शन से बाहर होते समय पीला जलता है और जब तक कि इसकी पावती न दे दी जाये यह पीला जलता रहता है।
यूएफएसबीआई/एमयू एक्स ओके संकेत	जब यूएफएसबीआई ब्लॉक कार्य कर रहा होता है तो यह हरा जलता है अन्यथा बुझ जाता है।
यूएफएसबीआई/एमयू एक्स फेल संकेत	जब यूएफएसबीआई ब्लॉक फेल मोड में होता है तो यह लाल जलता है अन्यथा बुझ जाता है।
कम्यूनिकेशन लिंक फेल	जब दोनों यूएफएसबीआई ब्लॉक का लिंक फेल हो जाता है तब यह स्थिर पीला जलता है अन्यथा पलैश करता है।

iv. काउण्टरों का विवरण:-

काउण्टर	कार्य
लाइन क्लियर कौन्सिल काउण्टर	जब गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश नहीं की है या गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन से पुश बैक किया गया है तब यह काउण्टर उनकी गणना को रिकार्ड करता है।

v. बजर का विवरण:-

काउण्टर	कार्य
ब्लॉक बजर	यह बजर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को संकेत देने के लिए होती है।
सेक्शन बजर	यह एक सुनाई देने वाला बजर है जो स्टेशन मास्टर को यह सूचित करता है कि ब्लॉक सेक्शन या तो घिरा है या क्लियर है।

9.1(बी) महोबा-सिंहपुरडूमरा, महोबा-कुलपहाड़, महोबा-कबरई इकहरी लाइन बीपीएसी पैनल ब्लॉक उपकरण की गाड़ी भेजने की कार्यप्रणाली:-

जब कभी कार्यरत स्टेशन प्रबन्धक महोबा को किसी गाड़ी को महोबा से सिंहपुरडूमरा/कबरई/कुलपहाड़ की ओर भेजना हो तब कार्यरत स्टेशन प्रबन्धक सिंहपुरडूमरा/कबरई/कुलपहाड़ स्टेशन प्रबन्धक से लाइन क्लियर के लिए गाड़ी और उसका नम्बर प्राइवेट नम्बर सहित बताकर सूचित करेंगे और लाइन क्लियर की मांग करेंगे। कार्यरत स्टेशन प्रबन्धक सिंहपुरडूमरा/कबरई/कुलपहाड़ टीएसआर में उपयुक्त प्रविष्टि करने के बाद मौखिक रूप से यह सुनिश्चित करने के बाद की लाइन क्लियर देने की सभी शर्तें पूरी कर ली गयी है प्राइवेट नम्बर देगा।

प्राइवेट नम्बर सहित कार्यरत स्टेशन प्रबन्धक **सिंहपुरडूमरा/कबरई/कुलपहाड़** से मौखिक लाइन क्लियर प्राइवेट नम्बर सहित मिलने के बाद कार्यरत स्टेशन प्रबन्धक **महोबा** ब्लॉक पैनल पर घण्टी बटन और टीजीटी बटन को एक साथ दबायेगा। उपरोक्त विधि द्वारा बटन दबाने पर लाइन क्लोज्ड संकेत ब्लॉक पैनल से गायब हो जायेगा और तीर युक्त हरा संकेत दोनो तरफ के स्टेशनो के ब्लॉक पैनल पर प्रकाशित हो जायेगा अर्थात **महोबा** स्टेशन पर टीजीटी और **सिंहपुरडूमरा/कबरई/कुलपहाड़** स्टेशन पर टीसीएफ। लाइन फ्री का हरा संकेत प्रकाशित बना रहेगा जिससे यह पता चलता है कि ब्लॉक सेक्शन क्लियर है।

कार्यरत स्टेशन प्रबन्धक **महोबा** अप/डाउन गाड़ी को रवाना करने के लिए रूट सेट करने के बाद अग्रिम प्रस्थान सिगनल और प्रस्थान सिगनल को 'ऑफ' करेगा। जैसे ही गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करेगी दिशासूचन तीर संकेत और लाइन फ्री संकेत दोनो स्टेशनो के ब्लॉक उपकरण पर लाल हो जायेंगे। सेक्शन बजर बजने लगेगा और टीजीटी तथा टीसीएफ संकेत **महोबा** और **सिंहपुरडूमरा/कबरई/कुलपहाड़** के ब्लॉक पैनल पर लाल हो जायेंगे। बजर को बन्द करने के लिए कार्यरत स्टेशन प्रबन्धक एसीकेएन बटन दबायेंगे।

इसके बाद कार्यरत स्टेशन प्रबन्धक **सिंहपुरडूमरा/कबरई/कुलपहाड़** अप/डाउन होम सिगनल ऑफ करेंगे। जब गाड़ी ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेगी सेक्शन बजर बजना आरम्भ हो जायेगा और **महोबा** स्टेशन पर टीसीएफ संकेत प्लैशिंग हरे में बदल जायेगा।

बजर को बन्द करने के लिए **सिंहपुरडूमरा/कबरई/कुलपहाड़** के कार्यरत स्टेशन प्रबन्धक एसीकेन बटन दबायेंगे इससे लाइन फ्री संकेत हरा हो जायेगा तथा सेक्शन बजर बजने लगेगा और टीजीटी संकेत प्लैशिंग हरा संकेत **महोबा** स्टेशन पर हो जायेगा। जब **महोबा** स्टेशन प्रबन्धक बजर की पावती देंगे तब टीजीटी संकेत गायब हो जायेगा और **महोबा** स्टेशन पर लाइन क्लोज्ड संकेत आ जायेगा।

गाड़ी के आगमन के लिए **सिंहपुरडूमरा/कबरई/कुलपहाड़** स्टेशन पर जब कंट्रोल नार्मल कर लिए जायेंगे तब एसएनकेई (लोकल) संकेत आ जायेगा। टीसीएफ संकेत गायब हो जायेगा और लाइन क्लोज्ड संकेत प्रदर्शित हो जायेगा। **महोबा** स्टेशन पर भी टीजीटी संकेत गायब हो जायेगा और लाइन क्लोज्ड संकेत ब्लॉक पैनल पर प्रदर्शित हो जायेगा।

9.1(सी) महोबा स्टेशन पर सिंहपुरडूमरा/कबरई/कुलपहाड़ इकहरी लाइन बीपीएसी पैनल ब्लॉक उपकरण की गाड़ी रिसीव करने की कार्यप्रणाली:-

सिंहपुरडूमरा/कबरई/कुलपहाड़ स्टेशन के कार्यरत स्टेशन प्रबन्धक से घंटी बटन द्वारा 'कॉल अटेन्शन' घंटी बजाकर **महोबा** स्टेशन से लाइन क्लियर मांगने के लिए निवेदन किया जाता है तब **महोबा** स्टेशन के कार्यरत स्टेशन प्रबन्धक टीएसआर में उपयुक्त प्रविष्टि करने के बाद मौखिक रूप से यह सुनिश्चित करने के बाद की लाइन क्लियर देने की सभी शर्तें पूरी कर ली गयी है प्राइवेट नम्बर देगा।

प्राइवेट नम्बर सहित कार्यरत स्टेशन प्रबन्धक **महोबा** से मौखिक लाइन क्लियर प्राइवेट नम्बर सहित मिलने के बाद कार्यरत स्टेशन प्रबन्धक **सिंहपुरडूमरा/कबरई/कुलपहाड़** ब्लॉक पैनल पर घण्टी बटन और टीजीटी बटन को एक साथ दबायेगा **सिंहपुरडूमरा/कबरई/कुलपहाड़** स्टेशन के कार्यरत स्टेशन प्रबन्धक प्राइवेट नम्बर मिलने के बाद घंटी बटन और 'टीजीटी' बटन को तब तक दबाकर रखेंगे जब तक कि 'टीजीटी' तीर सूचक संकेत हरा न हो जाये और 'लाइन क्लोज्ड' संकेत बुझ न जाये और दोनो स्टेशनो के दिशा सूचक तीर संकेत हरे न हो जाये भेजने वाले स्टेशन **सिंहपुरडूमरा/कबरई/कुलपहाड़** पर 'टीजीटी' पर और 'टीसीएफ' **महोबा** के ब्लॉक उपकरण पर प्रकाशित हो जायेगा। दोनो स्टेशनो के ब्लॉक उपकरण पर लाइन लाइन फ्री संकेत हरा जलता रहेगा जो यह बतायेगा कि सेक्शन अभी खाली है।

वरि. मं.परि.प्रबन्धक (जी &जी)झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

इसके बाद स्टेशन प्रबन्धक सिंहपुरडूमरा/कबरई/कुलपहाड़ अन्तिम रोक सिगनल को 'ऑफ' करेंगे। जब गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर जायेगी तब दिशासूचक लाइन फ्री तीर संकेत दोनो स्टेशनों पर लाल हो जायेगा सेक्शन बजर बजने लगेगा और 'टीजीटी' तथा 'टीसीएफ' तीर सूचक संकेत महोबा एवं सिंहपुरडूमरा/कबरई/कुलपहाड़ स्टेशन पर लाल हो जायेगा और सेक्शन बजर बजने लगेगा। बजर बन्द करने के लिए कार्यरत स्टेशन प्रबन्धक एसीकेएन बटन दबाकर पावती देने से बजर बन्द हो जायेगा।

इसके बाद महोबा के स्टेशन प्रबन्धक अप/डाउन होम सिगनल को 'ऑफ' करेंगे। जब गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर जायेगी तब सेक्शन बजर बजने लगेगा और 'टीसीएफ' तीर सूचक संकेत लाल हो जायेगा और सेक्शन बजर बजने लगेगा। एसीकेएन बटन दबाकर पावती देने से सेक्शन बजर बन्द हो जायेगा। सेक्शन क्लियर होने के बाद सिंहपुरडूमरा/कबरई/कुलपहाड़ 'टीजीटी' संकेत बुझ जायेगा और 'लाइन क्लोज्ड संकेत' सिंहपुरडूमरा/कबरई/कुलपहाड़ स्टेशन के ब्लॉक उपकरण पर प्रकाशित हो जायेगा।

जब महोबा स्टेशन के सारे कंट्रोल सिंहपुरडूमरा/कबरई/कुलपहाड़ से वापस कर दिये जायेंगे ब्लॉक पैनल पर एसएनकेई (लोकल) संकेत प्रदर्शित हो जायेगा। 'टीजीटी' संकेत गायब हो जायेगा तथा अगले स्टेशन पर 'टीजीटी' संकेत गायब हो जायेगा तथा महोबा स्टेशन पर 'लाइन क्लोज्ड' संकेत प्रदर्शित हो जायेगा।

9.1(डी) ब्लॉक बैक परिचालन:-

जो स्टेशन प्रबन्धक लाइन ब्लॉक बैक करना चाहते हैं वह पिछले स्टेशन के स्टेशन प्रबन्धक से टेलिफोन पर इसके लिए अनुमति मांगेंगे, पिछले स्टेशन के स्टेशन प्रबन्धक प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ ब्लॉक बैक की अनुमति देंगे। स्टेशन प्रबन्धक ब्लॉक पैनल से शंट रिलीज चाबी को स्टेशन प्रबन्धक ब्लॉक पैनल में 'IN' करेंगे और 'ईकेटी' की शंट चाबी निकाल लेंगे और लोको पायलट को दे देंगे। इसके बाद स्टेशन प्रबन्धक आवश्यक प्राधिकार पत्र देकर गाड़ी की शंटिंग ब्लॉक सेक्शन में करवायेंगे। शंटिंग पूरी हो जाने के बाद पिछले स्टेशन के स्टेशन प्रबन्धक को टेलिफोन पर प्राइवेट नम्बर के साथ ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने की सूचना दी जायेगी। इसके बाद स्टेशन प्रबन्धक 'ईकेटी' की शंट चाबी ब्लॉक पैनल में लगाकर 'IN' पोजिशन में घुमायेंगे और शंट रिलीज चाबी निकाल लेंगे। स्टेशन प्रबन्धक टीएसआर में ब्लॉक बैक से सम्बन्धित सभी प्रविष्टि लाल स्याही से करेंगे और ब्लॉक बैक करने का कारण भी लिखेंगे।

9.1(ई) पुश बैक परिचालन की विधि:- जब गाड़ी ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी भेजने वाले स्टेशन पर पुश बैक हो जायेगी तब निम्नलिखित क्रियाविधि अपनायी जायेगी-

क्रम	गाड़ी भेजने वाला स्टेशन	क्रम	गाड़ी रिसीव करने वाला स्टेशन
1	गाड़ी ने ब्लॉक सेक्शन क्लियर किया। लाइन फ्री संकेतक हरा हो गया। सेक्शन बजर बजने लगा इसकी पावती दी। पावती संकेतक प्रकाशित हो गया। 'ट्रेन गोइंग टू' का तीर संकेत पलैशिंग हरा संकेत प्रदर्शित करने लगा। एसीकेएन बटन दबाकर पावती देंगे और एसीकेएन संकेतक बुझ जायेगा।	2	गाड़ी ने ब्लॉक सेक्शन क्लियर किया। लाइन फ्री संकेतक हरा हो गया। सेक्शन बजर बजने लगा इसकी पावती दी। पावती संकेतक प्रकाशित हो गया। 'ट्रेन कर्मिंग फ्रॉम' का तीर संकेत पलैशिंग हरा संकेत प्रदर्शित करने लगा। एसीकेएन बटन दबाकर पावती देंगे और एसीकेएन संकेतक बुझ जायेगा।
3	काल अटेन्शन बजर बजने के बाद टेलिफोन पर दूसरे सिरे के स्टेशन प्रबन्धक को सेक्शन क्लोज करने के लिए सूचित करेंगे।	4	गाड़ी भेजने वाले स्टेशन से ब्लॉक बजर पर और टेलिफोन पर ब्लॉक बन्द करने की सूचना मिलने पर ब्लॉक बन्द करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि- एसएनके संकेतक पीला जल रहा है। शंट की संकेतक हरा जल रहा है। एसएनओईके संकेतक पीला जल रहा है।
5	दूसरे सिरे के स्टेशन प्रबन्धक से मौखिक रूप से ब्लॉक बन्द करने की सहमति मिलने के बाद सुनिश्चित करेंगे कि- एसएनके संकेतक पीला जल रहा है। शंट की संकेतक हरा जल रहा है। एसएनओईके संकेतक हरा जल रहा है। कैन्सिल कोआपरेशन बटन को दबायेंगे और काल अटेन्शन बजर मिलने के बाद रिलीज करेंगे।	6	कोआपरेशन संकेतक पीला प्रकाशित हो जायेगा। स्टेशन प्रबन्धक चाबी 'IN' पोजिशन में सुनिश्चित करके कैन्सिल बटन और कोआपरेशन बटन को काल अटेन्शन बजर मिलने के बाद दबायेंगे। कैन्सिल काउण्टर का नम्बर बढ़ जायेगा। कैन्सिल संकेतक 120 सेकेण्ड तक पलैशिंग करता रहेगा।
7	'ट्रेन गोइंग टू' का तीर संकेत बुझ जायेगा। लाइन क्लोज्ड संकेतक जल जायेगा।	8	120 सेकेण्ड के बाद 'ट्रेन कर्मिंग फ्रॉम' का तीर संकेतक और कैन्सिल संकेतक बुझ जायेगा। लाइन क्लोज्ड संकेतक जल जायेगा।

9.1(एफ) दो स्टेशनो के बीच किसी गाड़ी के लिए सिगनल संचालन का क्रम:-

यदि ब्लॉक सेक्शन क्लियर है और दोनो स्टेशनों के ब्लॉक पैनल पर 'लाइन क्लोज्ड' संकेत उपलब्ध है तब गाड़ी भेजने वाले स्टेशन के स्टेशन प्रबन्धक और गाड़ी रिसीव करने वाले स्टेशन प्रबन्धक द्वारा निम्नलिखित क्रियाविधि अपनायी जायेगी-

क्रम	गाड़ी भेजने वाला स्टेशन	क्रम	गाड़ी रिसीव करने वाला स्टेशन
1	स्टेशन प्रबन्धक सुनिश्चित करेंगे- लाइन क्लोज्ड का पीला संकेत, एसएनके पीला संकेत, एसएनओईके पीला संकेत, लाइन फ्री हरा संकेत, यूएफएसबीआई/एमयूएक्स ओके हरा संकेत, संचार लिंक फेल संकेत बुझा हुआ स्टेशन मास्टर चाबी 'IN' पोजिशन में स्टेशन प्रबन्धक "काल अटेन्शन" संकेत घंटी बटन के द्वारा गाड़ी रिसीव करने वाले स्टेशन को भेजेंगे।	2	स्टेशन मास्टर चाबी 'IN' पोजिशन में स्टेशन प्रबन्धक "काल अटेन्शन" संकेत की पावती घंटी बटन के द्वारा गाड़ी भेजने वाले स्टेशन को देंगे।
3	स्टेशन प्रबन्धक घंटी बटन दबाकर 'टेलिफोन अटेन्ड करें' संकेत देंगे।	4	स्टेशन प्रबन्धक घंटी बटन दबाकर टेलिफोन अटेन्ड करने की पावती देंगे।
5	टेलिफोन अटेन्ड किया गया और स्टेशन प्रबन्धक द्वारा टेलिफोन पर गाड़ी के लिए लाइन क्लियर की मांग की गयी है।	6	गाड़ी के परिचालन के बारे में जानकारी ली गयी और सुनिश्चित किया गया- लाइन क्लोज्ड का पीला संकेत, एसएनके पीला संकेत, एसएनओईके पीला संकेत, लाइन फ्री हरा संकेत, यूएफएसबीआई/एमयूएक्स ओके हरा संकेत, संचार लिंक फेल संकेत बुझा हुआ ब्लॉक पैनल पर उपलब्ध है। मौखिक रूप से लाइन क्लियर दिया गया।
7	स्टेशन प्रबन्धक घंटी बटन के साथ 'ट्रेन गोइंग टू' बटन तब तक दबायेगा जब तक कि लाइन क्लियर का हरा संकेत न आ जाये। (यदि उपरोक्त संकेत लगभग 3 सेकेण्ड तक बटन दबाने के बाद नहीं आता है तो वह बटन छोड़ देगा और अपने स्टेशन पर आइटम नम्बर-1 में दी गयी स्थितियों को चेक करेगा और अगले स्टेशन से लाइन क्लियर देने की शर्तों का पालन होना सुनिश्चित करने के लिए पुनः जांच करने के लिए कहेगा।)	8	लाइन क्लोज्ड संकेत बुझ जायेगा और 'ट्रेन कमिंग फ्रॉम' का तीर संकेत हरे रंग से प्रदर्शित हो जायेगा।
9	लाइन क्लोज्ड संकेत बुझ जायेगा और 'ट्रेन गोइंग टू' का उपर का तीर संकेत हरे रंग से प्रदर्शित हो जायेगा। घण्टी बटन एवं ट्रेन गोइंग टू बटन रिलीज करें।		

10	अन्तिम रोक सिगनल को 'ऑफ' करें। गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर गयी। अन्तिम रोक सिगनल 'ऑन' पोजिशन में हो गया। लाइन आकुपाइड संकेत लाल हो गया। सेक्शन अवरोधित है का बजर बज गया और 'ट्रेन गोइंग टू' का तीर संकेत लाल हो गया, एसीकेएन संकेत जल गया। एसीकेएन बटन दबाकर बजर की पावती दी और एसीकेएन संकेत बुझ गया। अन्तिम रोक सिगनल का कंट्रोल वापस किया। सुनिश्चित करें कि एसएनके का पीला संकेत जल गया।	11	लाइन आकुपाइड संकेत लाल हो गया। सेक्शन अवरोधित है का बजर बज गया और 'ट्रेन कर्मिंग फ्रॉम' का तीर संकेत लाल हो गया, एसीकेएन संकेत जल गया। एसीकेएन बटन दबाकर बजर की पावती दी और एसीकेएन संकेत बुझ गया। एसएनके का पीला संकेत जल गया। गाड़ी को रिसीव करने के लिए आगमन सिगनल 'ऑफ' किया गया। गाड़ी होम सिगनल पास हो गयी। होम सिगनल 'ऑन' पोजिशन में हो गया। गाड़ी ने ब्लॉक सेक्शन को ओवर लैप सहित विलयर कर दिया।
12	सेक्शन बजर बजा एसीकेएन संकेत पीला जल गया। लाइन फ्री संकेतक हरा हो गया। 'ट्रेन गोइंग टू' का तीर संकेत फ्लैशिंग हरा हो गया। एसीकेएन बटन दबाकर बजर की पावती दी और एसीकेएन संकेत बुझ गया।	13	सेक्शन बजर बजा एसीकेएन संकेत पीला जल गया। लाइन फ्री संकेतक हरा हो गया। 'ट्रेन कर्मिंग फ्रॉम' का तीर संकेत फ्लैशिंग हरा हो गया। एसीकेएन बटन दबाकर बजर की पावती दी और एसीकेएन संकेत बुझ गया।
14	एसएनओईके संकेत पीला हो गया। 'ट्रेन गोइंग टू' का तीर संकेत बुझ गया। लाइन क्लोज्ड संकेतक जल गया।	15	गाड़ी आगमन के सभी कंट्रोल सामान्य कर दिये गये। एसएनओईके संकेत पीला हो गया। 'ट्रेन कर्मिंग फ्रॉम' का तीर संकेत बुझ गया। लाइन क्लोज्ड संकेतक जल गया।

9.1 (जी) डिजिटल एक्सल काउन्टर की खराबी :-

- जब रिसेट बॉक्स पर किलयर (हरा) एल.ई.डी. इंडीकेशन उपलब्ध हो लेकिन इसके ओवर लैप सहित ब्लॉक खंड किलयर न हो
- जब रिसेट बॉक्स पर घिरा (लाल) एल.ई.डी. इंडीकेशन उपलब्ध हो लेकिन ब्लॉक खंड इसके ओवर लैप सहित किलयर हो ।
- जब रिसेट बॉक्स पर "नो" इंडीकेशन उपलब्ध हो।

9.1(एच) डिजिटल एक्सल काउन्टर की रिसेटिंग के लिये रिसेट बॉक्स :-

- स्टेशन पर लगाये गये डिजिटल एक्सल काउन्टर के रिसेट बॉक्स पर हरा (लार्ज) इंडीकेशन ब्लॉक खंड के किलयरेंस को दर्शाता है तथा लाल (लार्ज) इंडीकेशन ब्लॉक खंड के घिरे होने को दर्शाता है किसी ब्लॉक खंड के अप एवं डाउन लाइन के लिये पृथक रिसेट बाक्स तथा प्रत्येक डिजिटल एक्सल काउन्टर के लिये रिसेट -परिचालन बटन (एक) लगाये गये है।
- रिसेट बाक्स पर एक रीसेट की/लॉक (की अंदर डालें दबाये ओर घुमायें) एक रीसेट पुश और एक विद्युत काउन्टर (किये गये रीसेट प्रयत्नों के नम्बर की गणना के लिये) लगाया गया/डिजिटल एक्सल काउन्टर के रीसेट बॉक्स के समीप एक संकेत भी लगाया गया है।

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जी &जी)झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

19आई	रीसेट बाक्स पर निम्नलिखित संकेतों को दर्शाया गया है :-	
(ए)	ब्लॉक खंड क्लियर	हरी एल.ई.डी. (बड़े आकार वाली)
(बी)	ब्लॉक खंड घिरा	लाल एल.ई.डी. (बड़े आकार वाली)
(सी)	एक्सल काउन्टर के लिये 24 वोल्ट विद्युत आपूर्ति उपलब्ध	पीली एल.ई.डी. (छोटे आकार वाली)
(डी)	एक्सल काउन्टर प्रारम्भिक रीसेट मोड में हैं (जब एक्सल काउन्टर खराब हो गया हो ओर दोनों सिरों पर रिसैटिंग के प्रयत्न किये गये हों)	हरी एल.ई.डी. (छोटे आकार वाली)

3-हरा एल.डी.डी. (छोटा) संकेत की प्रदीप्तता यह संकेतित करती हैं कि डिजिटल एक्सल काउन्टर खराबी के उपरांत दोनो सिरों पर रीसेट बटन सहित चाबी को अंदर करके (घुमाकर ओर दबाकर) रीसेट किया गया है इस संकेत के प्रदीपन के साथ हरा एल.ई.डी.(छोटा) 24 वोल्ट आपूर्ति संकेत पीला एल.ई.डी. (छोटा आकार) के फिलकरिंग के साथ संकेतित होता है कि एक्सल काउन्टर प्रिपरेटरी रीसेट मोड में हैं जब डिजिटल एक्सल काउन्टर प्रिपरेटरी रीसेट मोड में हैं तब अंतिम रोक सिगनल 'आफ' स्थिति में किया जा सकता है, इस प्रकार अगली गाड़ी प्रापर सिगनल पर पास होगी।

जब यह गाड़ी अगले स्टेशन के होम सिगनल और ओवर लैप को ट्रैक सर्किट सहित क्लियर करेगी तब हरा एलईडी (बड़ा) जल जायेगा और (छोटा) हरा एलईडी बड़े (लाल) एलईडी संकेत के साथ बुझ जायेगा जो कि ब्लॉक सेक्शन के क्लियर होने का संकेत होगा। अगली गाड़ीयो के लिये सामान्य संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

4. काउन्टर की एक नम्बर बढ़ जायेगा, रीसेटिंग के प्रत्येक परिचालन को नीचे बताये गये कॉलमों के अनुसार पृथक रजिस्टर में रिकार्ड की जानी चाहियें :-
 - i. क्रम संख्या ।
 - ii. दिनांक तथा समय ।
 - iii. गाड़ी क्रमांक जिसके बाद खराब हुआ ।
 - iv. पहली गाड़ी जो पीएलसी/टी- 369(3बी) पर गयी
 - v. काउन्टर रीडिंग (रिसैटिंग के पहले) ।
 - vi. काउन्टर रीडिंग (रिसैटिंग के बाद) ।
 - vii. पहली गाड़ी जो एक्सल काउन्टर के सामान्य होने के बाद उचित लाइन क्लियर पर पास हुई।
 - viii. रिसैट परिचालन करने वाले ड्यूटी वाले स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर ।
 - ix. खंड इंजी./जु.इंजी. (सिंग) की टिप्पणी ।

टिप्पणी :-

- i. यदि खंड घिरा है अथवा घिरने वाला है तो एक्सल काउन्टर की कोई रिसैटिंग नहीं की जायेगी। इसे ड्यूटी वाले स्टेशन मास्टर द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहियें ।
- ii. खंड इंजी/जु.इंजी. सिगनल तथा ईएसएम को उसी आकार के एल.ई.डी. सहित प्रतिस्थापन अवश्य सुनिश्चित करना चाहिये यदि वह खराब हो गया हो तो।

डिजिटल एक्सल काउन्टर की रिसैट प्रक्रिया :-

डिजिटल एक्सल काउन्टर की रिसैटिंग तब किया जाये जब स्टेशन पर डिजिटल एक्सल काउन्टर के रिसैटिंग बॉक्स पर घिरी हुयी स्थिति के लिये संकेत 'लाल' एल.ई.डी. (लार्ज) चमकता हुआ बना रहे, जबकि अप या डाउन गाड़ी के पूर्ण आगमन के पश्चात अथवा ब्लॉक बैक/ब्लॉक फारवर्ड संचालन के पश्चात अथवा जब कोई गाड़ी ब्लॉक खंड में नहीं है तब यह जानकारी होने पर कि डिजिटल एक्सल काउन्टर खराब हो गया है । ड्यूटी वाला स्टेशन मास्टर ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी के संपूर्ण आगमन के साथ ही साथ ब्लॉक खंड व निर्धारित ब्लॉक खंड लाइन के ओवर लैप के लिये उसका क्लियरेंस सुनिश्चित करेगा।

तब रिसीव करने वाले सिरे का स्टेशन मास्टर तथा भेजने वाले सिरे का स्टेशन मास्टर दोनों निम्नानुसार रिसैटिंग प्रक्रिया का निष्पादन करेंगे (किसी गाड़ी / अवरोध से ब्लॉक खंड व उसके ओवरलैप सहित का क्लियरेंस निम्नलिखित साधनों द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

सामान्य नियम 4.17 के अनुसार स्टेशन मास्टर द्वारा अन्तिम वाहन तख्ती/पिछली बत्ती को देखकर स्टेशन के बिना रूके सीधी जाने वाली अन्तिम गाड़ी के लिये गाड़ी सिगनल रजिस्टर को चैक करके तथा अगले ब्लॉक सैक्सन के स्टेशन मास्टर द्वारा अन्तिम आने वाली गाड़ी को पूर्ण रूप से प्राप्त करके एवं खण्ड नियंत्रक से इसकी जांच करके। आगे जाने वाली गाड़ी के पूर्ण आगमन का प्रमाणन ड्यूटी वाले स्टेशन मास्टर द्वारा अगले ब्लॉक खण्ड के स्टेशन मास्टर खण्ड नियंत्रक के साथ प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान से किया जायेगा।

उपरोक्त तरीके से सेक्शन क्लियर होना सुनिश्चित होने के बाद डिजीटल एक्सल काउन्टर की रिसैटिंग प्रक्रिया निम्नलिखित विधि द्वारा की जायेगी-

2. रिसैटिंग डिजीटल एक्सल काउन्टर :-			
क्र.	गाड़ी रिसीव करने वाला स्टेशन मास्टर	क्र.	गाड़ी भेजने वाला स्टेशन मास्टर
1.	काल अटेंशन बीट संचारित की जाये।	2	काल अटेंशन का स्वीकार करना।
3	खण्ड टेलीफोन अटेन्ड करना।	4	खण्ड टेलीफोन अटेन्ड किया गया।
5	आने वाली गाड़ी के सम्पूर्ण आगमन के पश्चात एक्सल काउन्टर के फेलीओर के लिये सूचना दी जाये।	6	सूचना स्वीकार करना।
7	पिछली गाड़ी के सम्पूर्ण आगमन की जांच करने के पश्चात एक्सल काउन्टर को रिसैट करने का आशय गाड़ी भेजने वाले सहायक स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नं0 का आदान प्रदान करते हुये बतायेगा।	8.	वह स्वीकार करेगा तथा रीसैटिंग हेतु यह आश्वासन देने के लिए कि उसने रीसैटिंग करना समझ लिया है और वह अपनी तरफ से भी रीसैटिंग के लिए तैयार है प्राइवेट नम्बरो का आदान-प्रदान करेगा।
9	ड्यूटी वाला स्टेशन मास्टर री-सैटिंग चाबी लगाकर दबाते हुये घुमाकर तथा री-सैटिंग बटन को एक साथ दबायेगा। वह रिसैट पुश बटन को केवल तब रिलीज करेगा जब टेलीफोन पर अगले स्टेशन मास्टर से यह सुनिश्चित कर लिया है कि उसने रीसैट आपरेशन कर लिया है। इससे प्रत्येक री-सैट संचालन पर विद्युतकाउन्टर में एक नम्बर की बढ़ोत्तरी होगी। री-सैट संचालन के समाप्ति के के साथ ही चमकदार हरी एलईडी (छोटी) री-सैट बाक्स पर इंडीकेशन देगा। (जब एक्सल काउन्टर प्री-पेरेटरी मोड में हैं)	10	ड्यूटी वाला स्टेशन मास्टर री-सैटिंग चाबी लगाकर दबाते हुये घुमाकर तथा री-सैटिंग बटन को एक साथ दबायेगा। वह रिसैट पुश बटन को केवल तब रिलीज करेगा जब टेलीफोन पर अगले स्टेशन मास्टर से यह सुनिश्चित कर लिया है कि उसने रीसैट आपरेशन कर लिया है। इससे प्रत्येक री-सैट संचालन पर विद्युतकाउन्टर में एक नम्बर की बढ़ोत्तरी होगी। री-सैट संचालन के समाप्ति के के साथ ही चमकदार हरी एल.ई.डी (छोटी) री-सैट बाक्स पर इंडीकेशन देगा।(जब एक्सल काउन्टर प्री-पेरेटरी मोड में हैं)

11	ड्यूटी वाला स्टेशन मास्टर चाबी निकालकर अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ।	12	ड्यूटी वाला स्टेशन मास्टर चाबी निकालकर अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ।
13	ड्यूटी वाला स्टेशन मास्टर पीएलसी पर भेजी गयी गाड़ी के टेल लेम्प/टेल बोर्ड को देखकर ओवर लैप सहित ब्लॉक सेक्शन के क्लीयरेंस तथा पूरे आगमन को सुनिश्चित करेगा (जब एक्सल काउन्टर प्री-पेरेटरी मोड में हैं) और प्राईवेट नम्बर का आदान प्रदान करेगा ।	14	ड्यूटी वाला स्टेशन मास्टर गाड़ी रिसीव करने वाले स्टेशन मास्टर से प्राईवेट नम्बर का आदान प्रदान करेगा कि गाड़ी उसके स्टेशन पर पूर्ण रूप से आ गयी है और अब ब्लॉक सेक्शन क्लियर है ।
15	ड्यूटी वाला स्टेशन मास्टर देखेगा की ब्लॉक सेक्शन क्लीयरेंस इंडीकेशन अर्थात 'हरी' एल.ई.डी. (बड़ी) उपलब्ध है। प्री-पेरेडरी री-सैट मोड इंडीकेशन चमकदार 'हरी' एल.ई.डी. (छोटी) विलुप्त हो गयी है और ब्लॉक सेक्शन घिरे होने का संकेत 'लाल' एलईडी (बड़ी) विलुप्त हैं ओर इसे दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर को दोहरायेगा ।	16	ड्यूटी वाला स्टेशन मास्टर देखेगा की ब्लॉक सेक्शन क्लीयरेंस इंडीकेशन अर्थात 'हरी' एल.ई.डी. (बड़ी) उपलब्ध है। प्री-पेरेडरी री-सैट मोड इंडीकेशन चमकदार 'हरी' एल.ई.डी. (छोटी) विलुप्त हो गयी है और ब्लॉक सेक्शन घिरे होने का संकेत 'लाल' एलईडी (बड़ी) विलुप्त हैं ओर इसे दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर को दोहरायेगा ।

टिप्पणी :-

i. पहली गाड़ी प्रॉपर सिगनल पर जायेगी ।

ii. जब लाल एल.ई.डी. (बड़ी) बुझ जाय और हरी (बड़ी) चमकदार संकेत जल जाय तब सामान्य संचालन शुरू किया जाय। ब्लॉक उपकरण विद्युत नियंत्रित है इसको 'ट्रेन ऑन लाइन' स्थिति से 'लाइन क्लोज' की स्थिति में तब तक नहीं घुमाया जा सकता जब तक की गाड़ी ना केवल होम सिगनल बल्कि ब्लॉक सेक्शन बल्कि ओवर लेप सेक्शन भी तथा रेल ट्रैक सर्किट/एक्सल काउन्टर भी क्लीयर दर्शाये। ब्लॉक उपकरण के पास ब्लॉक सेक्शन और ओवर लैप रूट ट्रैक सर्किट/एक्सल काउन्टर सहित फ्री इंडीकेशन उपलब्ध कराया गया है। फ्री इंडीकेशन मिलने के बाद ब्लॉक उपकरण को 'ट्रेन ऑन लाइन' की स्थिति से 'लाइन क्लोज' स्थिति में लाया जा सकता है। गाड़ियों का सामान्य संचालन इसके बाद शुरू किया जा सकता है यदि उपरोक्त विधि अपनाने के बाद भी डिजिटल एक्सल काउन्टर रिसैट बाक्स प्रीपेरेटरी री-सैट मोड में न जाये तब दोनों सिरे के सहायक स्टेशन मास्टर इस प्रक्रिया को पुनः दोहराये तथा खराबी रजिस्टर में प्रविष्टी कर ई.एस.एम./जे.ई./एस.ई. सिगनल को सूचित करें। प्रत्येक री-सेटिंग प्रयास को गाड़ियों के नम्बर सहित प्राईवेट नम्बर का आदान प्रदान इस उद्देश्य के लिये दोनों सिरो पर रखे रजिस्टरो में अभिलेखित करें।

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जी &जी)झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

16. **रिले रूम में दो तालों का इन्तजाम :-**
- 16.1 रिले रूम में दो ताले उपलब्ध कराये गये हैं। एक ताले की चाबी कार्यरत स्टेशन मास्टर के अभिरक्षा में रहेगी तथा दूसरे ताले की चाबी खण्ड इंजीनियर ई.एस.एम की अभिरक्षा में रहेगी। जब कभी सिगनल अनुरक्षक अनुरक्षण कार्य हेतु जायेगा तब स्टेशन मास्टर अनुरक्षक द्वारा मांगे जाने पर चाबी देगा। स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि अनुरक्षण के पश्चात् चाबी उसको वापस मिल गयी है।
- 16.2 चाबी के लेन-देन का विवरण दर्ज करने हेतु स्टेशन मास्टर प्रॉपर प्रोफॉर्मा का एक रजिस्टर बनायेगा। जब कभी रिले रूम को खोलने की आवश्यकता हो तब रिले रूम को खोलते एवं बंद करते समय प्रत्येक बार स्टेशन मास्टर एवं एस एण्ड टी स्टाफ के मध्य प्राइवेट नंबर का आदान-प्रदान होगा साथ ही साथ खण्ड नियंत्रक से भी प्राइवेट नंबर का आदान-प्रदान किया जायेगा।
17. **एस.एण्ड.टी. रजिस्टर :-**
निम्नलिखित एस.एण्ड.टी. रजिस्टर स्टेशन पर असि.स्टे.मास्टर/स्टे.मास्टर की सुरक्षा में रखे गये हैं।
सिगनल निरीक्षण और फेलियर रजिस्टर:- स्टे.मास्टर/असि.स्टे.मास्टर सिगनल फेल की प्रविष्टि रिकार्ड कालम के अनुसार करेगे।
निम्नलिखित रजिस्टर सिगनल एवं दूर संचार अधिकारियों के पास रहेगी :-
(i) सिगनल हिस्ट्री रजिस्टर :- दूर संचार सिगनल कर्मचारी इसमें प्रविष्टि करेगें।
(ii) सिगनल मेन्टेनेन्स बुक :- यह मेन्टेनर द्वारा उनकी विजिट पर भरी जाएगी।
18. **विद्युत पूर्ति उपकरण और विद्युत पूर्ति फेलियर :-**
- i- सामान्यतः सभी सिगनल परिपथों के कार्य के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में उपलब्ध डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के द्वारा एटी पावर सप्लाई, लोकल विद्युत पावर सप्लाई तथा जनरेटर विद्युत सप्लाई उपलब्ध है। स्विच बोर्ड पर स्थित जलता हुआ लाल पायलट बल्ब एटी पावर सप्लाई तथा लोकल विद्युत पावर सप्लाई की उपलब्धता बताने के लिये लगा है। ऊपरोक्त लाल पायलट बल्ब का न जलना यह संकेत देता है कि एटी पावर सप्लाई तथा लोकल विद्युत पावर सप्लाई फेल हो गयी है। एटी पावर सप्लाई के फेलियर की घटना में, ऑटो चेंज ओवर पैनल के माध्यम से लोड स्वचालित रूप से लोकल पावर सप्लाई में ट्रान्सफर हो जायेगा और यदि लोकल पावर सप्लाई भी फेल हो गयी है तो लोड डीजल जनरेटर की सप्लाई पर ट्रान्सफर हो जायेगा।
- ii. स्टेशन मास्टर के कार्यालय में लगा ऑटो चेंज ओवर पैनल पर विद्युत पावर सप्लाई की उपलब्धता निम्न क्रमानुसार दर्शायेगा।
1. एटी पावर सप्लाई
 2. लोकल पावर सप्लाई
 3. डीजल जनरेटर नम्बर-1 की विद्युत सप्लाई
- ऑटो चेंज ओवर पैनल केवल इसी क्रमानुसार कार्य करेगा। यदि ऑटो चेंज ओवर पैनल की कार्य पद्धति खराब हो जाये तो ड्यूटी पर उपस्थित स्टे.मा/स.स्टे.मा. ऑटो चेंज ओवर पैनल पर स्थित स्विच के माध्यम से विद्युत पावर सप्लाई को नॉर्मल करेगा।
- iii. डीजल जनरेटर स्टार्ट और बंद करने के निर्देशानुसार स्विच के ऊपरोक्त संचालन के बाद डीजल जनरेटर बंद कर दिया जाना चाहिये।
- iv जब एटी सप्लाई और लोकल पावर सप्लाई उपलब्ध न हो तो स्टेशन मास्टर जनरेटर शुरू करेगा और आपूर्ति चालू करेगा।
- (v) **पैनल संकेत के फेलियर :-**
यदि पैनल ब्लैक हो जाता है, तब सहा.स्टे.मास्टर को निरीक्षण करना चाहिए कि एटी पावर सप्लाई या लोकल पावर सप्लाई उपलब्ध है या नहीं, यह सहा.स्टे.मास्टर के कार्यालय में दिये गए चेन्ज ओवर बोर्ड के संकेत से पता चलता है। जब कभी एटी सप्लाई या लोकल आपूर्ति उपलब्ध नहीं हो तो स्टेशन पर दिये हुये डीजल जनरेटर के संचालन से पैनल की कार्यप्रणाली सामान्य कर देगा। यदि किसी कारण से एटी सप्लाई और लोकल आपूर्ति और जनरेटर आपूर्ति न उपलब्ध हो और पैनल ब्लैक हो तब पैनल से सामान्य कार्य नहीं किया जाएगा। काँटों को क्लैम्प किया जाएगा और नॉन-इन्टरलॉक यार्ड में संचालन जी.आर 3.77 के अनुसार कांटों को सैट क्लैम्प और तालित करके किया जाएगा। फिर भी काँटों के लोकल संचालन के लिए क्रैंक हैण्डल नियंत्रण चाबी को निकाल कर काँटों का संचालन किया जा सकता है।
- (vi) **सामान्य निर्देश :-**
जब बोर्ड पर नियोन बल्ब स्थाई तौर पर बुझ गया हो और जो कि आपूर्ति की सप्लाई नहीं दिखा रहा हो तब सहा.स्टे.मास्टर, कार्यरत जे.ई./जे.ई.(विद्युत) और ई.एस.एम. को प्रतिलिपि जे.ई./ई और एस.ई.एस. को देंगे।

(vii) डीजल जनरेटर को स्टार्ट और बंद करने के लिए अनुदेश :-

(ए) दोनो डीजल जनरेटर को स्टार्ट और बंद करने के लिए पुश बटन स्टे.मास्टर के कमरे में दोनो जनरेटरों के लिये अलग-अलग दिये गए हैं।

हरे बटन को दबाकर डीजल जनरेटर को चालू किया जाता है और रोकने के लिए लाल बटन का प्रयोग होता है। ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर स्वचालित चेन्जओवर पैनल पर विद्युत आपूर्ति का संकेत देखकर आवश्यकतानुसार जनरेटर को चालू अथवा बन्द कर सकता है।

(बी) यदि विद्युत आपूर्ति तीन दिन तक आती रहती है तो जनरेटर का परीक्षण लोड पर देकर कर लेना चाहिए और अगर वह चलने में असफल हो जाता है तो मामला एक्स.आर. टेलीग्राम द्वारा जे.ई./एस.ई./एस.एस.ई./सिगनल को रिपोर्ट करना चाहिए।

(सी) कार्यरत स्टे.मास्टर को रोज तेल का लेवल टैन्क में चेक करना चाहिए और डीजल इन्जन में लुब्रीकेटिंग ऑयल लेबिल(एक डिपस्टिक) इन्डीकेटर के माध्यम द्वारा चेक करना चाहिए।

डीजल तेल या मोबिल तेल का लेबिल डिपस्टिक में दिये गये निशान से कम दिखे तो उसे स्टेशन कर्मचारी द्वारा अपेक्षित तेल भरवा दिया जाना चाहिए।

वह डीजल और मोबीआयल तेल की उपलब्धता के लिए खण्ड के यातायात निरीक्षक को सूचित करेंगे।

(बी)(i) सामान्यतया सिगनल लाइट एटी पावर सप्लाई द्वारा जलती है जब कभी एटी पावर सप्लाई में अवरोध आ जाता है तब सिगनल बल्ब लोकल पावर सप्लाई या डीजल जनरेटर के माध्यम से जलेगी।

(ii) जब एटी पावर सप्लाई तथा लोकल पावर सप्लाई की आपूर्ति फेल हो जाती है तो स्टे.मास्टर काँटे वाले की मदद से जनरेटर रूम में जो डीजल जनरेटर सैट है उसे चेन्ज ओवर स्विच को डी.जी. सेट पर करके के डी. जी. सेट स्टार्ट करेंगे।

(iii) अगर किसी कारण से सिगनल बुझ जाते हैं और गाड़ी को आने की अनुमति दी जा चुकी है और गाड़ी ने पिछला स्टेशन छोड़ दिया है तब स्टेशन मास्टर एक दक्ष कर्मचारी को जरूरी हाथ सिगनल और पटाखे लेकर बुझे सिगनल की लोकेशन पर खड़ा करेगा जो कि आने वाली गाड़ी के लोकोपायलट को बुझे सिगनल की लोकेशन के बारे में सतर्क करेगा और दिये हुए नियमों के अनुसार गाड़ी को पायलट करेगा।

(iv) जब एटी सप्लाई और लोकल सप्लाई पुनः चालू हो जाये तो डीजल जनरेटर को बंद कर देंगे।

(v) जनरेटर में डीजल तेल भरा जाएगा और स्टे.मास्टर द्वारा लॉग बुक में प्रविष्टि की जाएगी। स्टे.मास्टर लॉग बुक में जनरेटर डीजल प्रयोग की भी प्रविष्टि की जाएगी। रिमार्क कालम में एस.एण्ड.टी. द्वारा सर्विस/ओवर हॉलिंग, रिपेयर का विवरण लिखा जाएगा।

लॉग बुक में निम्नलिखित तरीके से स्टे.मास्टर विद्युत आपूर्ति फेलियोर/ठीक होने का विवरण लिखेंगे।

क्रमांक	दिनांक	समय एटी/लोकल विद्युत फेल हुई	समय एटी/लोकल विद्युत आई	अवधि एटी/लोकल विद्युत फेल रही	जनरेटर प्रारम्भ करने का समय
1	2	3	4	5	6
जनरेटर रोकने का समय	जनरेटर चलने की अवधि	मात्रा भरी गयी		स्टेशन मैनेजर के हस्ताक्षर	रिमार्क
		डीजल	मोबीलऑयल		
7	8	9	10	11	12

(vi) जब कभी कॉमर्सियल आपूर्ति लो (कम वोल्टेज) हो तो भी डीजल जनरेटर को चलाया जा सकता है।

(vii) यदि किसी कारण से डीजल जनरेटर फेल हो जाता है तो इसकी सूचना स्टे.मास्टर द्वारा सिगनल स्टॉफ को दी जायेगी।

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जी &जी)झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

18.(सी) विद्युत आपूर्ति सिस्टम एस.एण्ड.टी. के लिए, सिगनल, काँटे कन्ट्रोल पैनल:-

एस.एण्ड.टी. उपकरणों के लिए, सिगनल, ट्रैक सर्किट, एक्सल काउन्टर, काँटे कन्ट्रोल पैनल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपकरण कमरे में एक इन्टीग्रेटेड विद्युत पूर्ति सिस्टम (आई.पी.एस.) दिया गया है। यह विद्युत आपूर्ति सिस्टम इस बात को सुनिश्चित करता है कि विद्युत सप्लाई बिना रुके सिगनलिंग सिस्टम को मिलती रहे, जिससे कि यदि मुख्य विद्युत आपूर्ति चली भी गई है तो सिगनल फेल न हो। मुख्य सप्लाई की अनुपस्थिति में इस पद्धति में विद्युत पूर्ति की क्षमता लिमिटेड है (सीमित)। स्टे.मास्टर के कमरे में एक संकेत पैनल है जो बैटरी की ताकत बतलाता है और स्टे.मास्टर को क्या कदम उठाना है पैनल पर (आई.पी.एस.) किस तरह की घन्टी बजती है, स्टे.मास्टर को तुरन्त एक्शन लेना है और सिगनलिंग कर्मचारी और विद्युत स्टाफ की जल्द से जल्द सूचित करना है।

19. सिगनल और पथ टेबिल :-

अमुक सिगनल को ऑफ करने के लिए किस सिगनल और रूट बटन को दबाना और रिलीज करना है नीचे दिया गया है:-

क्र.	सिगनल नम्बर	विवरण	सिगनल बटन	रूट बटन
1	एस 1	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल	एस-1	यू.जेड
2	एस 2(i)	डाउन होम से अप प्रथम लूप डाउन लाइन	एस-2	बी.बी.
3	एस 2(ii)	डाउन होम से अप द्वितीय लूप डाउन लाइन	एस-2	बी.सी.
4	एस 2(iii)	डाउन होम से अप तृतीय लूप डाउन लाइन	एस-2	बी.डी.
5	एस 2(iv)	डाउन होम से मुख्य लाइन	एस-2	बी.ए
6	सी.ओ.-2(i)	डाउन कॉलिंग ऑन से अप प्रथम लूप डाउन लाइन	एस-2	बी.बी
7	सी.ओ.-2(ii)	डाउन कॉलिंग ऑन से अप द्वितीय लूप डाउन लाइन	एस-2	बी.सी.
8	सी.ओ.-2(iii)	डाउन कॉलिंग ऑन से अप तृतीय लूप डाउन लाइन	एस-2	बी.डी.
9	सी.ओ.-2 (iv)	डाउन कॉलिंग ऑन से मुख्य लाइन	एस-2	बी.ए.
10	एस 3	अप ब्रान्च अग्रिम प्रस्थान सिगनल	एस 3	यू.जेड.1
11	एस 4(i)	डाउन होम से अप प्रथम लूप डाउन लाइन	एस-4	बी.बी.
12	एस 4(ii)	डाउन होम से अप द्वितीय लूप डाउन लाइन	एस-4	बी.सी.
13	एस 4(iii)	डाउन होम से अप तृतीय लूप डाउन लाइन	एस-4	बी.डी.
14	एस 4(iv)	डाउन होम से मुख्य लाइन	एस-4	बी.ए
15	सी.ओ.-4(i)	डाउन कॉलिंग ऑन से अप प्रथम लूप डाउन लाइन	एस-4	बी.बी
16	सी.ओ.-4(ii)	डाउन कॉलिंग ऑन से अप द्वितीय लूप डाउन लाइन	एस-4	बी.सी.
17	सी.ओ.-4(iii)	डाउन कॉलिंग ऑन से अप तृतीय लूप डाउन लाइन	एस-4	बी.डी.
18	सी.ओ.-4(iv)	डाउन कॉलिंग ऑन से मुख्य लाइन	एस-4	बी.ए.
19	एस-5	अप मुख्य लाईन स्टार्टर से सिगनल नं0 एस-1	एस-5	यू.एक्स.
20	एस. एच-105	मुख्य लाईन से सिगनल नं0 एस-1 तक अप शंट	एस.एच 105	यू.एक्स.
21	एस-7	अप प्रथम लूप डाउन लाईन स्टार्टर सिगनल नं0 एस-1 तक	एस-7	यू.एक्स.
22	एस. एच-107	अप प्रथम लूप डाउन लाईन से सिगनल नं0 एस-3 तक अप शंट	एस.एच 107	यू.एक्स1.
23	एस-11	अप द्वितीय लूप डाउन लाईन स्टार्टर सिगनल नं0 एस-1 तक	एस-11	यू.एक्स.
24	एस. एच-111	अप द्वितीय लूप डाउन लाईन से सिगनल नं0 एस-1 तक अप शंट	एस.एच 111	यू.एक्स.
25	एस-15	अप तृतीय लूप डाउन लाईन स्टार्टर सिगनल नं0 एस-1 तक	एस-15	यू.एक्स.
26	एस. एच-115	अप तृतीय लूप डाउन लाईन से सिगनल नं0 एस-1 तक अप शंट	एस.एच 115	यू.एक्स.
27	एस-12	डाउन प्रथम लूप डाउन लाईन स्टार्टर सिगनल नं0 एस-20 तक	एस-12	डी.एक्स.
28	एस.एच-112	डाउन प्रथम लूप डाउन लाईन से सिगनल नं0 एस-20 तक डाउन शंट	एस.एच 112	डी.एक्स.
29	एस-16	डाउन द्वितीय लूप डाउन लाईन स्टार्टर सिगनल नं0 एस-20 तक	एस-16	डी.एक्स.


30	एस. एच-116	डाउन द्वितीय लूप डाउन लाईन से सिगनल नं0 एस-20 तक डाउन शंट	एस.एच 116	डी.एक्स.
31	एस-14	डाउन तृतीय लूप डाउन लाईन स्टार्टर से सिगनल नं0 एस-20 तक	एस-14	डी.एक्स.
32	एस. एच-114	डाउन तृतीय लूप डाउन लाईन से सिगनल नं0 एस-20 तक डाउन शंट	एस.एच 114	डी.एक्स.
33	एस-18	डाउन मुख्य लाईन स्टार्टर से सिगनल नं0. एस-20तक	एस-18	डी.एक्स.
34	एस.एच-118	डाउन शंट सिगनल अप मुख्य डाउन लाईन से सिगनल नं0. एस-20तक	एस.एच-118	डी.एक्स.
35	एस 19(i)	डाउन होम से अप मुख्य डाउन लाइन	एस-19	बी.ए
36	एस 19(ii)	डाउन होम से अप प्रथम लूप डाउन लाइन	एस-19	बी.बी.
37	एस 19(iii)	डाउन होम से अप द्वितीय लूप डाउन लाइन	एस-19	बी.सी.
38	एस 19(iv)	डाउन होम से अप तृतीय लूप डाउन लाइन	एस-19	बी.डी.
39	सी.ओ.-19(i)	डाउन कॉलिंग ऑन से मुख्य डाउन लाइन	एस-19	बी.ए.
40	सी.ओ.-19(ii)	डाउन कॉलिंग ऑन से अप प्रथम लूप डाउन लाइन	एस-19	बी.बी
41	सी.ओ.-19(iii)	डाउन कॉलिंग ऑन से अप द्वितीय लूप डाउन लाइन	एस-19	बी.सी.
42	सी.ओ.-19(iv)	डाउन कॉलिंग ऑन से अप तृतीय लूप डाउन लाइन	एस-19	बी.डी.
43	एस 20	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल	एस 20	डी.जेड.
44	एस.एच-102 (i)	मुख्य लाईन से अप द्वितीय लूप डाउन लाईन के लिये डाउन शंट	एस.एच.-102	बी.सी.
45	एस.एच-102 (ii)	मुख्य लाईन से अप प्रथम लूप डाउन लाईन के लिये डाउन शंट	एस.एच.-102	बी.बी.
46	एस. एच-102 (iii)	मुख्य लाईन से अप मुख्य डाउन लाईन के लिए डाउन शंट	एस.एच.-102	बी.ए
47	एस. एच-102 (iv)	मुख्य लाईन से अप तृतीय लूप डाउन लाईन के लिये डाउन शंट	एस.एच.-102	बी.डी.
48	एस. एच-102 (v)	मुख्य लाईन से गुड्स साईडिंग एस.बी के लिये डाउन शंट	एस.एच.-102	जी.एस
49	एस. एच-199 (i)	मुख्य लाईन से अप मुख्य डाउन लाईन के लिए अप शंट	एस.एच.-199	बी.ए
50	एस. एच-199 (ii)	मुख्य लाईन से अप द्वितीय लूप डाउन लाईन के लिये अप शंट	एस.एच.-199	बी.सी
51	एस.एच-199 (iii)	मुख्य लाईन से अप प्रथम लूप डाउन लाईन के लिये अप शंट	एस.एच.-199	बी.बी
52	एस.एच-199 (iv)	मुख्य लाईन से अप तृतीय लूप डाउन लाईन के लिये अप शंट	एस.एच.-199	बी.डी.
53	एस.एच-199 (v)	मुख्य लाईन से ए.एण्ड.डी साईडिंग (एस.एच.110 तक) के लिये अप शंट	एस.एच.-199	ए.डी1
54	एस. एच-110	ए.एण्ड.डी साईडिंग से एस.एच 199 के लिए डाउन शंट	एस. एच-110	डी.एक्स
55	एस. एच-106	बैलास्ट साईडिंग से एस.बी तक डाउन शंट	एस. एच-106	जी.एस
56	एस. एच-106	बैलास्ट साईडिंग से एस.एच 115 तक डाउन शंट	एस. एच-106	बी.डी.
57	एस. एच-106	बैलास्ट साईडिंग से एस.एच 111 तक डाउन शंट	एस. एच-106	बी.सी
58	एस.एच-104 (i)	अप खजुराहो डाउन लाईन से अप द्वितीय लूप डाउन लाईन, एस. एच111 तक डाउन शंट	एस.एच.-104	बी.सी
59	एस.एच-104 (ii)	अप खजुराहो डाउन लाईन से अप तृतीय लूप डाउन लाईन, एस. एच115 तक डाउन शंट	एस.एच.-104	बी.डी
60	एस.एच-104 (iii)	अप खजुराहो डाउन लाईन से गुड्स साईडिंग एस.बी तक डाउन शंट	एस.एच.-104	जी.एस
61	एस.एच-104 (iv)	अप खजुराहो डाउन लाईन से अप प्रथम लूप डाउन लाईन, एस. एच107 तक डाउन शंट	एस.एच.-104	बी.डी
62	एस.एच-104 (v)	अप खजुराहो डाउन लाईन से अप मुख्य डाउन लाईन, एस.एच105 तक डाउन शंट	एस.एच.-104	बी.बी
63	एस. एच-117	गुड्स साईडिंग से बैलास्ट लॉडिंग साईडिंग से एस.एच 106 तक अप शंट	एस. एच-117	बी.एस
64	एस. एच-117	गुड्स साईडिंग से अप मुख्य डाउन लाइन से एस.एच 102 तक अप शंट	एस. एच-117	यू.एक्स

टिप्पणी:- सी.ओ.जी.जी.एन बटन दबाने और छोड़ने के पश्चात सम्बन्धित रूट बटन को दबाया जायेगा।

परिशिष्ट 'सी'

टक्कररोधी उपकरण (रक्षा कवच)

—लागू नहीं—



वरि. मं.परि.प्रबंधक (जी &जी)झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

परिशिष्ट 'डी'

कर्मचारियों की ड्यूटी (कर्तव्य)

कर्मचारियों की ड्यूटी (कर्तव्य)

स्टे.मास्टर/सहा.स्टे.मास्टर की ड्यूटी:-

- ए. ड्यूटी वाला स्टेशन मास्टर स्टेशन पर अथवा स्टेशन सीमाओं के अन्दर अपने अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मचारी चाहें वे स्थाई हों या अस्थाई द्वारा कुशलता पूर्वक कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसे सभी कर्मचारी कार्य संचालन के उनके आदेश एवं निर्देशों का पालन करेंगे।
- बी. ड्यूटी वाला स्टेशन मास्टर इस बात के लिए भी उत्तरदायी होगा कि स्टेशन का सामान्य कार्य उस समय लागू नियमों का कड़ाई के साथ अनुपालन करते हुए किया जाता है।
- सी. कार्यरत स्टेशन मास्टर के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति लाइन क्लियर नहीं देगा और न मांगेगा या प्रस्थान प्राधिकार, टी 3.69/(3बी), सतर्कता आदेश और बिना लाइन क्लियर के प्रस्थान प्राधिकार इत्यादि।
- डी. ड्यूटी वाला स्टेशन मास्टर सहा.नि.-4.56/1 के अनुसार सभी गाड़ियों के अन्तिम वाहन पर लगे पिछली बत्ती/पिछली तख्ती अथवा गार्ड का सब ठीक है संकेत या गाड़ी पूर्ण आई रजिस्टर को सुनिश्चित करने के बाद ही गाड़ी खण्ड के बाहर (ट्रेन आउट ऑफ सेक्शन) का संकेत देने के लिये जिम्मेदार है।
- ई. ड्यूटी वाला स्टेशन मास्टर गाड़ियों के लिए ऑफ किये गये सिगनलों को ब्लॉक संचालन नियमावली के पैरा क्रमांक 8.03 के अनुसार उनसे गाड़ी के गुजर जाने के तुरन्त बाद वापस करने को सुनिश्चित करने का उत्तरदायी है।
- एफ. किसी असाधारण घटना के मामले में ड्यूटी वाला स्टेशन मास्टर सामान्य एवं सहायक नियमावली के सामान्य नियम 2.11 के अनुसार संरक्षा सुनिश्चित करेगा, घटना की सूचना एवं सहायता प्रदान करेगा।
- जी. कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के सही तरह से गुजरने के लिए तथा रन थ्रू जाने वाली गाड़ी के स्टाफ से सब सही है सिगनल के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होगा।
- एच. निम्नलिखित चाबिया कार्यरत स्टेशन प्रबन्धक की व्यक्तिगत अभिरक्षा में होना चाहिए—
 - i. ब्लॉक उपकरण ताले की चाबी।
 - ii. रिले रूम ताले की चाबी।
 - iii. एस.एम. इमरजेन्सी चाबी।
 - iv. आइसोलेटर बॉक्स चाबी (भिन्न- भिन्न आइसोलेटर स्विचों की चाबिया आइसोलेटर बाक्स में रखी होती है।)

काँटे वाले की ड्यूटी:-

- (1) जब कभी आवश्यकता हो तो काँटे वाला काँटों को क्लेम्प और पैड लॉक का उत्तरदायी है और सब बिना रूके जाने वाली गाड़ियों से ऑफ साइड से गाड़ी के स्टाफ (क्रू) से संकेतों का आदान प्रदान करेगा।
- (2) जब कभी आवश्यक हो काँटे वाला लोको पायलट और गार्ड को सब अथोरिटीज देने के लिए जिम्मेदार होगा। कांटेवाला बिना रूके जाने वाली गाड़ी के स्टाफ से स्टेशन मास्टर के विपरीत दिशा से सब सही है सिगनल के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होगा।
- (3) काँटे वाला वाहनों की सुरक्षा के लिए सामान्य नियमावली के सामान्य नियम 5.23-1 एवं 5.23-2 के अनुसार गार्ड/स्टेशन मास्टर शंटिंग प्रभारी के पर्यवेक्षण में सभी डिब्बों को सुरक्षित करेगा।
- (4) काँटे वाला स्टेशन मास्टर/सहा.स्टे.मास्टर के आदेशों का पालन करेगा।

शंटिंग मास्टर/शंटिंग प्रभारी की ड्यूटी:-

- (1) वे अपने ड्यूटी के शुरू करने के समय शंटिंग के सम्बंध में स्टेशन मास्टर से निर्देश प्राप्त करेंगे।
- (2) किये जाने वाले शंटिंग संचालन को साफ तौर पर सम्बंधित स्टेशन मास्टर को बताया जायेगा और कांटो का सही तरह से सेट एवं लॉक होना सुनिश्चित करने के पश्चात् ही शंटिंग संचालन किया जायेगा।
- (3) जहां शंट सिगनल दिये गये है वहां शंटिंग के लिये शंट सिगनल ऑफ किये जायेंगे। शंटिंग का प्रभारी यह सुनिश्चित करेगा कि सही शंट सिगनल ऑफ किया गया है।
- (4) वे किसी भी लाइन को अवरुद्ध करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि वैगन/वाहन फाउलिंग मार्क के अंदर है।

परिशिष्ट 'ई'

इस स्टेशन पर आवश्यक उपस्कर

क्रमांक	उपकरण का नाम	कुल संख्या
01	स्विच क्लैम्प	20
02	पैड लॉक	25
03	बटन कॉलर	06
04	पटाखे	20
05	हाथ बत्ती एल.ई.डी. आधारित	04
06	हरी झन्डी	06
07	लाल झन्डी	08
08	संरक्षा जंजीर	04
09	अग्निशमक	02
10	स्ट्रेचर	01
11	अग्नि बाल्टियां स्टैंड सहित	04
12	प्राथमिक चिकित्सा पेटी	01
13	लकड़ी के गुटके	10
14	सेप्टी रबर ग्लव	02

वरि. मं.परि.प्रबंधक (जी &जी)झांसी


वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

परिशिष्ट 'एफ'

डीके , हाल्ट, आई.बी.एच., आई.बी.एस. और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम :-

1. महोबा – कुलपहाड़ के बीच चरखारी रोड "डी" श्रेणी स्टेशन है।
2. महोबा – कबरई के बीच बरीपुरा "डी" श्रेणी स्टेशन है।
3. महोबा – सिंहपुरडूमरा के बीच चितहरी एवं रागोली "डी" श्रेणी स्टेशन है।

नोट:—इन सभी डी श्रेणी स्टेशनों पर रूकने वाली गाड़ियों के लोकोपायलट वर्किंग टाइम टेबल में दिये हुये ठहराव के अनुसार रूकेंगे। इन स्टेशनों के पहचान के लिये, स्टेशनों के दोनो तरफ निर्धारित दूरी पर एच बोर्ड दिये गये।



वरि. मं.परि.प्रबंधक (जी &जी)झांसी

वरि. मं.सि. एवं दूर.सं.अभि. (ब्रान्च लाइन) झांसी

परिशिष्ट 'जी'

इकहरी लाइन पर विद्युतीकृत सेक्शन में गाड़ी परिचालन के नियम:-

1. नियमों का ज्ञान:-

सहा. नि. 17.01/1 के अनुसार स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चि करेगा कि स्टेशन क्षेत्र में काम करने वाला प्रत्येक स्टेशन कर्मचारी जहां कि 25 केबी विद्युत कर्षण से गाड़ी का आवागमन होता है। वहां पर प्रत्येक कर्मचारी को इसके नियमों की जानकारी होना चाहिये।

इन नियमों की अनभिज्ञता को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. ब्रेक डाउन की सूचना देना:-

किसी भी प्रकार के ब्रेक डाउन या खराबी जो कि स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट की जाती है तुरंत ही कर्षण विद्युत नियंत्रक को टीपीसी फोन द्वारा या खण्ड नियंत्रक द्वारा तुरंत ही दी जायेगी। दूर संचार के साधनों की विफलता होने पर स्टेशन मास्टर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुये गाड़ी परिचालन का संचालन करेगा और नज़दीकी विद्युतीय कर्षण अधिकारी को सूचना देगा।

3. विद्युतीय स्विच चाबीयों की सुरक्षित अभिरक्षा और स्विचों का संचालन:-

सहा. नि. 17.03/4 के अनुसार स्टेशन मास्टर/केबिन मास्टर एसी विद्युतीय कर्षण स्टेशन संचालन नियम के द्वारा अपने आप को ओएचई सप्लाई को नियंत्रित करने वाले आईसोलेटर स्विचों के लोकेशन की जानकारी रखेगा और सहा. नि. 17.05/1 (4) के अनुसार इन आईसोलेटर स्विचों को आपालकालीन स्थिति में खोलने एवं बंद करने की विधियों से अपने आप को अवगत रखेगा। सभी बाहरी ओएचई स्विचों की चाबीयां स्टेशन मास्टर एक कांच के बॉक्स में ताले में बंद रहेगा जिसकी चाबी स्टेशन मास्टर की अभिरक्षा में रहेगी इन ओएचई स्विचों की चाबीयां प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा मांगे जाने पर इसके लिये रखे गये रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर पावती स्वरूप लेने के बाद ही उस कर्मचारी को दी जायेगी।

3.1 यदि ओएचई स्विचों की चाबीयां जिस बॉक्स में रखी गई हैं उसका कांच टूट जाता है तो चाबीयां स्टेशन मास्टर की अभिरक्षा में तब तक रखी जायेगी जब तक की ओएचई विभाग द्वारा चाबी बॉक्स का कांच नहीं बदल दिया जाता है। स्टेशन मास्टर सम्बंधित एसएसई (ओएचई)को कांच तुरंत बदलने के लिये सूचित करेगा।

3.2 आपातकालीन स्थिति में टीपीसी के निर्देशानुसार स्टेशन मास्टर स्वयं या केबिन मास्टर के द्वारा टीपीसी के दिये गये निर्देशों के अनुसार विशेष दिशा में ओएचई स्विचों का ऑपरेशन करेगा। यदि टीपीसी के पास एसएसई (ओएचई) उपलब्ध नहीं है तो टीपीसी के निर्देशों के अनुसार स्टेशन मास्टर प्राइवेट नम्बरों के आदान-प्रदान के बाद आईसोलेटर स्विच को खोलेगा या बंद करेगा। स्टेशन मास्टर स्वयं के द्वारा स्विच को अंतिम बार ऑपरेशन किये गये स्थिति में लॉक कर देगा और टीपीसी को सूचित करेगा व टीपीसी के द्वारा अगले आदेश मिलने तक चाबी आपने पास रखेगा। चाबीयों के आदान-प्रदान का प्रत्येक रिकार्ड इसके लिये रखे गये रजिस्टर में लिखा जायेगा। यदि स्टेशन मास्टर ने स्वयं चाबीयों के द्वारा ऑपरेशन नहीं किया है तो चाबी वापस स्टेशन मास्टर को जमा कर दी जायेगी। और स्टेशन मास्टर इसको कांच के बॉक्स में तालित करके रखेगा और इसके लिये रखे गये रजिस्टर में प्रविष्ट दर्ज करेगा।

4. सतर्कता आदेश जारी करना :-

ओएचई ब्रेक डाउन (खराबी) होने के मामले में यदि एसएसई (ओएचई) द्वारा सूचना दी जाती है तब स्टेशन मास्टर खण्ड नियंत्रक से सलाह करके सहा. नि. 4.09/1 के अनुसार लोको पायलट को प्रभावित सेक्शन में ओएचई ब्रेक डाउन के बारे में पूरी सूचना देते हुये सतर्कता आदेश जारी करेगा।

वरि. मं. परि. प्रबंधक(जी &जी) झांसी

वरि. मं. विद्युत अभि. (टी.डी.) झांसी

5. स्टेशन सीमा के अंदर ओएचई स्टाफ के कार्य करने के नियम:-

सहा.नि. 17.03/8 के अनुसार स्टेशन मास्टर की पूर्व अनुमति के बिना स्टेशन सीमा के अंदर कोई भी कर्मचारी ओ.एच.ई बाइन्डिंग या लाइन को अवरोहित करने वाला कार्य नहीं करेगा।

6. पावर ब्लॉक :-

6.1 खण्ड नियंत्रक को सूचित करने के बाद स्टेशन मास्टर साइडिंगों में, जो कि सामान्य परिचालन को प्रभावित नहीं करता है, के लिये लोकल पावर ब्लॉक स्वीकृत करेगा।

6.2 स्टेशन मास्टर किसी भी विद्युत इंजन को पावर ब्लॉक दिये गये क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं देगा। वह ऐसे कांटों के ऊपर परिचालन रोकने के लिये बटन कालर का उपयोग करेगा और पावर ब्लॉक समाप्त होने के बाद ही बटन कॉलर को सम्बंधित बटन पर से हटायेगा व ट्रेन रजिस्टर में आने वाले स्टेशन मास्टर की जानकारी के लिये दिये गये ब्लॉक के बारे में इंट्री करेगा।

7. टावर वैगन की कार्यविधि:-

सहा. नि. 17.08/1 के अनुसार एक टावर वैगन को परिचालन के सम्बंध में एक गाड़ी ही माना जायेगा जो कि बिना गार्ड के काम करेगा स्वीकृत ओएचई ब्लॉक के मामलों में एक या एक से अधिक टावर वैगन एक दूसरे के पीछे काम कर सकती हैं। स्टेशन मास्टर पीछे-पीछे काम करते हुये चलने वाली टावर वैगन/टावर वैगनों को ओएचई सेक्शन में प्रवेश करने के लिये एक "बिना लाइन क्लियर के ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिये प्राधिकार पत्र" और "सतर्कता आदेश" जारी करेगा जिसमें कि उसको कार्य स्थल पर गति प्रतिबंध के बारे में जो कि किसी भी दशा में 10 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होगी, दिया जायेगा। लेकिन एक गाड़ी के पीछे टावर वैगन को ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। कार्य समाप्त हो जाने के बाद जब कि अंतिम टावर वैगन जो कि अग्रिम ब्लॉक सेक्शन में गई थी, के बारे में अगले स्टेशन पर पहुँच जाने के बाद टावर वैगन का इंचार्ज, ट्रेन रजिस्टर में इस बात के प्रमाण के तौर पर अपने हस्ताक्षर करेगा कि ब्लॉक सेक्शन में गई अंतिम टावर वैगन वापस आ गई है और सेक्शन टावर वैगनों से पूरी तरह क्लियर है।

8. ओएचई उपकरणों में खराबी होने पर स्टेशन मास्टर के कर्तव्य और जिम्मेदारियां :- (सहा. नि.17.8/1)

8.1 किसी सेक्शन में ओएचई पावर सप्लाय खराबी हो जाने के मामले में टीपीसी से सूचना मिलने के बाद खण्ड नियंत्रक प्राइवेट नम्बरों के आदान-प्रदान के अंतर्गत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। स्टेशन मास्टर ऐसी सूचना मिलने के बाद प्रभावित खण्ड को आपातकालीन पावर ब्लॉक के अंतर्गत सेक्शन को मानकर कार्यवाही करेगा।

8.2 यदि गाड़ी ने खराबी वाले सेक्शन में प्रवेश कर लिया है :- यदि गाड़ी खराबी वाले सेक्शन में प्रवेश कर गई है और वह सेक्शन आईसोलेटेड है, तो स्टेशन मास्टर ऐसे सेक्शन में किसी गाड़ी को प्रवेश की अनुमति नहीं देगा।

9. विद्युतीय कृत सेक्शन में किसी गाड़ी की असुरक्षित स्थिति होने पर स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :-

9.1 किसी गाड़ी की विद्युतीय कृत सेक्शन में असुरक्षित स्थिति होने पर टीपीसी प्रभावित सेक्शन के दोनो लाइनों की विद्युत आपूर्ति बंद कर देने के बाद खण्ड नियंत्रक को सूचना देगा। टीपीसी से ऐसी सूचना मिलने के बाद खण्ड नियंत्रक प्राइवेट नम्बरों के आदान-प्रदान के अंतर्गत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। स्टेशन मास्टर ऐसी सूचना मिलने के बाद प्रभावित खण्ड को "आपातकालीन पावर ब्लॉक" के तहत मानेगा और तदानुसार कार्यवाही करेगा। स्टेशन मास्टर किसी भी गाड़ी को प्रभावित ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश की अनुमति नहीं देगा।

टिप्पणी:-ट्रैक्शन वर्किंग रूल, ट्रैक्शन वर्किंग रूल डायग्राम के साथ परिशिष्ट जी के तौर पर संलग्न है और यह स्टेशन संचालन नियम का अंग है।

वरि. मं. परि. प्रबंधक(जी &जी) झांसी

वरि. मं. विद्युत अभि. (टी.डी.) झांसी

स्टेशन संचालन नियम क्र. 475 दिनांक 31.12.19 के पेज क्र. निल के लिये शुद्धि पत्र क्र. 475/ए

56 'ए'

- vii स्टेशन मास्टर उत्तरदायी एस.एण्ड.टी. कर्मचारी को टेलीफोन की मरम्मत करने एवं सुधारने के लिए भी सूचित करेंगे।
- viii एस.एण्ड.टी. स्टाफ के द्वारा टेलीफोन सुधारने और पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।

4. लिफ्टिंग बैरियर की विफलता:-

- जब लिफ्टिंग बैरियर की विफलता के कारण गेट बंद न किया जा सकता हो तो गेटमैन तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर ट्रैक को फाउल नहीं करता है।
- वह तत्काल दिन के समय लाल बैनर पलैंग और रात के समय लाल फ्लैशिंग बत्ती जिस ओर से गाड़ी आ रही है उस ओर पहले और फिर दूसरी ओर बाद में खम्भे पर लगा देगा।
- गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध गेट को संरक्षा चैन और पैडलॉक द्वारा सुरक्षित करेगा।
- गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध सुरक्षित करने के बाद गेटमैन दिन के समय हरी झंडी और रात के समय हरी बत्ती, आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को दिखायेगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
- वह प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी गाड़ी के लोको पायलट को अपनी ओर से ब्लाक खण्ड में भेजने से पूर्व उसी तरह सावधानता आदेश जारी करने के लिए प्राइवेट नं. के आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे।
- स्टेशन मास्टर उत्तरदायी मेन्टीनेंस स्टाफ को लिफ्टिंग बैरियर की शीघ्र मरम्मत करने/सुधारने हेतु सूचित करेंगे।
- मेन्टीनेंस स्टाफ द्वारा लिफ्टिंग बैरियर की मरम्मत करने एवं पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद भी सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।

5-6 खुली अवस्था में गेट बैरियर का खराब होना/बंद स्थिति में पावर आपूर्ति की विफलता :-

- यदि गेट बंद नहीं हो रहा हो या नहीं खुल पा रहा हो तब गेट मैन तुरंत कार्यरत स्टेशन मास्टर टेलीफोन पर, प्राइवेट नं० के आदान-प्रदान के अंतर्गत सूचना देगा।
- उसके बाद फाटक को नॉन-इंटरलॉक्ड मान लिया जायेगा और गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान हेतु नॉन इंटरलॉक्ड गेट की कार्य पद्धति अपनाई जानी चाहिये।
- गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध संरक्षा चैन एवं पैडलॉक के द्वारा गेट को सुरक्षित करेगा और हाथ सिगनल पर गाड़ी को पास देगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
- वह प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी गाड़ी के लोको पायलट को ब्लाक खण्ड में भेजने से पूर्व उसी तरह सावधानता आदेश जारी करने के लिए प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अंतर्गत सूचित करेंगे।
- स्टेशन मास्टर उत्तरदायी एस. एण्ड टी. स्टाफ को फाटक सुधारने के लिये जल्द से जल्द सूचित करेंगे।
- एस एण्ड टी स्टाफ द्वारा गेट ठीक करने के उपरांत पुनः संयोजन/फिट मैमों देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।

टिप्पणी: गेट लॉज पर कॉच के द्वारा बंद सील्ड एवं तालित बॉक्स में आपातकालीन क्रैंक हैण्डल/चाबी रखी गई है, जब कभी गेटमैन को क्रैंक हैण्डल/चाबी द्वारा गेट परिचालन कि आवश्यकता हो वह कांच तोड़कर क्रैंक हैण्डल/चाबी बॉक्स से निकालेगा।

7 खराब गेट सिगनल:-

- गेटमैन निम्नांकित परिस्थितियों में गेट सिगनल को खराब मानेगा और उन्हें ऑफ नहीं करेगा-
 - यदि गेट सिगनल बिना गेट बंद किये ही ऑफ हो जाये।
 - आपरेटिंग विंच से चाबी, गेट की खुली स्थिति में बाहर निकल जाये अथवा
- यदि गेट अथवा गेट सिगनल या डिस्टेंट सिगनल ऑफ पोजीशन में खराब हो जाये तो गेटमैन इसे ऑन करने के सभी प्रयास करेगा चाहे सिगनल तार ही कटवाना पड़े।
- गेटमैन तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर को गेट सिगनल की खराबी के बारे में टेलीफोन पर प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा।

- 4 उसके बाद गेट अन्तर्पाशन रहित मान लिया जायेगा, और गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान हेतु नॉन इन्टर लॉकड गेट की कार्य पद्धति अपनाई जा सकती हैं।
- 5 गेट बंद करने के बाद वह गुजरती हुई गाड़ियों को दिन के समय हरी झंडी और रात के समय हरी बत्ती दिखायेगा।
- 6 कार्यरत स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
- 7 वह प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी गाड़ी के लोको पायलट को ब्लॉक खण्ड में भेजने से पूर्व उसी तरह सावधानता आदेश जारी करने के लिए प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे।
- 8 स्टेशन मास्टर उत्तरदायी एस.एण्ड.टी. स्टाफ को 'की ट्रांसमीटर' की शीघ्र मरम्मत करने एवं सुधारने हेतु सूचित करेंगे।
- 9 एस.एण्ड.टी. स्टाफ द्वारा खराब सिगनल को सुधार करने तथा पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद भी सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।

8 फाटक पर अवरोध:-

- 1 यदि गेट सड़क वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाये जो ट्रैक को उल्लंघित (फाउल) कर रहा हो अथवा यदि लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग ट्रैक को फाउल कर रहा हो या गेट पर अन्य कोई अवरोध हो तो गेटमैन तत्काल गेट सिगनल को ऑन की हालत में कर देगा।
- 2 वह दिन के समय लाल बैनर पलैंग और रात के समय लाल पलैशिंग बत्ती गेट के दोनो ओर इस निमित्त लगे हुए खम्भो पर लगा देगा।
- 3 गेटमैन इसके बाद तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर को गेट पर खराबी/अवरोध के बारे में प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा।
- 4 यदि 2-3 प्रयास के बाद भी स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर द्वारा जबाव नहीं मिलता है तो वह पहले गेट का बचाव करेगा और तब टेलीफोन पर सूचना देगा।
- 5 तब गेटमैन पटाखे, और दिन के समय लाल झंडी तथा रात के समय लाल पलैशिंग हाथ बत्ती सहित, गाड़ी आने की दिशा में अतिवेग से जायेगा और गेटमैन की ड्यूटी सम्बंधी सामान्य अनुदेश के अधीन मद सं. 1.5 (5) में निर्दिष्ट नियमानुसार गेट का बचाव करेगा।
- 6 उसके बाद वह दूसरी दिशा से भी बचाव करेगा।
- 7 वह सड़क वाहन के विवरण, चालक, मालिक का नाम नोट करेगा तथा मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर को देगा जो कि गाड़ी को तब तक नहीं चलायेगा जब तक कि गेटमैन द्वारा यह आश्वस्त न कर दिया जाय कि सड़क यातायात लिफ्टिंग बैरियर ट्रैक को उल्लंघित नहीं कर रहा है।
- 8 स्टेशन मास्टर प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे कि ब्लाक खण्ड में वह अपनी ओर से कोई गाड़ी न भेजें जब तक कि ट्रैक अवरोध से मुक्त न हो जाये।
- 9 ट्रैक अवरोध से मुक्त हो जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर को तदनुसार सूचित करेगा।
- 10 यदि गेट क्षतिग्रस्त है, किन्तु अवरोध मुक्त है, तब स्टेशन मास्टर सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे कि सावधानी से आगे बढ़ें और गेट सिगनल को 'ऑन' की स्थिति में हरे हाथ सिगनल पर पार करें।
- 11 गेटमैन संरक्षा चेन एवं पैडलॉक से गेट को सुरक्षित करेगा और यदि गेट पर अवरोध नहीं है तो हरा हाथ सिगनल दिखायेगा।
- 12 स्टेशन मास्टर उत्तरदायी मेन्टेनेन्स स्टाफ को लिफ्टिंग बैरियर की मरम्मत के लिए शीघ्रातिशीघ्र सूचित करेंगे।
- 13 मेन्टीनेन्स स्टाफ द्वारा खराब लिफ्टिंग बैरियर को सुधारने एवं पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ किया जायेगा।
- 9 **समपार फाटक के समीप ट्रैक पर अवरोध:-**
यदि पटरी के टूटने अथवा पेड़ के गिरने, सड़क वाहन द्वारा फाउल किये जाने अथवा डिरेलमेंट जो कि गेटमैन को दिखाई पड़ता हो, अवरोध समपार फाटक को फाउल करता हो, तो गेटमैन और स्टेशन मास्टर उपर्युक्त वर्णित मद सं. 8 के अनुसार कार्य पद्धति अपनायेंगे। यदि गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध गेट को बंद रखेगा जब तक कि ट्रैक अवरोध मुक्त न हो जाय।

